दश माला, खंड 25, अंक 38

बुधवार, 15 मई, 2002

25 वैशाख, 1924 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2 53
Date 13/6/2003

(खण्ड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 38, बुधवार, 15 मई, 2002/25 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 701 और 703	6-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 704 से 720	31-53
अतारांकित प्रश्न संख्या 7280 से 7481	53-336
सभा पटल पर रखे गए पत्र	336-346
राज्य सभा से संदेश	346-347, 426-427
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
बीसवां प्रतिवेदन	347
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	347
शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	348
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में कथित क्षेत्रीय असंतुलन	349-368
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	349, 352-368
श्रीमती वसुन्धरा राजे	349-352
कार्य मंत्रणा समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	368-369
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद न किए जाने के बारे में	377-381
दिल्ली में बिजली और पानी की समस्या के बारे में	382-384
नियम 377 के अधीन मामले	384-392

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(एक) बिहार में थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह 384-385

(दो) उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी और फतेहपुर रेलवे स्टेशनों पर कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

डा. अशोक पटेल 385

(तीन) मध्य प्रदेश के जबलपुर–भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर भिटौनी–शाहपुरा बाईपास पर रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी 385

(चार) जयपुर में कतिपय स्थानों पर रज्जू मार्ग की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 386

(पांच) गुजरात के सूरत जिले में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के कार्य में शीघ्रता लाए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल 386

(छह) पाकिस्तान में कैद भारतीय सैनिकों की रिहाई कराये जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 386-387

(सात) झारखंड में हनवारा और बिहार में सनहौला को जोड़ने के लिए गेरूआ नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय 387-388

(आठ) पश्चिमी बंगाल में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के राज्य सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ 388-389

(नौ) खेती में उपयोग किए जाने से पूर्व बी.टी. कॉटन बीज का व्यापक अध्ययन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 389

(दस) अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला 389-390

विषय कॉलम

(ग्यारह) त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के पेयजल प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव 390-391

(बारह) तमिलनाडु के गुम्मीडीपोंडी और तिरूवेल्लोर रेलवे स्टेशनों पर कम्पयूट्रीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री ए. कृष्णास्वामी 391

(तेरह) दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर रेलवे कार्यशाला को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पण्डा 391-392

सरकारी विधेयक—पारित

(एक) बीमा (संशोधन) विधेयक 392-422

विचार करने के लिए प्रस्ताव

रूपचन्द पाल 392-397

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 398-404

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 404-407

श्री चन्द्रनाथ सिंह 407-409

श्री यशवन्त सिन्हा 409-420

खंड 2 से 18 और 1 420-422

पारित करने के लिए प्रस्ताव 422

(दो) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 422-426

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री संतोष कुमार गंगवार 422-423

श्री थावरचन्द गेहलोत 423

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 423-424

श्री वरकला राधाकृष्णन 424-425

खंड 2 और 1 426

पारित करने के लिए प्रस्ताव 426

विषय	कॉलम
(तीन) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	427
श्रीमती सुषमा स्वराज	427-432 497-511
श्री पवन कुमार बंसल	433-441
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	441-444
श्री हन्नान मोल्लाह	444-448
श्री के. येरननायडू	448-450
श्री धर्म राज सिंह पटेल	450-451
श्री किरीट सोमैया	456-464
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	464-472
श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम	472-474
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	474-477
श्री सुरेश रामराव जाधव	477-478
श्री प्रभुनाथ सिंह	478-480
श्री पी. एच. पांडियन	480-491
डा. नीतिश सेनगुप्ता	491-492
श्री रामदास आठवले	492-494
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	494-496
खंड 2 से 6 और 1	511
पारित करने के लिए प्रस्ताव	511
मंत्री द्वारा वक्तव्य	452-455
फ्लैक्स उद्योग द्वारा मुद्रित चुनाव प्रचार सामग्री और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी का स्थानान्तरण	
श्री यशवन्त सिन्हा	453-455

विषय कॉलम

आधे घंटे की चर्चा 512-532

बिजली की चोरी

श्री नरेश पुगलिया 512-517

श्री वरकला राधाकृष्णन 518-520

श्री एन. जनार्दन रेड्डी 520-522

श्री सुरेश प्रभु 522-532

लोक सभा

बुधवार, 15 मई, 2002/25 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, कल जो कुछ जम्मू में हुआ, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव सदन में एक राय से पारित होना चाहिए।...*(व्यवधान)* प्रस्ताव में हमले की निंदा करते हुए यह मैसेज जाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा सदन एक है- हमें सदन में ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग देने के लिए पूरा सदन तैयार है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : हमें एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि पूरा सदन आतंकवाद के खिलाफ है।...*(व्यवधान)* हम इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लें।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, यह आतंकवाद के सामने सरकार का आत्म-समर्पण है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं जानता हूं कि यह प्रश्न बहुत गंभीर है। शून्य काल में आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस विषय पर रैजोल्यूशन आना चाहिए तो इस विषय में सदन के नेता विपक्ष की नेत्री के साथ विचार करके तय कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि आप इस मुद्दे पर विचार करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : ये सब कार्रवाइयां इस समय सीमा-पार से हो रही हैं। इसलिए इस समय सीमा-पार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, यह सरकार आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से असफल रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री महोदय भी यहां पर हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि इसे प्रश्न काल में नहीं उठाया जा सकता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि आप ऐसा समझते हैं तो इसके लिए प्रश्न काल को निलंबित किया जाए.. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं पहले ही 'प्रश्न काल' प्रारंभ कर चुका हूं। इस समय उठाए जा रहे मुद्दे को शून्य काल में उठाने की अनुमति दी जाएगी। मैं यह नहीं सोचता कि हमें प्रक्रिया बदलनी चाहिए। अब हम प्रश्न काल में और कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : एक दिन प्रश्न काल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। हमारे आर्मी के लोगों को वहां मारा गया है।...*(व्यवधान)* एक लाइन का रैजोल्यूशन पास कर दें। ...*(व्यवधान)* प्रश्न काल तो रोज होता है, एक दिन नहीं होगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारे आर्मी के लोगों, महिलाओं और बच्चों को वहां मार दिया गया है। उसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, हमें इस कार्रवाई के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव लाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है और यदि आप समझते हैं कि प्रश्न काल स्थगित किया जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, आतंकवादियों के जरिए आजकल हमारी सेना के जवानों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। सदन एक राय से इस घटना की निंदा करता है।...*(व्यवधान)* सदन के द्वारा आम राय से इस घटना की निंदा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते जिससे गलत मैसेज जाए। ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने का समय दिया गया है, इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। प्रधान मंत्री जी, हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सुझाव के तौर पर अपनी बात कहना चाहते हैं। यह देश और उसकी सुरक्षा का सवाल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी खड़े हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : पहले मेरी बात सुनी जाए। मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे बोलने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : कालूचक (जम्मू) में आतंकवादियों का हमला हुआ जिसमें जघन्य हत्याएं की गईं। हम इस बारे में आपको और देश को सहयोग देंगे लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे देश को नुकसान पहुंचे। हम इससे किसी तरह का लाभ नहीं उठाना चाहते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी खड़े हैं और उन्हें आपका विषय मालूम है। पहले उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू में जो नरसंहार हुआ, उसके बारे में कल गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया था। रक्षा मंत्री उस स्थान को देखने और सेना से बात करने गए हैं और वह कल तक लौट आएंगे। यह प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमें दलों के आधार पर उठाना पड़े। इसमें स्थगन प्रस्ताव का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सारा सदन इस बारे में एकमत है कि जो कुछ हुआ, वह बड़ा घृणित है और उसका हमें प्रतिकार करना होगा। कल रक्षा मंत्री वापस आ जाएंगे और गृह मंत्री भी आज यहां नहीं हैं। अगर आप चाहें तो मैं विरोधी दल के नेताओं की बैठक बुलाकर सारी परिस्थिति पर विचार करने के लिए उन्हें निमंत्रण दे सकता हूं मगर मैं पहले भी कितनी बार कह चुका हूं कि सदन में क्वैश्चन आवर को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है?

श्री मुलायम सिंह यादव : आप फिर वही बात कहने लगे। यह देश और उसकी सुरक्षा का सवाल है। हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते जिससे देश का नुकसान हो। आप विरोधी दल के नेताओं को विश्वास में लेना चाहते हैं, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम प्रधान मंत्री की मजबूरियों को समझते हैं। हम दिल से चाहते हैं कि इस संबंध में वह सारी स्थिति पर विचार करें और सभा को आज या कल जब भी उचित हो सूचित करें। सरकार को इन आतंकवादियों से अंततः निबटने के लिए सभा को विश्वास में लेना चाहिए। सभा में इस संबंध में कोई भी मतभेद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। अब मैं प्रश्न काल शुरू करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री सभी विरोधी दल के नेताओं को बुलाएंगे। वे सबको विश्वास में लेना चाहते हैं लेकिन इसमें पूरे देश

की जनता को तथा सेना को भी साथ में लेना पड़ेगा। मैंने कई मौकों पर कहा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जाए क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए पूरे देश को विश्वास में लेना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण नहीं दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : ऐसी सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रधान मंत्री होता है। आप इसे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पर मत टालिए। यह आपकी असफलता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुलायम सिंह यादव : गृह मंत्री और रक्षा मंत्री आ जाएंगे, यह क्या बात हुई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर आगे बहस की अनुमति नहीं दूंगा। प्रश्न काल शुरू हो चुका है। श्री वेंकटेस्वरलु, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सेना में भी असंतोष के संकेत मिले हैं, यह एक गंभीर मामला है। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, उसे गंभीरता से लेना होगा। पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान के सुरक्षा बलों को आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार बताया है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मुलायम सिंह जी, आपने बहस शुरू कर दी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें।

श्री मुलायम सिंह यादव : इस मामले में सरकार की असफलता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : प्रधान मंत्री ने जो भी कहा है, वह ठीक है। वे दलों के नेताओं से भी बात करें। आज श्रीमती सोनिया गांधी कश्मीर जा रही हैं। उसके बाद, यदि आवश्यक हो तो प्रधान मंत्री, आप और अन्य नेता जैसे भी उचित समझें हम विचार-विमर्श कर सकते हैं। यदि हम इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे तो संभवतः बेहतर समझ पैदा होगी। हमें प्रश्न काल को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, नेताओं की बैठक बुलाने से पहले सभा को इस घटना की निंदा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.11 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

'अमेरिकी रिसर्च फेसिलिटी' के साथ समझौता

***701. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'ब्रूकहैवन लेबोरेट्रीज' नामक 'अमेरिकी रिसर्च फेसिलिटी' के साथ दीर्घकालीन अनुसंधान समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते में हमारे परमाणु संयंत्रों की सम्पूर्ण सुरक्षा विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस समझौते के अनुसार दोनों देशों की अनुसंधान संस्थाओं के बीच वैज्ञानिकों का भी आदान-प्रदान किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश को इस समझौते के परिणामस्वरूप कितना लाभ होगा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) ये करार तत्वतः मूलभूत विज्ञान के संबंध में अनुसंधान–कार्य के लिए हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में ब्रुकहैवन नेशनल लेबोरेट्री ने आपेक्षिकीय भारी आयन संघट्टक (आरएच आईसी) नामक एक प्रमुख मूलभूत अनुसंधान सुविधा स्थापित की है। इसकी स्थापना मुख्यतः इस बात के अध्ययन हेतु मूलभूत अनुसंधान करने के लिए कि उस समय क्या होता है जब दो भारी नाभिक, (उदाहरणार्थ, दो स्वर्ण नाभिक) अत्यंत उच्च ऊर्जाओं की स्थिति में एक–दूसरे से टकराते हैं (स्वर्ण के मामले में, प्रत्येक नाभिक की ऊर्जा लगभग 40 टीईवी [टेरा इलैक्ट्रॉन वोल्ट] होती है) और यह पता लगाने कि क्या नाभिकीय पदार्थ की 'क्वार्क ग्लुऑन प्लाज्मा' (क्यूजीपी) नामक एक नई प्रावस्था सृजित होती है और क्यूजीपी के चिह्नों का पता लगाने के लिए की गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), ब्रुकहैवन नेशनल लेबोरेट्री (बीएनएल) के साथ किए एक अन्तरप्रयोगशाला करार के तहत वर्ष 1994 से ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा है। एक अन्य समझौता–ज्ञापन के तहत, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र (वीईसीसी), कोलकाता द्वारा समन्वित एक भारतीय दल, सोलेनॉयडल ट्रैकर (स्टार) दल के साथ मिलकर, ब्रुकहैवन नेशनल लेबोरेट्री (बीएनएल) में परीक्षण करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) जी, हां।

(च) जब भी उपयोगी और जरूरी समझा जाता है, वैज्ञानिकों को परस्पर आदान–प्रदान द्वारा भेजा या बुलाया जाता है।

(छ) इन अन्तर्राष्ट्रीय सहकार कार्यक्रमों में भाग लेने से भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, ब्रुकहैवन नेशनल लेबोरेट्री में स्थापित आधुनिकतम त्वरक सुविधाओं और प्रगत संसूचक प्रणालियों का उपयोग करना संभव हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. वेंकटेस्वरलु, यदि आप अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं दूसरे सदस्य को बुलाऊंगा।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के अमरीका की ब्रुकहैवन नेशनल लेबोरेट्री के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान हेतु समझौता करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। लेकिन इस समझौते के आधार पर प्रेस में व्यापक रूप से यह रिपोर्ट छपी है कि सरकार नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को निजी हाथों विशेषकर विदेशी संगठनों हेतु खोलने को तैयार है।

महोदय, 1962 के नाभिकीय और आणविक ऊर्जा अधिनियम के अनुसार अधिग्रहण, उत्पादन, स्थिति, प्रयोग, निपटान, आयात और निर्यात जैसे इन सभी महत्वपूर्ण विनियामक कारकों के लिए अधिकार सरकार के पास हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. वेंकटेस्वरलु, कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : अतः देश की रक्षा, सुरक्षा और सुरक्षोपाय के प्रयास में जब सरकार नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन क्षेत्र को निजी हाथों विशेषकर उन विदेशी मूल के लोगों के लिए खोलने पर विचार कर रही है तो क्या यह 1962 के 'नाभिकीय और आणविक ऊर्जा अधिनियम' को भी संशोधित करने पर विचार करेगी?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है यह पूर्णतः सरकार के अमरीका की ब्रुकहैवन लेबोरेट्री के साथ किए गए समझौते से संबंधित है।

जहां तक सुरक्षा एवं सुरक्षोपायों का संबंध है ये दो अलग–अलग मुद्दे हैं, और हमारी बहस मूलतः इस विशिष्ट समझौते और नाभिकीय सुरक्षा मुद्दों तक ही सीमित है। यहां पर भी हमारी बराबर भागीदारी है। किसी भी देश की ओर से इसमें किसी को पर्यवेक्षक नहीं रखा गया है।

जहां तक उस समझौते का संबंध है जिसके बारे में वह बोल रहे हैं, उस प्रश्न के संबंध में वह नया नोटिस

दे सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न उस विशेष प्रश्न के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मेरा मानना है कि माननीय मंत्री मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाए हैं। इस समझौते के आधार पर प्रेस विशेषकर अमरीका के प्रेस द्वारा यह विचार प्रकट किया जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन निजी व्यक्तियों के लिए खोला जाने वाला है। यदि ऐसा है तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार अधिनियम में संशोधन करेगी, और क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को निजी व्यक्तियों के लिए खोलने का निर्णय ले लिया है। यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं पुनः इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रही हूं कि यहां पर हम अनुसंधान सुविधाओं एवं ब्रुकहैवन लेबोरेट्री के साथ किए गए दीर्घकालीन अनुसंधान समझौते के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम परमाणु ऊर्जा उत्पादन समझौतों के बारे में बात जारी नहीं रख सकते, जो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे सहमत हूं। इसलिए मैं दूसरे सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए बुलाता हूं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मुझे अभी अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, वास्तव में यह प्रासंगिक है। जब माननीय मंत्री कह रहे हैं कि हमें नये प्रश्न पर चर्चा करनी है तो हम इससे सहमत हैं। यद्यपि यह इस प्रश्न से संबंधित है फिर भी मैं माननीय मंत्री की भावनाओं से सहमत हूं। अमरीका स्थिति ब्रुकहैवन लेबोरेट्री के साथ दीर्घकालिक समझौते का निर्णय करते समय पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के मद्देनजर स्थायी हितों को ध्यान में रखा गया। पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी हमारे नाभिकीय स्टेशनों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने विशेषकर मुम्बई स्थित नाभिकीय संयंत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी।

मैं एक बार पुनः अपने प्रश्न पर जोर दे रहा हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं ब्रुकहैवन नेशनल लेबोरेट्री के बारे में कुछ बोलना चाहती हूं। मेरा विचार है कि इस विषय पर बोलना अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिससे यह प्रश्न एक ही बार में सदा के लिए स्पष्ट हो जाए।

इस लेबोरेट्री में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। यह ऊर्जा प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों भौतिकी, जैव–चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान में मूल एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान करता है। इसका नाभिकीय ऊर्जा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।

हम निम्नलिखित कार्य कर रहे हैं, हम एक–दूसरे को इस क्षेत्र में सहयोग लेने–देने का समझौता कर रहे हैं जिस पर 1994 में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और ब्रुकहैयन नेशनल लेबोरेट्री के बीच पीएचआईएनआईई (पायनियर हेवी आयन न्यूक्लीयर इंटरैक्शन एक्सपेरीमेंट्स) के लिए हस्ताक्षर हुए थे। अगस्त 2001 का एक ज्ञापन भी इसके साथ है जिसमें 'वेरीएबल इनर्जी साइक्लोट्रान सेंटर, कोलकाता एवं 'सोलेनॉयडल ट्रैकर (स्टार) दल ने ब्रुकहैवन नेशनल लेबोरेट्री के साथ दूसरा प्रयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया।

हमारे पास एक भारतीय दल है जिसमें पंजाब, राजस्थान, जम्मू, इंस्टीट्यूट आप फिजिक्स ऑफ भुवनेश्वर एवं आईआईटी विभिन्न विश्वविद्यालय शामिल हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। यह पूर्णतः मूल वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम है।

मैं आपको अनुसंधान के विषय में कुछ बताती हूं। यह मूलतः आरएचआईसी सुविधा का उपयोग करने के लिए है। आरएचआईसी 'रिलेटिविस्टिक हेवी आयन कोलाइडर' है और यह सुविधा केवल पूरे विश्व में माल ब्रुकहैवन नेशनल लेबोरेट्री में उपलब्ध है। यहां, इस इकाई की स्थापना पदार्थ के सूक्ष्मतम अवयवों की खोज करने के लिए की गई है।

जैसा कि आपको ज्ञात है पदार्थ परमाणुओं से बना है जिसको इलेक्टान, प्रोटान, न्यूटान में उपविभाजन किया जा सकता है। इन्हें और छोटे रूप में क्वार्क, ग्लुऑन के रूप में तोड़ा जा सकता है। यहां वैज्ञानिक यह खोज रहे हैं कि ये 'गोल्ड न्यूक्ली' जो कि प्रकाश की गति से अर्थात् प्रकाश की गति के 99.995 प्रतिशत की गति से विपरीत दिशाओं

की तरफ से आकर भिड़ते हैं। जब वे भिड़ते हैं तो वे टुकड़ों में टूटते हैं और जब वे टुकड़ों में टूटते हैं तो क्वार्क और ग्लुऑन बनते हैं। इससे क्वार्क–ग्लून प्लाज्मा चरण नामक लक्षण पैदा होता है।

भारतीय वैज्ञानिक अब ऐसा कर रहे हैं कि वे इन टकरावों का अध्ययन करने के लिए स्टार (एस टी ए आर) एवं फिनीस् (पी एच आई एन आई ईज्) नामक प्रयोग में भाग ले रहे हैं। इन टक्करों से सेकेंड के बिलियनवें हिस्से के लिए कई सौ बिलियन डिग्री का तापमान उत्पन्न होता है। यद्यपि आर एच आई सी टकराव अत्यधिक ऊष्म एवं तीव्र होती है परन्तु इसकी संक्षिप्तता इसे खतरनाक नहीं बनने देती। मूलतः उनका हित यहां इस धारणा से संबद्ध है कि ऐसा चरण ब्रह्मांड के सृजन के कुछ माइक्रोसेकेंड के बाद विद्यमान था, जो कि बिग–बैंग सिद्धांत है।

वैज्ञानिक इस प्रयोग के माध्यम से 30 बिलियन वर्ष पीछे का हाल जानने की आशा रखते हैं। मूलतः ये परम एवं विशुद्ध शैक्षिक अध्ययन हैं। इसका ऊर्जा उत्पादन पर कोई व्यवहारिक परिणाम नहीं होगा। 18 देशों में हजारों वैज्ञानिक इस कार्य में लगे हुए हैं। यही एक सुविधा है जो वहां विद्यमान है और यह अत्यंत ही महंगी सुविधा है, और यही कारण है कि इसे भारत में शुरू कर पाना संभव नहीं हो पाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इसमें 18 देश भाग ले रहे हैं। परन्तु जहां तक हमारी लागत का संबंध है, वे नगण्य हैं। आर एच आई सी को जो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं वह भारत सरकार की संपत्ति बनी रहेगी।

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि स्थायी समिति के समापति परमाणु ऊर्जा से संबंधित विषय पर गौर कर रहे हैं, मुझे उक्त स्थान का दो बार दौरा करने का विशेषाधिकार मिला था। मैं सरकार को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दूंगा और अधिकारिक रूप से हमने अपने प्रतिवेदन में भी विचार किया है और प्रशंसा भी की है।

परन्तु कई बार विभिन्न स्थानों से कुछ वैज्ञानिकों ने मुझे कुछ ज्ञापन भी दिए हैं, जिसकी जांच मैंने महाराष्ट्र से निर्वाचित होने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को भेजकर करवाई। कल मुझे यह प्राप्त हुआ है और मैंने इसे रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाने का निर्णय लिया है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और इसे उन्हें सौंप दूंगा। कतिपय कारणों से मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोलूंगा। परन्तु अब यह मुद्दा सामने आया है, मैं माननीय प्रधान मंत्री से इस पर व्यक्तिगत रूप से गौर करने की अपील करूंगा। इससे बार्क (बी ए आर सी) पर कोई लांछन नहीं लग रहा है। वे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में भी ऐसा ही कहा है। कुछ कमियां यहां भी हैं और वहां भी। परन्तु मैं माननीय प्रधान मंत्री से इसके और बढ़ने से पहले इस पर गौर करने और इसका समाधान करने का अनुरोध करता हूं। मेरा केवल यही अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि उन्होंने जो कुछ कहा उस पर कोई संदेह नहीं है, मैं अगले माननीय सदस्य श्री खारबेल स्वाइं को बुलाऊंगा।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर मेरे जैसे व्यक्ति की समझ से बाहर है। मैं विज्ञान का नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान का छात्र हूं। जो भी हो मैं एक संबंधित प्रश्न पूछूंगा। पोखरण के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। मेरे प्रश्न का संबंध छात्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों से है। पूर्व में भारतीय विद्यार्थियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी विषय का अध्ययन करने की अनुमति थी। क्या ऐसे किसी प्रतिबंध एवं प्रतिबंधों को हटाया गया है?

भारत में प्रतिबंधित प्रौद्योगिकियों को जिन्हें अब मुक्त किया है और जिनके कारण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रौद्योगिकी संबंधी प्रतिबंध को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हटाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्रीमती वसुंधरा राजे : इसमें विद्यार्थियों का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह ब्रुकहैवन प्रयोगशाला से संबंधित एक बड़ा ही सीमित सा प्रश्न है। तथापि, यदि माननीय मंत्री जी विद्यार्थियों, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और जाने की योग्यता के बारे में जानना चाहते हैं, तो सदस्य को मुझसे पूछने की छूट है।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परन्तु यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री खारवेल स्वाइं : यदि आप केवल विशिष्ट एवं प्राथमिक प्रश्न पूछने पर जोर देते हैं, तो मेरे विचार से कोई भी इस प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने में समर्थ नहीं होगा।... *(व्यवधान)*

श्रीमती वसुंधरा राजे : परन्तु यह एक विशिष्ट प्रश्न है। मैं क्या कर सकती हूं?

अध्यक्ष महोदय : मेरा काम असंगत प्रश्नों को न उठाने देना है जिन्हें कोई सदस्य पूछना चाहता है।

श्री प्रवीण राष्ट्र पाल : महोदय, उनका प्रश्न बड़ा ही प्रासंगिक है...*(व्यवधान)* उन्हें हमारी प्रयोगशालाओं का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी जाती है?

श्री खारवेल स्वाइं : प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पर कोई प्रतिबंध है या नहीं?

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, माननीय सदस्य वैज्ञानिकों के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे उन्हें वैज्ञानिकों के बारे में बताने में प्रसन्नता है। इसके तत्काल बाद वैज्ञानिकों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। चूंकि बी एन एल संयुक्त राज्य अमेरिका का ऊर्जा विभाग है, वहां ऐसा सहयोग था। अब हम समझौते की बात करें।

यह सहयोग पोखरण के बाद प्रभावित हुआ था और बार्क (बी ए आर सी) संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु सूची का भी एक हिस्सा था। वैज्ञानिकों को मामले दर मामले आधार पर वीजा की मंजूरी दी गई थी। दोनों ही देश के वैज्ञानिक आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है और हम संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ विचार-विमर्श करते रहे हैं और हम यह आशा करते हैं कि इस आंदोलन पर, विशेषकर विशुद्ध मौलिक अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस प्रश्न में हम अनुप्रयुक्त विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं जानता हूं कि हमारे दोनों केन्द्रों के बीच दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन केन्द्रों में से एक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुम्बई है। उन्होंने अनुसंधान कार्य के लिए ब्रुकहैवन नेशनल लेबोरेट्री के साथ समझौता किया है। मैं यह भी जानता हूं कि कोलकाता स्थित वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रान सेंटर ने भी प्रयोग करने के लिए एक समझौता किया है। मैं इन दो समझौतों के स्वरूप के बारे में भी जानना चाहता हूं। क्या ये दोनों प्रयोगशालाएं एक ही क्षेत्र में कार्य कर रही हैं या क्या यह उनका एकमात्र अनुसंधान कार्य है अथवा क्या वे केवल प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मुझे मुम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की समस्याओं के बारे में भी बताया जाए। जब मुझे वहां जाने का एक अवसर मिला था, तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान में मुम्बई में कोई उचित अनुसंधान कार्य नहीं किया जा रहा था। वे भी वित्तीय कार्रवाई के बारे में हैं। केन्द्र सरकार उन्हें समुचित रूप से धन नहीं दे रही है। मैं अपने इस कथन में सुधार कर सकता हूं।

अंत में, एक शिकायत यह थी कि वहां कर्मचारियों की संख्या समुचित नहीं है। यदि ये बातें ठीक हैं तो मैं केन्द्र सरकार से इन मामलों का समाधान करने और इस केन्द्र को सफल बनाने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपसे एक अनुरोध मात्र है। यह कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं है।

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं है। जहां तक सहयोग और जो कुछ हमें इससे प्राप्त हो रहा है, उसका संबंध है, मैं यह बताना चाहती हूं कि यह प्रयोग किस बारे में है। मूलतः यह क्वार्क-ग्लूकोन प्लाज्मा के लक्षणों का पता लगाने के प्रयोग के विभिन्न तरीके हैं। परन्तु मूलतः हम फिनीज (पी एच आई एन आई इज) के लिए नियोन ट्रैकिंग डिटेक्टर के कल-पुर्जों की आपूर्ति कर रहे थे, और स्टार (एस टी ए आर) के लिए हम प्रोटोन-मल्टी प्लीसीटी डिटेक्टर नामक पदार्थ का पता लगा रहे हैं, जिसे कोलकाता में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाना है।

हमारे वैज्ञानिक इन प्रयोगों के परिणामों का विश्लेषण करने हेतु एक सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहे हैं। जहां तक बी ए आर सी (बार्क) का संबंध है, मेरे विचार से हमने विज्ञान के इन क्षेत्रों में काफी अनुसंधान किए हैं। जहां तक हमारी परमाणु ऊर्जा एजेंसी का संबंध है, हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों के 13 निर्दिष्ट सदस्यों में सम्मिलित हैं। वस्तुतः, मुझे विश्वास है कि यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि इस बोर्ड में केवल 13 निर्दिष्ट सदस्य हैं और वर्ष 1957 में इस एजेंसी के आरंभ से ही भारत 13 सदस्यीय 'बोर्ड ऑफ गवर्नरस्' का एक हिस्सा रहा है।

जहां तक बार्क (बी ए आर सी) एवं इसके कार्यकरण का संबंध है, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है अथवा माननीय सदस्य का हमसे सूचना उपलब्ध कराने के लिए पूछने का स्वागत है और मुझे उनकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी।

गरीबी का मुकाबला करने हेतु कार्य योजना

*702. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई वित्त और योजना मंत्रियों की अप्रैल, 2002 में इस्लामाबाद में हुई बैठक के दौरान गरीबी का मुकाबला करने के लिए एक 16–सूत्री कार्य योजना स्वीकृत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत में इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) एक वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) इस्लामाबाद में आयोजित दक्षिण एशियाई योजना एवं वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में एक कार्ययोजना पारित की गई। सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई यह अनुशंसा दो भागों में है--(i) आतंरिक नीतियों तथा (ii) विदेश नीतियों पर सिफारिशें।

आतंरिक नीतियों पर सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ अच्छे शासन, समृद्ध बृहत अर्थशास्त्र नीतियां, रोजगार सृजन, विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन अधिकारिता, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा संरचना से संबंधित विषयों को शामिल किया गया।

जहां तक विदेश नीतियों का प्रश्न है मंत्रियों ने ओ डी ए स्तर बढ़ाने, उत्पादों को बढ़ा हुआ बाजार उपलब्ध कराने, विदेशी उधार और कर्ज का बोझ कम करने और इस क्षेत्र में अवैध और टैक्स से बचाई गई मुद्रा का प्रवाह रोकने के लिए विकसित देशों के साथ मिलकर कार्य करने की अनुशंसा की।

भारत सरकार गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रोत्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पहले ही आंतरिक नीतियों पर अधिकतर अनुशंसाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

जहां तक विदेश नीतियों से संबंधित अनुशंसाओं का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में विकसित देशों से अपनी–अपनी ओ डी ए वचनबद्धताएं पूरी करने के लिए कहने और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकसित देशों के उत्पादों के लिए बढ़ा हुआ बाजार प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक बहुपक्षीय उधारों, विदेशी ऋणों को कम करने तथा अवैध और टैक्स से बचाई गई मुद्रा के प्रवाह को रोकने का प्रश्न है, इसके लिए भारत में पहले से ही उपाय किए गए हैं।

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : महोदय, केन्द्र सरकार का कुल व्यय 600,000 करोड़ रुपए है जो कि प्रतिदिन लगभग 1664 करोड़ रुपए बैठता है। भारत में इस पृष्ठभूमि में अभी भी आठ करोड़ बच्चों को शिक्षा सुलभ नहीं है, 40 करोड़ लोग 50 रुपए प्रतिदिन पर गुजर–बसर कर रहे हैं, 70 करोड़ लोगों को शौचालय सुलभ नहीं है और एक से पांच वर्ष की आयु वाले 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। इस पृष्ठभूमि में, मैं माननीय मंत्री से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहता हूं।

प्रथमतः, क्या इस्लामाबाद में दक्षेस देशों के वित्त एवं योजना मंत्रियों की बैठक के दौरान, इस स्थिति का जो आकलन किया गया था कि हम उन लक्ष्यों के करीब क्यों नहीं हैं जिन्हें हमने वर्ष 2002 तक गरीबी शीघ्र उपशमन के लिए निर्धारित किए थे? यह इस पृष्ठभूमि में बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि विश्व के निर्धनतम लोगों में से 50 प्रतिशत दक्षेस क्षेत्र में निवास करते हैं।

दूसरे हमारे प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि–दर गरीबी उपशमन की दिशा में एक बड़ी बाधा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप विशेष रूप से यह विचार करते हुए कोई कदम उठा रहे हैं कि दक्षेस क्षेत्र के 1.4 बिलियन लोगों में से एक बिलियन भारत में निवास करते हैं?

अंततः हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने यह इंगित किया था कि--जहां तक मुझे याद है कि समुदायों

में वास्तविक निर्धन तक एक रुपए में से केवल 14 पैसा पहुंचता है। क्या हम इस विपथन को ठीक करने और इन कमियों विशेषकर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वर्ष 1998–99 में आबंटित 2380 करोड़ रुपए अभी भी अप्रयुक्त हैं, से संबंधित कल के प्रश्न से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए कुछ कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, दोनों नौजवान हैं।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। सिर्फ इतना ही कहा है कि दोनों नौजवान हैं।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, सभी तीनों प्रश्नों का उत्तर 'हां' है। हां, वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया गया। इस संबंध में क्या किए जाने की आवश्यकता है। हां, सम्मेलन के दौरान हमारे क्षेत्र में तेजी से होने वाली जनसंख्या वृद्धि जो गरीबी में एक सहायक कारक है, पर भी चर्चा की गई थी। हां, उन क्षेत्रों के लिए वास्तविक धनराशि प्रदान किए जाने के संबंध में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी द्वारा दिए गए वक्तव्य भी सरकारी योजना के अंग थे जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी और इसी विषय पर दक्षेस सम्मेलन ने भी विचार किया। यदि हम इस सम्मेलन द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना पर नजर डालें तो आप यह देख सकते हैं कि इनमें आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार की नीतियों के लिए सिफारिशें की थीं। माननीय मंत्री द्वारा पूछे गए प्रश्नों विशेषकर आंतरिक नीतियों के लिए जो सिफारिशें प्रासंगिक हैं वे लक्ष्यों और उद्देश्यों में शामिल हैं, अर्थात् ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की गरीबी से मुकाबला करने के महत्व को पहचानना। लघु वित्त, छोटे और मध्यम उद्यमों का विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सृजन के संबंध में अनेक सिफारिशें की गई हैं। सम्मेलन में जो एक अन्य सिफारिश की गई थी बृहत प्रबंधन नीतियों के अनुपालन से संबंधित थी। समग्र गरीबी के आंकड़ों को समझने के उद्देश्य से मानवीय पूंजी और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है।

लेकिन अंततोगत्वा, स्थानीय और ग्रामीण समुदायों को अधिकार देना भी अधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक था। दक्षेस बैठक के दौरान इस विषय पर गंभीरता से विचार किया गया। उनके द्वारा सुझाई गई कुछ सिफारिशों पर हम निःसंदेह आंतरिक रूप से विचार करेंगे। ये सिफारिशें विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता, सबसे निचले स्तर तक वित्तीय हस्तांतरण की आवश्यकता और विकास गतिविधियों में समुदायों को शामिल करने की आवश्यकता आदि से संबंधित हैं। विकास संबंधी सभी कार्यों में गरीबी के आंकड़ों का पता लगाने के संबंध में समुदाय की सहभागिता जरूरी है। इस बैठक के दौरान इस प्रकार की कुछ चर्चाएं हुईं। भारत सरकार निःसंदेह इस स्थिति से भली–भांति परिचित है और संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से सभी आवश्यक कार्य कर रही है।

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : सार्क बैठक के दौरान पता लगाए गए क्षेत्रों में से एक क्षेत्र ऐसा था जो वर्ष 2002 तक गरीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों को पूरा नहीं कर रहा था वह सीमा–पार कट्टरवाद और आतंकवाद का मुद्दा था। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसे कम करने के संबंध में किन्हीं कदमों पर विचार किया जा रहा है और क्या इस पर चर्चा की गई थी? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है। मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि विकसित देशों और पूंजी की वापसी के बीच पूंजी प्रवाह पर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवी लगाकर गरीबी उन्मूलन के लिए एक वैश्विक कोष जुटाने के संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ माह पहले स्वयं एक घोषणा की थी। क्या मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में जान सकता हूं? श्री के. सी. पंत पहले ही एक स्वतंत्र गरीबी उपशमन आयोग गठित किए जाने की घोषणा कर चुके थे। इस प्रकार हम, कोष और आयोग गठित किए जाने के संबंध में बहुत सी घोषणाएं सुन रहे हैं। लेकिन इन्हें आगे बढ़ाने के संबंध में क्या कार्य योजना है? हम इस संबंध में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री उमर अब्दुल्ला : जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का संबंध है, मैं यह सुझाव दूंगा कि इस प्रश्न को या तो वित्त मंत्रालय के समक्ष या फिर गरीबी उपशमन विभाग के समक्ष

रखा जाए। जहां तक प्रश्न के भाग (ग) का संबंध है, जो कि श्री के. सी. पंत की घोषणा के संबंध में है, इस प्रश्न का सीधा संबंध योजना आयोग से है और इसे इस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।

जहां तक सीमा–पार से फैलाया जा रहा कट्टरवाद और आतंकवाद का संबंध है तो यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हां, इसका दक्षेस में होने वाली चर्चाओं पर प्रभाव पड़ा है। यह चर्चाओं का भाग नहीं था क्योंकि जहां तक दक्षेस का संबंध है, यह सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों से संबंधित है। द्विपक्षीय मामले नहीं उठाए गए हैं। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि किसी भी द्विपक्षीय चर्चा पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह कहकर सीमा–पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद के संबंध में और पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता के संबंध में हमारी चिंताओं–इससे भी अधिक कल की घटनाओं के संबंध में है, इसकी न केवल पाकिस्तान को अच्छी तरह जानकारी है वरन् अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इससे अवगत है। हम सभी उपलब्ध मंचों पर अपनी चिंताओं को दोहराते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री जी ने अपने उत्तर के 'क' से 'ग' भाग में कहा है कि आंतरिक नीतियों पर सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ अच्छे शासन, समृद्ध बृहत अर्थशास्त्र नीतियां, रोजगार सृजन, विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन अधिकारिता, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा संरचना से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा संरचना से संबंधित विषय में किन–किन चीजों को शामिल किया गया है, उसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : जहां तक इनके ब्यौरों का संबंध है, मेरा यह सुझाव है कि विदेश मंत्रालय ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसे सामाजिक सुरक्षा नेट स्थापित करने अथवा इन बातों के ब्यौरों पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त है। जहां तक हमारा संबंध है, यह एक ऐसा विषय है जो इस्लामाबाद में बैठक के दौरान सामने आया। यह एक ऐसी सिफारिश थी जो इस बैठक ने की थी। यह सिफारिश संबंधित मंत्रालय को भेज दी गई है। आपने विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से उत्तरोत्तर बजटों और योजना दस्तावेजों के दौरान आपने यह देखा है कि सुशासन, बृहत् अर्थशास्त्र नीतियों और हमारे देश में आज समाज के कमजोर और योग्य तबकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट सहित माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित अन्य सभी मुद्दों से संबंधित निर्दिष्ट सभी उद्देश्यों को पहचानना इस सरकार का प्रयास है।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : आप गरीब वर्गों को क्या संरक्षण दे रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : उत्तर में यह कहा गया है :

"जहां तक बहुपक्षीय ऋणों, विदेशी ऋणों को कम करने तथा अवैध और टैक्स से बचाई गई मुद्रा के प्रवाह को रोकने का प्रश्न है, इसके लिए भारत में पहले से ही उपाय किए गए हैं।"

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही बात नहीं है कि हाल ही में एक स्विस राजदूत ने यह टिप्पणी की है कि भारी मात्रा में भारतीय धन यूरोपीय बैंकों विशेषकर, स्विस बैंकों और अन्य कर–स्वर्गों में संचित किया जा रहा है।

इसकी संपुष्टि पुनः एक विशेष वेबसाइट द्वारा की गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय लोगों का धन इतनी तेजी से जमा हो रहा है और यह धन राशि इतनी अधिक है कि यह भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। हाल ही में, मारीशस और ओ.सी.बी. रूट के संदर्भ में अवोयडेंस ऑफ डबल टेक्सेशन ट्रीटी के बारे में अध्ययन कराए गए हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या मारीशस के साथ अवोयडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी के कारण ओ.सी.बी. रूट से भारत से बाहर जाने वाले धन के संबंध में कोई जांच कराई गई है?

श्री उमर अब्दुल्ला : यह वित्त मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है। इसलिए, मैं यह सुझाव दूंगा कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को उनके सामने रखें।

श्री सुशील कुमार शिंदे : दिए गए उत्तर में, सरकार ने यह कहा है कि आंतरिक नीतियों से संबंधित अधिकांश सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूं कि कौन–कौन सी सिफारिशें हैं और आंतरिक और विदेशी नीतियों से संबंधित कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है? क्या सरकार ने इस सार्क बैठक के कार्य और विसम्मति के इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया है? जब दक्षिण अफ्रीका में नस्लरोधी और जातिवाद संबंधी सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया गया था। सम्मेलन में, विशेषकर, विसम्मति और कार्य के इस मुद्दे पर अनेक गैर सरकारी संगठनों ने अपना विरोध प्रकट किया था? सरकार का रुख यह था कि भारत सरकार इसकी देखरेख कर रही है और भारत सरकार की ओर से हमने, उन गैर सरकारी संगठनों को यह आश्वासन दिया था कि हम उन लोगों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक देश में भेदभाव है लेकिन हम इस विशेष समुदाय की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस विषय पर भारत सरकार ने दक्षेस की बैठक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिक धन प्राप्त करने के लिए दक्षेस समिति के समक्ष हमारे दृष्टिकोण को रखा गया है? स्थिति क्या है? इन दो विशेष मुद्दों के संबंध में वास्तव में क्या हुआ?

श्री उमर अब्दुल्ला : जन नस्लवाद के संबंध में हुए सम्मेलन में मुझे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो उस समय माननीय सदस्य डर्बन में मेरे साथ थे। जब वे यह कह ही रहे हैं तो वह भली–भांति जानते हैं कि भारत सरकार की स्थिति क्या है। वास्तव में, स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तरवर्ती सभी सरकारों द्वारा समाज के कमजोर और पददलितों कतिपय स्तर तक लाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में भारत सरकार की स्थिति का समर्थन करने के लिए उनका मेरे साथ होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। ऐसा कहकर, विसम्मति के कार्य का प्रश्न दक्षेस सम्मेलन में नहीं उभरा था। मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्य के लिए पर्याप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, सार्क सम्मेलनों के जरिए गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने की नीतियां बनती रही हैं और कार्य भी काफी अच्छे हुए हैं। सार्क सम्मेलनों में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की भूमिका सराहनीय रही है। कल भी सदन में चर्चा हो रही थी कि गरीबी उन्मूलन के पैसे पूरे खर्च नहीं हो पाते। सार्क सम्मेलनों में जो आन्तरिक या विदेशी नीतियां बनती हैं, उनके कार्यान्वयन में कई बाधाएं आती हैं। मेरी समझ में मुख्य रूप से कई अन्य कारणों के अलावा प्रशासनिक कारण भी एक बाधा है। हर वर्ष धन के अभाव के बाद भी निश्चित धन खर्च नहीं हो पाता। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सार्क सम्मेलनों में या भारत सरकार के स्तर पर क्या कभी यह विचार किया गया है कि पिछले पचास सालों में गरीबी उन्मूलन और कमजोर वर्गों के संरक्षण वाली योजनाओं में कार्यान्वयन पूरा क्यों नहीं हो पाया? सन् 2002 तक हमें गरीबी उन्मूलन करना था--उसमें हम आगे बढ़े हैं लेकिन सफल नहीं हुए। क्या सरकार उसके लिए प्रशासनिक सुधार के बारे में कोई विचार कर रही है ताकि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर जवाबदेही फिक्स की जा सके जिससे अधिकारी और पद होल्ड करने वाले लोगों पर जवाबदेही के साथ–साथ समय सीमा के अंदर गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा हो सके? क्या ऐसी नीतियों पर सार्क सम्मेलनों में कोई चर्चा हुई है? क्या सरकार कुछ निर्णय लेना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, इस बैठक में गरीबी में कमी लाने की तत्काल आवश्यकता और उसके लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा हुई थी। आंतरिक और बाह्य दोनों आयामों पर चर्चा हुई थी। आंतरिक आयाम के अंतर्गत सुशासन विषय पर चर्चा हुई। इसका उस अनुपूरक प्रश्न से सीधा संबंध है जो माननीय सदस्य ने पूछा है। पारदर्शी और प्रभावी समस्या निर्धारक नीतियां, सार्वजनिक व्यय पर प्रभावी निगरानी, क्षरण से बचाव, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार और सुपुर्दगी प्रणाली विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर गरीब लोग प्रभावित होते हों और घरेलू धन शोधन से बचने हेतु उठाए जाने वाले कदम और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, सुशासन प्रदान करने हेतु एक तंत्र के रूप में सुशासन के प्रश्न के साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसे कदम हैं जिनका अनुपालन भारत सरकार पहले से ही अपने अनेक कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से करती आ रही है और उन कार्यक्रमों और नीतियों का परिणाम सामने आने ही नहीं लगा है बल्कि

आने वाले दिनों में इनके और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, हमने मंत्री महोदय से जवाबदेही फिक्स करने का अनुरोध किया था कि क्या अधिकारियों पर जवाबदेही फिक्स करने का नियम बनाया जाएगा?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मैंने उत्तर सुना है। निःसंदेह माननीय मंत्री अतिसंवेदनशील वर्गों के बारे में बोले किंतु उनके कथन में कहीं भी महिलाओं के प्रश्न के संबंध में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। जहां तक गरीबी उन्मूलन का संबंध है तो हमारी संख्या कुल जनसंख्या की आधी है और इनमें से अधिकतर महिलाएं कमजोर वर्गों की हैं।

श्री के. येरमनायडू : यह संख्या 49 प्रतिशत है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : बिल्कुल ठीक। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पुत्र की इच्छा के कारण महिला भ्रूण जन्म से पूर्व ही नष्ट कर दिया जाता है। आप केवल पुत्र चाहते हैं। किंतु मैं माननीय मंत्री को सूचित करना चाहती हूं कि सार्क क्षेत्र में अतीत में अनेक पहल की गई थीं। वास्तव में भारत ने सार्क में क्या शिशु की स्थिति को प्रोत्साहन देने और महिलाओं को प्रकाश में लाने के लिए पहल की थी। मुझे यह देखकर आश्चर्य एवं निराशा हुई है कि इस कथन में महिलाओं का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि सार्क क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में उनके साथ विशेष लक्ष्य समूह के रूप में व्यवहार किया जा रहा है। हम सार्क देशों के भीतर अनेक समूहों में सर्वाधिक कमजोर और गरीब हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि सार्क देशों ने समूह के रूप में क्या विशिष्ट उपाय करने का प्रस्ताव किया है? आप गरीबी उन्मूलन नहीं कर सकते जब तक महिलाओं की स्थिति और उनकी समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। मैं जानना चाहती हूं कि क्या ऐसा कोई उल्लेख, कोई संदर्भ है और यदि ऐसा कोई उल्लेख नहीं है तो मैं कहूंगी कि हम अस्सी के दशक से पीछे हो गए हैं जब हमने उनके लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु अनेक पहलें की थीं।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, महिलाओं का स्तर उठाने हेतु कार्यक्रमों के लिए हमारे देश द्वारा की गई पहलें जारी हैं। हम उन पहलों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम उन परिणामों को प्राप्त करने में लगे रहेंगे जिनका उन्होंने वचन दिया था। यह कहने के बाद कि एक समग्र योजना निर्धनता उन्मूलन के लिए थी और इसे पुरुष और महिला के आधार पर समाप्त नहीं किया गया था। हमने एक अनुमान यह लगाया कि कोई देश स्त्री–पुरुष के आधार पर भेदभाव करने वाली गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अनुमति नहीं देगा। अर्थात् पुरुषों का तो निर्धनता स्तर कम हो जाएगा और महिलाओं का नहीं होगा। इसलिए ये पूर्ण रूप से नीतिगत योजनाएं हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आप महिलाओं को लक्ष्य बनाए बिना गरीबी उन्मूलन से नहीं निपट सकते। आप विशेषकर महिलाओं को लक्ष्य बनाए बिना कैसे कुछ कर सकते हैं?

श्री उमर अब्दुल्ला : जो समग्र निदेश दिए गए हैं वे महिलाओं समेत समाज के सभी कमजोर वर्गों का स्तर उठाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसके बारे में उन्होंने बात की, वह बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवाद और जनशिक्षा को प्रोत्साहन देना है। यह सच है कि एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर बात की गई है वह स्त्री–पुरुष समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण है। इसलिए हम किसी भी तरह अस्सी के दशक की स्थिति से पीछे नहीं रहे हैं। हम उन्हीं स्थितियों के प्रति वचनबद्ध हैं और उनके परिणामों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदय, खास तौर पर एक्सटरनल विषय के दो डिवीजन्स हैं–एक तो विकसित देश हैं और दूसरे सार्क देश हैं। जो यहां पर डिसीजन हुआ कि ओडीए स्तरों को बढ़ाया जाएगा और साथ–साथ बाजार पहुंच में वृद्धि होगी। उस संबंध में सार्क कंट्रीज ने क्या कलैक्टिवली कुछ बातचीत की और कुछ फॉलो अप किया। उसी के साथ जो सार्क के इंटरनल देश हैं, विशेषकर नेपाल और बांग्लादेश, वे जिस प्रकार से इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन एवाइडेंस ट्रीटी और बाकी विषयों को डील कर रहे हैं, क्या उसमें विदेश मंत्रालय ने पहले से बातचीत की हुई है। क्या इस मीटिंग में दोनों का फालोआन हुआ है या क्या आगे विदेश मंत्रालय इसका फालोअप करेगा?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, जहां तक ओडीए के प्रश्न का संबंध है तो इस बैठक की समाप्ति पर जो दस्तावेज प्रस्तुत किया था वह बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि सार्क (दक्षेस) देश ओडीए को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.7 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए विकसित देशों के साथ काम करेंगे। यही विचार हम मैक्सिको में हुए सम्मेलन में ले गए थे जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व विनिवेश मंत्री श्री अरुण शौरी ने किया था। हमने अपनी बात सशक्त रूप में रखी कि जिन विकसित देशों के पास धनराशि है, उन्हें ओडीए की मात्रा बढ़ानी चाहिए जो उन्होंने उपलब्ध कराई है ताकि गरीबी उन्मूलन योजनाओं, जो उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं, को आवश्यक संसाधन मिल सकें। स्पष्टतया सार्क (दक्षेस) का जो रुख हमने अपनाया है वह इस संबंध में मार्गदर्शी घटक है।

अब जहां तक बाजार में पहुंच का प्रश्न है, यह भी दक्षेस सदस्य देशों की चिंता है। विश्व व्यापार संगठन की मंत्रीस्तर की बैठक से पूर्व हमने वाणिज्य और उद्योग के संबंधित मंत्रालयों के साथ गहन परामर्श किया है जो अपने-अपने देशों में विश्व व्यापार संगठन के मामलों को देखते हैं ताकि हम बाजार में पहुंच पर एक आम रुख अपना सकें जिसकी हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है।

दोहरे कराधान से बचने के प्रश्न पर मैंने पहले ही कहा है कि यह प्रश्न वित्त मंत्रालय के लिए है। मैं इसमें एक बात और चाहता हूं कि मारीशस दक्षेस (सार्क) में नहीं है। मालद्वीप है। मारीशस के साथ दोहरे कराधान से बचने संबंधी किसी समझौते के बारे में किसी प्रकार की समस्या नहीं रही है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसा स्पष्ट है कि वहां 16 सूत्री कार्य योजना पर चर्चा हुई थी और उस कार्य योजना को लागू करने का सार्क देशों ने एक संकल्प लिया था। ये विभिन्न सूत्र विभिन्न विभागों से संबंधित थे। अभी मंत्री जी ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में कहा कि ये प्रश्न हमारे विभाग से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने तीन-चार अलग-अलग विभागों की ओर इशारा किया। इन 16 सूत्रों के क्रियान्वयन का मामला सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि चूंकि आपका विभाग सीधे तौर पर इन सूत्रों के प्रति उत्तरदाई है, क्योंकि यह समझौता आपने किया है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग के अंदर कोई ऐसा मानिटेरिंग सिस्टम बनाया है ताकि विभिन्न सूत्रों के अंदर, विभिन्न विभागों के अंदर किस हद तक कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा की जा सके, आपस में कोआर्डिनेशन हो सके-क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपके विभाग में है, अगर है तो वह कैसे काम करेगी?

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : हमारी संबद्ध मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ नियमित संपर्क की एक प्रणाली है। हमें सभी आवश्यक आंकड़े समय-समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। किंतु चूंकि मेरे सामने जो प्रश्न रखे गए थे वे उन संबद्ध मंत्रालयों के कार्यकरण की प्रकृति के थे तो मैं उन विशिष्ट प्रश्नों पर आवश्यक उत्तर प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या आपके पास समन्वय प्रणाली है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या आपके विभाग में कोई मैकेनिज्म है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, मैंने शुरू में ही इसे स्पष्ट कर दिया था। हमारे पास योजना अयोग और सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ सम्पर्क की प्रणाली है। सार्क (दक्षेस) डिवीजन नामक एक पृथक डिवीजन है जो नियमित आधार पर इन समूहों के साथ संपर्क बनाए रखता है और सूचना की धारा जारी रहती है।

[हिन्दी]

'हैल्थ कार्ड' योजना

+

***763. श्री रामचन्द्र पासवान :**

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु 'हैल्थ बांड' योजना तैयार की है;

(ख) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने इस योजना को स्वीकृति नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त योजना का उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर विदेशों से रोगियों को आकृष्ट करना है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) 'हैल्थ बांड' योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हैल्थ बांड जारी करने की योजना तैयार करने संबंधी मामले को इस मंत्रालय द्वारा देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बांड निकालने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर सलाह देने हेतु आर्थिक कार्य विभाग के साथ उठाया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सलाह दी है कि योजना आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराए गए समग्र सकल बजटीय सहायता से ही बांडों को जारी करने की इस योजना को शामिल करने के लिए योजना आयोग से आगे विचार–विमर्श करे।

यदि इस योजना को स्वास्थ्य क्षेत्र के समग्र बजटीय समर्थन के अंतर्गत कवर किया जाता है तो हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड्स देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की सुविधाएं स्थापित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन पैदा करने में सहायक नहीं होंगे। इस मामले को आवश्यक अनुदेशों के लिए आर्थिक कार्य विभाग के साथ एक बार फिर से उठाया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र पासवान : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी पूरे बजट का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होता है और सरकार का नारा था 'हैल्थ फार ऑल', उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? इसके अलावा प्रतिवर्ष उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, आरंभ में, मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य के मद में बजटीय अनुमान सभी तीन विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति में वर्षवार वृद्धि हुई है।

आठवीं योजना में स्वास्थ्य विभाग को केवल 1800 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी, जबकि नौवीं योजना में इसे बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। दसवीं योजना में प्रस्ताव है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को करीब 14,000 करोड़ रुपए दिया जाए, जबकि वित्त मंत्री ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं।

महोदय, हालांकि यह प्रश्न स्वास्थ्य बांड प्रणाली से संबंधित है, जो वित्त मंत्रालय की सहमति से जारी किए जाने वाले हैं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मलेरिया, टी.बी., एच.आई.बी. एड्स और कैंसर पर हम पहले ही राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चला रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। इस बीच देश भर में विचार–विमर्श के बाद हमने स्वास्थ्य नीति, 2002 की रूपरेखा तैयार की है और इसे तैयार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस नीति से लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र पासवान : सरकार ने अभी हाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की है, उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : स्वास्थ्य नीति में अनेक कदम उठाए गए हैं लेकिन सिद्धांत में--मेरा कहना है कि--यह इस देश की विडम्बना है कि स्वास्थ्य में सकल घरेलू उत्पाद का कुल 5.2% खर्च कर रहे हैं। विकसित देशों की तुलना में यह

बहुत कम राशि है क्योंकि वे अपने सकल घरेलू उत्पाद का करीब 10 से 12% खर्च करते हैं। हम केवल 5.2% ही खर्च करते हैं जिसमें सरकार का योगदान 0.9% है। स्वास्थ्य नीति का महत्व इस बात में है कि वर्ष 2010 से पूर्व इसे 0.9 से बढ़ाकर 2% करने का है। यदि 2010 से पूर्व स्वास्थ्य में आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 2% तक बढ़ा दिया जाए, जो हम हम स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अच्छे काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसे प्राप्त कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने इस प्रश्न का ठीक जवाब नहीं दिया है, टालमटोल जवाब है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हैल्थ बांड योजना का मुख्य उद्देश्य देश की चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और उनका आधुनिकीकरण करना है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तक हैल्थ बांड निकालने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हैल्थ मिनिस्ट्री ने इकॉनोमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री से इसकी परमीशन मांगी है और इकॉनोमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्लानिंग कमीशन के पास मामला भेज दिया है। देश में लाखों लोग बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी कोई कम्युनल या सैकुलर नहीं होती। बीमारी बीमारी होती है, उसकी कोई जाति नहीं होती। करोड़ों लोग बीमारी से मर रहे हैं लेकिन हैल्थ बांड निकालने का सवाल हैल्थ मिनिस्ट्री, इकॉनोमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन के बीच में अटका हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हैल्थ बांड का टाइम-बाउंड प्रोग्राम कब तक निकालेंगे और इसमें देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, मुझे माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं का सम्मान करना है। मेरा कहना है कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने को लेकर दो विचार नहीं हो सकते। जैसा कि उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य बांड जारी करने में कुछ कठिनाइयां हैं। हम आर्थिक कार्य विभाग से संपर्क कर चुके हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र नहीं है। जिस तरह अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र बांड जारी करते हैं, उस तरह यहां क्षतिपूर्ति कहां है? स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरा कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय बांड पर क्षतिपूर्ति नहीं दे सकता। क्षतिपूर्ति देने का काम आर्थिक कार्य विभाग के पास है जो वित्त मंत्रालय के अधीन है। दूसरे शब्दों में मेरा कहना है कि इस तरह के बांडों के अलावा सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने हेतु सभी प्रयास कर रही है। इसीलिए मैंने सभा में पहले ही कहा कि हमारे तीन विभाग हैं—स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग और आई.एस.एम विभाग। हमने स्वास्थ्य विभाग के लिए एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और परिवार कल्याण विभाग हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तैयार की है। हमने भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है। ये सभी उपाय स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त आधार संरचना मुहैया कराने हेतु किए गए हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : एक नारा था 'वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं' लेकिन अंततः इस नारे का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। आपके उत्तर से इंगित होता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बांड का मुद्दा आर्थिक कार्य विभाग के साथ उठाया गया। उन्होंने आपको योजना आयोग से पुनः विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया है। योजना आयोग ने आपको फाइल लौटा दी है और आपसे आर्थिक कार्य विभाग के साथ पुनः मामला उठाने हेतु कहा है। अपनी स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को लागू करने हेतु भारत सरकार से आपने कितनी बजटीय सहायता या धनराशि की मांग की है? इन बांडों के द्वारा आप बाजार से कितना धन एकत्र कर सकते हैं? आपको कितनी उम्मीद है? यदि इस योजना को स्वीकृति मिल गई, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके सभी लंबित प्रस्ताव या 15,000 करोड़ रुपए योजना बजट प्रस्ताव लागू हो जाएंगे। विभिन्न राज्यों द्वारा की गई कुल मांग के साथ मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन स्वास्थ्य बांडों के क्रियान्वयन से आपकी स्वास्थ्य नीति को नया जीवन मिल जाएगा?

श्री ए. राजा : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि स्वास्थ्य बांड प्रणाली के उल्लेख के बिना हम पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं, जिसमें कई वायदे किए गए हैं। स्वास्थ्य नीति में वर्ष 2005 तक पोलियो और कुष्ठरोग, 2015 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया और 2010 तक कालाजार के उन्मूलन की बात कही गई है। हम इन्हीं लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : और इस उद्देश्य हेतु धन का जरूरी प्रावधान कर लिया गया है।

श्री ए. राजा : हां, महोदय।

श्री के. येरन्नायडू : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। जानकार और स्वस्थ समाज पर ही किसी देश की प्रगति या विकास निर्भर होता है। यदि समाज स्वस्थ है, तो देश की काफी प्रगति होगी। सभी के लिए वर्ष 2010 तक स्वास्थ्य संबंधी नीति बनी है। इस संदर्भ में, जब हम अन्य विकसित देशों से तुलना करते हैं, तो 100 करोड़ जनसंख्या वाले देश हेतु हमारा योजना बजट पर्याप्त नहीं है। एक बार यदि योजना आयोग बांडों हेतु सहमत हो जाता है, तो गारंटी कौन देगा? यदि स्वास्थ्य मंत्रालय अपने संपूर्ण बजट में गारंटी देता है, तो योजना आयोग का सुझाव क्या है, क्या वह बांडों की अनुमति देगा? हमारे संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं। उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट बढ़ाते हैं, यदि सरकार बजट बढ़ाने के लिए तैयार है और यदि स्वास्थ्य मंत्रालय गारंटी देता है, तो योजना अयोग बांडों को जारी करने की अनुमति देगा।

श्री ए. राजा : महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री के साथ यह मुद्दा उठाया है। यदि तकनीकी आधार पर इन बांडों की अनुमति नहीं मिलती, तो मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन बांडों में रखे गए लक्ष्यों पर तथा पटल पर रखी गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

फोन वापस किया जाना

*704. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड के बीस लाख उपभोक्ताओं ने अपने फोन वापस कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अपने फोन वापस करने के क्या कारण हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व का नुकसान हुआ है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) अनुमान है कि वर्ष 2001–2002 के दौरान लगभग 20 लाख टेलीफोन कनैक्शन काटे गए होंगे। इनमें से 7,25,894 टेलीफोन स्वेच्छा से वापस किए गए हैं तथा शेष टेलीफोन, बिलों का भुगतान न करने अथवा टेलीफोन के गलत इस्तेमाल इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों से काटे गए हैं। काटे गए टेलीफोनों की दूरसंचार सर्किलवार जानकारी जनवरी, 2002 तक की अवधि के लिए उपलब्ध है और इसे संलग्न विवरण–I में दर्शाया गया है। मार्च, 2002 तक स्वेच्छापूर्वक वापस किए टेलीफोनों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) हालांकि, टेलीफोन वापस करने/कनैक्शन काटने के ऐसे मामलों का कारण सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल से एक सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया है, तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार मुख्य कारण निम्नानुसार प्रतीत होते हैं :

(i) आय–कर रिटर्न दाखिल कराने की आवश्यकता। (यह मामला अब हटा लिया गया है)।

(ii) टेलीफोनों की आसानी से उपलब्धता के कारण, ग्राहक जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अखिल भारतीय टेलीफोन स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की बजाय पुराने स्टेशन पर टेलीफोन वापस कर देते हैं और नए स्टेशन पर नया कनैक्शन ले लेते हैं।

(iii) सेवाओं में सुधार हो जाने के कारण दूसरा टेलीफोन वापस कर देना।

(iv) जिन क्षेत्रों में टेलीफोन मांग पर उपलब्ध हैं, वहां नॉन–ओवाईटी श्रेणी के अंतर्गत नया टेलीफोन कनैक्शन लेने के बाद ओवाईटी और तत्काल श्रेणी के टेलीफोन वापस करना।

(v) बिलों का भुगतान न करना।

(vi) टेलीफोन का गलत इस्तेमाल करना।

(घ) और (ङ) किराये की मद में औसत वार्षिक घाटा लगभग 241 करोड़ रु. होने का अनुमान है। टेलीफोनों को इस प्रकार वापस करने से परियात में होने वाले राजस्व–घाटे की प्रमात्रा का पता लगा पाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि परियात का पुनर्वितरण मौजूदा टेलीफोन कनैक्शनों के बीच हो जाता है।

विवरण-I

टेलीफोन वापस करने सहित कनैक्शन काटने का सर्किलवार ब्यौरा
(अप्रैल, 2001 से जनवरी, 2002)

क्र.सं.	सर्किल/मेट्रो जिला	कनैक्शन काटना
1	2	3
1.	अंडमान–निकोवार	1101
2.	आंध्र प्रदेश	260390
3.	असम	5302
4.	बिहार	36139
5.	छत्तीसगढ़	12095
6.	गुजरात	104775
7.	हरियाणा	13603
8.	हिमाचल प्रदेश	12378
9.	जम्मू–कश्मीर	6978
10.	झारखंड	3237
11.	कर्नाटक	168743
12.	केरल	18035
13.	मध्य प्रदेश	53328
14.	महाराष्ट्र	305060
15.	पूर्वोत्तर–I	27726
16.	पूर्वोत्तर–II	11964
17.	उड़ीसा	15047
18.	पंजाब	21878
19.	राजस्थान	38564
20.	तमिलनाडु	122120
21.	उत्तरांचल	8925
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	340774
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	29161
24.	पश्चिम बंगाल	7142
25.	कोलकाता	28265
26.	चेन्नई	27761
	जोड़ : बीएसएनएल	1680492

टिप्पणी :

अप्रैल से जनवरी (10 महीने) तक काटे गए कनैक्शन = 1680492

प्रतिमाह औसत डिस्कनैक्शन = 168049

फरवरी और मार्च के लिए अनुमानित डिस्कनैक्शन = 336098

कुल अनुमानित डिस्कनैक्शन = 2016590

विवरण-II

वर्ष 2001–2002 के दौरान वापस किए गए टेलीफोनों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वापस किए गए टेलीफोनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	21137
2.	असम	1012

1	2	3
3.	बिहार	2350
4.	छत्तीसगढ़	13933
5.	गोवा	3282
6.	गुजरात	91551
7.	हरियाणा	6819
8.	हिमाचल प्रदेश	1098
9.	जम्मू–कश्मीर	2244
10.	झारखंड	3734
11.	कर्नाटक	216753
12.	लक्षद्वीप सहित केरल	8068
13.	मध्य प्रदेश	29525
14.	महाराष्ट्र	58117
15.	मेघालय	1822
16.	पूर्वोत्तर–II (अरुणाचल प्रदेश मणिपुर और नागालैंड)	0000
17.	उड़ीसा	27*
18.	पंजाब	15686
19.	राजस्थान	23062
20.	सिक्किम	34
21.	चेन्नई सहित तमिलनाडु	153908
22.	उत्तर प्रदेश	24035
23.	उत्तरांचल	2056
24.	कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल	26838
25.	मिजोरम	00000
26.	अंडमान निकोबार	808
27.	पांडिचेरी	17181
28.	त्रिपुरा	814
	जोड़	725894

*अनुमानित

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स

***705. श्री राजैया मत्याला :**
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने 'सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स' और सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु भारत की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली प्रस्तावित व्यावसायिक विशेषज्ञता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु अन्य क्या सुविधा प्रदान की जाएंगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और चीन गणराज्य के सूचना उद्योग मंत्रालय के बीच जुलाई, 2000 में एक समझौत–पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

[हिन्दी]

कम लागत वाले कम्प्यूटर का निर्माण

***706. श्री पदमसेन चौधरी :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने 'डिजिटल डिवाइड' को पाटने में सहयोग करने और अपने ग्रामीण लोगों और निर्यात हेतु कम लागत वाले कम्प्यूटरों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमंडल ने चीन की यात्रा की थी और सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र मे भारत–चीन सहयोग बढ़ाने के लिए मार्गोपायों पर चर्चा की थी;

(ग) क्या भारत ने शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच 'डिजिटल डिवाइड' को पाटने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारत ने दोनों देशों के लोगों की समान आवश्यकताएं पूरी करने हेतु हार्डवेयर क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का लाभ देने हेतु चीन से अनुरोध किया है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जुलाई, 2000 में मंत्री जी की चीन यात्रा के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और चीन के बीच एक समझौता पत्र (अमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस मामले पर आगे और कार्रवाई करने के लिए हाल में एक सरकारी शिष्टमंडल को चीन भेजा गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। अंकीय विभाजन दूर करने की दिशा में भारत सरकार के दो मुख्य उपायों में जनसाधारण की प्रत्यक्ष सेवा में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की डिलीवरी के लिए मीडिया लैब एशिया की स्थापना करना और आठ पूर्वोत्तर राज्यों में 487 सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है।

(ङ) चीन के साथ वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए समझौता–पत्र में अन्य बातों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों के विनिर्माण के संयुक्त उद्यमों की स्थापना का भी प्रावधान है।

भारत और फ्रांस के बीच प्रत्यर्पण संधि

*707. **डा. अशोक पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संधि के किस तारीख से प्रभावी होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) फ्रांस के साथ प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि के पाठ को आधिकारिक स्तर पर अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ख) और (ग) दोनों देशों द्वारा आंतरिक अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाने की अपेक्षित प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद ही संधि पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। आमतौर पर प्रत्यर्पण संधि उस तारीख को लागू होती है जब दोनों देशों द्वारा अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान–प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

श्रीलंका की राष्ट्रपति की यात्रा

*708. **श्री राम मोहन गाड्डे** :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका की राष्ट्रपति की भारत की हाल की यात्रा के दौरान उनके द्वारा चर्चा किए गए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस अवसर पर किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और उन समझौतों की शर्तें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) श्रीलंका की राष्ट्रपति महामान्या श्रीमती चन्द्रिका कुमारतुंग ने प्रथम माधव राव सिंधिया व्याख्यान देने के लिए 22–26 अप्रैल, 2002 तक नई दिल्ली का दौरा किया।

अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंका की राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री के साथ चर्चा की और राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया। श्रीलंका की राष्ट्रपति ने भारतीय नेताओं को श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त करने की प्रक्रिया की स्थिति से अवगत कराया।

दोनों पक्षों के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण और समझबूझ के वातावरण में हुई और इसमें आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों को शामिल किया गया। दोनों पक्षों ने उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के बीच विद्यमान घनिष्ठता और समझबूझ पर संतोष व्यक्त किया।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ''रोबोटिक'' केन्द्र

*709. **डा. ए. डी. के. जयशीलन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का विचार एक 'रोबोटिक' केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र के कब तक काम करना शुरू कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) आम जनता को ऐसे केन्द्र से क्या लाभ प्राप्त होंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य महानगरों में भी ऐसे 'रोबोटिक' केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कार्डियो–थोरेसिक सेंटर में फर्स्ट जनरेशन रोबोटिक टेक्नोलोजी सुविधा है जो कार्य कर रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अपने कार्डियो–थोरेसिक सेंटर में सेकेंड जनरेशन रोबोटिक टेक्नोलोजी सुविधा स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। यह अभी संकल्पनात्मक स्थिति में है और इसे कार्यान्वित किए जाने से पहले विभिन्न तकनीकी समितियों द्वारा इसका आकलन किए जाने तथा अपेक्षित अनुमोदनों की आवश्यकता होगी।

मेडिसिन के क्षेत्र में रोबोट सहायता से शल्य चिकित्सा एक नया विकास है। यह बहुत खर्चीली है और यहां तक कि अधिकांश विकसित देशों में भी यह प्रौद्योगिकी केवल विशेष और आपाती स्थितियों में ही इस्तेमाल की जाती है। यह खर्चीली है और देश की अधिकांश जनसंख्या इसका खर्च वहन करने में समर्थ नहीं होगी।

टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

*710. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य–वार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ राज्यों को प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, पुरानी प्रौद्योगिकियों वाले टेलीफोन एक्सचेंजों को डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों से निरंतर बदला जा रहा है। पिछले दो वर्षों में, राज्य–वार आधुनिकीकृत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान आधुनिकीकृत टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2000–01	वर्ष 2001–02
1	2	3	4
1.	अंडमान–निकोबार	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	300	99
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	3
4.	असम	20	01
5.	बिहार	75	7
6.	गोवा	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	2	100

1	2	3	4
8.	हरियाणा	17	1
9.	हिमाचल प्रदेश	101	6
10.	जम्मू–कश्मीर	64	7
11.	कर्नाटक	189	13
12.	केरल	11	4
13.	मध्य प्रदेश	119	208
14.	महाराष्ट्र	404	181
15.	मणिपुर	8	03
16.	मेघालय	1	शून्य
17.	मिजोरम	7	1
18.	नागालैंड	10	5
19.	उड़ीसा	96	20
20.	पंजाब	59	2
21.	राजस्थान	408	59
22.	सिक्किम	शून्य	शून्य
23.	तमिलनाडु	29	6
24.	त्रिपुरा	2	शून्य
25.	उत्तर प्रदेश	77	20
26.	पश्चिम बंगाल	10	शून्य
27.	उत्तरांचल	4	2
28.	छत्तीसगढ़	123	107
29.	झारखंड	26	3
30.	दिल्ली	3	शून्य
	जोड़	2171	859

चल (मोबाइल) अस्पताल

*711. **श्री गंता श्रीनिवास राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आपातकालीन क्लीनिकों के रूप में देश में चल (मोबाइल) अस्तपतालों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

परम्परागत औषधियों और पादपों हेतु पेटेंट

*712. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों, जड़ी–बूटियों, विभिन्न मसालों और पादपों के 30,000 मदों के संकलन वाली एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है ताकि परम्परागत औषधियों और पादपों को पेटेंट (एकस्वकृत) कराने की योजना को कार्यान्वित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे आम जनता के लिए कब तक खोल दिए जाने की संभावना है; और

(ग) लाइब्रेरी में रखे गए संकलनों के आधार पर पेटेंट योजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सरकार एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टी के डी एल) स्थापित कर रही है जिसके प्रथम चरण में 35000 आयुर्वेदिक योग शामिल हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी से मौजूदा पारंपरिक ज्ञान की प्राथमिक कला स्थापित होने के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से ही मौजूद गैर–मौलिक आविष्कारों के औषधीय उपयोग का

पेटेंट रुकेगा। आशा है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी। यूनानी और सिद्ध के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टी के डी एल) का कार्य बाद में शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

*713. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन पर वर्ष 2002–2003 के दौरान कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस परिव्यय की किस तरह से भागीदारी की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा एक नई स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 अनुमोदित की गई है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य देश की सामान्य जनसंख्या के बीच बेहतर स्वास्थ्य के एक स्वीकार्य मानक को हासिल करना है। नई नीति स्वास्थ्य से संबद्ध बहुत से मुद्दों जैसे वित्तीय संसाधनों, समानता, राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रदानगी, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे, निजी क्षेत्र की भूमिका, स्थानीय स्वशासित संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य शिक्षा और जनशक्ति, स्वास्थ्य अनुसंधान, औषधों और खाद्य पदार्थ का गुणवत्ता नियंत्रण, रोग निगरानी, स्वास्थ्य क्षेत्र पर भूमंडलीकरण के प्रभाव आदि को कवर करती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में वर्ष 2002–03 के दौरान 27 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें 14 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को औषधें प्रदान करना, 7 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वास्थ्य, 5 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ चिकित्सा अनुदान आयोग और एक करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वास्थ्य लेखे शामिल हैं। इन योजनाओं में राज्य सरकारों पर व्यय में हिस्सेदारी लेने बाध्यकारिता नहीं है। केवल शहरी स्वास्थ्य योजना पर केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्वशासनों के बीच क्रमशः 50 : 30 : 20 के अनुपात में व्यय करने की व्यवस्था है। इस नीति में यह परिकल्पित है कि राज्य सरकारों संसाधनों की अपनी प्रतिबद्धता में वृद्धि करके उन्हें 2005 तक बजट का 7 प्रतिशत और 2010 तक बजट का 8 प्रतिशत करेंगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों पर हमला

*714. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों और पाकिस्तान में अन्य वाणिज्यिक कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ पाकिस्तान की पुलिस तथा उच्चायोग के कर्मचारियों द्वारा लगातार दुर्व्यवहार और उन पर हमले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के कार्मिकों को सताए जाने की वारदातों की संख्या निम्नलिखित है :

1999	18
2000	22
2001	16

2002 में, आज की तारीख तक, उत्पीड़न/हमले के 9 मामले जानकारी में आए हैं।

(ग) राजनयिक संबंधों से संबद्ध वियना अभिसमय, 1961 तथा 1992 में दोनों देशों द्वारा संपन्न, द्विपक्षीय "भारत और पाकिस्तान में राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के व्यवहार संबंधी आचरण संहिता" के तहत, हाई कमीशन के कार्मिकों की सुरक्षा और रक्षा संबंधी दायित्व मेजवान सरकार का है। भारत सरकार इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों को उत्पीड़न करने के सभी मामलों के विरुद्ध पाकिस्तान की सरकार के साथ कड़ा विरोध करती है और उन्हें वियना अभिसमय तथा द्विपक्षीय आचरण संहिता के तहत उनके दायित्वों का स्मरण कराती है। सरकार विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्मिकों की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति कटिबद्ध रहती है।

तत्काल पारपत्र

*715. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 में कितने पारपत्र (पासपोर्ट) जारी किए गए;

(ख) इससे कितनी फीस एकत्र की गई;

(ग) क्या ऐसे पारपत्रों को जारी करने की लागत कम करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पारपत्र जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) वर्ष 2001–2002 में जारी किए गए तत्काल पासपोर्टों की संख्या 118500 है।

(ख) इस प्रकार वर्ष 2001–2002 में एकत्र शुल्क 16.12 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था और इसने अब अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इन सिफारिशों में पासपोर्ट सेवाओं के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव शामिल हैं ताकि जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदन फार्म स्वीकार किए जा सकें। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए गए हैं। नामित स्पीड पोस्ट पासपोर्ट संग्रहण केन्द्रों पर आवेदन पत्र पहले ही स्वीकार किए जा रहे हैं। अन्य सिफारिश जो कार्यान्वित हो गई है, पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित है, जिसमें कतिपय श्रेणियों के व्यक्तियों जिनकी पहचान और राष्ट्रीयता सुस्थापित है, को बिना पुलिस सत्यापन के पासपोर्ट जारी किया जाता है।

यूरेनियम की तस्करी

*716. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार यूरेनियम की तस्करी के कितने मामलों का पता चला;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य–वार न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए और कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया; और

(ग) यूरेनियम तस्करी की गतिविधियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरेनियम की तस्करी के किसी मामले का पता नहीं चला।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों का निर्यात

*717. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री वाई. वी. राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रशासकों ने घोषणा की है कि भारत उन देशों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों अथवा उपकरणों का निर्यात कर सकता है जिन्हें परमाणु ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी देश से इस संबंध में कोई क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) वर्तमान स्थिति के अनुसार परमाणु विद्युत संयंत्रों का/परमाणु विद्युत संयंत्रों के संबंधित पैकेजों का निर्यात दूसरे देशों को करने का कोई विशेष प्रस्ताव अथवा योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष

*718. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष (नेशनल पोपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड) किसके नियंत्रण में है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग और मंत्रालय के बीच इस कोष पर नियंत्रण के लिए संघर्ष चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले वित्तीय वर्ष में इस कोष के लिए किए गए आवंटन में कोई चूक थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कोष के लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(छ) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के सुचारु कार्यकरण और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग प्रशासकीय रूप से राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि के लिए जिम्मेदार है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि की आरंभिक धनराशि के लिए अंशदान हेतु योजना आयोग के 2000–2001 और 2001–2002 के बजट में 50–50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 2000–2001 में किया गया 50 करोड़ रुपए का प्रावधान लोक लेखों को अंतरित किया गया था। वर्ष 2001–2002 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण इस्तेमाल नहीं हुआ था।

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण–निधि जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु अंशदान के लिए तैयार की गई विशिष्ट सहायता परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय स्वैच्छिक संसाधनों से प्राप्त धन को एक माध्यम प्रदान करने के लिए एक खिड़की की व्यवस्था हेतु है।

देश में यथाशीघ्र जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में, 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट सामाजिक–जनांकिकीय लक्ष्य सूचीबद्ध हैं। ये इस प्रकार हैं–

(1) बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत ढांचे की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना।

(2) स्कूल शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य बनाना और प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत को कम करके 20 प्रतिशत से नीचे लाना।

(3) शिशु मृत्यु दर को कम करके उसे प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना।

(4) मातृ मृत्यु दर को कम करके प्रत्येक 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना।

(5) सभी वैक्सीन निवारणीय रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण हासिल करना।

(6) लड़कियों के विवाह देर से करने, 18 वर्ष से पहले नहीं, और अधिमानतया 20 वर्ष की आयु के बाद करने को बढ़ावा देना।

(7) 80 प्रतिशत सांस्थानिक प्रसव और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रसव कराना।

(8) सूचना/परामर्श की व्यापक सुलभता प्राप्त करना और बहुत से विकल्पों के साथ प्रजनन विनियमन और गर्भनिरोधन के लिए सेवाएं प्रदान करना।

(9) जन्मों, मौतों, विवाहों और गर्भों का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करवाना।

(10) एड्स के फैलने को नियंत्रित करना और जनन–मार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच और अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

(11) संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण।

(12) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने और इन्हें परिवारों तक पहुंचाने में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करना।

(13) कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना।

(14) संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को एक ही स्थान से कार्यान्वित करना ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम लोक संकेन्द्रित कार्यक्रम बन सके।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं–

- राज्य सरकारों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की सामान्य भावना बनाए रखते हुए राज्य की विशिष्ट नीतियों के साथ राज्य जनसंख्या नीति बनाने की सलाह दी गई है तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन हेतु उसकी समीक्षा, अनुवीक्षण और दिशा–निर्देशन करने के लिए अपने–अपने राज्यों के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य जनसंख्या आयोग बनाने की भी सलाह दी गई है।

- राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जमीनी वास्तविकताओं और उनकी क्षेत्र–विशिष्ट समस्याओं (क्षेत्रवार/जिलावार) पर विचार करते हुए ठोस तथा विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें।

- औसत से सामान्यतः कम सामाजिक–जनांकिकीय सूचकांकों वाले राज्यों में निष्पादन के संवर्धन और गति देने के लिए पिछड़ रहे राज्यों पर विशेष जोर देने के साथ क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक समर्थ कार्य समूह का गठन किया गया है। परिवार कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में सहायता करने के लिए आठ राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड हेतु एक विस्तृत डेटाबेस संकलित किया गया है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एजेंसियां

*719. **श्री एन. टी. चणमुग्गम** : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विनिम्न राज्यों में लघु उद्योगों

की स्थापना करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एजेंसियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर इसकी स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) लघु उद्योग सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अभिकरणों से प्राप्त अभ्यावेदनों सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) संबंधी सभी प्रस्तावों के संबंध में निर्णय सरकार द्वारा घोषित नीति अनुसार किया जाता है। नीति लघु उद्योग सेक्टर में वरास्ता आटोमेटिक रूट से एफ डी आई को 24 प्रतिशत तक अनुमेय करती है। अन्य सभी मामलों में सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। इसके अलावा यदि मद ल.उ. सेक्टर में विनिर्माण हेतु आरक्षित हैं तो निवेशक को एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा तथा ऐसे उत्पादों के संबंध में 50 प्रतिशत का निर्यात आभार की एक वचनबद्धता भी देनी होगी। कोई भी लघु उद्योग कम्पनी अपना ल.उ. स्तर तभी खो देगी जब एफ.डी.आई. सहित उसकी 24 प्रतिशत से अधिक इक्विटी किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम के पास हो। आटोमेटिक रूट के तहत किए गए सभी निवेशों के संबंध में इनवार्ड रिमिटेंश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर इसे भारतीय रिजर्व बैंक को अधिसूचित करना तथा शेयर जारी करने के 30 दिन के भीतर पुनः अधिसूचित करना आवश्यक होगा। उन मामलों में जहां सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है निवेशिक को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.वी.) के समक्ष एक अर्जी प्रस्तुत करनी होगी जो कि सरकार के निर्णय को सूचित करने के 30 दिन की समयावधि को ध्यान में रखते हुए मामले का निपटारा करेगा।

[हिन्दी]

आई.डी. कालर सुविधा

*720. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस समय आई. डी. कालर सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या दिल्ली और मुम्बई के सभी उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इन महानगरों में किस–किस एक्सचेंज द्वारा और किस लेवल नम्बर पर और कब तक यह सुविधा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में इन महानगरों में सभी लेवल पर यह सुविधा प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रत्येक उपभोक्ता को यह सुविधा मांगने पर अथवा स्वतः ही प्रदान कर दी जाएगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) आई.डी. कालर सुविधा सभी राज्यों में उपलब्ध है। तथापि, तकनीकी बाधाओं के कारण कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों और एक्सेस नेटवर्क उपस्करों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) निम्नलिखित को छोड़कर एमटीएनएल के सभी एक्सचेंजों/एक्सेस नेटवर्क उपस्कर में यह सुविधा उपलब्ध है–

दिल्ली	मुंबई
1. वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल द्वारा विनिर्मित)	1. फेटेक्स 150 (सीमित उपलब्धता)
2. एचटीएल और एचएफसीएल द्वारा विनिर्मित डिजिटल लूप कैरियर (डीएलसी)	2. डिजिटल लूप कैरियर (एचटीएल द्वारा विनिर्मित)
3. नजफगढ़ और बादली में कॉरडेक्ट प्रणाली	3. वायरलेस इन लोकल लूप (फुजित्सु द्वारा विनिर्मित)

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) में विनिर्दिष्ट उपस्करों से संयोजित उपभोक्ताओं को कॉलिंग लाइन आइडेन्टिफिकेशन (सीएलआई) सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है। तथापि यह मालूम किया जा रहा है कि क्या डब्ल्यूएलएल (मोटोरोला द्वारा विनिर्मित) में ऐसा करने की संभावना है। भविष्य में उपस्करों के लिए दिए जाने वाले सभी ऑर्डरों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। मुंबई में फेटेक्स 150 एक्सचेंज के उपभोक्ताओं को स्विच बदलकर सीएलआई सुविधा प्रदान की जाएगी जिसमें तीन वर्ष का समय लगने की संभावना है।

(च) और (छ) यह सुविधा उपभोक्ताओं से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध करवाई जाती है जिसके लिए इस समय 50 रु. मासिक भुगतान और 50 रु. के एक बारगी प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करना होता है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

7280. श्री किरीट सोमैया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने पासपोर्ट को जारी करने में तीव्रता लाने संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या मुंबई सहित विभिन्न शहरों में आवेदकों को 3 से 4 माह में भी पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(ङ) क्या शपथपत्र प्रारूप 'जी' में किसी नौवीं कक्षा तक शिक्षित/साक्षर व्यक्ति को पासपोर्ट फार्म पर अपने अंगूठे का निशान लगाना होता है;

(च) क्या पासपोर्ट फार्म में उसे स्वयं को अशिक्षित घोषित करना होता है;

(छ) क्या किसी व्यक्ति को इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए स्वयं को कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड नियम एवं विनियम बनाए गए हैं;

(झ) क्या सरकार का विचार इस औपचारिकता को हटाने और 8वें/9वें तक पढ़े व्यक्ति को साक्षर मानने का है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) सरकार ने हाल ही में पासपोर्ट आवेदकों की कुछ श्रेणियों को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट से छूट दी है और पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मशीन से पासपोर्ट लिखने की एक योजना भी शुरू की है।

(ख) और (ग) सही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा अन्य सभी दस्तावेजों के सही पाए जाने के बाद आमतौर पर पासपोर्ट 10 दिन के भीतर जारी कर दिया जाता है। इसलिए पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय भिन्न-भिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में अलग-अलग है जो पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के समय पर निर्भर करता है। मुंबई में लगभग 60 प्रतिशत पुलिस रिपोर्ट 30-35 दिनों के भीतर प्राप्त होती हैं और ये पासपोर्ट लगभग 45 दिन में जारी किए जाते हैं।

(घ) सरकार ने जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की विकेन्द्रीकरण की एक योजना शुरू की है। इससे पुलिस सत्यापन में लगने वाले समय में कमी होने की उम्मीद है।

(ङ) यदि जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में जन्म की तारीख के प्रमाण के रूप में अशिक्षित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र का नमूना पासपोर्ट आवेदन-पत्र का अनुबंध-च है। आमतौर पर अधिकांश राज्यों में दसवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र में आवेदक की जन्म की तारीख होती है जिसे जन्म की तारीख के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। मौजूदा पासपोर्ट फार्म पर अपने अंगूठे का निशान लगाना आवेदक के लिए जरूरी नहीं है।

(च) से (ट) पासपोर्ट फार्म में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं

है जिसमें आवेदक को स्वयं को शिक्षित अथवा अशिक्षित घोषित करने की आवश्यकता है। तथापि, शैक्षिक अर्हता की घोषणा करने का कालम है क्योंकि स्नातक आवेदक स्वतः ही पासपोर्ट पर "उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं" की मोहर लगवाने का पात्र हो जाता है।

परम्परागत ज्ञान पर आधारित डिजिटल लाइब्रेरी संबंधी कृतिक बल

7281. श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग के अधीन परम्परागत ज्ञान पर आधारित डिजिटल लाइब्रेरी के संबंध में कृतिक बल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इसको कुल कितना अनुदान दिया गया और इसके द्वारा कितना खर्च किया गया, इसको कौन–कौन से कार्य सौंपे गए तथा इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परम्परागत ज्ञान पर आधारित डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान को क्रियान्वयन एजेंसी के रूपय में नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितना अनुदान आवंटित किया गया और इस संस्थान से कितने कर्मचारी इस कार्य हेतु संबद्ध किए गए हैं;

(ङ) क्या सी एस आई आर ने डिजिटल रूप में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं;

(च) क्या उपर्युक्त आंकड़े को 1997 में प्रतिलिप्याधिकार सहित सी.डी. रूप में जारी किया गया; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (छ) ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद पेटेंट और डिजाइन कार्यालय तथा आयुर्वेद के वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के समावेश से एक कार्यदल का गठन किया गया था।

राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) को ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण के रूप में नामित किया गया है।

आयुर्वेदिक विशेषज्ञों, पेटेंट परीक्षकों, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा उनकी सहायता की जा रही है। परियोजना के लिए अब तक 86 लाख रुपए निर्मुक्त किए जा चुके हैं।

कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आशा है कि वर्ष के अंत तक यह पूरा हो जाएगा और आंकड़े डिजिटल रूप में उपलब्ध हो जाएंगे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/ सफदरजंग अस्पताल में औषधियों की दुकानों का खोला जाना

7282. श्री अधीर चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल के नजदीक की औषधियों की दुकानों में उपयुक्त दवाओं और उपकरणों की अनुपलब्धता के मद्देनजर पूर्व में सुपर बाजार द्वारा चलाई जा रही औषध की दुकानों के स्थान पर प्राधिकृत औषध की दुकान खोलने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली परिसर में औषध भंडार खोलने का एक प्रस्ताव है। इस संबंध में एक निविदा जारी की गई है। सफदरजंग अस्पताल के पास एक औषध भंडार खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, इस समय इस संस्थान/अस्पताल के पास अपनी कोई औषध दुकान नहीं है तथापि, कुछ निजी औषध भंडार कैमिस्ट जो इस संस्थान/अस्पताल के समीप स्थित हैं, इस समय रोगियों की मांग को पूरा कर रहे हैं।

औषधियों के आयात हेतु लाइसेंस

7283. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के आयात हेतु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूची 'ग' एवं 'ग 1' या अनुसूची 'भ', जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट औषध के आयात के लिए फार्म 10 या फार्म 10–क में आयात का लाइसेंस होना आवश्यक है। ऐसे आयात लाइसेंस के लिए आयातक को फार्म 8 या 8–क में लाइसेंसिंग प्राधिकारी से आवेदन करना पड़ता है जिसमें आयात की जाने वाली औषध का नाम और निर्धारित शुल्क का उल्लेख हो तथा विनिर्माता द्वारा या उनकी ओर से किसी और व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित फार्म 9 में वचन पत्र हो। यदि आवेदक भंडारण के लिए समुचित स्थान, औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत जारी किए गए वैध बिक्री लाइसेंस, विनिर्माण लाइसेंस प्रस्तुत करके उक्त आयात लाइसेंस जारी होने की शर्तों को पूरा करता है तो उसे फार्म 10 या फार्म 10–क में आयात लाइसेंस दिया जाता है।

हाल ही में भारत सरकार ने दिनांक 24.8.2001 के सा. का.नि. सं. 640 (ई) के तहत 1.1.2003 से इसको अनिवार्य बना दिया है कि सभी श्रेणियों के औषधों के लिए फार्म 10 में आयात लाइसेंस आवश्यक होगा। ऐसे आयात लाइसेंस के लिए आयातकों को विशिष्ट रूप से जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति के साथ उपर्युक्त तरीके से ही औषधों के संबंधित विदेशी विनिर्माता को आवेदन करना होगा। यदि आयातक औषध के आयात की शर्तों, जैसा कि उपर उल्लिखित है, को पूरा कर सकता है तो उसे फार्म 10 या फार्म 10–क में आयात लाइसेंस जारी किया जाएगा।

पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के लिए विदेशी विनिर्माता के प्राधिकृत भारतीय एजेंट जिसके पास वैध बिक्री/विनिर्माण लाइसेंस होगा, द्वारा फार्म 40 में आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क और औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूचियां घ–I एवं घ–II में विनिर्दिष्ट अपेक्षित सूचना देनी होगी। यदि विदेशी विनिर्माता उस प्रयोजन के लिए निर्धारित अच्छी विनिर्माण पद्धति एवं लेबलिंग शर्तों को पूरा करते हुए पंजीकरण प्रमाण–पत्र की शर्तों का अनुपालन करेगा तो उसे फार्म 41 में पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर और झारखंड में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना

7284. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू–कश्मीर और झारखंड में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन राज्यों में इन योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने के बाद कोई सुधार दिखाई दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार, देश भर में, जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड राज्य शामिल हैं, लघु उद्योगों (एस एस आईज) के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम नामतः एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना (आईआईडी), माइक्रो एंटरप्राइस उद्यमिता की स्थापना हेतु प्रधान मंत्री की रोजगार योजना, लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस आई एस आईज), औजार कक्षों के माध्यम से प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी कुशलता विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 30.8.2002 को एक व्यापक नीति पैकेज की भी घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, बढ़ी हुई राजकोषीय एवं क्रेडिट सहायता, बेहतर आधारभूत संरचना, विपणन सुविधाएं एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन शामिल हैं। एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड भी सृजित किया गया है, जो लघु उद्योग इकाइयों को 25.00 लाख रु. तक के बैंक ऋणों हेतु बिना कोलेट्रल के गारंटी प्रदान करता है। लघु उद्योग इकाइयों द्वारा, प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजनाओं पर 12% बैंक एंडिड पूंजी

आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों में एक योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लघु उद्योग सेवा संस्थान जम्मू में और एक आई. आई.डी. केन्द्र, ग्राम बट्टल बलियां, जिला उधमपुर में है। झारखंड राज्य का लघु उद्योग सेवा संस्थान रांची में और औजार कक्ष जमशेदपुर में है।

(ग) और (घ) जबकि लघु उद्योगों का विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का विषय है, केन्द्र सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग और अनुपूरण करती है। जम्मू और कश्मीर राज्य में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की अनुमानित संख्या 1995 में 24829 और 2001 में 31848 थी। अब झारखंड राज्य, बन गए क्षेत्रों में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की अनुमानित संख्या 1995 में 31331 और 2001 में 40324 थी।

मध्य प्रदेश में आप्टीकल फाइबर केबल बिछाया जाना

7285. श्री ब्रजमोहन राम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आप्टीकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अनुभवहीन व्यक्तियों को ठेके दिए गए हैं और इस संबंध में विभागीय अनियमितताएं बरती गईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त मामले में इस प्रकार की अनियमितताओं के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सर्किल में ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाने में कोई विभागीय अनियमितताएं नहीं की गई हैं। ऑप्टीकल फाइबर केबल की 102.35 कि. मी. की कुल रूट लंबाई के लिए 38 ठेके, अनुभवहीन ठेकेदारों को प्रदान किए गए हैं। यह अनुभवी ठेकेदारों के पर्याप्त आधार को विकसित करने के लिए, मौजूदा मार्गदर्शी–सिद्धांतों के अनुसार है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच सड़कें

7286. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच बढ़ते यातायात से निपटने के लिए इस मार्ग पर और अधिक सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/अस्पताल

7287. श्री टी. गोविन्दन :

डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल और राजस्थान की सरकारों से उनके राज्यों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय/अस्पताल खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, स्थान–वार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग-37

7288. श्री एम. के. सुब्बा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सरकार को हाल ही में प्रस्तुत एक ज्ञापन में राष्ट्रीय राजमार्ग–37 पर जलुकबारी और गुवाहाटी विमानपत्तन के बीच किए जा रहे कार्य में गंभीर विसंगति को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तो संबद्ध परियोजनाओं और उनकी लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कार्य के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा निधियों का दुरुपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) आल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने 494 लाख रु. की स्वीकृत अनुमानित लागत से असम में राष्ट्रीय राजमार्ग–37 पर 143.75 से 145.75 कि.मी. तक सुदृढ़ीकरण और पेव्ड शोल्डरों के निष्पादन में घटिया गुणता के बारे में दिनांक 6.4.2002 का एक ज्ञापन पेश किया था। तथापि, बाद में दिनांक 12.4.2002 के अपने पत्र द्वारा उन्होंने सूचित किया कि उन्हें उपर्युक्त खंड में किए गए कार्य के बारे में पहले गलत सूचना दी गई थी और उन्होंने अनुरोध किया कि दिनांक 6.4.2002 के उनके पिछले पत्र को निरस्त समझा जाए।

जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण

7289. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के हितों की रक्षा के लिए जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सुन्दरवन में डब्ल्यूएलएल कनेक्शन

7290. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुन्दरवन क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएलएल के कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए और इन्हें किन–किन स्थानों पर लगाया जाना है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी स्थापना के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को सुन्दरवन क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल टेलीफोन लगाने में किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार की अनियमितताओं में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सुन्दरवन क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर 508 डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी दी गई है।

बीटीएस की अवस्थिति	मंजूरशुदा डब्ल्यूएलएल टेलीफोनों की संख्या	संस्थापित डब्ल्यूएलएल टेलीफोनों की संख्या
केनिंग	158	144
बसीरहाट	150	95
रायडिघी	200	95

(ख) और (ग) डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्राथमिकता निम्नानुसार हैं---

क्र.सं.	प्राथमिकता (कवरेज क्षेत्र)
1	2
1.	नए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
2.	पुराने लंबित मामले, टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राथमिकता आधार वाले तथा संसद–सदस्यों के मामले।

1	2
3.	दोषयुक्त एमएआरआर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलना
4.	नए टेलीफोन कनेक्शन

(घ) सरकार को सुन्दरवन क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल टेलीफोन संस्थापित करने के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता की कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फालतू भुगतान

7291. श्री जी. एस. बसवराज : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई पत्तन न्यास ने कार्य की कीमत में से निश्चित दर पर आपूर्ति की गई चट्टानों की कीमत को घटाए बगैर मूल्य वृद्धि की अशुद्ध गणना के कारण ठेकेदार को 8.72 करोड़ रुपए का फालतू भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फालतू भुगतान की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) और (ख) इन्नौर कोयला पत्तन परियोजना का निष्पादन चेन्नई पत्तन न्यास द्वारा निष्पादन एजेंसी के रूप में किया गया था। इस परियोजना के भाग के रूप में 232.87 करोड़ रुपए की लागत पर दो ब्रेक वाटरों के निर्माण के लिए एक ठेका मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. और वेन आर्ड एक्ज. जेवी को सौंपा गया था। ठेका करार के अनुसार चेन्नई पत्तन न्यास को 250.00 रुपए प्रति टन की निर्धारित लागत पर चट्टानों की आपूर्ति करनी थी। ठेका करार में बिल पोषक एजेंसी एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के मार्गनिर्देशों के अनुसार एक मूल्यवृद्धि खंड भी था। मूल्यवृद्धि राशि के परिकलन के लिए कार्य के सकल मूल्य में से चट्टानों की लागत घटाने का मूल्यवृद्धि खंड में कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए किए गए कार्य के लिए देय मूल्यवृद्धि का परिकलन करते समय निर्धारित दर पर आपूर्त की गई चट्टानों की लागत चेन्नई पत्तन द्वारा नहीं घटाई गई और ठेकेदार को परामर्शदाता मैसर्स हसकॉनिंग, जो कि परियोजना के रॉयल डच कन्सल्टिंग इंजीनियर थे, द्वारा यथासंस्तुत राशि का भुगतान कर दिया गया। तथापि, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का विचार है कि मूल्यवृद्धि राशि का परिकलन करने के लिए निष्पादित किए गए कार्य के सकल मूल्य पर विचार करते समय निर्धारित दर पर आपूर्त की गई चट्टान की लागत को घटाया जाना चाहिए था। तदनुसार लेखापरीक्षा ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 4 (सिविल) के पैरा सं. 9.1 में कहा है कि किए गए कार्य के मूल्य में से निर्धारित दर पर आपूर्त की गई चट्टानों की लागत को घटाए बगैर लागत मूल्यवृद्धि के गलत परिकलन के परिणामस्वरूप 8.72 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

(ग) चेन्नई पत्तन ने 2.41 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भुना लिया और चालू बिलों में से 6.39 करोड़ रुपए को सेक दिया। ठेकेदारों ने इस तरह के नकदीकरण के विरुद्ध उच्च न्यायालय से अंतरिम व्यादेश प्राप्त कर लिया और यह मामला इस समय माध्यस्थम अधिकरण में लंबित है।

गुजरात में खसरे का प्रकोप

7292. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के गोधरा के एक कैम्प में खसरा फैलने से वहां 40 बच्चे उससे प्रभावित हो गए जैसा कि 24 अप्रैल, 2002 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दवाओं के केन्द्रीकृत वितरण हेतु राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा संक्रमित कैम्पों में ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए केन्द्रीय दल भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। 10-27 अप्रैल, 2000 तक खसरे के कुल 49 रोगियों का पता चला है।

(ख) से (घ) चार बाल रोग चिकित्सकों वाले केन्द्रीय चिकित्सा दल ने राज्य एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ

27 अप्रैल, 2002 को गोधरा राहत शिविरों में बच्चों के बाद एक बच्चे में छोटी माता और दो बच्चों में रूबेला का संक्रमण पाया गया। सक्रिय खसरे वाले 6 बच्चों का पता लगाया गया। समग्र रूप से 27 अप्रैल, 2002 तक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने खसरे के कुल 49 रोगियों का पता लगाया।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने 12 अप्रैल, 2002 को 9 से 59 महीने आयु वर्ग के बच्चों में खसरे के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू किया था। 27 अप्रैल, 2002 तक 107 बच्चों को टीका लगाया गया। श्वसनी न्यूमोनिया, मध्य कर्णशोथ, अतिसार, नेत्र श्लेष्माशोथ आदि खसरे से जुड़ी सामान्य जटिलताएं हैं जिनके लिए एम्बुलेंस सुविधाएं सहित बुनियादी जीवन रक्षक एवं आपाती दवाएं शिविर में उपलब्ध हैं। इस शिविर से खसरे के कारण किसी की मृत्यु होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

राज्य सरकार ने इस शिविर ने पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा कार्मिक तैनात किए हैं।

[हिन्दी]

डाक्टरों के पंजीकरण संबंधी अधिसूचना

7293. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा 6 अप्रैल, 2002 को जारी डाक्टरों के पंजीकरण के रद्द करने के विषय में आचार संहिता संबंधी अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) डाक्टरों का पंजीकरण किन परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकता है;

(ग) क्या इसे सभी राज्यों में कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) अधिनियम की धारा 33 (विनियम बनाने का अधिकार) के साथ पठित धारा 20 क के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से परिषद ने 6 अप्रैल, 2002 को सरकारी राजपत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमन, 2002 अधिसूचित किया है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन विनियमों की प्रतियां सभी राज्य सरकारों एवं राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों को भेज दी गई हैं। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ डाक्टर के दोषपूर्ण कार्यों या चूक जिनमें व्यावसायिक दुराचार एवं अनैतिक कार्य शामिल होगा, का उल्लेख है जिनके लिए उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विनियमों के प्रावधानों के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या राज्य आयुर्विज्ञान परिषदें आवश्यकतानुसार दंड देने या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, जिनकी जानकारी उनको जांच करने के बाद होती है, किसी पंजीकृत डाक्टर का नाम रजिस्टर से हमेशा के लिए या विशिष्ट अवधि के लिए हटा देने के लिए भी अधिकृत हैं।

[अनुवाद]

एड्स रोधी दवाओं की सूची

7294. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों के लिए एच आई वी संक्रमण के इलाज हेतु 'आवश्यक दवाओं' की अपनी सूची में और 10 विषाणुप्रतिरोधी दवाओं को सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भी अपनी सूची में इन दवाओं को सम्मिलित करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इन दवाओं की प्रभावशीलता का वैज्ञानिक प्रमाण मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में विषाणुप्रतिरोधी चिकित्सा के निषेधात्मक खर्च के कारण विषाणुप्रतिरोधी दवाएं प्रदान नहीं करती क्योंकि इन्हें जीवन भर लेना होता है और चिकित्सा के प्रभाव को मानीटर करने के लिए खर्चीले प्रयोगशाला परीक्षणों की आवश्यकता होती है।

(ग) और (घ) एच आई वी/एड्स के उपचार में

विषाणुप्रतिरोधी दवाओं की प्रभावकारिता विश्वभर में देखी गई है। भारत सरकार द्वारा देश के 11 केन्द्रों में किए गए संभाव्यता अध्ययनों में विषाणुप्रतिरोधी दवा जिडोवुडीन (ए जैड टी) एच आई वी के मां से बच्चे में फैलने को रोकने में प्रभावी पाई गई है।

उत्तरांचल में दूरभाष केन्द्र

7295. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल में बेइरोंखाल का दूरभाष केन्द्र संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा है और उपभोक्ता इस केन्द्र से न तो बाहर एसटीडी कर पाते हैं और न ही बाहर से आने वाले एस.टी.डी. की कालों को सुन पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरभाष केन्द्र अकसर कार्य करना बंद कर देता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उपर्युक्त केन्द्र की सेवा में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। बेइरोंखाल एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। यह एक्सचेंज स्यूंसी से जुड़ा हुआ है। तथापि, इसके मूल एक्सचेंज के एमसीपीसी वी–सैट में सीमित चैनलों के कारण कभी–कभी एसटीडी लाइन कनेक्शन प्रभावित होते हैं।

(ग) और (घ) बिजली की भारी गरज और अत्यधिक चमक से उपस्करों को नुकसान को बचाने के लिए कभी–कभार एक्सचेंज को बंद करना पड़ता है।

(ङ) उपरोक्त एक्सचेंज की सेवाओं में सुधार लाने के लिए, वर्ष 2002–2003 में ओएफसी की योजना है।

जेनेवा सम्मेलन का उल्लंघन

7296. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान राजनयिकों के साथ व्यवहार में विशेषतः भारतीय राजनयिकों के साथ व्यवहार में जेनेवा सम्मेलन का उल्लंघन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो हाल के वर्षों में पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय राजनयिकों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जेनेवा सम्मेलन के उल्लंघन के विरुद्ध कोई विरोध दर्ज कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) पाकिस्तान भारतीय हाई कमीशन के कार्मिकों के साथ अपने व्यवहार में राजनयिक संबंधों से संबद्ध वियना अभिसमय, 1961 का उल्लंघन कर रहा है।

(ख) 1999 में इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के कार्मिकों के साथ उत्पीड़न के 18 मामले हैं, वर्ष 2000 में 22 मामले हैं और 2001 में 16 मामले हैं। 2002 में अब तक उत्पीड़न/प्रताड़ना के 9 मामलों की सूचना है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों की प्रताड़ना/उत्पीड़न के सभी मामलों में पाकिसतन की सरकार को अपना कठोर विरोध जताते हुए उन्हें राजनयिक संबंधों से संबद्ध वियना अभिसमय तथा "भारत और पाकिस्तान में राजनयिक/कौंसली कार्मिकों के व्यवहार के लिए द्विपक्षीय आचार–संहिता" के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं के प्रति अनुस्मरण कराया। सरकार विदेश स्थित मिशनों में अपने कार्मिकों का हित–कल्याण और खुशहाली का सुनिश्चय करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करने के लिए सदैव कृतसंकल्प है।

कथित पासपोर्ट घोटाला

7297. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री प्रबोध पण्डा :

श्री कमलनाथ :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री जी. एस. बसवराज :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

डा. बी. बी. रमैया :

श्री के. येरननायडू :

श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

श्री गंता श्रीनिवास राव :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पासपोर्ट स्कैण्डल इन ह्यूस्टन कानसूलेट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयार्क इत्यादि स्थित अन्य मिशनों में भी इसी प्रकार के घोटालों की खबर मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मिशनों में पासपोर्ट में कितनी प्रविष्टियां गायब हैं;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और

(च) इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने इस मामले की आंतरिक जांच की और पाया कि इस समाचार पत्र की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप गलत थे।

(च) मंत्रालय ने खाली पासपोर्ट पुस्तिकाओं की सुरक्षित संरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिनकी समय-समय पर पुनारावृत्ति होती है।

[हिन्दी]

समाचार पत्र और पत्रिकाएं

7298. श्री राजो सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और विदेश से सांस्कृतिक संबंधों पर कुल कितने समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु बजट में कितनी राशि का आवंटन किया गया और उक्त अवधि के दौरान कितने समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) 1. विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा विदेश स्थित अनेक मिशन नियमित रूप से सूचना पत्र, पत्रिकाएं और विशेष प्रकाशनों को प्रकाशित करता है जिनमें संस्कृति से जुड़ी विशेष सामग्री होती है जिसका उद्देश्य भारत के सांस्कृतिक राजनय को बढ़ावा देना है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों, भा.सां.सं.प. और विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ऐसे प्रकाशनों की कुल संख्या 54 है।

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित कुल बजट अनुमानतः 12.6 करोड़ रुपए है।

3. विदेश मंत्रालय द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार इसी अवधि के दौरान मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों दोनों में प्रकाशित किए गए प्रकाशनों की कुल संख्या 1126 है।

4. प्रकाशनों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम	विशेष सांस्कृतिक सामग्रियों वाले प्रकाशनों के शीर्षक	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी प्रकाशनों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	विदेश मंत्रालय, विदेश प्रचार प्रभाग	इंडिया पर्सपेक्टिव	37
		विदेश मंत्रालय न्यूजवायर (फरवरी 2002 में आरंभ)	14
	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	इंडियन होरायजन्स अफ्रीका क्वार्टरली गगनांचल तकाफत्–उल–हिन्दी रेनकोन्ट्रे अवेक एल इंडे पेपल्स डी ला इंडिया	70
2.	भारत का राजदूतावास, अंकारा	हिंदिस्ताना बकिस	26
		न्यूज बुलेटिन्स	40
3.	भारत का राजदूतावास, बीजिंग	जि रि यिन्ड्रू	11
4.	भारत का राजदूतावास, बर्लिन	प्रोग्राम एशिया	1
		पैसेफिक वकी 2001	1
5.	भारत का राजदूतावास, बर्न	न्यूज बुलेटिन	108
6.	भारत का राजदूतावास, विशकेक	इंडियन पैनोरमा	22
7.	भारत का हाई कमीशन, ब्रुनेई	इंडिया न्यूज	36
8.	भारत का राजदूतावास, काहिरा	न्यूज बुलेटिन ऑफ इंडिया	36
		सावतुल शरक्	6
9.	भारत का राजदूतावास, दमिश्क	अल हिंद	18
		दूतावास का न्यूज लैटर	72
10.	भारत का राजदूतावास, दोहा	इंडिया बिनेस रिव्यू	1
11.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, दुबई	महात्मा गांधी 1869–1948	1
12.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, हांगकांग	इंडिया न्यूज	72

1	2	3	4
13.	भारत का राजदूतावास, जकार्ता	वारटा इंडिया	36
14.	भारत का राजदूतावास, काठमांडू	विविध भारत	9
15.	भारत का हाई कमीशन, लागोस	इंडिया न्यूज	36
16.	भारत का हाई कमीशन, माहे	समुद्र मंथन	12
17.	भारत का हाई कमीशन, माले	इंडिया न्यूज	58
18.	भारत का राजदूतावास, मास्को	इंडिस्की वेस्टनिक	36
		इंडिया 1947–2000	1
		इंडिया टुडे (2000)	1
		इंडिया टुडे (2001)	1
		इंडो रशियन रिलेशन्स	1
		इंडिया ट्रेडिशनल एंड फ्यूचर पार्टनर ऑफ एशिया	1
		इंडियन लैंड	1
		प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के दौरान इंडियन पर्सपेक्टिव पर विशेष सोवेनियर	1
19.	भारत का राजदूतावास, पनामा	इस्टा एस इंडिया	6
20.	भारत का राजदूतावास, पेरिस	न्वोवेले डी ली इंडे	72
		एजेंडा कल्चरल	36
		इंडिया डायजेस्ट	36
21.	हाई कमीशन ऑफ इंडिया, प्रीटोरिया	इंडिया बुलेटिन्स	1
22.	भारत का राजदूतावास, रोम	रिविस्टा इंडियाना	12
		डुइंग बिजनेस विद इंडिया	
		एक्सप्लोर आई टी इन इंडिया	
23.	भारत का प्रधान कॉंसलावास, शंघाई	इंडिया न्यूज	36
24.	हाई कमीशन ऑफ इंडिया, सिंगापुर	इंडिया न्यूज	21
		इंडिया ट्रेवल डायजेस्ट	1

1	2	3	4
25.	भारत का राजदूतावास, सोफिया	स्वेटीलिंक	1
26.	भारत का राजदूतावास, तेहरान	आयन–ए–हिंद	7
27.	भातर का राजदूतावास, तेल अवीव	दूतावास का न्यूज लैटर	8
28.	भारत का राजदूतावास, टोक्यो	इंडिया न्यूज	36
29.	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन	इंडिया न्यूज	12
30.	भारत का राजदूतावास, येरेवान	अजदरार हडन्कस्तानी	3
31.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जंजीबार	बुलेटिन्स	72

[अनुवाद]

आयुर्विज्ञान अनुसंधान

7299. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आयुर्विज्ञान और भेषज अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000–2003 के लिए इस उद्देश्य हेतु कितना आवंटन किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारूप में चिकित्सा अनुसंधान के लिए सरकार के वित्त पोषण स्तर को बढ़ाकर 2005 तक कुल स्वास्थ्य व्यय का एक प्रतिशत और उसके बाद 2010 तक 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद देश में चिकित्सा अनुंसधान करने और इसमें सहायता प्रदान करने के लिए प्रमुख जिम्मेदार निकाय है। परिषद को 2002–2003 के दौरान किया गया योजना आवंटन 130 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

झारखंड में एसटीडी सुविधा

7300. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसटीडी सेवा के संतोषजनक कार्यकरण को सुनिश्चित करने और झारखंड राज्य में इसे बंद होने से बचाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड और सरकार के एसटीडी सेवाओं के कार्य नहीं करने के संबंध में शिकायत दर्ज करने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने झारखंड राज्य के प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में सामान्य टेलीफोन सेवा को उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) झारखंड राज्य में एसटीडी सेवाओं का संतोषजनक कार्यकरण सुनिश्चित करने और इसे बंद होने से बचाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :

(i) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार झारखंड दूरसंचार सर्किल में कार्यरत सभी 372 एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा है जिसमें से 363 एक्सचेंज विश्वसनीय माध्यम पर हैं और अविश्वसनीय

माध्यम पर कार्य कर रहे शेष 9 एक्सचेंजों को मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान विश्वसनीय माध्यम प्रदान किए जाने की योजना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ii) सुचारु एसटीडी सेवा प्रदान करने के लिए ट्रैफिक के औचित्य के अनुसार ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) जंक्शन क्षमता का विस्तार/वृद्धि और जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में नयी प्रौद्योगिकी के टीएएक्स चालू करना।

(iii) एसटीडी सेवाओं के बेहतर रख–रखाव के लिए पर्याप्त अतिरिक्त पारेषण माध्यम उपस्कर रखे जाते हैं।

(iv) गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) और सर्किल स्तर पर एसटीडी के कार्यकरण की मॉनिटरिंग।

(ख) जी, हां।

(ग) एसटीडी सेवा के काम न करने की शिकायतें संबंधित टीएएक्स को 182 पर डायल करके दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, एसएसए और सर्किल कार्यालय में कार्य कर रहे शिकायत प्रकोष्ठ में भी ऐसी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

(घ) जी, हां। झारखंड राज्य में नियमित टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) सभी एक्सचेंजों का उन्नयन किया गया है/उन्हें विश्वसनीय डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदला गया है।

(ii) अधिकाधिक एक्सचेंजों में चरणबद्ध तरीके से विश्वसनीय पारेषण माध्यम (ओएफसी/यूएचएफ) उपलब्ध कराना।

(iii) एक्सचेंजों के सुचारु प्रचालन और अनुरक्षण के लिए प्रत्येक एक्सचेंज में अनुरक्षण स्टाफ की तैनाती की गई है।

(iv) उपभोक्ता के परिसर तक बाहरी केबल नेटवर्क योजना के आकार, जो दोष दर का मुख्य कारण है, को कम करने के लिए अधिकाधिक दूरस्थ लाइन इकाइयों की शुरूआत।

(v) वायरलेस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी तथा नेटवर्क में डिजिटल लाइन कांसेन्ट्रेटर की शुरूआत।

(vi) उपभोक्ता के परिसर तक पहुंचने की दृष्टि से ड्राप वायर के स्थान पर 5 पेयर पीआईजेएफ केबल का प्रयोग।

(vii) दोषों पर बेहतर ढंग से निगरानी रखने के लिए अधिकाधिक एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवाओं का कम्प्यूट्रीकरण।

(viii) लंबी अवधि तक पावर ब्रेकडाउन की समस्या से निपटने के लिए अनुरक्षण मुक्त बैटरी सेट और स्टैंडबाई जेनरेटर/पोर्टेबल जेनरेटर उपलब्ध कराना।

बिहार में मॉडेम्स

7301. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्रमंडल, सासाराम (बिहार) में लगाए गए मॉडेम्स कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो संबद्ध अनुमंडल अधिकारी द्वारा परीक्षित मॉडेम्स के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। एक केन्द्र बिन्दु (सेन्ट्रल प्वाइंट) पर ग्रामीण एक्सचेंजों से मीटर रीडिंग इत्यादि लेने के एक नेटवर्क का सृजन करने हेतु माडेमों का इस्तेमाल किया जाता था। ये माडेम जुलाई 2001 तक कार्यरत थे। तथापि, एक्सचेंज के साफ्टवेयर वर्सन को बदलने के कारण इन माडेमों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, हां। माडेमों के संतोषजनक निष्पादन के संबंध

में उप–मंडल अधिकारियों (एसडीओ) से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाक कार्यक्रमों का विविधीकरण

7302. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का विचार अपनी गतिविधियों को बहु आयामी बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) डाक काउंटरों और वितरण प्रणाली के माध्यम से नए उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के लिए डाक विभाग का उद्देश्य देश भर में फैले डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करना है। इस संबंध में अब तक उठाए गए नए कदम इस प्रकार हैं :

1. विदेशों से मनीऑर्डर भारत भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा।
2. विभिन्न कंपनियों की म्यूचुअल फंड योजनाओं का वितरण।
3. व्यापार/वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण।
4. डाकघरों के माध्यम से प्रत्याभूति और लाभांश का भुगतान।
5. डाक ग्राहकों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई–पोस्ट।
6. ग्रीटिंग पोस्ट।
7. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए पेंशन भुगतान।
8. स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा।
9. व्यापार/वाणिज्यिक संगठनों की मदद के लिए बाजार से संबंधित सूचनाओं के लिए डाटा पोस्ट।

चेन्नई बंदरगाह पर आयात-निर्यात की वस्तुओं का जमाव

7303. श्री ई. पोन्नुस्वामी : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि चेन्नई बंदरगाह में इसे माल चढ़ाई–उतराई के लिए निजी अभिकरण को पट्टे पर दिए जाने पर आयात और निर्यात की वस्तुएं असामान्य रूप से पड़ी रहती हैं जिससे सरकार और चेन्नई बंदरगाह से माल मंगाने भेजने वाली निजी अभिकरणों को भारी क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) और (ख) चेन्नई पत्तन का कंटेनर टर्मिनल 30 नवम्बर, 2001 को मैसर्स चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लि. (सी सी टी एल) को सौंप दिया गया था और सी सी टी एल ने तुरन्त अपना प्रचालन शुरू कर दिया। प्रारंभिक अवधि के दौरान सी सी टी एल ने कतिपय शुरूआती समस्याओं का सामना किया परन्तु सी सी टी एल और चेन्नई पत्तन द्वारा किए गए प्रभावी उपायों के कारण अब स्थिति यह है कि कंटेनर टर्मिनल में "बर्थ पोतों की प्रतीक्षा कर रही हैं।"

(ग) भीड़भाड़ को कम करने के लिए मैसर्स सी सी टी एल और चेन्नई पत्तन न्यास ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- यार्ड से और हुक प्वांइट से भी टोंडियारपेट में कानकोर सीएफएस तक कंटेनरों की सामूहिक रूप से आवाजाही।
- पत्तन ने कंटेनरों की आवाजाही के लिए एक अतिरिक्त गेट अर्थात् गेट–2 उपलब्ध कराया है।
- पत्तन ने कंटेनरों के लिए ट्रेलरों की पार्किंग हेतु

7000 हजार वर्गमीटर का बफर क्षेत्र उपलब्ध कराया है।

- सी सी टी एल ने स्थानीय पक्षकारों से 2 रीच स्टेकर्स किराए पर लिए हैं और मुम्बई से अन्य 2 रीच स्टेकर्स और 1 टॉप लिफ्ट ट्रक (टी एल टी) की व्यवस्था भी की है।
- भीड़भाड़ को कम करने के लिए सी एफ एस प्रचालकों से अनुरोध किया गया कि वे सी सी टी एल की सहमति प्राप्त करने पर निर्यात बॉक्सों को पत्तन में केवल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच संचालित करें।
- गेट नं. 1 अनन्य रूप से सी सी टी एल के लिए आरक्षित है ताकि कंटेनरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

भूमि का अतिक्रमण

7304. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1998–99 के दौरान मुम्बई पत्तन न्याय की भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) वर्ष 1998–99 से पहले और इसके बाद भी मुम्बई पत्तन न्यास की भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हुए हैं।

(ख) इस समय 25 स्थानों पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिनमें जनगणना किए हुए गंदी बस्तियों के 4 बड़े पाकेट शामिल हैं। अन्य अतिक्रमण खाली प्लाटों, सड़कों, रेलवे साइडिंग और बंदरों में किए हुए हैं जो अप्रतिबंधित हैं और जनता के लिए खुले हुए हैं।

(ग) और (घ) यह अतिक्रमण प्रायः छुट्टियों, रात्रि के समय और चुनावों के दौरान स्लमनायकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। पत्तन न्यास के कर्मचारियों की मिलीभगत सिद्ध नहीं होती है।

आई सी-814 के अपहरण के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट

7305. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में आई सी–814 विमान के अपहरण से निपटने की समस्त कार्यवाही में गंभीर त्रुटियों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस प्रकार की कोई आंतरिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर अनधिकृत निर्माणों को गिराना

7306. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर बने अनधिकृत निर्माणों को गिराने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) राष्ट्रीय

राजमार्ग सं. 8 पर अनधिकृत निर्माणों को गिराने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कुवैती लड़की का प्रत्यर्पण

7307. श्री पी. कुमारास्वामी :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत सरकार ने कुवैतवासी उस लड़की के प्रत्यर्पण की मांग की है जो अपने मंगेतर के साथ भागकर भारत आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिक

7308. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से केरल के कितने श्रमिक हैं;

(ख) क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान इन देशों में भारतीय दूतावासों को नियोक्ताओं द्वारा तंग करने के संबंध में इन श्रमिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का स्वरूप क्या है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) खाड़ी के विभिन्न देशों में 30 लाख से अधिक भारतीय मजदूर कार्यरत हैं और उनमें से आधे से अधिक केरल से हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, समय–समय पर खाड़ी के देशों में स्थित हमारे राजदूतावासों को वेतन का भुगतान न होने अथवा भुगतान में विलंब होने, लंबे कार्य घंटे, अपर्याप्त आवास/खाना, छुट्टी पर अथवा आकस्मिकता की स्थिति में भारत जाने की अनुमति देने से इंकार करने आदि से संबंधित अपने नियोक्ताओं द्वारा सांविधिक बाध्यताओं के उल्लंघन के बारे में भारतीय मजदूरों की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

हमारे राजदूतावासों द्वारा इन शिकायतों को शीघ्र नियोक्ता के साथ उठाया जाता है और यदि आवश्यक हो, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। श्रमिक की शिकायतों के बारे में खाड़ी देशों के प्राधिकारियों का प्रत्युत्तर आमतौर पर सहानुभूतिपूर्ण होता है।

सिविल विंग द्वारा खर्च की गई धनराशि

7309. डा. बलिराम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री 17.4.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3902 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सिविल विंग द्वारा करोड़ों रुपये का व्यय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप था;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के किसी अधिकारी को रखरखाव शीर्ष पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक धनराशि व्यय करने का इस संबंध में पहले के मानदंड के बाद अधिकार है;

(ग) क्या आवश्यकता/मांग के संबंध में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रखरखाव के नाम पर करोड़ों रुपये के अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सीपीडब्ल्यूडी के मानक प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते हैं, क्योंकि एमटीएनएल द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे भवनों का स्वरूप सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुरक्षित भवनों से भिन्न है और अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताएं भी भिन्न हैं।

अनुरक्षण व्यय में एयरकंडीशनिंग जेनरेटरों, सेवा केन्द्र, अग्नि शमन, खुदाई कार्य, टावर कार्य, साफ़–सफाई आदि का अनुरक्षण–व्यय भी शामिल है जो सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों में शामिल नहीं होते हैं। इस व्यय में वृद्धि करना, फेर–बदल करना, बदली (रिप्लेसमेंट) और विशेष मरम्मत आदि पर किया गया व्यय भी शामिल है।

(ग) और (घ) व्यय वास्तविक आवश्यकता तथा मांग के अनुसार किया जा रहा है। तथापि, एमटीएनएल के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश/मानदंड तैयार एवं निर्धारित करने संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डाक वितरण में विलंब

7310. श्री रामशकल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक कर्मियों द्वारा समय से डाक वितरण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) डाक के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देर से डाक मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में डाक वितरण सामान्यतया संतोषजनक है। सितंबर 2001 में किए गए लाइव मेल सर्वे के परिणामों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 79.0% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 80.2% डाक विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वितरित की जाती है। डाक में विलंब की यदा–कदा घटनाएं उन विभिन्न कारणों से होती हैं जो विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं जैसे डाक लाने–ले जाने वाली बसों/रेलगाड़ियों/हवाई उड़ानों का रद्द हो जाना/देर से चलना, हड़ताल, बंद, प्राकृतिक आपदाएं तथा डाक की मात्रा में अचानक और अप्रत्याशित बढ़ोतरी होना है। इनके अलावा गलत/अपूर्ण पता अथवा पिन कोड, डाकघर को सूचित किए बिना प्रेषिती का नये पते पर चला जाना, प्रेषितियों का न मिलना आदि अथवा मानवीय गलती जैसे अन्य कारण भी हैं।

(ग) विभाग लाइव मेल सर्वे और परीक्षण पत्र डाक में डालकर डाक वितरण की विभिन्न स्तरों पर निरंतर मॉनीटरिंग करता है तथा जहां कहीं कमियां पाई जाती हैं, आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) अपंजीकृत डाक के वितरण के बारे में प्राप्त शिकायतों को दर्ज किया जाता है और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से प्राप्त शिकायत की कोई अलग श्रेणी नहीं बनाई जाती। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	अपंजीकृत डाक के वितरण में विलंब के बारे में शिकायतों की संख्या
1998–1999	10260
1999–2000	7999
2000–2001	7510

(च) विभाग ने डाक वितरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) त्वरित पारेषण और शीघ्र वितरण के लिए डाक का विभिन्न चैनलों जैसे मेट्रो, राजधानी, ग्रीन चैनल और पत्रिका चैनल में खंडीकरण।

(ii) परीक्षण पत्र तथा ट्रायल कार्ड डाक में डालकर डाक–रूटिंग और वितरण की नियमित मॉनीटरिंग।

(iii) बढ़ते हुए शहरी क्षेत्र में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती को ध्यान में रखते हुए वितरण का युक्तिकरण/पुनर्गठन।

(iv) वितरण को मजबूती प्रदान करने के लिए डाकियों के अतिरिकत पदों की मंजूरी।

(v) सुपरवाइजरी स्टाफ तथा विजिटिंग अधिकारियों द्वारा डाक वितरण की आकस्मिक जांच।

(vi) कमजोर संपर्कों का पता लगाने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर लाइव मेल सर्वे तथा डाक पारेषण तथा वितरण प्रणाली को कारगर बनाना।

(vii) डाक शुल्क में छूट का प्रोत्साहन देकर थोक में डाक भेजने वालों को डाक की पूर्व–छंटाई के लिए प्रोत्साहित करना।

(viii) बहुमंजिली इमारतों में ग्राहकों को भूतल पर मेल बॉक्स लगाने के लिए समझाना।

(ix) सीजनल मेल को निपटाने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों के साथ अलग सेंटर खोलना।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए अफगानिस्तान को सहायता

7311. श्री बी. बी. एन. रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान को इसके टी.वी. और रेडियो सेवाओं के पुनरुद्धार में सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) भारत सरकार ने अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन के मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए सहायता दी है। महामान्य हामीद करजई की 26–27 फरवरी, 2002 को भारत की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों का पता लगाया गया। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास, जन परिवहन और प्रशिक्षिण शामिल हैं। अफगानिस्तान को सहायता देने की हमारी वचनबद्धता के रूप में, सरकार इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

नाभिकीय परियोजनाओं को मंजूरी

7312. श्री के. पी. सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में कतिपय नाभिकीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है जैसा कि दिनांक 25 मार्च, 2002 को 'द इकानामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मार्च, 2002 में निम्नलिखित के लिए अनुमोदन दिया :

(i) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4 (2 x 220 मेगावाट) को पूरा करने संबंधी लागत अनुमान को संशोधित कर उसे 4213 करोड़ रुपए से कम करके 3282 करोड़ रुपए करना, वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू करने संबंधी निर्धारित कार्यक्रम को अक्टूबर, 2008 (कैगा–3) तथा अक्टूबर, 2009 (कैगा 4) से पीछे कर क्रमशः मार्च, 2007 और सितम्बर 2009 करना तथा ऋण इक्विटी अनुपात में 1 : 1 से परिवर्तन कर 2 : 1 करना।

(ii) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिटों (2 x 220 मेगावाट) की स्थापना, उसके पूरा होने की 3072 करोड़ रुपए की अनुमानित

लागत और उसके अगस्त, 2007 (आर ए पी पी–5) और फरवरी, 2008 (आर ए पी पी–6) में वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू करने के निर्धारित कार्यक्रम के साथ करना।

(ग) और (घ) कैगा 3 तथा 4 का निर्माण–कार्य चल रहा है। रिएक्टर भवन के रैफ्ट में पहली बार कंकरीट डालने का काम मार्च, 2002 में किया गया। सिविल निर्माण कार्य और आपूर्ति एवं स्थापन पैकेजों हेतु प्रापण कार्य चल रहे हैं। परियोजना निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चल रही है।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना–5 तथा 6 के लिए खुदाई का काम चल रहा है। मुख्य संयंत्र के संबंध में सिविल निर्माण–कार्य पैकेज का आर्डर दे दिया गया है और रिएक्टर भवन रैफ्ट के लिए पहली बार कंकरीट डालने का काम योजनानुसार कर लिए जाने की आशा है। परियोजना कार्यक्रम अनुसार चल रही है।

अनुसूचित जातियों की भर्ती हेतु विशेष अभियान

7313. श्री एस. मुरूगेसन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं/सरकारी उपक्रमों में रिक्त पदों को भरने पर लगी रोक के कारण अनुसूचित जातियों की भर्ती हेतु चलाया जाने वाला विशेष अभियान एकदम रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष अभियान को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) संविधान में 81वें संशोधन के परिणामस्वरूप, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 20.7.2000 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या 36012/5/97–स्थापना (आरक्षण) खंड–II के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया चली आ रही/अग्रेनीत रिक्तियां, विशेष भर्ती–अभियान चलाकर भरी जा सकती हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में, आरक्षित बकाया चल रही रिक्तियां आंकने एवं उन्हें भरने के भरसक तथा संगठित प्रयास करने का अनुरोध किया गया है।

फार्मेसी पाठ्यक्रमों की पाठ्य-सामग्री में संशोधन

7314. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व स्नातक स्तर के फार्मेसी पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित पाठ्यक्रम कब तक लागू हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस कार्य के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन–कौन हैं; और

(च) उक्त समिति में कर्नाटक के फार्मेसी कालेजों के कितने प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

अन्य देशों द्वारा भारत से अंतरिक्ष संघटकों और सेवाओं का आयात

7315. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों ने भारत से अंतरिक्ष संघटकों और सेवाओं के आयात में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो भारत से कौन–कौन से देशों ने अंतरिक्ष उपकरण खरीदने शुरू कर दिए हैं;

(ग) निर्यात की जा रही मदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.), जापान, फ्रांस, नार्वे, जर्मनी इत्यादि देशों के ग्राहकों ने भारत से अंतरिक्ष उपकरणों की खरीद शुरू की है।

(ग) निर्यात की जाने वाली मदों में उपग्रहों के लिए उपकरण, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों को अभिगम्य बनाने के लिए भू–प्रणालियों तथा विदेशी उपग्रहों को मिशन सहायता के लिए सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

(घ) अंतरिक्ष उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में, विश्व बाजार में अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए अंतरिक्ष विभाग द्वारा स्थापित एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन द्वारा व्यापक विपणन प्रयास, विश्वव्यापी विपणन के लिए सुस्थापित अंतरिक्ष उद्योगों के साथ सहयोग और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार शामिल है।

गोपालपुर, उड़ीसा में प्रमुख पत्तनों की स्थापना

7316. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोपालपुर, उड़ीसा में एक प्रमुख पत्तन की स्थापना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने की संभावना है;

(ग) इस पत्तन की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दी में सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी

7317. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में हिन्दी सलाहकार समिति में लिप्यंतरण प्रकोष्ठ की स्थापना पर विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकोष्ठ की स्थापना हो गई है; और

(ङ) इस प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ङ) जी, हां। हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार हाल ही में एक अनुसृजन कक्ष स्थापित किया गया है। इस कक्ष के अंतर्गत (i) संज्ञानिकी प्रकाशन योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी में भावी प्रौद्योगिकियों पर पुस्तकें, मोनोग्राफ हिन्दी में प्राप्त करने, (ii) ज्ञानोद्योग अनुदेश योजना के तहत हिन्दी में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने की योजना है।

टाइफाइड का टीका तैयार किया जाना

7318. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से हाफकिन बायो–फार्मास्यूटीकल कार्पोरेशन लिमिटेड को टाइफाइड टीका पुनः तैयार करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) होलसेल किल्ड टाइफाइड (ए. के.डी.) वैक्सीन के उत्पादन को पुनः शुरू करने के लिए हाफकिन बायो–फार्मेस्युटीकल कार्पोरेशन लिमिटेड (एच बी पी सी एल), मुम्बई को अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार ने सिद्धांतः सशस्त्र सेना के लिए टाइफाइड वैक्सीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एच बी पी सी एल, मुम्बई द्वारा होल सेल किल्ड टाइफाइड (ए के डी) वैक्सीन के उतपादन को अनुमति प्रदान करने का निर्णय ले लिया है। एच बी पी सी एल, मुम्बई से ए के डी वैक्सीन के उत्पादन के लिए लाइसेंस मांगने के लिए भारत के औषध महानियंत्रक को अपना आवेदन पत्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

स्तन कैंसर योजना

7319. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा "शीघ्र निदान–प्रभावी उपचार" के उदेश्य से लागू की जा रही स्तन कैंसर योजना को उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उक्त योजना के कार्यान्वयन पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) "शीघ्र निदान प्रभावी उपचार" एक नारा है और इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। इस नारे का नवम्बर, 2001 को मनाए गए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को उपयोग किया गया।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी किया जाना

7320. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :
श्री के. येरननायडू :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों का पासपोर्ट जारी करने में कितना समय लगता है/निर्धारित है जिनका पुलिस सत्यापन दो या दो से अधिक स्थानों से किया जाता है; और

(ख) यदि पुलिस अधिकारियों की ओर से निर्धारित समय के भीतर रिपोर्टें प्राप्त नहीं होतीं तो पासपोर्ट कितने समय में जारी कर दिए जाते हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) इस संबंध में राज्य सरकार को मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में संदर्भ की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर भेज देनी चाहिए। तथापि, पुलिस सत्यापन में लगने वाला वास्तविक समय प्रत्येक राज्य में अलग–अलग होता है।

(ख) सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, 28 पासपोर्ट कार्यालयों में से केवल 10 पासपोर्ट कार्यालय में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने में अधिक समय हो जाने पर पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। ऐसे पासपोर्ट कार्यालय संबद्ध पुलिस अधिकारियों के संदर्भ में 35 दिनों के पश्चात पुलिस रिपोर्ट प्राप्त न होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं। अन्य राज्यों में पासपोर्ट केवल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जारी किया जाता है।

दत्तक-ग्रहण-अवकाश

7321. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन–आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने के लिए 'दत्तक–ग्रहण–अवकाश' की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सूरत और राजकोट में पासपोर्ट कार्यालयों की स्थापना

7322. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के सूरत और राजकोट शहरों में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए लगातार अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) सूरत में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। सूरत स्थित पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों की तैनाती भी तय कर ली गई है। गुजरात राज्य सरकार से कहा गया है कि वह नया कार्यालय खोलने के लिए उपयुक्त भवन मुहैया कराए।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण

7323. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान जनसंख्या नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान जनसंख्या नीति के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लक्ष्यों के निर्धारण का उल्लेख नहीं है बल्कि इसमें 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले कुछ सामाजिक जनांकिकी लक्ष्य रखे गए हैं। वे इस प्रकार हैं :

1. बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत ढांचे की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना।
2. स्कूल शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य बनाना और प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत को कम करके 20 प्रतिशत से नीचे लाना।
3. शिशु मृत्यु दर को कम करके उसे प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना।
4. मातृ मृत्यु दर को कम करके प्रत्येक 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना।
5. सभी वैक्सीन निवारणीय रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण हासिल करना।
6. लड़कियों के विवाह देर से करने, 18 वर्ष से पहले नहीं, और बेहतर रूप से 20 वर्ष की आयु के बाद करने को बढ़ावा देना।
7. 80 प्रतिशत सांस्थानिक प्रसव और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रसव कराना।
8. सूचना/परामर्श की व्यापक सुलभता प्राप्त करना ओर ढेर सारे विकल्पों के साथ प्रजनन विनियमन और गर्भनिरोधन के लिए सेवाएं प्रदान करना।
9. जन्मों, मौतों, विवाहों और गर्भों का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करवाना।

10. एड्स के फैलने को नियंत्रित करना और जनन–मार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच और अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

11. संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण।

12. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने और इन्हें परिवारों तक पहुंचाने में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करना।

13. कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना।

14. संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को एक ही स्थान से कार्यान्वित करना ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम लोक संकेन्द्रित कार्यक्रम बन सके।

जनसंख्या नियंत्रण

7324. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु कोई रणनीति तैयार की है और उसका कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम सामने आए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा प्राइम टाइम में परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण का संदेश प्रसारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) देश में समग्र दृष्टिकोण से जनसंख्या को शीघ्र स्थिर करने के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले कुछ सामाजिक जनांकिकी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये हैं :

1. बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत ढांचे की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना।

2. स्कूल शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य बनाना और प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत को कम करके 20 प्रतिशत से नीचे लाना।

3. शिशु मृत्यु दर को कम करके उसे प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना।

4. मातृ मृत्यु दर को कम करके प्रत्येक 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना।

5. सभी वैक्सीन निवारणीय रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण हासिल करना।

6. लड़कियों के विवाह देर से करने, 18 वर्ष से पहले नहीं, और बेहतर रूप से 20 वर्ष की आयु के बाद करने को बढ़ावा देना।

7. 80 प्रतिशत सांस्थानिक प्रसव और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रसव कराना।

8. सूचना/परामर्श की व्यापक सुलभता प्राप्त करना और ढेर सारे विकल्पों के साथ प्रजनन विनियमन और गर्भनिरोधन के लिए सेवाएं प्रदान करना।

9. जन्मों, मौतों, विवाहों और गर्भों का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करवाना।

10. एड्स के फैलने को नियंत्रित करना और जनन–मार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच और अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

11. संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण।

12. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था

करने और इन्हें परिवार तक पहुंचाने में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करना।

13. कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना।

14. संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को एक ही स्थान से कार्यान्वित करना ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम लोक संकेन्द्रित कार्यक्रम बन सके।

सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और अन्य प्रचार साधनों के उपयोग के द्वारा जोरदार ढंग से प्रचार करके जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से परिवार नियोजन तरीकों और तकनीकों पर जानकारी के लिए गहन अभियान आरंभ किया गया है।

(ii) सुबह और सायं के राष्ट्रीय समाचारों से पहले ऑडियो जिंगल स्पाट्स के रूप में आकाशवाणी से 'स्वस्थ मां स्वस्थ बच्चा' संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर में क्षेत्रीय समाचारों से पहले और बाद में "नो स्केलपल वेसक्टामी" पर एक स्पाट्स का प्रसारण किया जा रहा है।

(iii) आकाशवाणी के 36 केन्द्रों से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के संदेशों को प्रसारित करने को कहा गया है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर वीडियो स्पाट्स 8 बजे के राष्ट्रीय समाचारों से पहले प्रसारित किया जा रहा है। 30 मिनट का 'लोकझंकार' कार्यक्रम भी हर बृहस्पतिवार और रविवार को आकाशवाणी के 22 विविध भारती केन्द्रों से प्रसारित किया जा रहा है।

(iv) सुप्रसिद्ध निर्माताओं द्वारा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर फिल्में बनाई गई हैं जिससे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम पर जन–जागरूकता में सुधार लाया जा सके। गृह प्रकाशनों–हिन्दी में 'हमारा घर' और अंग्रेजी में 'रिप्रोडेक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूजलेटर' में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य विषयों पर नियमित लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं।

(v) मीडिया यूनिटें अर्थात् श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय और गीत और नाटक प्रभाग तथा क्षेत्र प्रचार निदेशालय प्रदर्शनियों, थिएटर नाटकों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और वीडियो कार्यक्रमों के माध्यम से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य विषयों पर प्रचार कार्य कर रहे हैं।

(vi) जागरूकता बढ़ाने और लोगों को उनके घरों के पास चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है।

जनांकिकी रूप से कमजोर राज्यों/क्षेत्रों, जिनके लिए अक्टूबर, 2001 में शक्ति प्राप्त कार्य दल गठित किया गया है, में आचरण परिवर्तन पर एक कोर ग्रुप बनाया गया है जिसका उद्देश्य इन राज्यों में परिवार कल्याण में आचरण परिवर्तन के लिए कार्यनीति की योजना बनाने, तैयार करने और संचालित करने के लिए ढांचागत क्षमताओं और प्रणालियों का विकास करना है।

[अनुवाद]

जेएनपीटी परियोजना

7325. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेएनपीटी परियोजना से कुल कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और इनमें से कितने व्यक्तियों को जेएनपीटी में नौकरियों दी गई हैं;

(ख) शेष व्यक्तियों को कब तक नौकरियां प्रदान कर दी जाएंगी; और

(ग) जेएनपीटी परियोजना के लिए लोगों से किस दर पर जमीन खरीदी गई थी और उस समय उक्त जमीन का बाजार मूल्य क्या था?

पोत परिवहन मंत्री (श्री बेद प्रकाश गोयल) : (क) जवाहरलाल नेहरू पत्तन परियोजना से कुल 3016 भूस्वामी प्रभावित हुए। इनमें से पत्तन ने परियोजना से प्रभावित 903 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार और परियोजना से प्रभावित 1648 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया है।

(ख) परियोजना से प्रभावित शेष व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कोई समयावधि निश्चित करना संभव नहीं होगा।

(ग) पत्तन ने वर्ष 1984 में भूस्वामियों से 30,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भूमि का अधिग्रहण किया था। उस समय के दौरान सिटी इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. जवाहरलाल नेहरू पत्तन क्षेत्र के चारों ओर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भूमि का अधिग्रहण कर रहा था।

[हिन्दी]

सी जी एच एस लाभार्थियों को औषधियों की आपूर्ति

7326. श्री रामदास आठवले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए प्रतिवर्ष औषधि विक्रेता–वार खरीदी गई औषधियों पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान हड़ताल के कारण औषधि–विक्रेताओं ने मांगी गई औषधियों की आपूर्ति नहीं की;

(ग) औषधि–विक्रेताओं की मांगों का ब्यौरा क्या है और औषधि–विक्रेता कौन–कौन सी तारीखों को हड़ताल पर थे; और

(घ) सरकार ने हड़ताल के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों ने निम्नलिखित अवधि के दौरान इंडेंट कराई गई दवाओं की आपूर्ति नहीं की। उनकी मांगों का ब्यौरा भी साथ में दिया गया है–

क्र.सं.	केमिस्टों के हड़ताल की अवधि	केमिस्टों की मांगों का ब्यौरा
1.	01.12.99 से 05.12.99	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा उनके बिलों का विलंब से भुगतान
2.	21.01.02 से 25.01.02	(क) उनके द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रस्तुत बिलों के 10% को रोक रखना और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा उनके बिलों का विलंब से भुगतान
3.	01.04.02 से 12.04.02	तदैव

(घ) केमिस्टों द्वारा विक्रय कर लेने से संबंधित मामलों को देखते हुए उनके द्वारा भेजे गए बिलों की राशि का 10% भाग केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा रोक लिया जा रहा है। ये मामले अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजे गए हैं। जहां तक बिलों के भुगतान में विलंब का संबंध है, यह वित्तीय वर्ष समाप्ति के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पास निधियों की अनुपलब्धता के कारण हुआ। तथापि, स्थानीय केमिस्टों के लंबित बिलों का भुगतान कर दिया गया है और उनके बिल नियमित रूप से पास किए जा रहे हैं।

हड़ताल के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए उन्हें खुले बाजार से दवाएं खरीदने की अनुमति दे दी गई थी जिसकी प्रतिपूर्ति सेवारत कर्मचारी अपने विभाग से और पेंशनभोगी लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से ले सकते थे।

विवरण

1.4.2001 से 31.3.2002 तक स्थानीय खरीद पर औषधालय वार व्यय

क्र.सं.	कैमिस्ट का नाम	औषधालय	राशि (रुपये में)
1	2	3	4
1.	आ.मे. स्टोर	सी.जी. रोड	7242764
2.	अग्रवाल जन. स्टोर	मालवीय नगर	9998775
3.	अग्रवाल मेडिकोज	पुष्प विहार	5844427
		एम.बी. रोड	10717671
4.	अग्रवाल मेडिकोज	आर.के. पुरम–4	7175421
5.	अजय मेडि. एजेंसी	नौएडा	19905035
6.	अजय मेडि. स्टोर	नारायण विहार	3467758
7.	अमित मेडिकोज	पहाड़गंज	5493022
		मिन्टो रोड	7560808
		चांदनी चौक	2155645
		दरियागंज	16858436
8.	अंगीरा कैमिस्ट	पुल बंगश	2743682
9.	एनके मेडिवेज	गाजियाबाद	11089457
10.	एनके मेडिकोज	मयूर विहार	12571550
		लक्ष्मी नगर	14078736
11.	बालाजी मेडिकोज	नांगल राय	11159172
12.	बतरा मेडिकोज	कालीबाडी मार्ग	8968210
		गोल मार्किट	12278666
13.	भाटिया मेडि. स्टोर	पटेल नगर–II	5928161
14.	भूटानी मेडि. स्टोर	एल. बाई. नगर	10698215
		किदवई नगर	7008648
15.	दी कैमिस्ट कार्नर	तिमारपुर	9044479
		किंग्जवे कैंप	14820250
		राजपुर रोड औष.	2635355
		तिमारपुर अस्पताल	11448
		किंग्सवे कैम्प औष.	1119854
16.	दिनेश मेडिकोज	नानकपुरा	10094335
		आर.के. पुरम–II	8843336
		आर.के. पुरम–I	8611724
		आर.के. पुरम–IV	17429703
		आर.के.पी. एम.जी. अस्पताल	2674631
17.	गुप्ता ब्रदर्स	कांस्टीट्यूशन हाउस	3737049
		टेलीग्राफ लेन	3082359
18.	गुप्ता मेडीकोज	सरोजनी नगर	3341800
		आर.के. पुरम–IV	7365139
19.	गुरु नानक मेडि. हाल	हरिनगर	9724704
20.	जसमीन मेड. एंड	आर.के. पुरम–II	6586272
	जन. स्टोर	मुनिरका	4289604
21.	कैलाश कैमिस्ट एंड	मोती बाग	6112449
	ड्रग्स	नार्थ एवेन्यू	12740976
		प्रेसिडेंट इस्टेट	3765265
		साउथ एवेन्यू	9350809
22.	कुकरेजा मेडिकोज	तिलक नगर	12306725
		सुन्दर विहार	9136784
23.	लालसंस	जनकपुरी–II	13250284

1	2	3	4
24.	लाइफलाइन मेडिकोज	लोदी रोड–I	7227287
		लोदी रोड–II	8389227
		प्रगती विहार	2637975
		कस्तूरबा नगर	3901815
		कस्तूरबा नगर–II	3366352
25.	लाइव एन्ड केमिस्ट	जनकपुरी–I	40100383
26.	मेडिसीन सेल	अशोक विहार	14353175
27.	मिलन मेडिकोज	कालकाजी–I	11441103
		कालकाजी–II	4915730
28.	मोहन संस	चाणक्यपुरी	4829322
29.	मोहित मेडिकल कार्नर	राजौरी गार्डन	15360695
		पश्चिम विहार	12783017
30.	एन.एम. मेडिकल स्टोर	एन्ड्रूजगंज	5224516
		सादीक नगर	9283353
31.	ओबेराय मेडिकोज	पटेल नगर–I	10159754
32.	प्लस पॉइंट	सरोजिनी नगर मार्केट	5850645
33.	प्रकाश मेडिकोज	पालम कालोनी	13811817
		दिल्ली कैंट	5642864
34.	प्रीत मेडि. एंड जनरल स्टोर	पंडारा रोड	7051798
		एफ.ए.पी. पार्लियामेंट हाउस	3104825
		डाक्टर जाकिर हुसैन रोड	7531044
		लैब बिल्स/वैरियस डिस.	1412715
		एम.एस.डी.	1044469
		पी.एच.ए., के.एन.–I	10159754
35.	प्रिंस मेडिकोज	त्रिनगर	4466449
36.	राज मेडिकोज	न्यू राजेन्द्र नगर	11055841
		पूसा रोड	4170981
		करोल बाग	2530419
		देव नगर	3757663
37.	सचदेवा स्टोर	नेताजी नगर	4572749
		नौरोजी नगर	5785792
38.	सचिन मेडि. स्टोर	यमुना विहार	8448864
		शाहदरा	9042604
		विवेक विहार	11044149
		दिलशाद गार्डन	4629597
39.	सतनाम संस	एस.एन. पुरी	12291226
		लाजपत नगर	6137492
		जंगपुरा	2993191
40.	सतनाम संस एजेंसीज	हौज खास	13929779
41.	सेमवाल मेडिकोज	सरोजनी नगर–II	2854783
42.	सेठी मेडिकोज	सब्जी मंडी	6345833
43.	तायल मेडिकोज	जी.के.जी.	7370064
44.	विजय लक्ष्मी मेडि. स्टोर	फरीदाबाद	5820080
45.	विकास कैमिस्ट	इन्द्रपुरी	4763953
46.	रवि मेडिकोज	गुड़गांव	1706314
47.	प्रतीक फार्मा.	रोहिणी	8926219
48.	सुपर मेडिकोज	पीतमपुरा	17830657
49.	मधु मेडिकोज	शकूरबस्ती	9121821
			742163982

1999–2001 से स्थानीय खरीद पर औषधालय व्यय

क्र.सं.	केमिस्ट का नाम	औषधालय	धनराशि (रुपये में) 1999–2000	धनराशि (रुपये में) 2000–2001
1	2	3	4	5
1.	कैलास कैमिस्ट	साउथ एवेन्यू	14698432	4607889
		चाणक्यपुरी	2041715	2960929
		नानकपुरा	3815841	4643163
		आर.के. पुरम–V	3612162	3905881
		आर.के. पुरम–IV	6582077	12326264
2.	कुलदीप मेडिकोज	फरीदाबाद	2894491	3451619
3.	कविता मेडिकोज	काली बाड़ी	5169359	5892872
		करोल बाग	2842706	2367531
4.	सचदेव स्टोर	अलीगंज (लोदी रोड–I)	4399415	3681532
		लक्ष्मीबाई नगर	4077869	
		लोधी रोड–II	4789996	3489118
5.	सतनाम संस	एन्ड्रूज गंज	4072119	5293381
		लाजपत नगर	3856531	5015088
		किदवई नगर	3525973	4992353
6.	बत्रा मेडिकोज	गोल मार्किट–I	6922868	9225508
		सब्जी मंडी	4903083	4697136
		पहाड़गंज	4078883	4533712
		चित्रगुप्ता रोड	6377537	6119288
7.	अजय मेडिकल स्टोर	नोएडा	8122257	11430192
8.	प्रीत मेडिकल एंड जनरल स्टोर	पंडारा रोड	4277343	4765786
		डा. जाकिर हुसैन रोड	4256527	6191936

1	2	3	4	5
		प्रेजीडेंट एस्टेट	3663651	3228655
		मेडि. स्टोर डिपो	1575334	392652
		पा.हा.ए.	2121700	2862826
9.	सतनाम संस एजेंसी	प्रगति विहार	1421085	1658012
		जंगपुरा	1718813	
		सादिक नगर	4278695	4156486
10.	गुप्ता ब्रदर्स	टेलीग्राफ लेन	2074426	2830973
		कांस्टीट्यूशन हाउस	17567988	4704110
11.	मिलन मेडिकोज	पुष्प विहार	3991737	
		हौजखास	6260394	10021584
12.	लाइफ लाइन मेडिकोज	मालवीय नगर	5567274	9305151
13.	इस्सर मेडिकोज	कालकाजी–I	1085464	9845691
		कालकाजी–II	3426917	4013926
14.	मोहन संस	कस्तूरबा नगर–I	1972279	4374473
		सरोजिनी नगर–II	1759608	2899858
		सरोजिनी नगर मार्किट	2255136	3495829
		श्रीनिवासपुरी	6815510	10406924
15.	एन.एम. मेडिकल स्टोर	कस्तूरबा नगर–II	1664849	2414588
16.	गुप्ता मेडिकोज	मोतीबाग	2877634	5362976
		नेताजी नगर	3696059	5152286
		नौरोजी नगर	4315945	4411471
		नार्थ एवेन्यू	10587558	9047215
17.	जासमीन मेडिकोज	मुनिरका	2593630	
18.	अग्रवाल मेडिकोज	एम बी रोड	7456109	
19.	दिनेश मेडिकोज	प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल, आर.के. पुरम		1825800

1	2	3	4	5
		आर.के. पुरम–I	4661192	7538081
		आरे.के. पुरम–II	5428471	6531584
		आर.के. पुरम–III	5965072	7164753
		आर.के. पुरम–IV	4039750	5655530
20.	प्लस प्वाइंट	सरोजिनी नगर–I	2012246	3539322
21.	सतनाम एंड कं.	चांदनी चौक	1647531	1568841
22.	सुपर मेडिकल स्टोर	दरियागंज	2068592	4524633
		मिंटो रोड	5878097	6341274
23.	अंके मेडिकोज	लक्ष्मी नगर	7251145	9471447
		जी.के.जी.	4543245	6040124
		मयूर विहार	8241893	9316034
		यमुना विहार	5007516	8439517
24.	अंगीरा केमिस्ट	पुल बंगस	1967198	2328799
25.	जैन मेडिकोज	राजपुर रोड	1631620	2275584
26.	फ्रैंड्स मेडिकोज	तिमारपुर	4172551	5031424
		किंग्सवे कैंप	3704224	10612999
		तिमारपुर अस्पताल		212491
27.	सचिन मेडिकल स्टोर	विवेक विहार	7204482	9156608
		शाहदरा	5304100	5973740
		गाजियाबाद	3691928	7463122
28.	तायल मेडिकल स्टोर	दिलशाद गार्डन	2439311	4202783
29.	मेडिसीन सेल	अशोक विहार	7727637	8334287
30.	अंकुर मेडिकोज	दिल्ली कैंट	3849497	4496407
31.	अमित मेडिकाज	देवनगर	4233228	4699179

1	2	3	4	5
		पूसा रोड	2048881	2781866
32.	मोहित मेडिकल कार्नर	हरी नगर	6614805	8941861
		सुन्दर विहार	5309223	5318272
33.	अजय मेडिकल स्टोर	नारायणा	2392682	3101158
34.	लाल संस	जनकपुरी–I	17819523	16111281
35.	लाइव एड केमिस्ट	जनकपुरी–II	10489133	10969298
36.	विकास केमिस्ट	इन्द्रपुरी	2926487	3430110
		राजौरी गार्डन	8373893	9816272
37.	संजीव मेडिकोज	नांगल राय	7921669	8033963
38.	ओबेराय मेडिकोज	ईस्ट पटेल नगर–I	4991108	7747658
		न्यू राजेन्द्र नगर	5476722	5915698
39.	भाटिया मेडिकल स्टोर	वेस्ट पटेल नगर (पटेल नगर–II)	3936241	4465750
40.	रवि मेडिकोज	पालम कालोनी	5402309	5722189
		गुडगांव	3248270	5227860
41.	सुपर मेडिकोज	पीतमपुरा	6449056	8299908
42.	गुरु नानक मेडिकल हाल	तिलम नगर	6528168	7420921
43.	मधु मेडिकोज	शकूर बस्ती	5840517	6642093
44.	प्रतीक फार्मा	रोहिणी	5658031	5773342
		पश्चिम विहार	7587239	9871201
45.	प्रिंस मेडिकोज	त्रिनगर	4299097	5324893
46.	सावन मेडिकोज	शकूरबस्ती		
		पीतमपुरा		
		रोहिणी		
			432048359	518964093

[अनुवाद]

गुजरात में समुद्र तटीय राजमार्ग

7327. श्री हरिभाई चौधरी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्थित समुद्र तट से गुजरने वाले राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात तट से गुजरने वाले राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना केवल इस तथ्य पर निर्भर नहीं करता है कि वह समुद्र तट से गुजरती है बल्कि यातायात की आवश्यकता, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ अनेक दूसरे तथ्यों पर भी निर्भर करता है। उपर्युक्त के बावजूद, गुजरात में समुद्र तट पर स्थित लगभग 362 कि.मी. लंबी सड़कों को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

गरीब लोगों का वर्गीकरण

7328. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीब लोगों को दो वर्गों--निर्धन और अतिनिर्धन में वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्गीकरण का आधार क्या है और इनको किस तरह परिभाषित किया गया है; और

(ग) प्रत्येक वर्ग के लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेनों में परिवर्तित किया जाना

7329. श्री अरूण कुमार : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 2001-02 में 4 लेनों में परिवर्तित किया गया है और यह परिवर्तन कहां से कहां तक किया गया;

(ख) वे कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो 4 लेनों में परिवर्तित किए जाने के लिए विचाराधीन हैं और उन्हें कब तक परिवर्तित किया जाएगा; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) उन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है जिन्हें वर्ष 2001-02 में 4 लेन का बनाया गया है।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

उन राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे जिन्हें वर्ष 2001-02 में 4 लेन का बनाया गया

क्र.सं.	राज्य का नाम	रा.रा. संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड
1	2	3	4
1.	छत्तीसगढ़	6	340/40 से 344/80 कि.मी.
2.	गुजरात	8 ए	14/0 से 24/0 कि.मी. और 346/0 से 362/16 कि.मी.

1	2	3	4
		8 बी	160/0 से 175/0 कि.मी.
		14	340/0 से 350/0 कि.मी.
3.	हरियाणा	1	132/0 से 212/2 कि.मी.
		1	29/300 से 44/300 कि.मी. (4 से 6 लेन में परिवर्तित)
		8	36/63 से 107/80 कि.मी.
4.	झारखंड	2	398/75 से 442/00 कि.मी.
5.	कर्नाटक	4	116/0 से 122/0 कि.मी. (सीरा बाइपास)
		7	524/0 से 527/0 कि.मी. और 535/0 से 539/0 कि.मी. (2 से 6 लेन में परिवर्तित)
6.	मध्य प्रदेश	3	227/0 से 229/0 कि.मी., इंदौरा बाइपास (32.60 कि.मी.) और 573/0 से 590/60 कि.मी. (इंदौर–देवास खंड)
7.	महाराष्ट्र	7	9/200 से 22/850 कि.मी. व 22/850 से 36/600 कि.मी.
		3	0/115 से 23/509 कि.मी.
		8	439/0 से 497/0 कि.मी.
8.	उड़ीसा	5	0/0 से 27/800 कि.मी.
9.	पंजाब	1	212/2 से 252/25 कि.मी.
		10	344/54 से 348/55 कि.मी.
10.	राजस्थान	8	107/80 से 162/50 कि.मी.
11.	तमिलनाडु	चेन्नै बाइपास	रा.रा. 45 के 28/0 से रा.रा. 4 का 13/800 कि.मी.
12.	उत्तर प्रदेश	3	8/0 से 24/0 कि.मी.
13.	पश्चिम बंगाल	2	474/0 से 516/0 कि.मी.
		34	329/814 से 332/06 कि.मी.
		35	56/403 से 58/300 कि.मी.

नोट : उपर्युक्त खंडों में 4 लेन बनाने का कार्य 2001–02 से पहले प्रगति पर था और अंततः 2001–02 में पूरा कर लिया गया।

विवरण-II

4 लेन बनाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग

रा.रा. खंड का ब्यौरा	लक्ष्य
(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी)	
(i) स्वर्णिम चतुर्भुज रा.रा. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 60, 76 और 79 का 4772 कि.मी.	दिसंबर, 2003 (काफी हद तक पूरा)
(ii) उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग रा.रा. 1, 1ए, 2, 3, 7, 8ए, 8बी, 14, 15, 25, 26, 28, 31, 31सी, 36, 37, 47, 54, 75 और 76 का 6527 कि.मी.	दिसंबर, 2007
(ख) एनएचडीपी से भिन्न	
(i) राजस्थान में रा.रा. 15 (4 कि.मी.)	मार्च, 2003
(ii) राजस्थान में रा.रा. 12 (3.4 कि.मी.)	मार्च, 2004
(iii) गुजरात में रा. रा. 8ए (3.3 कि.मी.)	मई, 2003
(iv) गुजरात में रा.रा. 8ए (25 कि.मी.)	मार्च, 2004
(v) हरियाणा में रा.रा. 10 (2.7 कि.मी.)	मार्च, 2003
(vi) उत्तर प्रदेश में लखनऊ बाइपास (11 कि.मी.)	अक्टूबर, 2004
(vii) उत्तरांचल में रा.रा. 72 (3 कि.मी.)	सितंबर, 2003
(viii) पंजाब में रा.रा. 10 (1.5 कि.मी.)	मार्च, 2003

[हिन्दी]

बिहार की कृषि और ग्रामीण उद्योग विकास परियोजना

7330. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बिहार में चल रही कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से देश भर में, बिहार राज्य सहित, खादी एवं ग्रामोद्योगों, जिसमें कृषि एवं ग्रामीण उद्योग भी शामिल हैं, के विकास हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, के.वी.आई.सी, 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है, और 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ वर्ग/महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी/संस्थान एवं पहाड़ी सीमा और जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के मामले में, मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30% है। योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों का अंशदान, परियोजना लागत का कम से कम 10% है। अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में लाभार्थियों का अंशदान परियोजना लागत का 5% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और चयन के आधार पर सहकारिता बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजनाओं हेतु शेष फंड्स बैंकों द्वारा आवधिक ऋणों के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, बिहार के संबंध में, खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन एवं सृजित रोजगार का ब्यौरा निम्नोक्त है–

वर्ष	उत्पादन (लाख रु. में)	रोजगार (व्यक्ति लाखों में)
1998–1999	18901.19	3.80
1999–2000	19035.43	3.26
2000–2001	18200.21	2.84

(ग) सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु राज्यों को सीधे फंड जारी नहीं करती है। तथापि, सरकार इस प्रकार के उद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को फंड प्रदान करती है। ये निधियां आवश्यकता के आधार पर जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास हेतु बिहार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संवितरित ऋण एवं अनुदान इस प्रकार हैं–

(रु. लाखों में)

वर्ष	ऋण	अनुदान
1998–99	60.85	1230.49
1999–2000	26.37	349.84
2000–2001	112.72	326.28

केन्द्रीय सड़क निधि का समुचित उपयोग

7331. प्रो. दुखा भगत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि का समुचित उपयोग नहीं किया गया है और इसके अंतर्गत किए गए कार्य भी संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त निधि का समुचित उपयोग तथा इसके अंतर्गत कार्यों का संतोषजनक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि गैर–व्यपगत निधि है। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए जमाराशि और धनराशि के आवंटन का निर्धारण करती है। केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों के लिए अधिकृत आवंटन में से धनराशि आवंटित करती है तथा राज्य सरकारों के प्रस्तावों को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करती है। मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के बाद राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों के लिए परियोजना प्राक्कलन को तकनीकों और वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जाता है और उनके द्वारा कार्य निष्पादित किए जाते हैं। गुणता नियंत्रण और धनराशि का उचित उपयोग राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जमाराशि का एक–तिहाई प्रारंभ में नवंबर, 2000 में जारी किया गया था। तदुपरांत, धनराशि राज्यों द्वारा धनराशि के उपयोग के आधार पर जारी की जाती है। अधिकांश राज्यों ने उन्हें जारी की गई धनराशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया है। कार्यों को शीघ्र पूरा करने और धनराशि का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मुख्य मंत्रियों के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर मामले को उठाया जाता रहा है।

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

7332. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन विशेषतः निधि के दुरुपयोग के कारण असंतोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के मूल्यांकन के कार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा गया है। इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

ग्रामसैट नेटवर्क

7333. श्री वाई. वी. राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासगत अनुप्रयोग हेतु सैटेलाइट पर आधारित एक देशव्यापी ग्रामसैट नेटवर्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के राज्यों में शिक्षा, प्रशिक्षण और विकासात्मक संचार के उद्देश्य से ग्रामसैट नेटवर्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इत्यादि के लिए भी इसी प्रकार के नेटवर्क की योजना बनाई गई है।

इंटरनेट की सुविधा

7334. डा. साहिब सिंह वर्मा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेट विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है; और

(ख) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण इलाकों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, शॉपिंग सेंटरों, औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों और पर्यटक केन्द्रों में अगले 5 वर्षों में इसका उपयोग किस तरह बढ़ाने का सरकार का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां। इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिसमें समस्त विश्व सम्मिलित है। यह एक वास्तविक सूचना भंडार है तथा इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना विश्व में किसी भी एक ही पुस्तकालय में उपलब्ध सूचना से बहुत ज्यादा है। आज विश्वभर में लोग तथा व्यवसाय सूचना की पुनःप्राप्ति के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, विश्वव्यापी स्तर पर व्यवसाय कर सकते हैं तथा ऑनलाइन कई किस्म की सेवाएं तथा संसाधन ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) सरकार ने संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों, स्कूलों, कॉलेजों, खरीदारी केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पर्यटक केन्द्रों में इंटरनेट के इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं। संलग्न विवरण में उल्लिखित अधिकांश कार्यकलाप इंटरनेट के इस्तेमाल में वृद्धि के लिए अगले पांच वर्षों तक जारी रहेंगे।

विवरण

सरकार ने इंटरनेट के इस्तेमाल में वृद्धि करने के लिए नीतिगत तथा मूलसंघरनात्मक सुविधाओं की स्थापना की दृष्टि से कई कदम उठाए हैं, जो नीचे दिए अनुसार हैं :

1. देश में प्रतिष्ठापित इंटरनेट नोडों की संख्या–427
2. देश के सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
3. स्थानीय काल प्रभार पर निकटतम नोड तक इंटरनेट सुविधा ग्राहकों को प्रदान की गई है।
4. इंटरनेट सुविधा का देश के 5625 ब्लॉक मुख्यालयों तक विस्तार किया गया है।
5. शिलौंग, अगरतला, आर.के.पुर, एजवाल, दीमापुर, ईटानगर, पसीघाट, इम्फाल, कोहिमा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गोपेश्वर, सोलन, ऊटी, नामची, गीजिंग, रंगपो आदि जैसे सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट नोड स्थापित किए गए हैं।
6. बीएसएनएल ने फ्रेंचाइज के जरिए स्थापित किए गए इंटरनेट ढाबा योजना के जरिए 3051 इंटरनेट ढाबों को इंटरनेट डायल–अप संपर्क उपलब्ध कराए हैं।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के प्रसार का संवर्धन करने के लिए बीएसएनएल ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबों के लिए इंटरनेट निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है।
8. इंटरनेट ढाबा फ्रेंचाइज भी दलाली के रूप में सार्वजनिक स्विचित टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) अधिगम प्रभार के 25 प्रतिशत के पात्र हैं।
9. पूर्वोत्तर के 487 ब्लॉकों में संचार सूचना केन्द्र (सीआईसी) नेटवर्क की स्थापना इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने के लिए की जा रही है।

10. आईएसपी लाइसेंस एक अत्यंत उदार लाइसेंस है जिसके आईएसपी पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया गया है।

11. सभी तीनों श्रेणियों अर्थात् 'ए', 'बी', 'सी' में सेवा प्रदाताओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

12. विदेशी उपग्रह प्रदाताओं तथा सहयोगकर्त्ताओं के साथ व्यावसायिक समझौता करके आईएसपी को अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

13. रेडियो तथा प्रकाशित तंतु के इस्तेमाल से आईएसपी को अंतिम स्थान अभिगम उपलब्ध कराने की आईएसपी को अनुमति दी गई है।

14. आईएसपी को केबल टीवी मूलसंरचना/प्रचालकों के जरिए आईएसपी सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।

15. सरकार ने देश के राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी) विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।

16. आईएसपी (गेटवे रहित) को स्वतः मार्ग के जरिए 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, अंतराष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने वाले आईएसपी के मामले में यह 74% है।

17. आईएसपी को अलग से अथवा अंतर्राष्ट्रीय समुद्रगत बैंडविड्थ वाहकों के साथ मिलकर समुद्रदलीय केबल अवतरण केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

18. अर्नेट इंडिया, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक संस्था है, भारत में शैक्षणिक एवं अनुसंधान समुदाय को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अर्नेट इंडिया ने भारतीय विश्वविद्यालयों और इंजीनियरी कॉलेजों को इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने के लिए यूजीसी तथा एआईसीटीई के साथ एक समझौता–पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा अर्नेट इंडिया ने देश में उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ स्कूलों में भी इंटरनेट/इंटरानेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए ज्ञानवाहिनी तथा विद्यावाहिनी परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी योजनाएं तैयार की हैं।

19. भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई), जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक संस्था है और जिसके देश भर में 35 केन्द्र हैं, सॉफ्टवेयर उद्योग में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'ए' श्रेणी का इंटरनेट सेवा प्रदाता है।

जॉर्जिया में रेडियोएक्टिव पदार्थों के अवशेषों का पता लगाया जाना

7335. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जॉर्जिया में रेडियोएक्टिव पदार्थों के अवशेषों का पता लगाने के लिए अमेरिका और फ्रांस के परमाणु विशेषज्ञों के साथ काम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही के वर्षों में, जार्जिया में लावारिस विकिरणसक्रिय स्रोत पाए गए हैं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई ए ई ए) ऐसे स्रोतों का पता लगाने के लिए एक व्यापक योजना कर रही है जिनके जार्जिया में विद्यमान होने की आशंका है। जार्जिया, फ्रांस, जापान, रूस, तुर्किस्तान, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमरीका सहित भारत भी इस कार्य में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ सहयोग कर रहा है।

गुजरात में स्वास्थ्य के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन

7336. श्री जी. जे. जावीया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगे गैर–सरकारी संगठनों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को सरकार द्वारा दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संगठनों ने अपना लेखा–जोखा सरकार को पेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मंत्रालयों का पुनर्गठन

7337. श्री जे. एस. बराड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजीकरण, विनियंत्रण और कम्प्यूटरीकरण के मद्देनजर मंत्रालयों/विभागों के कार्यों में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खर्च में कटौती करने हेतु उनकी संख्या को कम करने के लिए विभागों/मंत्रालयों का पुनर्गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस बारे में सूचना एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) मंत्रालयों और विभागों का पुनर्गठन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार के कार्य–निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सरकार के कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में किए जाने वाले कार्यों को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए किसी भी समय विशेष पर मंत्रालयों/विभागों की संख्या सरकार की प्रशासनिक सुविधा पर आधारित होती है।

सरकार स्थापना संबंधी व्यय को कम करने की आवश्यकता को समझती है और इस बारे में पिछले कुछ समय में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक वर्ष में होने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों की भर्ती को एक–तिहाई तक सीमित करने के संबंध में 16 मई, 2001 को अनुदेश जारी किए हैं जिसमें आगे यह भी एक सीमा रखी गई है कि यह संख्या किसी मंत्रालय/विभाग के कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा गठित व्यय सुधार आयोग ने 10 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आकार को ठीक करने/पुनर्गठन करने के बारे में उसकी सिफारिशें दी गई हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करें। आयोग की सिफारिशों के आधार पर अब तक लगभग 17,200 पद समाप्त कर दिए गए हैं/समाप्त करने हेतु चिन्हित कर लिए गए हैं।

(iii) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को वर्ष 1999 में अनुदेश जारी किए थे जिनमें उनसे अन्य बातों के साथ–साथ यह अनुरोध किया गया है कि वे जो पद खाली पड़े हैं, उन सभी पदों की वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके समीक्षा करें। इन अनुदेशों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जब तक समीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कोई भी खाली पद नहीं भरा जाएगा।

क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

7338. श्री अम्बरीश :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन–किन राज्यों में क्षय रोगियों की संख्या अधिकतम है;

(ख) क्या कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार करने तथा इसके लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए केन्द्र सरकार को एक विस्तृत परियोजना संबंधी प्रस्ताव पेश किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) क्षयरोग मुख्य रूप से हवा द्वारा फैलता है। देश भर में क्षयरोग के होने की घटनाएं कमोवेश समान हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य अपने सभी जिलों को संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने का अनुरोध करते रहते हैं।

(घ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम देश भर में 1962 से चलाया जा रहा है। नए स्पूटम पॉजीटिव रोगियों में 85 प्रतिशत की स्वस्थता दर प्राप्त करने तथा ऐसे रोगियों के 70 प्रतिशत का पता लगाने के लिए एक संशोधित कार्यनीति (संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम), जिसे व्यापक रूप से डॉट्स के रूप में जाना जाता है, चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए 1997 में आरंभ की गई थी। आरंभ में 271 मिलियन जनसंख्या को इस कार्यनीति के अंतर्गत लाने का अनुमोदन किया गया था जबकि लगभग 460 मिलियन जनसंख्या को कवर किया जा चुका है। वर्ष 2004 तक 800 मिलियन जनसंख्या को संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2005 तक सारे देश को संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत लाने की परिकल्पना की गई है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के राज्यवार विस्तार को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या (मिलियन)	कुल जिलों की संख्या	अनुमोदित सं.रा.क्ष.रो. नि.का. (मिलियन)	अनुमोदित सं.रा.क्ष.रो. नि.का. जिले	सं.रा.क्ष.रो. नि.का. कार्यान्वित करने वाली जनसंख्या	सं.रा.क्ष.रो. नि.का. कार्यान्वित करने वाले जिलों की संख्या	सं.रा.क्ष.रो. नि.का. के लिए अभी अनुमोदित न की गई जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0.4	2	0.3	1	0	0	0.1
2.	आंध्र प्रदेश	75.7	23	75.7	23	25.5	8	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.1	13	1.1	13	0	0	0
4.	असम	27.2	23	11.9	9	1.2	1	15.3
5.	बिहार	82.9	38	24.6	8	11.2	3	58.3
6.	चंडीगढ़	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	छत्तीसगढ़	20.8	16	9.1	4	0.0	0	11.7
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0.2	1	0	0		0	0.2
9.	दमन व दीव	0.2	2	0	0		0	0.2
10.	दिल्ली	13.8	9	13.8	9	13.8	9	0.0
11.	गोवा	1.3	2	1.3	2	0	0	0.0
12.	गुजरात	50.6	25	50.6	25	47.81	23	0.0
13.	हरियाणा	21.1	19	7.6	5	5.1	3	13.5
14.	हिमाचल प्रदेश	6.1	12	6.1	12	6.1	12	0.0
15.	जम्मू व कश्मीर	10.1	14	6.3	7	0.0	0	3.7
16.	झारखंड	26.9	18	11.5	8	4.9	2	15.41
17.	कर्नाटक	52.7	27	47.3	22	21.8	10	5.41
18.	केरल	31.8	14	31.8	14	31.8	14	0.0
19.	लक्षद्वीप	0.1	1	0.1	1	0.0	0	0.0
20.	मध्य प्रदेश	60.4	45	45.5	34	9.5	5	14.9
21.	महाराष्ट्र	96.8	35	96.8	35	69.8	21	0.0
22.	मणिपुर	2.4	9	2.4	9	2.4	9	0.0
23.	मेघालय	2.3	7	1.6	4	0.0	0	0.7
24.	मिजोरम	0.9	8	0.8	7	0.0	0	0.1
25.	नागालैंड	2.0	8	2.0	8	0.0	0	0.0
26.	उड़ीसा	36.7	30	13.9	14	10.8	10	22.8
27.	पांडिचेरी	1.0	4	0.7	1	0.0	0	0.2
28.	पंजाब	24.3	17	14.8	9	1.8	1	9.5
29.	राजस्थान	56.4	32	56.4	32	56.4	32	0.0
30.	सिक्किम	0.5	4	0.5	4	0.5	4	0.0
31.	तमिलनाडु	62.1	30	62.1	30	62.1	30	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	त्रिपुरा	3.2	4	2.3	2	0.0	0	0.9
33.	उत्तर प्रदेश	166.1	70	107.7	39	20.6	8	58.4
34.	उत्तरांचल	8.5	13	1.9	2	0	0	6.6
35.	पश्चिम बंगाल	80.2	19	80.2	19	60.0	12	0.0
	कुल	1027.5	595	789.6	411	461.1	218	238

*संपूर्ण उड़ीसा को जानिडा द्वारा सहायता मिलने की संभावना है।

पश्चिमी घाट का विकास

7339. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा आज तक कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इस विकास कार्यक्रम पर वास्तविक रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम में प्रगति धीमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम पांच राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गोवा के पश्चिमी घाट क्षेत्र के विशिष्ट तालुकों को कवर करते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है। पारिस्थितिकी विकास और पारिस्थितिकी पुनःस्थापन तथा लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, चारा, ईंधन और सुरक्षित पेयजल की सर्वोपरि अग्रताओं को ध्यान में रखते हुए सघन जलसंभर आधार पर एकीकृत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से कार्यक्रम के लिए अनुमोदित आवंटन और उसकी तुलना में सूचित व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। जैसा कि विवरण से देखा जा सकता है कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित व्यय आवंटन का 97.50% रहा है।

विवरण

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत इसके प्रारंभ से विशेष केन्द्रीय सहायता का योजनावार अनुमोदित आवंटन तथा व्यय

(रुपये करोड़ में)

योजना	आवंटन	व्यय
पांचवीं योजना (1974–1979)	19.92	18.25
छठी योजना (1980–1985)	76.26	74.99
सातवीं योजना (1985–1990)	144.44	138.65
1990–91	37.81	37.06
1991–92	37.81	36.82
आठवीं योजना (1992–1997)	214.99	213.23
नौवीं योजना (1997–2002)	302.79	294.10**
कुल	834.02	813.20

**पूर्वानुमानित व्यय

एफ बी आई से जांच

7340. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेजल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन भारत में हुए अपरोधों की जांच कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस समय भारत में एफ बी आई के कितने अधिकारी और कर्मचारी पदस्थापित हैं;

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों के भारत में पदस्थापना से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका के दूतावास में विधिक अताशे कार्यालय, जिसमें एफ बी आई अधिकारी हैं, सरकार द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के अनुसार भारत में किए गए अपराधों की छानबीन स्वतंत्र रूप से नहीं करता है।

(ग) नई दिल्ली स्थिति अमरीकी दूतावास में विधिक अताशे कार्यालय में दो एफ बी आई अधिकारी हैं।

(घ) और (ङ) भारत में ऐसे अधिकारियों की तैनाती भारत स्थित विदेशी मिशन के राजनयिक अधिकारियों की तैनाती और प्रत्यायन के लिए मानक राजनयिक प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है।

भारत-नेपाल व्यापार समझौता

7341. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने वर्तमान व्यापार समझौते का नवीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह समझौता वर्ष 1996 के समझौते से किस प्रकार भिन्न है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) भारत–नेपाल व्यापार संधि का नवीकरण मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किए बिना संधि के प्रोतोकोल में पारस्परिक रूप से स्वीकृत संशोधनों के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए 2 मार्च, 2002 को किया गया था।

संशोधित व्यापार संधि में प्रथम वर्ष के लिए 25% न्यूनतम घरेलू मूल्य तत्पश्चात् 30% वर्द्धन का निर्धारण किया गया है। वनस्पति, एक्रिलिक तागा, ताम्र उत्पाद और जिंक आक्साइड के निःशुल्क आयात हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है ताकि भारतीय उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत को नेपाल द्वारा मौजूदा रूप से किए जा रहे निर्यात में विघ्न न पड़े। इन वस्तुओं के निर्यात पर एम एफ एन आधार पर कोई सीमा नहीं है।

राज्यीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला जाना

7342. श्री अनन्त नायक : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के राज्यीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए;

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा क्या विशेष अनुरोध किए गए;

(ग) क्या उड़ीसा की फुलनखारा–पुरी सड़क इन प्रस्तावों में एक है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) सरकार को नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए विभिन्न राज्यों से लगभग 49,500 कि.मी. लंबाई हेतु 307 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) उड़ीसा राज्य से लगभग 2100 कि.मी. लंबाई के लिए 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इन प्रस्तावों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों, यातायात की आवश्यकता और परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए धनराशि की उपलब्धता के आधार पर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्ताव के साथ विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में कार्य संबंधी पैकेज

7343. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिए गए कार्य संबंधी पैकेजों तथा पैकेज संबंधी कार्यों के राजमार्ग–वार सफल बोलीदाताओं, पूर्व–पश्चिम कॉरीडोर परियोजनाओं तथा स्वर्ण चतुर्भुज परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कुछेक उन ठेकेदारों को इस कार्य से वंचित रखने का फैसला किया है जिन्हें पहले चार लेनों वाली सड़कें बनाने का ठेका दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मैसर्स पी टी सुंबर मित्र जया को संविदा शर्तों का पालन न करने के कारण किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से अक्टूबर, 2001 में रोक दिया गया है।

विवरण

पूर्व–पश्चिम महामार्ग परियोजना और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के लिए अब तक निविदत्त कार्य पैकेजों और सफल निविदादाताओं के ब्यौरे

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना (पूरे किए गए खंड)

क्र.सं.	खंड	रा.रा.	लंबाई	राज्य	ठेकेदार का नाम
1.	बरवा अड्डा–बाराकर 398.75 कि.मी.–422 कि.मी.	2	43.00	झारखंड	बी एस सी–आर बी एम–पी ए टी आई (सं.उ.)
2.	रानीगंज–पानागढ़ 745 कि.मी.–517 कि.मी.	2	42.00	पश्चिम बंगाल	बी एस सी–आर बी एम–पी ए टी आई (सं.उ.)
3.	सिरा बाइपास 122 कि.मी.–116 कि.मी.	4	5.80	कर्नाटक	मेटस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
4.	विजयवाड़ा–राजामुंदरी खंड (इलूरू के पास) 75 कि.मी..–80 कि.मी.	5	5.00	आंध्र प्रदेश	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.
5.	गुड़गांव–कोटपुतली 36–162 कि.मी.	8	126.00	हरियाणा (55)/ राजस्थान (71)	बी एस सी–आर बी एम–पी ए टी आई (सं.उ.)
6.	जयपुर बाइपास चरण–I 283–297 कि.मी.	8	14.00	राजस्थान	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
7.	किशनगढ़ में आर ओ बी	8	1.00	राजस्थान	मै. एमएसके (प्रोजेक्ट) प्रा.लि. बड़ोदरा

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना (चालू कार्य)

क्र.सं.	खंड	रा.रा.	लम्बाई	ठेकेदार का नाम
1	2	3	4	5
1.	आगरा–शिकोहाबाद 199.66–250.50 कि.मी. आगरा–सिकंदरा का ठेका 1ए उत्तर प्रदेश	2	51	मै. ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स लि. गेमन
2.	शिकोहाबाद–इटावा 250.5–307.5 कि.मी. आगरा–सिकंदरा का ठेका 1बी उत्तर प्रदेश	2	59	चाइना कोल लि.
3.	इटावा बाइपास 307.5–321.1 कि.मी. उत्तर प्रदेश	2	14	भागीरथ इंजीनियरिंग इंडिया एंड अश्वनी कंस्ट्रक्शन कंपनी (सं. उ.)
4.	इटावा–राजपुर 321.1–393 कि.मी. आगरा–सिकंदरा का ठेका 1सी उत्तर प्रदेश	2	73	मै. पी ए ओ आई–बी ई एल
5.	सिकंदरा–भौंटी 393–470 कि.मी. एम डी आर के जरिए मार्ग 16 कि.मी. छोटा सिकंदरा–खागा खंड का ठेका II ए उत्तर प्रदेश	2	62	आई टी थाई एंड सोमदत्त बिल्डर्स इंडिया (सं. उ.)
6.	कानपुर–फतेहपुर 470–483 कि.मी. (0) 0–38 कि.मी. सिकंदरा–खागा का ठेका II बी उत्तर प्रदेश	2	51	मै. सोमदत्त–एन सी सी–एन ई सी (सं. उ.)
7.	फतेहपुर–खागा 38–115 कि.मी. सिकंदरा–खागा का ठेका II सी उत्तर प्रदेश	2	76	सेंट्रोडोरस्ट्रोय रसिया
8.	खागा–कोखराज 115–158 कि.मी. खागा–वाराणसी खंड का ठेका III ए उत्तर प्रदेश	2	43	इरकान इंटरनेशनल लि.

1	2	3	4	5
9.	हंडिया–वाराणसी 245–317 कि.मी.. खागा–वाराणसी खंड का ठेका III सी उत्तर प्रदेश	2	43	सेट्रोडोरस्ट्रो रसिया
10.	वाराणसी–मोहनिया 317–329 (0) कि.मी. 0–65 कि.मी. वाराणसी–औरंगाबाद का ठेका IV ए उत्तर प्रदेश	2	76	मै. पी सी एल–सनकान (सं. उ.)
11.	मोहनिया–सासाराम 65–110 कि.मी. वाराणसी–औरंगाबाद खंड का ठेका IV बी बिहार	2	45	एल जी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि.
12.	सासाराम–डिहरी–ओन–सोन 110–140 कि.मी. वाराणसी–औरंगाबाद खंड का ठेका IV सी बिहार	2	30	मै. सोमदत्त–एन सी सी (सं. उ.)
13.	डिहरी–ओन–सोन औरंगाबाद 140–180 कि.मी. वाराणसी–औरंगाबाद खंड का ठेका IV डी बिहार	2	40	सांगयांग कोरिया–ओरियंटल एस ई इंडिया
14.	औरंगाबाद–बाराचट्टी 180–240 कि.मी. औरंगाबाद–बरवाअड्डा का ठेका V ए बिहार	2	60	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लि. एंड गेमन इंडिया लि.
15.	राजगंज–बाराकाटा 240–320 कि.मी. औरंगाबाद–बरवाअड्डा का ठेका V बी बिहार (10)/झारखंड (70)	2	80	मै. एल एंड टी–एच सी सी (सं. उ.)
16.	गोरहर–बरवाअड्डा 320–398.75 कि.मी. औरंगाबाद–बरवाअड्डा का ठेका V सी झारखंड	2	78.75	प्रोग्रसिव कंस्ट्रक्शन लि. एंड सनवे कंस्ट्रक्शन (जेवी)

1	2	3	4	5
17.	पानागढ़–पालसित 517–581 कि.मी. पश्चिम बंगाल	2	65	गमुडा मलेशिया–डब्ल्यू एल टी मलेशिया
18.	पालसित–धनकुनी 581–666 कि.मी. (दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग) पश्चिम बंगाल	2	65	कंशोशियम ऑफ गमुडा (मलेशिया) एंड डब्ल्यू सी टी इंजीनियरिंग (मलेशिया)
19.	विवेकानंनद पुल और पहुंच मार्ग पश्चिम बंगाल	2	6	एसवीवीटी कंशोशियम ऑफ ए आई डी सी ग्रुप (यूएसए) एसटीआरएडसी (फिलीपिंस) एल एंड टी इंडिया
20.	पश्चिमी विपथन 868–834 कि.मी. पुणे बाइपास महाराष्ट्र	4	34.25	अशोका कंस्ट्रक्शन एंड बिड़ला जी टी एम
21.	कटराज–सरोल 825.5–797 कि.मी. पुणे–सतारा का ठेका III महाराष्ट्र	4	4	सतव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. एंड देना रेहसाज
22.	कटराज पुर्नसंरेखण बाइपास का 825–30 कि.मी.. पुणे–सतारा का ठेका III महाराष्ट्र	4	9	मै. शक्ति कुमार एम संचेती लि.
23.	सरोल–बाथर 773–781 कि.मी. को छोड़कर 797–760 कि.मी.. पुणे–सतारा का ठेका III महाराष्ट्र	4	28	बिड़ला जी टी एम इंट्रीपोज लि. एंड बी जी श्रीक कंस्ट्रक्शन टेक. लि.
24.	बाथर–सतारा 760–725 कि.मी. पुणे–सतारा का ठेका I महाराष्ट्र	4	35	स्कांस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.
25.	सतारा–कागल 725–792 कि.मी. सतारा–महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा महाराष्ट्र	4	133	एम एस आर डी सी

1	2	3	4	5
26.	महाराष्ट्र सीमा–बेलगाम 592–515 कि.मी. महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा–हावेरी कर्नाटक	4	77	कंशोशियम ऑफ आई एल एंड एफ एस–पुंज लायड–सीटी एन एल
27.	बेलगाम बापास 515–495 कि.मी. हावेरी–महाराष्ट्र सीमा खंड कर्नाटक	4	18	सनवे कंस्ट्रक्शन बरहद ए आर एन सेट्टी एंड कंपनी
28.	बेलगाम–धारवाड़ 495–433 कि.मी. महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा–हावेरी कर्नाटक	4	62	सनवे कंस्ट्रक्शन बरहद ए आर एन सेट्टी एंड कंपनी
29.	हुगली–हावेरी 404–340 कि.मी. महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा–हावेरी का ठेका कर्नाटक	4	64	एफकॉन्स–एपिल (सं. उ.)
30.	हावेरी–हरिहर 340–284 कि.मी. हावेरी–तुमकुर का ठेका V कर्नाटक	4	56	यु इ एम–इस्सार (सं. उ.)
31.	हरिहर–चित्रदुर्ग 284–207 कि.मी. हावेरी–तुमकुर का ठेका IV कर्नाटक	4	77	यु इ एम–इस्सार (सं. उ.)
32.	चित्रदुर्ग बाइपास 207–189 कि.मी. हावेरी–तुकुर का ठेका III कर्नाटक	4	18	पोलोमाइड–अलसुदर्शन (सं. उ.)
33.	चित्रदुर्ग–सिरा 189–122.3 कि.मी. हावेरी–तुमकुर का ठेका II कर्नाटक	4	66.7	यु इ एम–इस्सार (सं. उ.)
34.	सिरा–तुमकुर 116.4–74 कि.मी. हावेरी–तुमकुर का ठेका I कर्नाटक	4	41.4	लार्सन एंड टर्बो

1	2	3	4	5
35.	तुमकुर बाइपास 75–82 कि.मी. कर्नाटक	4	13	ए एल सुदर्शन एंड कंपनी
36.	तुमकुर–नीलमंगला 62–30 कि.मी. कर्नाटक	4	32	जायसवाल–नीको
37.	बालेजा पथ–कांचीपुरम 106.4–70.2 कि.मी. कृष्णागिरि–रानीपेट–चेन्नई का ठेका II तमिलनाडु	4	36.2	लार्सन एंड टर्बो
38.	कांचीपुरम–पुनामाली 70.2–13.8 कि.मी. कृष्णागिरि–रानीपेट–चेन्नई का ठेका I तमिलनाडु	4	56.4	एफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
39.	कृष्णागिरि–बनियामबाड़ी 0.0–49.0 कि.मी. कृष्णागिरि–रानीपेट–चेन्नई का ठेका V तमिलनाडु	46	49	पटेल के एन आर
40.	बनियामबाड़ी–पल्लीकोंडा 49.0–100.0 कि.मी. कृष्णागिरि–रानीपेट–चेन्नई का ठेका IV तमिलनाडु	46	51	संस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.
41.	पल्लीकोंडा–रानीपेट और बालेजा पेट बाइपास 100.0–145.0 कि.मी. कृष्णागिरि–रानीपेट–चेन्नई का ठेका III तमिलनाडु	46	45	संस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.
42.	बालासोर–भद्रक (ओ आर–III) 136.5–199.14 कि.मी. बालासोर–चंडीखोल का ठेका II उड़ीसा	5	62.64	ई एल एस एम ई एक्स–टी डब्ल्यू एस–एस एन सी (सं.उ.)
43.	भद्रक–चंडीखोल (ओ आर–II) 61–136 कि.मी. बालासोर–चंडीखोल का ठेका II उड़ीसा	5	75	लार्सन एंड टर्बो

1	2	3	4	5
44.	पुल खंड (ओ आर–V) 199–61 कि.मी. बालासोर–चंडीखोल का ठेका III उड़ीसा	5		गेमन इंडिया लि.
45.	चंडीखोल–जगतपुर 28–61 कि.मी. उड़ीसा	5	33	के एम सी कंस्ट्रक्शन लि.
46.	भुवनेश्वर–खुर्दा (ओर आर–I) 387.7–418 कि.मी. उड़ीसा	5	30	गेमन अटलांटा
47.	खुर्दा–सुनहाला (ओ आर–VI) 387.7–335.642 कि.मी. खुर्दा शहर–इच्छापुरम का ठेका I उड़ीसा	5	52.058	एस एन जे–आर के डी–एस डी (सं.उ.)
48.	सुनहाला–गंजम (ओ आर–VII) 338–283 कि.मी. खुर्दा शहर–इच्छापुरम का ठेका II उड़ीसा	5	55	प्रोग्रेसिव सिटको
49.	गंजम–इच्छापुरम (ओ आर–VIII) 284–233.2 कि.मी. खुर्दा शहर–इच्छापुरम का ठेका III उड़ीसा	5	50.8	बूमी–हाइवे–डी डी वी एल
50.	इच्छापुरम–कोरलाम (एपी 4 बी) 233–200 कि.मी. इच्छापुरम–विशाखापत्तनम का ठेका I बी आंध्र प्रदेश	5	33	संस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.
51.	कोरलाम–पालसा (एपी 4ए) 200–171 कि.मी. इच्छापुरम–विशाखापत्तनम का ठेका I ए आंध्र प्रदेश	5	29	संस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.
52.	पालसा–श्रीकाकुलम (एपी–2) 171–97 कि.मी. इच्छापुरम–विशाखापत्तनम का ठेका II आंध्र प्रदेश	5	74	एस पी सी एल–आई वी आर सी एल

1	2	3	4	5
53.	श्रीकाकुलम–चंपावती (एपी 1) 97–49 कि.मी. इच्छापुरम–विशाखापत्तनम का ठेका III आंध्र प्रदेश	5	48	यू वन महरिया
54.	चंपावती–विशाखापत्तनम (एपी 3) 49–2.8 कि.मी. इच्छापुरम–विशाखापत्तनम का ठेका IV आंध्र प्रदेश	5	46.2	यूनिटेक–एन सी सी (सं. उ.)
55.	पुल खंड (एपी 6) 233–98 कि.मी. श्रीकाकुलम–इच्छापुरम आंध्र प्रदेश	5		प्रसाद एंड एस ई डब्ल्यू (सं. उ.)
56.	पुल खंड (एपी 5) 98–2.8 कि.मी. इच्छापुरम–विशाखापत्तनम का ठेका VI आंध्र प्रदेश	5		नवयुग इंजी. लि.
57.	अनाकपल्ली–तुनी 359–300 कि.मी. आंध्र प्रदेश	5	59	जी एम आर कंसोटियम
58.	तुनी–धरमावरम 300–253 कि.मी. तुनी–राजमुंदरी का ठेका–I आंध्र प्रदेश	5	47	कंसोरटियम ऑफ गेमन–पूंज ल्याइड
59.	धरमावरम–राजमुंदरी 253–200 कि.मी. तुनी–राजमुंदरी का ठेका II आंध्र प्रदेश	5	53	कंसोरटियम ऑफ गेमन–पूंज लाइड
60.	विवनचेरू (राजमुंदरी के पास)– गोथामी (एपी 17) 200-164.5 कि.मी. राजमुंदरी–इलूरू का ठेका I आंध्र प्रदेश	5	35.5	पूंज लाइड लि.

1	2	3	4	5
61.	पुल खंड (एपी 19) 162–200 कि.मी. वी–वी खंड आंध्र प्रदेश	5	0	लार्सन एंड टर्बो लि.
62.	गोथामी–गुंडु गोलानु (एपी 18) 164.5–80 कि.मी. राजमुंदरी–इलूरू का ठेका–II आंध्र प्रदेश	5	84.5	लीमक–सोमा (स.उ.)
63.	पुल खंड (एपी 20) 80–162 कि.मी. वी–वी खंड आंध्र प्रदेश	5	0	लार्सन एंड टर्बो लि.
64.	इलूरू–विजयवाड़ा 75–3.4 कि.मी. आंध्र प्रदेश	5	72	मधुकॉन–बीनापुरी
65.	विजयवाड़ा–चिलकालूरीपेट पैकेज–I 355–380 कि.मी. आंध्र प्रदेश	5	25	आई जे एम–गायत्री
66.	विजयवाड़ा–चिलकालूरीपेट पैकेज–II 380–396.8 कि.मी. गुंटूर बाइपास (0–15.2 कि.मी.) सहित आंध्र प्रदेश	5	32	आई जे एम–गायत्री
67.	विजयवाड़ा–चिलकालूरीपेट पैकेज–II 380–396.8 कि.मी. गुंटूर बाइपास (0–15.2 कि.मी.) सहित आंध्र प्रदेश	5	23.78	आई जे एम–गायत्री
68.	विजयवाड़ा–चिलकालूरीपेट पैकेज–IV 10.8–13.68 कि.मी. (1792 मी. कृष्ण पुल + 1095 मी. पहुंच सड़क) आंध्र प्रदेश	5	2.88	यू पी एस बी सी
69.	चिलकालूरीपेट–ऑनगोले (एपी 13) 357.9–291 कि.मी. चिलकालूरीपेट–नेल्लौर का ठेका । आंध्र प्रदेश	5	66.9	आई जे एम–गायत्री

1	2	3	4	5
70.	ऑनगोले–कावली (एपी 12) 291–222 कि.मी. चिलकालूरीपेट–नेल्लौर का ठेका ॥ आंध्र प्रदेश	5	69	एच ओ–एच यू पी–सिमप्लैक्स (सं.उ.)
71.	कावली–नेल्लौर (एपी 11) 222–178 कि.मी. चिलकालूरीपेट–नेल्लौर का ठेका–III आंध्र प्रदेश	5	44	के एन आर पटेल (सं.उ.)
72.	नेल्लौर बाइपास 178.2–161 कि.मी. आंध्र प्रदेश	5	17.2	कंसोटियम ऑफ सोमा इंटरप्रा. एंड नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लि.
73.	नेल्लौर–डाटा 163.6–52.8 कि.मी. नेल्लौर–चेन्नै खंड आंध्र प्रदेश	5	111	सी आई डी बी, मलेशिया
74.	टाडा–चेन्नै (टी एन–1) 52.80–11 कि.मी. नेल्लौर–चेन्नै का ठेका ॥ तमिलनाडु	5	41.8	लार्सन एंड टर्बो लि.
75.	धनकुनी–कोलाघाट (डब्ल्यू बी 1) 17.6–72 कि.मी. धनकुनी–खड़गपुर का ठेका । पश्चिम बंगाल	6	54.4	आर बी एम–पी ए टी आई (सं.उ.)
76.	कोलाघाट–खड़गपुर (डब्ल्यू बी ॥) 72–136 कि.मी. धनकुनी–खड़गपुर का ठेका ॥ पश्चिम बंगाल	6	64	हिंदुस्तार कंस्ट्रक्शन कंपनी
77.	पुल खंड (डब्ल्यू बी III) कुल खंड 17.6–136 कि.मी. धनकुनी–खड़गपुर खंड का ठेका III पश्चिम बंगाल	6	1.732	भागीरथ इंजीनियरिंग लि.
78.	खड़गपुर–लक्ष्मीनाथ (डब्ल्यू बी 4) 53.41–119.275 कि.मी. खड़कपुर–बालासोर का ठेका–। पश्चिम बंगाल	60	65.86	बी. सीनैया कंपनी लि.

1	2	3	4	5
79.	लक्ष्मीनाथ–बालेश्वर (ओ आर 4) 0–53.41 कि.मी. खड़गपुर–बालासोर खंड का ठेका II उड़ीसा	60	63041	लार्सन एंड टर्बो लि.
80.	पुल खंड (ओ आर/डब्ल्यू बी 1) 0–119.275 कि.मी. खड़गपुर–बालासोर खंड का ठेका III उड़ीसा	60		गेमन इंडिया लि.
81.	होसूर–कृष्णागिरि 48.6–94.0 कि.मी. उत्तर–दक्षिण महामार्ग के साथ समान तमिलनाडु	7	46.6	शक्ति कुमार संचेती लि. एंड भोला सिंह जयप्रकाश (सं.उ.)
82.	चित्तौड़गढ़–मंगालवर 220–172 कि.मी. किशनगढ़–उदयपुर का ठेका V पूर्व–पश्चिम महामार्ग के साथ समान राजस्थान	76	48	मधुकॉन–बीनापुरी (सं.उ.)
83.	मंगालवर–उदयपुर 172–113.825 कि.मी. किशनगढ़–उदयपुर का ठेका VI पूर्व–पश्चिम महामार्ग के साथ समान राजस्थान	76	58.175	साधव–प्रकाश (सं.उ.)
84.	नसीराबाद–गुलाबपुरा 15–70 कि.मी. किशनगढ़–उदयपुर का ठेका II राजस्थान	79	55.87	पुंज लाइड लि.–प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.
85.	गुलाबपुरा–भीलवाड़ा बाइपास 15–70 कि.मी. किशनगढ़–उदयपुर का ठेका II राजस्थान	79	50	ई सी एस बी–जे एस आर सी (सं.उ.)
86.	भीलवाड़ा बाइपास–चित्तौड़गढ़ 120–183 कि.मी. किशनगढ़–उदयपुर का ठेका IV राजस्थान	79	66	बी सीनैया एंड कंपनी (प्रोजेक्ट्स) लि.

1	2	3	4	5
87.	किशनगढ़–नसीराबाद 263.9 (रा.रा. 8)–15 (रा.रा. 79) कि.मी. किशनगढ़–उदयपुर का ठेका । राजस्थान	79ए	36.23	सदभाव इंजीनियरिंग लि.
88.	जयपुर बाइपास चरण–II 221 (रा.रा. 8)–246 (रा.रा. 11) कि.मी. चांदबाजी (दिल्ली–जयपुर सड़क)– हरमारा (जयपुर–सीकर सड़क) राजस्थान	8	34.7	पुंज लाइड लि.–प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. (सं.उ.)
89.	महपुरा (किशनगढ़ के पास)–किशनगढ़ 273.5–363.885 कि.मी. राजस्थान	8	90.3 8	कंसोरटियम ऑफ जी वी के–बी एस सी पी एल
90.	उदयपुर–केसरिया जी 278–340 कि.मी. उदयुपर–रतनपुर–चिलोड़ा (अहमदबाद के पास) का ठेका । राजस्थान	8	62	के एम सी कंस्ट्रक्शन लि.
91.	केसरियाजी–रतनुपर 340–388.4 कि.मी. उदयपुर–रतनुपर–चिलोड़ा (अहमदाबाद के पास) का ठेका II राजस्थान	8	48.4	गायत्री–रंजीत (सं.उ.)
92.	रनतुपर–हिम्मतनगर 388–443 कि.मी. उदयपुर–रतनुपुर–चिलोड़ा (अहमदाबाद (के पास) का ठेका III गुजरात	8	54.6	मुदजया–आई आर बी
93.	हिम्मतनगर–चिलोड़ा (अहमदाबाद के पास) 443–495 कि.मी. उदयपुर–रतनुपर–चिलोड़ा (अहमदाबाद के पास) का ठेका IV गुजरात	8	52	मुदजया–आई आर बी
94.	अहमदाबाद–बड़ोदरा एक्सप्रेसमार्ग चरण–I 0.0–43.4 कि.मी. गुजरात	8	43.4	पी टी सुंबर मित्रजया

1	2	3	4	5
95.	अहमदाबाद–बड़ोदरा एक्सप्रेसमार्ग चरण II 43.3 (नादियाड–डकोर रा.रा.)– 93.302 कि.मी. गुजरात	8	50	एल जी इंजीनियरिंगि एंड कंस्ट्रक्शन कंपी एंड नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लि.
96.	सूरज (चलथन)–अतूल 263.4–343 कि.मी. सूरत–मनोर का ठेका I गुजरात	8	79.6	एस के ई सी–दोदसाल
97.	अतूल–कैजाली 343–381.6 कि.मी. सूरत–मनोर का ठेका II गुजरात	8	38.6	एल जी कंस्ट्रक्शन–पटेल इंजीनियरिंग
98.	कैजाली–मनोर 381.6–439 कि.मी. सूरत–मनोर का ठेका III महाराष्ट्र	8	57.4	लासई एंड टर्बो
	पूर्व-पश्चिम महामार्ग (चरण-I)			
99.	पालनपुर के पास आबू रोड–दिशा खंड (ई डब्ल्यू/1) 340–350 कि.मी. (पूर्ण) गुजरात	14	10.00	दिनेश चंद्र आर अग्रवाल
100.	लखनऊ–कानपुर खंड (ई. डब्ल्यू/2) 11.38–21.8 कि.मी. उत्तर प्रदेश	25	10.42	विलायती राम मित्तल
101.	लखनऊ–कानपुर (ई डब्ल्यू/3) 59.5–75.5 कि.मी. उत्तर प्रदेश	25	16	राणा प्रोजेक्ट्स इंट लि.
102.	पूर्णिया–गयाकोटा (ई डब्ल्यू/4) 410–419 कि.मी. और 470– 476.15 कि.मी. बिहार	31	15.15	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.
103.	डलखोला–इस्लामपुर (ई डब्ल्यू/5) 447–470 कि.मी. पश्चिम बंगाल	31	23	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.

1	2	3	4	5
104.	डलखोला–इस्लामपुर उप खंड (ई डब्ल्यू/6) 476.15–500 कि.मी. पश्चिम बंगाल	31	23.85	लैंको कंस्ट्रशन लि.
105.	गुवाहाटी बाइपास (ई डब्ल्यू/7) 156–163.895 कि.मी. असम	37	7.9	बलीचा इंजीनियरिंग लि.
106.	पालनपुर–डिशा (ई डब्ल्यू/11/जी जे) 350–370.70 कि.मी. गुजरात	14	22.7	दिनेश चंद्र आर अग्रवाल
107.	लखनऊ–कानपुर खंड (ई डब्ल्यू/8/यूपी) 21.80–44.00 कि.मी. उत्तर प्रदेश	25	22.2	विलायती राम मित्तल
108.	लखनऊ–कानपुर खंड (ई डब्ल्यू/9/यूपी) 44–59.5 कि.मी. उत्तर प्रदेश	25	15.5	बी आर ए–टी आर जी–भारत (सं. उ.)
109.	पूर्णिया–गयाकोटा खंड (ई डब्ल्यू/12/बीआर) 419–447 कि.मी. बिहार	31	28	लैंको–रानी (सं. उ.)
110.	गुवाहाटी बाइपास (ई डब्ल्यू/14/एएस) 146–156.50 कि.मी. असम	37	10.5	बी एल ए– सी आई एस सी–सी एंड सी (सं. उ.)
111.	लखनऊ बाइपास (ई डब्ल्यू/15/यूपी) वाया रा.रा. 56 रा.रा. 25 और रा.रा. को जोड़ने वाला लखनऊ शहर से गुजरने वाला उत्तर प्रदेश	6ए व 56	23	प्रकाश–अटलांटा (सं. उ.)
112.	गोंडल से रिवड़ा खंड (ई डब्ल्यू/10/जीजे) 143–160 कि.मी. गुजरात	8बी	17	तारमेट–बैकबोन (सं. उ.)

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा के उपयोग

7344. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विद्युत उत्पादन, कैंसर जैसे रोगों के उपचार, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण और कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोगों की, राष्ट्रीय विकास में, विद्युत और गैर-विद्युत क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिससे समाज को व्यापक लाभ हुए हैं। गैर-विद्युत अनुप्रयोग इन क्षेत्रों में हैं-उद्योग, चिकित्सा तथा कृषि। इस समय 14 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर कार्यरत हैं जो 2720 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इस दशक के अंत तक विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 6680 मेगावाट करने के लिए आठ परमाणु विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

स्वास्थ्य की देखरेख, कैंसर के उपचार, चिकित्सा, खाद्य-पदार्थ तथा कृषि के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोग निम्नानुसार हैं-

नैदानिकी और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए नई नाभिकीय औषधियों की एक श्रेणी विकसित करना।

विभिन्न चिकित्सा-उत्पादों जैसे कि सिरिंजों, सर्जिकल स्यूचर, सूती पट्टियों, दवाइयों और संबद्ध उत्पादों का विकिरण की सहायता से निर्जर्मीकरण करना।

कोबाल्ट-60 स्रोत से युक्त और कम कीमत के रक्त किरणकों का विकास, विनिर्माण करना और उनकी सप्लाई देश के विभिन्न अस्पतालों में करना।

देश के विभिन्न अस्पतालों में नाभिकीय चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाएं स्थापित करने के लिए चिकित्सीय भौतिकविदों और विकिरण तकनीकज्ञों को प्रशिक्षित करना।

प्याजों की वर्धित शैल्फ-लाइफ का वाणिज्यिक स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में नासिक के निकट लासलगांव में एक प्रोटॉन किरणक संयंत्र निर्माणाधीन है।

मसालों के संसाधन और उनके परिरक्षण के लिए विकिरण आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) कोबाल्ट-60 को काम में लाते हुए एक विकिरण संसाधन संयंत्र (क्षमता 30 मीटरी टन प्रतिदिन) का परिचालन जनवरी, 2000 से किया जा रहा है।

कृषि के क्षेत्र में, पिछले कुछ समय में ही, विकिरण प्रेरित उत्परिवर्तन प्रजनन विधि से, काले चने, हरे चने, मूंगफली, सरसों, तूवर, चावल तथा पटसन जैसी 22 बेहतर और अधिक उपज देने वाली किस्में तैयार की गई हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) द्वारा उत्पादित कुछ उत्परिवर्ती किसानों में बहुत लोकप्रिय हैं। आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्र की कुल प्रजनक बीज की मांग का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा ट्राम्बे मूंगफली की किस्म वाला बैठता है। ट्रॉम्बे काला चना किस्म का हिस्सा राष्ट्र की कुल प्रजनक बीज की मांग का 44 प्रतिशत बैठता है। अकेले महाराष्ट्र में ही, काले चने की यह किस्म काले चने की खेती वाले क्षेत्र के 95 प्रतिशत भाग में पैदा की गई है। इसके अतिरिक्त, रोग प्रतिरोधकता वाली और अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित करने के लिए कार्य करना, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में निरन्तर किया जाने वाला कार्य है।

क्षेत्रीय विकास केन्द्र

7345. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय विकास केन्द्र स्थापित करने के कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) राज्यवार कौन-कौन से स्थानों पर इन केन्द्रों को स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) जी, नहीं। क्षेत्रीय विकास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चार क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र कोलकाता (चाइल्ड इन नीड इन्स्टीट्यूट), मुम्बई (भारतीय परिवार नियोजन संघ), नई दिल्ली (वालेंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया) और डिंडीगुल (तमिलनाडु) (गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थान, न्यास) में स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे मदर गैर सरकारी संगठनों/क्षेत्र–गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करेंगे। वर्ष 2001–02 के दौरान इन्हें प्रत्येक को 7 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई है।–

क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने की आशा की जाती है–

– मदर गैर सरकारी संगठनों की सूचना और सामग्री तक पहुंच बनाने में सहायता करना।

– मदर गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण देना तथा इसमें सुविधा प्रदान करना।

– प्रबंधन सहायता।

– प्रचार और नेटवर्किंग सहायता।

राज्यवार क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्कीम के अंतर्गत केवल मदर गैर सरकारी संगठन स्कीम में मान्यताप्राप्त गैर सरकारी संगउन ही क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तदनुसार सभी 4 राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के अनुरोधों को अनुमति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना

7346. श्री टी. गोविन्दन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों की सिफारिशों पर स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में बाद में कुछ मार्गों/सड़कों को शामिल किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अप्रयुक्त धनराशि

7347. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अत्यधिक केन्द्रीय सड़क निधि अप्रयुक्त पड़ी रही;

(ख) यदि हां, तो असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों के संदर्भ में कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही और केन्द्रीय सड़क निधि से कौन–कौन सी विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है और इनकी लागत कितनी होगी;

(ग) वर्षवार किस सीमा तक संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया गया;

(घ) इन योजनाओं में निर्धारित समय से कितना समय अधिक लगा है और कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही; और

(ङ) इसके मुख्य कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (घ) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2001–02 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए जमा राशि, जारी की गई राशि और उनके द्वारा धनराशि के उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। उपर्युक्त वर्षों में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ङ) प्रारंभ में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का उपयोग धीमा रहा है। केन्द्रीय सड़क निधि गैर व्यपगत निधि है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन और उनकी मानीटरिंग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तथापि, शीघ्र प्रगति और धनराशि के उपयोग के लिए यह मामला मुख्य मंत्रियों के स्तर सहित अनेक स्तरों पर उठाया गया है। उपयोग की समग्र स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

विवरण-I

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जमाराशि, जारी की गई राशि और प्रयुक्त राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जमा राशि			जारी की गई राशि			प्रयुक्त राशि		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	अरुणाचल प्रदेश	6.91	1113.00	108.00	78.89	371.00	371.00	78.89	शून्य	371.00
2.	असम	26.17	1508.00	1473.00	26.52	503.00	463.00	26.52	शून्य	966.00
3.	मणिपुर	4.44	332.00	318.00	26.24	111.00	111.00	26.24	शून्य	137.24
4.	मेघालय	8.89	447.00	434.00	8.11	149.00	298.00	8.11	शून्य	298.00
5.	मिजोरम	3.46	302.00	290.00	3.94	202.00	590.00	3.94	202.00	403.00
6.	नागालैंड	4.94	256.00	241.00	4.92	85.00	126.00	4.92	शून्य	211.00
7.	सिक्किम	1.98	112.00	107.00	14.56	37.00	37.00	14.56	शून्य	37.00
8.	त्रिपुरा	3.46	193.00	187.00	3.94	64.00	143.70	3.94	शून्य	135.84

विवरण-II

केन्द्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृत कार्यों और प्राप्त उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

1. अरुणाचल प्रदेश

क्र.सं.	कार्य/स्कीम का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रु.)	स्वीकृति की तारीख	वर्तमान स्थिति/ प्रगति
1	2	3	4	5
	1999-2000			
1.	रोनोहिल, दोईमुख में अरुणाचल यूनिवर्सिटी के लिए दोहरे लेन की मानक संपर्क सड़क का निर्माण (लंबाई 2.36 कि.मी.)	78.89	10.6.1999	प्रगति पर
	2000-2001—शून्य			
	2001-2002			
1.	लेंसी–साइबराइट सड़क पर साइजेन नदी पर स्टील ट्रस गर्डर पुल (स्पैन 70 मी.)	184.78	23.10.2001	प्रगति पर

1	2	3	4	5
2.	नवीकरण सतह बनाने के साथ वी के वी स्कूल के लिए संपर्क सड़क (6 कि.मी.)	98.88	23.10.2001	प्रगति पर
3.	रोइंग–शांतिपुर सड़क (21.50 कि.मी.)	482.50	23.10.2001	प्रगति पर
4.	मेवो–धोला सड़क (36.70 कि.मी.)	1005.50	23.10.2001	प्रगति पर
5.	दिवांग नदी पर स्टील ट्रस गर्डर पुल (स्पैन 150 मी.)	434.88	23.10.20201	प्रगति पर
2.	असम			
	1999-2000–शून्य			
	2000-2001			
1.	गुवाहाटी जिला–असम में प्रथम और द्वितीय कि.मी. में पुरानी ए टी सड़क का सुधार	50.00	31.1.2001	पूरा हो गया
2.	डिब्रुगढ़ सड़क प्रभाग–असम के अंतर्गत 19वीं कि.मी. में मोरन–नाहरकटिया सड़क का सुधार चे 18,7000.00 मी. से 32,700	98.91	30.1.2001	पूरा हो गया
3.	बारपेटा जिला सड़क प्रभाग–असम में पथशाला–सारथेबाड़ी सड़क का सुधार (डा. जीना रामदास रोड)	75.00	28.2.2001	पूरा हो गया
4.	बारपेटा सड़क प्रभाग–असम में भवानीपुर–भुइयापाड़ा सड़क का सुधार	93.78	28.2.2001	पूरा हो गया
5.	कलियाबोर सड़क प्रभाग–असम में नागौन जिले में चे 15000 मी. से 50300 मी. तक कठियाटोली–अमलोखी सड़क की मैंटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	200.00	28.2.2001	पूरा हो गया
6.	रंगिया सड़क प्रभाग–असम में कामरूप जिले में कमलपुर–मोरो सड़क का सुधार	100.00	9.3.2001	पूरा हो गया
7.	डिब्रुगढ़ शहर–असम में देशभक्त तरुणराम फुकन सड़क का सुधार	19.61	9.3.2001	पूरा हो गया
8.	गुवाहाटी शहर, असम में चे 0.0 से 867.0 मी. तक जी एस सड़क की गुणता में सुधार	34.00	9.3.2001	पूरा हो गया

1	2	3	4	5
9.	गुवाहाटी शहर, असम में जी एस सड़क पर गणेशपुरी चरियाली में यातायात चौराहे का सुधार	50.00	9.3.2001	पूरा हो गया
10.	नागौन पूर्वी सड़क प्रभाग–असम में नागौन जिले में कठियाटोली–अमलोखी सड़क (शेष लंबाई) की मैंटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	214.02	9.3.2001	पूरा हो गया
11.	नागौन पूर्वी प्रभाग–असम में नागौन जिले में 2, 3 और चौथे कि.मी. में नोनई–दक्षिण पट में मैंटलिंग और ब्लैक टॉपिंग और प्रथम कि.मी. में संरक्षण कार्य	69.72	9.3.2001	पूरा हो गया
12.	नागौन पूर्वी प्रभाग–असम में नागौन जिले में नागौन–भुरागांव सड़क वाया धींग से बारडोबा को चौड़ा करना और सुदृढ़ीकरण	600.00	9.3.2001	पूरा हो गया
13.	उत्तरी कामरूप प्रभाग–असम में नलबाड़ी जिले में 7 से 11 कि. मी. तक नलबाड़ी–कामरकुची सड़क की मैंटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	100.00	9.3.2001	पूरा हो गया
14.	उत्तरी लखीमपुर जिला असम में सर्किट हाउस से उत्तरी लखीमपुर दैनिक बाजार सड़क वाया ए एस टी सी तथा डीसी न्यायालय से रा.रा. 52 संपर्क सड़क का सुधार	29.83	9.3.2001	पूरा हो गया
15.	उत्तरी गुवाहाटी अमीनगांव हाजो नलबाड़ी सड़क के कमजोर मार्ग खंड का सुदृढ़ीकरण (चे 47,300 से 49400)–असम	50.00	9.3.2001	पूरा हो गया
16.	मैंटलिंग और ब्लैक टॉपिंग द्वारा सोनई सईदरिया सड़क का सुधार तथा 1 से 12 कि.मी. तक विद्यमान कमजोर मार्ग का सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करना	267.22	28.3.2001	पूरा हो गया
17.	गुवाहाटी सड़क प्रभाग में 3, 4 व 5 कि.मी. में पुरानी ए टी सड़क का सुधार	100.08	27.3.2001	पूरा हो गया
18.	0.0 से 5500.0 मी. तक बंगालीपाड़ा–फकीरग्राम सड़क का सुधार	244.00	28.3.2001	पूरा हो गया
19.	1 से 9 कि.मी. तक चमता शाहपुर कैथाल कुची नलबाड़ी सड़क की मैंटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	179.89	28.3.2001	पूरा हो गया
20.	15 से 17 कि.मी. तक उत्तरी सोलमारा चापागुड़ी सड़क का सुधार (नाली व पैदल पथ सहित चौड़ा करना और सुदृढ़ीकरण)	179.97	28.3.2001	पूरा हो गया

1	2	3	4	5
21.	मानिकपुर चकीशाली से रोहाचकला कोकिला सड़क का मैंटलिंग और ब्लैक टॉपिंग द्वारा सुधार (4.372)	200.00	28.3.2001	पूरा हो गया
22.	दक्षिण पट कामपुर सड़क पर कुल संख्या 7/1 के दक्षिणी पहुंच मार्ग के साथ पश्चिम टेटलीसोरा को जोड़ते हुए हरिया नदी के पश्चिमी ओर सड़क व बंड का निर्माण	29.46	28.3.2001	पूरा हो गया
	2001-2002			
1.	असम में डिब्रुगढ़ सड़क प्रभाग में 1 से 19 कि.मी. तक मैट. मोरन नाहर कटिया सड़क का सुधार	201.55	30.3.2002	हाल में स्वीकृत
2.	तिनसुकिया सड़क प्रभाग–असम में च 52850.00 से 46850.00 मी. तक मैट. डी आर टी सड़क का सुधार	203.91	30.3.2002	हाल में स्वीकृत
3.	**मेघालय**			
	1999-2000 शून्य			
	2000-2001			
1.	रा.रा. 44 के 55 कि.मी. से नांगबाह तक लुडमुकला किंडर्न टुबर सड़क खंड की मैटलिंग ब्लैकटॉपिंग के साथ ज्यामिति सुधार और चौड़ा करना	200.00	25.2.1992	100%
2.	सिखलौंग–जोवई सड़क से 40 एस टी सड़क के 9 कि.मी. में लैतकोर–पमलाकरई, लैतकोर–लेथलिंगकोट का सुधार	90.53	19.6.68	100%
3.	3 से 12 कि.मी. और 79 से 88 कि.मी. के अगिया–मेधीपाड़ा–फुलबाड़ी–तुरा (एएमपीटी) सड़क की गुणता में सुधार	189.46	1.2.2001	30%
4.	22.0 से 29.0 कि.मी. तक शिलांग–चेरा सड़क का सुदृढ़ीकरण	192.83	1.2.2001	40%
5.	7/0 से 12/0 कि.मी. तक कमजोर मार्ग का सुदृढ़ीकरण तथा लडमुकला–नंगबाह किर्डोंग टुबर सड़क के हार्ड शोल्डर की व्यवस्था	68.69	28.2.2001	90%

1	2	3	4	5
6.	29.0 से 32.0 कि.मी. तक शिलांग–चेरा सड़क का सुदृढ़ीकरण (चरण–II)	81.44	28.2.2001	70%
7.	दखिया–सुटंगा–सैपंग मूलसेई–हाफलौंग सड़क का सुदृढ़ीकरण (खंड III और IV)	149.83	28.2.2001	20%
8.	रोनग्राम–रोंगरेनगिरि–दारूगिरि सड़क की सड़क गुणता में सुधार (79–83 और 101–105 कि.मी.)	87.68	28.2.2001	20%
	2000-2001			
1.	1 से 5 कि.मी. तक जोवई–खंडुली सड़क को चौड़ा करना ज्यामितीय सुधार, मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग और इकहरी लेन से दोहरी लेन बनाना	265.14	29.5.2001	30%
2.	रा.रा. 44 से नांगथाइन सड़क का सुधार तथा मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग (4 कि.मी.)	173.434	16.10.2001	प्रगति पर
4.	**मिजोरम**			
	1999-2000 शून्य			
	2000-2001			
1.	आइजोल शहर में सड़क गुणता सुधार तथा सड़कों के संकरे खंडों को चौड़ा करना	301.70	30.1.2001	प्रगति पर
	2001-2002			
1.	सुधार और मिसिंग संपर्क सड़कों को जोड़ना अर्थात् (i) वैवाकान से तदहील और रा.रा. 53 के लिए संकर्प सड़क, (ii) जेमावक से सैलेशी सड़क, (iii) लुंगलेई–तेनजॉल सड़क (iv) कितम–चेकवान वाया अर्तकान सड़क, (v) चांगटे में चांगटे नदी पर पुल का निर्माण	600.00	7.8.2001	प्रगति पर
2.	आइजोल शहर की सड़कों का निर्माण	400.02	15.1.2002	प्रगति पर

1	2	3	4	5
5.	**मणिपुर**			
	1999-2000 शून्य			
	2000-2001			
1.	नामवुल नदी पर पिशुथौंग पुल का पुनर्निर्माण	118.00	30.3.2001	20%
2.	तुवल नदी पर एरीपोक पुल का पुनर्निर्माण (शेष कार्य)	117.86	30.3.2001	प्रगति पर
3.	आईरिल नदी पर आईरिलबंग पुल और पहुंचमार्गों का पुनर्निर्माण	159.73	30.3.2001	10%
	2001-2002			
1.	चुराचांदपुर–सिंघट–वेहियांग सड़क का सुधार (84.75 से 92.0 कि.मी.)	155.92	20.7.2001	60%
2.	मायंग इम्फाल से चकपिकारांग सड़क वाया सुगम टर्निंग का सुधार	435.00	6.12.2001	20%
6.	**नागालैंड**			
	1999-2000 शून्य			
	2000-2001			
1.	नागालैंड में रा.रा. 61 से इम्पुर शहर (एम डी आर) सड़क का सुधार (लंबाई 10 कि.मी.)	113.36	22.3.2001	42.94%
2.	मोकोकचंग में आई ओ सी से रोटरी चौराहे तक सुधार (लंबाई 2 कि.मी.)	10.016	22.3.2001	37.06%
3.	नागालैंड में कोहिमा में शहर सड़क का सुधार (लंबाई 10.50 कि.मी.)	252.12	22.3.2001	87.00%
	2001-2002 शून्य			
7.	**त्रिपुरा**			
	1999-2000 शून्य			
	2000-2001 शून्य			
	2001-2002			
1.	तेलियामुरा–खोवई सड़क पर विद्यमान 9 कास्ट पुलों को आर सी सी स्लैब/बॉक्स पुलियों द्वारा बदलना	193.00	18.4.2001	78%

1	2	3	4	5
2.	अगरतला–विमान पत्तन सड़क का सुधार (महात्मा गांधी स्मरणीय)	160.98	16.7.2001	प्रगति पर
8.	**सिक्किम**			
	1999-2000 शून्य			
	2000-2001			
1.	स्थिरीकरण (सुरक्षात्मक कार्य) बॉक्स ड्रेन का निर्माण तथा नमची–फोंग सड़क, नमची–दमिथांग सड़क, नमची–आसंगथांग सड़क, नयाबाजार–नमची सड़क, नचमी–सैघारी सड़क, नमची–सलघारी सड़क, मेलीफोंग सड़क, सदम–मनियांग सड़क और मनपुर–नमची सड़क को चौड़ा करना	29.14	28.3.2001	प्रगति पर
2.	सड़क सतह सुधार तथा गंगटोक में जलनिकासी व्यवस्था का सुधार	56.31	28.3.2001	प्रगति पर
3.	सतह सुदृढ़कीरण और सुधार तथा पश्चिमी सिक्किम में गिजिंग उपमंडल में जलनिकासी व्यवस्था का सुधार	36.33	28.3.2001	प्रगति पर
4.	आर एंड बी प्रभाग (पूर्व) गंगटोक में जीआरबीए सड़क का उन्नयन और सुदृढ़कीरण तथा जलनिकासी व्यवस्था	25.95	28.3.2001	प्रगति पर
5.	दक्षिणी सिक्किम में नचमी उपमंडल में नचमी–दमीथांग सड़क पर सतह सुदृढ़ीकरण	11.34	28.3.2001	प्रगति पर
6.	सी.से. स्कूल सड़क के 1 कि.मी. पर स्थिरीकरण बॉक्स ड्रेन निर्माण–कार्य	4.96	28.3.2001	प्रगति पर
7.	1 से 17 कि.मी. तक पेलिंग–डेंटम सड़क पर सतह सुधार और गड्ढा मरम्मत	13.38	28.3.2001	प्रगति पर
8.	सतह सुदृढ़ीकरण और ढलान स्थिरीकरण सीरवानी–बीरमाइक सड़क, नोमफोक–यानगंग सड़क, सिंथम–पावोंग–तरकु सड़क, सिंथम–चौरीबोटी सड़क–दगा पंडम सड़क, सिंथम–चौरीबोटी–पंडम, दगा, चौरीबोटी और पचेखानी सड़क, फोंगला–ममरिन सड़क, सीरवानी–बरमिओक सड़क, 6, 7 और 8 कि.मी.	13.79	28.3.2001	प्रगति पर

नाभिकीय ईंधन संसाधन

7348. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के लम्बापुर में प्रचुर नाभिकीय ईंधन संसाधन स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने भंडारों का अनुमान लगाया गया है और उनकी उपयोगिता क्या है;

(ग) क्या इन संसाधनों और उपलब्ध कच्चे माल के संबंध में कोई व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में संसाधनों के दोहन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (ए एम डी) ने आंध्र प्रदेश के लंबापुर पेड्डागट्टू क्षेत्रों में मध्यम टन भार (लगभग 5,000 मीटरी टन) के यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाया है।

(ग) और (घ) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यू.सी.आई.एल.), जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, इस समय इन निक्षेपों के दोहन की संभाव्यता के बारे में अध्ययन कर रहा है।

(ङ) वर्ष 2002–03 के दौरान करीबन 25 करोड़ रुपये।

[हिन्दी]

जिम्बाब्वे में भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा

7349. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री सुकदेव पासवान :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 अप्रैल, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित समाचार के अनुसार जिम्बाब्वे में भारतीय मूल के लोगों को वहां से भगाने और उनकी सम्पत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जिम्बाब्वे में भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) जिम्बाब्वे नेशनल लिबरेशन वार वेटेरन एसोशिएशन्स के कार्यकारी अध्यक्ष ने भारतीय समुदाय से परियोजना के संबंध में एसोशिएशन के सचिव द्वारा धमकियों और चेतावनियों को नजरअंदाज करने के लिए कहा है। जिम्बाब्वे में भारतीय समुदाय द्वारा कोई भय अथवा चिंता व्यक्त नहीं की गई है।

(ग) हरारे स्थित भारत के हाई कमीशन के जरिए भारत सरकार ने जिम्बाब्वे की सरकार से इस मामले की शिकायत की है और उसने यह आश्वासन दिया है कि जिम्बाब्वे में भारतीय समुदाय के हितों का संरक्षण किया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पत्तन पर रेड एलर्ट

7350. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र से पत्तन के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमलों के संबंध में देश में विभिन्न पतन प्राधिकारियों को कोई चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उन्हें दिये गये दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर पत्तन प्राधिकारियों ने क्या कदम उठाये हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) से (ग) पोत परिवहन मंत्रालय ने महापत्तनों को पत्तनों की सुरक्षा और बचाव के लिए कड़े उपाय करने की सलाह दी है। नियमित सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं–

- आंतरिक बन्दरगाह जल क्षेत्र की गश्त पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। जो मछुआरे देशी नौकाओं द्वारा आन्तरिक बन्दरगाह जल क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते है, उनके विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है।
- विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर सी. आई. एस. एफ. कार्मिकों की अतिरिक्त तैनाती करके पत्तनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
- पत्तन में प्रवेश सीमित कर दिया गया है और व्यक्ति की पहचान के लिए कड़ाई से जांच की जाती है।
- तटीय नगरभाग की गश्त बढ़ा दी गई है।
- नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण से सभी श्रेणियों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का अनुरोध किया गया है।
- महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।
- महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक जांच बढ़ा दी गई है।

सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा प्रदान करना/वापस लेना

7351. श्री नरेश पुगलिया :
श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को दिया गया सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (एम. एफ. एन.) का दर्जा वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है,

(घ) क्या सरकार ने अफगानिस्तान को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) भारतीय संसद पर 13 दिसम्बर को हुए आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने उपयुक्त और आवश्यक समझे गए राजनयिक एवं अन्य उपाय किए हैं।

(घ) और (ङ) भारत और अफगानिस्तान ने 24 जून, 1978 को एक व्यापार करार संपन्न किया। इस करार के अनुच्छेद–चार के अनुसार दोनों नें एक–दूसरे को आयात तथा निर्यात लाइसेंस, सीमाशुल्क, शुल्कों और अन्य सभी प्रभारों एवं करों जो आयात, निर्यात अथवा जिन्सों के पारगमन के लिए अनुमेय हो, के संबंध में अत्यधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दिया है।

गृह मंत्री को निमंत्रण

7352. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के गृह मंत्री ने हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री को इस्लामाबाद का दौरा करने के लिए निमंत्रित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) इस वर्ष मार्च में इस्लामाबाद में आयोजित दूसरे सार्क सूचना मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान मीडिया में एक खबर आयी कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री एल के आडवाणी को आमंत्रित किया है। इन

खबरों में यह सुझाव भी दिया गया कि पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री ने भारत के साथ तनाव कम करने और कानून से भागे 20 अपराधियों की सूची के मसले पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया। तत्पश्चात पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया में इस तथ्य की पुष्टि की कि वास्तव में ऐसा निमंत्रण दिया गया है।

पाकिस्तान के नेता अक्सर ऐसे दुष्प्रचारों में शामिल होते हैं, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ताकि भारत में सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के प्रायोजन और समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाया जा सके। पाकिस्तान इस तथ्य से भी ध्यान हटाना चाहता है कि उसने 31 दिसम्बर, 2001 को भारत द्वारा सौंपे गये कानून से 20 भगोड़ों की सूची पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

सरकार ने निरंतर ही पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसियों के संबंध विकसित करने की अपनी वचनबद्धता का खुलासा किया है और इस उद्देश्य से संघटित वार्ता प्रक्रिया बहाल करने का प्रस्ताव किया है जिसके अंतर्गत आस्था और विश्वास बहाल करने, सहयोग का ठोस ढांचा बनाने और अनसुलझे मसलों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। पाकिस्तान को अवश्य ही सीमा पर आतंकवाद समाप्त करना चाहिए और कानून से भागे 20 लोगों की सूची पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सार्थक वार्ता प्रक्रिया के लिए समुचित स्थिति का निर्माण किया जा सके।

गुजरात की घटनाओं पर
अमरीकी प्रतिक्रिया

7353. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत का दौरा करने वाले अमरीकी असिस्टैंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने गुजरात की घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) मीडिया रिपोर्टों ने अमरीकी असिस्टैंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टीना रोक्का द्वारा उनकी 9–10 अप्रैल, 2002 तक की गई भारत यात्रा के दौरान हाल की गुजरात घटनाओं के बारे में उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का उल्लेख किया है।

(ग) सरकार ने स्पष्ट बताया कि वह भारत की आन्तरिक गतिविधियों की देखरेख के संबंध में किसी प्रकार की अनुचित आलोचना या आदेश को अस्वीकार करती है। तथापि सरकार ने गौर किया कि द हिन्दू में 3 मई, 2002 के समाचार पत्र में अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोंडोलीजा राइस ने प्रकाशित साक्षात्कार में बताया गया कि हम भारतीय सरकार से प्रभावित हैं कि उन्होंने इस साम्प्रदायिक हिंसा का कड़ा विरोध किया। हमारा विश्वास है कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसका नेतृत्व भारत की वाजपेयी सरकार बखूबी कर रही है और इसकी जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी।

[हिन्दी]

कर्मचारियों की छंटनी

7354. डा. बलिराम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके मंत्रालय और विभिन्न निगमों में कर्मचारियों की छंटनी का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी छंटनी का क्या आधार है और कब तक छंटनी आरंभ हो जायेगी और किस प्रकार इसे कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय रूप से भर्ती किये गये
कर्मचारियों को सेवा में बनाए
रखना

7355. श्री रघुनाथ झा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट संख्या 2 के पैराग्राफ 8.9 में यह कहा है कि एथेन्स स्थित भारतीय दूतावास में अपनी अधिवर्षिता की तिथि से सात साल आगे के लिए स्थानीय तौर पर भर्ती किये गये किसी कर्मचारी की सेवा सुरक्षित रखी जाये और क्या यही बात सिओल में भारतीय दूतावास द्वारा तब दोहरायी गयी थी जब एक शोफर सह संदेशवाहक अधिवर्षिता की अवधि की तिथि से पांच साल अधिक समय तक अनियमित रूप से लगातार सेवारत रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में जवाबदेही और उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) कौन-कौन से कारणों से मंत्रालय ने लेखा परीक्षा की टिप्पणियों/संदर्भों का शीघ्रता से उत्तर नहीं दिया; और

(छ) लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों का समय पर जवाब देना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है और उनके पास लंबित टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) भारत का राजदूतावास, एथेन्स में लिपिक/टंकक की सेवाएं एथेन्स में महिला स्टाफ की सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु अर्थात् 28.2.1993 को 60 वर्ष पूरी होने के बाद 7 वर्ष के लिए रखी गयी। उनकी सेवाएं 28.2.2000 को समाप्त की गईं। भारत का राजदूतावास, सियोल ने एक स्थानीय शोफर की सेवाएं 1994-95 में 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु पूरी होने के पश्चात मंत्रालय के अनुमोदन के बिना 1.10.1995 से 31.12.2001 तक लीं। तथापि उसके मामले में मंत्रालय ने मिशन की सिफारिश पर 1.10.1994 से 30.9.1995 तक एक वर्ष के विस्तार का अनुमोदन दे दिया है।

(ग) मिशन में सेवा के विस्तार के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया।

(घ) इस मामले की जांच की जा रही है ताकि सम्बद्ध अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके।

(ङ) एथेन्स में तैनात संबद्ध अधिकारी की टिप्पणी उसके विस्तार के दौरान मांगी गई थी। जहां तक सियोल का संबंध है, लेखा परीक्षा रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उनका अध्ययन किया जा रहा है ताकि सम्बद्ध अधिकारी की आवश्यकता टिप्पणी मांगी जा सके।

(च) लेखा-परीक्षा टिप्पणी का उत्तर देने में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है। एथेन्स से सम्बद्ध वर्ष 2001 की महा लेखा नियंत्रक की रिपोर्ट का लेखा परीक्षा पैरा सं. 8.9 मंत्रालय में 22.10.2001 को प्राप्त हुआ और की गई कार्रवाई का प्रारूप 20.11.2001 को महा निदेशक, लेखा केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया। जहां तक सियोल का संबंध है, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए महालेखा नियंत्रक की रिपोर्ट का पैरा सं. 9.5 मंत्रायलय को 16 अप्रैल, 2002 को प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने सम्बद्ध कर्मचारी को रोकने के लिए पहले ही कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। इस अवरोधन को नियमित करने के लिए, दो कर्मचारियों को उनकी सेवा की बढ़ायी हुई अवधि के दौरान प्रदान किए गए वेतन पर हुए व्यय एथेन्स के मामले में 6,94,096/-रुपये और सियोल के मामले में 1,97,231/-रुपये को नियमित करने का प्रस्ताव विचारधीन है।

(छ) वर्ष 1998 तक इस मंत्रालय से संबंधित सभी महा लेखा परीक्षा नियंत्रक पैरा नियमित हो गए हैं। 1999 से अब तक महालेखा परीक्षा नियंत्रक से सम्बद्ध सभी परीक्षा पैरा नियमित होने की विभिन्न अवस्था में हैं जो इस प्रकार है :

रिपोर्ट संख्या	नियमित करने के लिए पैरा संख्या
1999 की सं. 2	2
2000 की सं. 2	3
2001 की सं. 2	11

इस मंत्रालय ने महालेखा परीक्षा नियंत्रक के पैरा को समय से नियमित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करने हेतु मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता के अधीन एक उच्च शक्ति प्राप्त मानीटरिंग समिति की स्थापना की है।

[अनुवाद]

नाभिकीय संयंत्रों के चारों ओर आपातकालीन प्रक्रियाएं

7356. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग (आई.ए.ई.सी.) और अमरीकी नाभिकीय विनियामक आयोग (यू.एस.एन.आर.सी.) ने नाभिकीय संयंत्रों के चारों ओर बेहतर आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए भारत पर दबाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने आपातकालीन प्रक्रियाओं को नही अपनाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा आपातकालीन प्रक्रियाओं और उत्खनन प्रक्रियाओं आपातकालीन प्रशिक्षण और अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रकरणों के लिए एक सुरक्षा संबंधी पुस्तिका को अंतिम रूप देने और उसका विकास करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ए.ई.सी. द्वारा इस संबंध में किसी सहयोग की मांग की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा आयोग (ए.ई.सी.) ने परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई) के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि आपातकालीन प्रणालियां सभी नाभिकीय स्थापनाओं में लगी हुई हैं। संबंधित राज्य सरकारों ने कार्यरत परमाणु बिजली घरों के आस-पास विस्तृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियां तैयार की हैं।

(ङ) सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों को कमीशनिंग के लिए प्राधिकृत किए जाने से पहले उनमें अनुमोदित आपातकालीन योजनाएं मौजूद होती हैं। ये आपातकालीन योजनाएं, संयंत्र के प्रबंधकों के सक्रिय सहयोग से राज्य के प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाती हैं, इनमें सभी आवश्यक पहलू शामिल होते हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) लागू नहीं।

गर्भाशय और शुक्राणु का उपयोग

7357. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इच्छुक स्वामियों से गर्भाशय और शुक्राणु का उपयोग करने को सहमत हुए दम्पतियों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक को कब तक पुरःस्थापित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विधेयक प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मिलावट रोकने के लिए समिति

7358. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों में अपमिश्रण के खतरे के सभी पहलुओं को रोकने के लिए समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा कितने औषधि विनिर्माताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गयी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नकली औषधों के खतरे के सभी पहलुओं की जांच–पड़ताल करने और उपचारी उपाय सुझाने के लिए उद्योग, व्यापार, औषध विनियामक अधिकारी और जन प्रतिनिधियों को सम्बद्ध करते हुए 18 जुलाई, 2001 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति ने अपनी 25 अक्तूबर, 2001 और 14 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में नकली औषधों के खतरे का सामना करने के लिए किए जाने के लिए आवश्यक उपायों सहित नकली औषधों के निर्माण और बिक्री से संबंधित विभिन्न मूल मुद्दों पर विचार–विमर्श किया था।

(ख) इस समिति को यह कार्य नहीं सौंपा गया है।

दत्तकपुत्र को रोजगार

7359. श्री ब्रजमोहन राम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के मृत अधिकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक विभाग के मृत अधिकारियों के दत्तक पुत्र को सरकारी नौकरी दिए जाने का भी कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो डाक विभाग के मृत अधिकारियों के दत्तक पुत्रों को नौकरी दिए जाने के लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है और ये कब से लम्बित हैं; और

(घ) लम्बित मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने की योजना का उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को नियुक्ति देना है जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत आश्रित पारिवारिक सदस्य में दत्तक पुत्र भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में विश्व बैंक सहायता से स्वास्थ्य परियोजना

7360. श्री जी. एस. बसवराज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996 से कर्नाटक में एक राज्य स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धति विकास परियोजना चलाई जा रही है, जिसे विश्व बैंक द्वारा सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का परिव्यय कितना है;

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने का अनुमान है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत किन–किन उद्देश्यों की पूर्ति की जानी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्य में एस.डी.आर. 235.5 मिलियन (350 मिलियन अमेरिकी डालर) के परिव्यय से एक बहु–राज्य परियोजना 1996 से चलाई जा रही है। कुल आवंटन में कर्नाटक का हिस्सा एस.डी.आर. 74.83 मिलियन है। इस धनराशि में से एस.डी.आर. 60.64 मिलियन की राशि 31 मार्च, 2002 तक विश्व बैंक द्वारा वितरित की जा चुकी है। परियोजना समाप्त होने की अवधि 31.3.2004 है।

(घ) (i) नीति और संस्थागत विकास के माध्यम से आवंटन और स्वास्थ्य संसाधनों के उपयोग की प्रभावकारिता में सुधार लाना और (ii) प्रथम रैफरल स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर चुनिंदा कवरेज के द्वारा समाज के जरूरतमंद वर्गों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और कवरेज में सुधार लाकर स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के कार्य निष्पादन में सुधार लाना।

[हिन्दी]

सिंगापुर से समुद्री मार्ग के जरिये केबल नेटवर्क

7361. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में स्थापित प्रथम समुद्र-मार्गी केबल नेटवर्क ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप लंबी दूरी की टेलीफोन कॉलों की दरें कितनी कम हो जाने का अनुमान है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रतिस्पर्द्धा और सेक्टर खुलने से हमेशा ही विभिन्न सेवाओं की दरों में कमी होती है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

मयूर विहार में के.स.स्वा.यो. औषधालय

7362. डा. अशोक पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूर विहार (पूर्वी दिल्ली) में वर्तमान में केवल एक ही के.स.स्वा.यो. औषधालय है जो पचास हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है;

(ख) क्या मानदंडों के अनुसार 2000 से अधिक के. स.स्वा.यो. कार्डधारक होने की स्थिति में एक नया औषधालय खोला जाना होता है;

(ग) यदि हां, तो इस औषधालय के अंतर्गत 20,000 से अधिक कार्डधारक होने के बावजूद, नया औषधालय न खोले जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या के.स.स्वा.यो. लाभग्राहियों को हो रही कठिनाई के मद्देनजर, सरकार का इस क्षेत्र में एक नया औषधालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस औषधालय को कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नए औषधालयों को खोलने के लिए नए पदों की आवश्यकता होती है। नवम्बर, 1999 की कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट में नियत किए गए मानदंडों के कार्यान्वयन की बात न्यायाधीन हो गई है क्योंकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली ने ओ.ए. संख्या 1030/2001 और एम.ए. संख्या 1762/2001 में आदेश के तहत उक्त कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर अंशतः रोक लगा दी है। जब तक नए पदों की मंजूरी नहीं की जाती है, तब तक सरकार के लिए मयूर विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का नया औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में डाक-तार सेवा

7363. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में डाक-तार सेवाओं की दशा इतनी खराब है कि ग्रामीण इलाकों में डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में एक सप्ताह से भी अधिक समय लग जाता है और वहां काफी लम्बे समय से डाक-सामग्री तथा डाक-टिकटों की कमी बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में डाक एवं तार सेवाएं संतोषजनक हैं। इन जिलों में डाक में डाले गए परीक्षण पत्रों के परिणामों के आधार पर औसतन 98.6% डाक विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वितरित की जाती है। डाक–टिकटों और अन्य डाक–लेखन सामग्री की भी कोई कमी नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एच.आई.वी./एड्स के लिए पी.सी.आर. प्रणाली

7364. श्री किरीट सोमैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एच.आई.वी./एड्स रोगियों के लिए पी.सी.आर. प्रणाली खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न संगठनों से राज्यों विशेषकर मुम्बई के अस्पतालों में पी.सी.आर. प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है;

(ङ) इस प्रणाली के कारण एच.आई.वी./एड्स रोगियों को क्या लाभ होगा; और

(च) इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। चार केन्द्रों नामतः एन.ए.आर.आई. पुणे, राष्ट्रीय हैजा एवं आन्त्र रोग संस्थान, कोलकाता, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में पहले से ही उपलब्ध पालीमेराइज्ड चैन रिएक्शन (पी.सी.आर.) सिस्टम के अतिरिक्त सरकार ने 11 और केन्द्रों के लिए ऐसी 11 और प्रणालियों के खरीदने का निर्णय लिया है।

(ग) जी, हां। श्री किरीट सोमैया, संसद सदस्य ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को पत्र लिखा तथा जिसमें मुम्बई के लिए इन प्रणालियों की शीघ्र खरीद और आपूर्ति करने का निवेदन किया गया था।

(घ) सरकार 11 पालीमेराइज्ड चैन रिएक्शन सिस्टम की खरीद के लिए फिर से निविदा आमंत्रित कर रही है क्योंकि पहली निविदा के प्रत्युत्तर में पहले ही प्राप्त बोलियां उपयुक्त नहीं पाई गईं।

(ङ) इससे एच.आई.वी. रोगियों को सीमित लाभ होगा क्योंकि यह एच.आई.वी. संक्रमण का केवल शुरू में ही (विन्डो पिरिएड) और एच.आई.वी. संक्रमित माताओं से जन्मे बच्चों में संक्रमण का पता लगा सकता है। एच.आई.वी. के संदिग्ध रोगी में संक्रमण की पुष्टि करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

(च) सरकार इस प्रणाली की खरीद की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

ग्राम टेलीफोन केन्द्रों के लिए विद्युत की अनुपलब्धता

7365. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित समाचार, "ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थापित तीन हजार टेलीफोन केन्द्रों को विद्युत की प्रतीक्षा" की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार का तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त टेलीफोन केन्द्रों को प्रचालनीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन केन्द्रों को कब तक प्रचालनीय बना दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सभी सर्किलों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों में मौत के मामलों की ऑडिट प्रणाली

7366. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पतालों में मृत्यु–दर काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में मौत के मामलों की ऑडिट प्रणाली केवल कागजों पर ही है और इसको समुचित रूप से अमल में नहीं लाया जाता;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार मृत्यु के प्रत्येक मामले में मेडिकल ऑडिट को अनिवार्य कर देने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) चिकित्सकों की लापरवाही से हुई मृत्यु के प्रत्येक मामले में जवाबदेही तय करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) गैर–सरकारी अस्पतालों के संबंध में मृत्युदर के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल में सकल मृत्युदर इस प्रकार है :

अस्पताल का नाम	वर्ष (सकल मृत्युदर % में)		
	1999	2000	2001
1	2	3	4
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	5.9	5.6	5.3
सफदरजंग अस्पताल	7.4	6.9	6.5
श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	1.7	1.4	1.5
कलावती सरन बाल अस्पताल	11.8	11.6	11.3

केन्द्र सरकार के अस्पतालों में बहुत गंभीर/खतरे वाले/अन्य स्थानों से रेफर किए गए/सिर में चोट वाले अथवा मरणासन्न दशा वाले रोगी उपचार के लिए आते हैं इसलिए किसी भी मरीज को दाखिल करने से मना नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल में मृत्यु समीक्षा/चिकित्सा अंकेक्षण समितियां मौत के मामलों की समीक्षा करने के लिए नियमित आती हैं। इसके अलावा, संबंधित विभागों में भी मौत के मामलों की समीक्षा की जाती है।

(ङ) से (ज) उपरोक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रसूति चिकित्सालयों के लिए विश्व बैंक सहायता

7367. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में प्रसूति चिकित्सालय स्थापित करने के लिए धनराशि आवंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राशि की सहायता से किन–किन राज्यों में प्रसूति चिकित्सालय/प्रसूति केन्द्र खोले गए; और

(घ) उन पर कितनी राशि खर्च हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त आठवीं भारतीय जनसंख्या परियोजना, (आई.पी.सी. 8) जो विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि के निर्माण/मरम्मत/नवीकरण के लिए सिविल निर्माण कार्यों हेतु 171.20 करोड़ रुपए सहित 429.40 करोड़ रुपए की कुल लागत से 1993 से कार्यान्वित की जा रही

है, के अन्तर्गत नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 43.85 करोड़ रुपए की कुल लागत से 58 नए प्रसूति अस्पतालों/केन्द्रों की स्थापना की गई :

राज्य	स्थापित प्रसूति अस्पतालों/ केन्द्रों की संख्या	व्ययित राशि (करोड़ रुपए में)
दिल्ली	6	11.08
कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल	34	25.25
हैदराबाद सहित आंध्र प्रदेश	5	2.42
बंगलौर सहित कर्नाटक	13	5.10
कुल	58	43.85

विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की मरम्मत, परिवर्धन तथा उन्नयन की परिकल्पना की गई है। 8.57 करोड़ रुपए की कुल लागत से पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर में कार्यान्वित की जा रही प्रजनन और बाल स्वास्थ्य उप–परियोजना के अन्तर्गत 1.62 करोड़ रुपए की कुल लागत से दो प्रसूति केन्द्रों की स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं, जिनमें विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की मरम्मत/नवीकरण उन्नयन शामिल हैं, को सुदृढ़ करने के लिए पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं के लिए भी सहायता कर रहा है।

[अनुवाद]

दूरसंचार कारखानों के संबंध में कार्यदल

7368. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद लागत को कम करने के उद्देश्य से दूरसंचार मुख्य महाप्रबंधकों को दूरसंचार कारखानों के स्तर पर स्थायी कार्यदल बनाने के अनुदेश दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे दलों का गठन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इनकी अब तक कितनी बैठकें हुईं और इनका क्या परिणाम रहा;

(घ) क्या इनके कारखानों में विनिर्मित दूरसंचार सामग्री का मूल्य इसके प्रचलित बाजार मूल्य से कम हुआ है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) दूरसंचार फैक्ट्रियों का एक "उत्पाद लागत पुनरीक्षण दल" गठित किया गया था। इस दल ने 18 मई, 1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। फैक्ट्रियों की त्रिमासिक उत्पादन पुनरीक्षा बैठकों में लागत तुलना संबंधी मुद्दे की भी समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। दूरसंचार फक्ट्रियों में उत्पादित कुछ मदों की कीमतें बाजार में विद्यमान कीमतों की तुलना में घट गई हैं। इन फैक्ट्रियों में भारी कार्य–बल और ऊपरी खर्चों के कारण अन्य मदों की कीमतें कुछ ज्यादा हैं।

पोत निर्माण पर राज–सहायता

7369. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव पोत निर्माण पर वर्तमान में दी जा रही है 3 प्रतिशत राज–सहायता जो अभी केवल सरकारी क्षेत्र की पोत निर्माणी कम्पनियों को उपलब्ध है, को और बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी पोत निर्माणियों को दी जाने वाली बढ़ी हुई राज–सहायता से सरकारी क्षेत्र के पोत निर्माण उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा शिपयार्डों के लिए मौजूदा जहाज निर्माण सब्सिडी लागू करने की जांच की गई है। तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पोत बेड़े का विकास

7370. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोत परिवहन उद्योग नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय पोत बेड़े के विकास के संबंध में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय पोत मालिक संघ (नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन) के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भारतीय पोत बेड़े के विकास में अवरुद्धता की स्थिति रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 9वीं योजना अवधि के समाप्त होने तक 9 मिलियन सकल टन की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसकी तुलना में 9वीं योजना अवधि के समापन पर टनभार की स्थिति 6.82 मिलियन सकल टन थी जिसमें 560 जलयान शामिल थे। नौवहन उद्योग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का टनभार प्राप्त न होने के मुख्य कारण (1) अनुकूल वित्तीय वातावरण का न होना और (2) नौवहन उद्योग में 9वीं योजना अवधि के पूर्वार्ध के दौरान विश्वव्यापी मन्दी रहना है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार भारतीय टनभार में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर कदम उठाती रही है। भारतीय टनभार की धीमी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 से निम्नलिखित वित्तीय उपाय भी किए गए हैं—

(i) अलग आरक्षित लेखे में जलयान अधिग्रहण के लिए निर्धारित धनराशि पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक कर राहत देकर आयकर अधिनियम की धारा 33 क ग को बहाल करना।

(ii) मूल्यह्रास दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना।

(iii) पुराने जलयानों के अधिग्रहण को पूंजीगत माल के रूप में वर्गीकृत करने की विसंगति को दूर करने के लिए निर्यात आयात नीति जिसमें इस प्रयोजनार्थ खरीद के लिए विशेष आयात लाइसेंस की आवश्यकता होती है, में आवश्यक सुधार करना।

(iv) नौवहन क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना।

(v) पोत परिवहन मंत्रालय ने समुद्रगामी जलयानों के आयात पर पुनः 5 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाने के लिए वित्त मंत्रालय को सहमत करा लिया है।

(vi) टनभार के अधिग्रहण के लिए अधिक धनराशि निर्धारित करने हेतु भारतीय जहाज मालिकों को इसके अनुरूप करने के लिए धारा 33 क ग के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना। इसके अतिरिक्त भारतीय जहाज मालिकों के लिए इस धारा को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने न्यूनतम परिवर्तनक्षम कर के प्रयोजन के लिए बही लाभ की गणना करते समय धारा 33 क ग के अन्तर्गत अन्तरित धनराशि को कम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

बी.एस.एन.एल. का विभाजन

7371. श्री सुबोध मोहिते : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बी. एस.एन.एल) को चार व्यापारिक एककों में विभाजित कर देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य हरिहर कैंसर अनुसंधान केन्द्र के लिए धनराशि

7372. श्री के. पी. सिंह देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कटक स्थित आचार्य हरिहर कैंसर अनुसंधान केन्द्र के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की;

(ख) प्रत्येक वर्ष धनराशि की मंजूरी किन-किन प्रयोजनों के लिए की गई;

(ग) केन्द्र द्वारा प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त राशि में से कितनी राशि का व्यय किया गया;

(घ) क्या इस संस्थान के अधिकतर उपकरण अप्रयुक्त स्थिति में ही पड़े हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आचार्य हरिहर कैंसर अनुसंधान केन्द्र कटक के लिए 2.25 करोड़ रुपए की धनराशि संस्वीकृत की गई है।

(ख) ये धनराशियां संस्थान द्वारा उपकरण खरीदने तथा खरीदे गए उपकरणों के रख-रखाव के लिए संस्वीकृत की गई हैं।

(ग) से (ङ) संस्थान ने सूचित किया है कि इसने संस्वीकृत धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया है। संस्थान में अधिकांश उपकरण चालू हालत में हैं। फिर भी, अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता तथा वित्तीय कठिनाई के कारण गामा कैमरा इमेज, इंटेंसिफायर और टी.वी. मॉनिटर तथा श्वसनीदर्शी यंत्र (ब्रोंकोस्कोप) व मूत्राशयदर्शी यंत्र (साइटोस्कोप) जैसे कुछ उपकरण चालू हालत में नहीं हैं।

[हिन्दी]

कोलकाता पत्तन न्यास की निकर्षण मशीनें

7373. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलकाता पत्तन न्यास के अधीन कितनी निकर्षण मशीनें काम कर रही हैं और इनमें से कितनी खराब पड़ी हैं, तथा ये कब से खराब हैं;

(ख) उक्त मशीनों की मरम्मत न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निजी संगठनों से किराए पर ली गई मशीनों के किराए के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(घ) कोलकाता और हल्दिया पत्तनों पर बड़े पोतों के आवागमन हेतु जल की आवश्यक गहराई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) कोलकाता पत्तन न्यास में 5 ड्रेजर काम कर रहे हैं और इस समय ये सभी प्रचालन में हैं। इसके अतिरिक्त, लॉक बैरलों और निर्जल गोदियों के भीतर उपयोग में लाने के लिए एक अत्यन्त छोटा जेट ड्रेजर भी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी संगठनों से ड्रेजर किराए पर लेने पर कोलकाता पत्तन न्यास ने 166.66 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इसके अतिरिक्त कोलकाता पत्तन ने हल्दिया के नौवहन चैनल में अतिरिक्त अनुरक्षण निकर्षण, जोकि मैसर्स हैम ड्रेजिंग एंड मैरीन कान्ट्रेक्टर्स द्वारा किया गया, पर निम्नलिखित व्यय किया :

वर्ष	व्यय
1997-1998	36.26 करोड़ रु.
1998-1999	225.63 करोड़ रु.
1999-2000	116.66 करोड़ रु.

(घ) कोलकाता और हल्दिया के एप्रोच चैनलों में नौचालन-योग्य गहराई बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपायों जैसे कि निकर्षण, नदी सुधार, नौचालन-योग्य चैनल और बेसिन के पुनर्संरेखण के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। सरकार कालकोता पत्तन को नदी निकर्षण और नदी अनुरक्षण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मदों की लागत तथा हल्दिया को जाने वाले

नौवहन चैनल के अनुरक्षण निकर्षण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मदों पर आई लागत की 100 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हुगली मुहाने में डुबाव के सुधार के लिए नदी नियामक उपायों के निष्पादन से संबंधित प्रस्ताव को 350.84 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नदी नियामक उपायों के अन्तर्गत कैपिटल निकर्षण, नदी सुधार उपाय और मौजूदा चैनलों के पुनर्संरेखण के सभी तीनों क्षेत्रों में कार्रवाई करना शामिल है।

बिहार में लम्बित पड़े पासपोर्ट आवेदन

7374. श्री राजो सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की जनता को काफी समय से क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तारीख में, बिहार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कुल कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(घ) उक्त आवेदनों के शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, नहीं। पटना स्थित पासपोर्ट कार्यालय बिहार के लोगों को बिना किसी विलम्ब के पासपोर्ट जारी करता है। एक आवेदन पत्र को तभी लम्बित माना जाता है जब पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही प्राप्त हो गई हो और आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो। पटना स्थित पासपोर्ट कार्यालय को सही पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद पासपोर्ट जारी करने में 10 दिन से कम का औसत समय लगता है।

(ग) और (घ) 7 मई, 2002 की स्थिति के अनुसार पटना स्थित कार्यालय में बकाया पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या 1900 है। यह पटना में स्थानीय चुनावों के लिए पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों को लगाने की वजह से हुआ है। पटना स्थित पासपोर्ट कार्यालय को समयबद्ध पद्धति के भीतर बकाया आवेदनों को निपटाने का निर्देश दिया गया है।

अहमदाबाद स्थित विदेशी पार्सल डाकघर से पार्सलों की निकासी

7375. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अहमदाबाद स्थित विदेशी पार्सल डाकघर में ऐसे कितने पार्सल प्राप्त हुए जिनमें सी.डी जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नमूना पार्सलों के रूप में ऐसे कितने पार्सलों की निकासी की गई तथा इससे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) ऐसे नमूना पार्सलों की निकासी के लिए सरकार ने क्या प्रणाली अपनाई है;

(घ) क्या इस प्रणाली में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था है कि वस्तु का अल्प मूल्यांकन हो पाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश पार्सल डाकघर, अहमदाबाद में प्राप्त हुए इलेक्ट्रानिक सामान वाले पार्सलों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	प्राप्त इलेक्ट्रानिक सामान वाले पार्सलों की संख्या
1999	179
2000	200
2001	362

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सैंपल पार्सलों के तौर पर क्लियर किए गए पार्सलों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। नीचे (ग) में दिए गए कारणों से सैंपल पार्सलों से प्राप्त राजस्व शून्य है।

वर्ष	ऐसे पार्सलों की संख्या जो सैंपल पार्सलों के तौर पर क्लियर किए गए	प्राप्त राजस्व
1999	132	शून्य
2000	120	शून्य
2001	154	शून्य

(ग) पांच हजार रुपये तक के मूल्य वाले ऐसे सैंपल युक्त पार्सलों को सीमा–शुल्क विभाग की अधिसूचना सं. 154/94, दिनांक 13/7/1994 के अनुसार निःशुल्क क्लियरेंस की अनुमति दी जाती है। तथापि, पार्सलों के विवरण से पहले प्राप्तकर्ताओं से सीमा–शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्य को दर्शाने वाला तथा इस बात को सूचित करने वाला सप्लायर का बीजक प्राप्तकर्ता से लिया जाता है कि सामान सैंपल के तौर पर निःशुल्क सप्लाई किया गया है। पार्सल को रिलीज करने से पहले प्राप्तकर्ता से भुगतान न किए जाने संबंधी एक वचनपत्र भी लिया जाता है।

(घ) विदेश डाकघर, अहमदाबाद में कम मूल्यांकन का ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है।

(ङ) उपयुर्क्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राडार छविचित्रण उपग्रह

7376. श्री वाई. वी. राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दसवीं योजना के दौरान 'राडार छविचित्रण उपग्रह मिशन' (राडार इमेजिंग सैटेलाइट मिशन) शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय अनुसंधान संगठन (इसरो) इस समय राडार प्रतिबिम्बन उपग्रह, रिसैट–1, के लिए एक परियोजना निरूपित कर रहा है, जोकि बाढ़ प्रबंधन, खरीफ की फसल के पैदावार के अनुमान, मृदा आर्द्रता अनुमान, समुद्री अवस्था के उपयोग इत्यादि के क्षेत्र में उपयोगों के लिए सभी मौसमों और दिन/रात्रि में प्रतिबिम्बन क्षमता प्रदान करेगी। रिसैट–1 का प्रमोचन वर्ष 2006 के लिए निर्धारित है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा

7377. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को औद्योगिक लाइसेंस से छूट प्राप्त है और देश के किसी भी भाग में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना की जा सकती है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विवरण–I के अनुसार कई उपाय किए है, जो पूरे देश में समान रूप से लागू हैं। सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सॉफ्टवयेर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) नामक स्वायत्त संस्था ने पूरे देश में 35 केन्द्रों की स्थापना की है। राज्यवार एसटीपीआई केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है। किसी एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करना, 3 एकड़ जमीन तथा 3000 वर्ग फुट का निर्मित स्थल और परियोजना की कुल लागत को आंशिक रूप से वहन करने के लिए 100 लाख रुपए का सहायता अनुदान देना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन केन्द्रों

में उच्चगति डेटा संचार सुविधा स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए का सहायता अनुदान देता है। ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की वित्तीय सहायता भी दी है, जिन्हें वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित महत्वपूर्ण मूल संरचना संतुलन योजना की समर्थ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

विवरण-I

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी दोहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अंतर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आई टीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में संपूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कम्प्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002–03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लॉपी डिस्क तथा रिकार्ड नहीं किए गए चुम्बकीय टेपों पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5%, अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25–35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25–35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

   - कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा

प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक–पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5%, सेल्यूलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक–पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान होगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्द्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (शृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में 'निर्यात गृह' का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं :

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता–प्राप्त गैर–वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धर्मार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्त–पोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर–व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरंभिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यापूंजी के कुल 25% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001–02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80–आई (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003–04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. जो भारतीय कम्पनियां विदेशों में पूंजी निवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का पूंजी निवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान सीमा 50 मिलियन अमरीकी डालर है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजी निवेश करने वाली भारतीय कम्पनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना

प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

विवरण-II

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नई दिल्ली–110003

चालू एस.टी.पी.आई. केन्द्र

क्र.सं.	एसटीपीआई	राज्य
1	2	3
1.	बंगलौर	कर्नाटक
2.	मणिपाल	कर्नाटक
3.	मैसूर	कर्नाटक
4.	मंगलौर	कर्नाटक
5.	हुबली	कर्नाटक
6.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
7.	राउरकेला	उड़ीसा
8.	पुणे	महाराष्ट्र
9.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
10.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	नागपुर	महाराष्ट्र
12.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
13.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश
14.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
15.	वारंगल	आंध्र प्रदेश
16.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश
17.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
18.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
19.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
20.	देहरादून	उत्तर प्रदेश
21.	गांधी नगर	उत्तरांचल
22.	तिरुवनन्तपुरम	गुजरात
23.	चेन्नै	तमिलनाडु
24.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
25.	त्रिची	तमिलनाडु
26.	मदुरै	तमिलनाडु
27.	मोहाली	पंजाब
28.	जयपुर	राजस्थान
29.	गुवाहाटी	असम
30.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
31.	इंदौर	मध्य प्रदेश
32.	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
33.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
34.	भिलाई	छत्तीसगढ़
35.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

मुसलमानों को आरक्षण

7378. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 16 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सरकारी नौकरी के मसलों में धर्म के आधार पर कोई भेद–भाव नहीं किया जा सकता।

'आसियान' में भारत का प्रवेश

7379. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) का पूर्णकालिक सदस्य बनने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 5 नवम्बर, 2002 को होना निर्धारित है।

प्रमुख पत्तनों पर कार्गो प्रबन्ध

7380. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्तन उपस्करों के खराब रख–रखाव के कारण प्रमुख पत्तनों के कार्गो प्रबन्ध की मौजूदा क्षमता वर्ष 2000–01 और 2001–2002 के दौरान अनुमानित आवश्यकता से बहुत कम दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों के बारे में जांच की है;

(घ) क्या कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

जामनगर और पोरबंदर में टेलीफोन कनेक्शन

7381. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जी. जे. जावीया :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जामनगर और पोरबंदर जिलों के दूरसंचार विभाग को टेलीफोनों के कार्य नहीं करने से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणाली के सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को एस.टी.डी. नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में प्रत्येक एक्सचेंज द्वारा कितने नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है :

जिले का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
जामनगर	124260	132172	156288
पोरबंदर	48397	53864	54113

टेलीफोनों के खराब होने से संबंधित शिकायतों को कम से कम समय में निपटाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

(ग) टेलीफोन प्रणाली को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम पर जोड़ना।

(ii) सभी एक्सचेंजों को एस.टी.डी. की सुविधा प्रदान करना।

(iii) ओवरहैड अलाइनमेंट कम करने के लिए भूमिगत केबल बिछाना तथा 5 और 10 पेयर्स वाली डी.पी. खोलना।

(घ) जामनगर और पोरबन्दर जिलों में कार्यरत सभी एक्सचेजों को एस.टी.डी. सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ङ) वर्ष 1999–2000, 2000–01 और 2001–2002 के दौरान जामनगर और पोरबन्दर में प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों का एक्सचेंज–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

विवरण-I

जामनगर जिले में गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शन

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	अलीआबाद	26	251	193
2.	अमरान	25	104	44
3.	अरला	—	—	55
4.	बघधारा	—	2	106
5.	बलाछादी	1	63	91
6.	बलमभा	21	86	74
7.	बेराजा	12	11	134
8.	भदथार	9	36	72
9.	भन्दाना	—	52	153
10.	भर्गोरे	34	41	112
11.	भनवाद	418	361	468
12.	भाटीआ	372	226	319
13.	भेन्सदाद	—	—	51
14.	भोगत	—	82	69
15.	चन्द्रागढ़	—	2	250
16.	चोखन्डा	1	11	11
17.	दबासांग	—	14	52
18.	दादला	20	73	123
19.	दल्लुर्गी	—	2	95
20.	धराता	40	53	13
21.	धरोल	193	442	568
22.	धूतरपार	—	—	166
23.	दूधाई	—	127	62
24.	द्वारका	232	369	689
25.	फल्ला	25	150	130
26.	फलसार		37	59
27.	गधका	67	85	111
28.	हदीआना	36	142	44
29.	हसंथाल	—	48	69
30.	हरीपार	—	2	165
31.	हथला	11	12	41
32.	आईएनएस वलसूरा	83	44	4
33.	जाम देवलिआ	—	98	112

1	2	3	4	5
34.	जाम जोधपुर	370	288	395
35.	जाम कल्याणपुर	124	106	381
36.	जाम खमभल्ला	801	1116	737
37.	जामनगर (मुख्य)	5198	6140	5648
38.	जाम रवाल	43	277	358
39.	जाम वन्थाली	38	101	115
40.	जामवारी (बलवा)	13	91	128
41.	जीवापार	51	30	122
42.	जोवीआ	6	276	200
43.	कजूरदा	—	157	60
44.	कलावाद	29	578	248
45.	कनालुस	20	71	145
46.	कुशीआ	—	131	209
47.	खम्भालीदा	—	—	86
48.	खेन्धेरा	112	6	95
49.	खरेदी	49	21	262
50.	खेनगरका	—	—	53
51.	खिरसारा	—	22	97
52.	ललयाला	—	—	188
53.	ललोल	—	2	228
54.	लालपुर	328	291	159
55.	लबांबुन्देर	55	152	7
56.	लतीपुर	21	140	26
57.	मजोथ	—	—	119
58.	मकाजी मेघपार	—	2	144
59.	मन्दासन	1	51	41
60.	मनसार	0	0	180
61.	मालवा	18	76	65
62.	मेदी	70	103	101
63.	मेघपार	56	36	105
64.	मेवासा	—	—	52
65.	मीठापुर	228	518	857
66.	मोडपार	18	64	39
67.	मोरझार	25	55	186
68.	मोटा भदुकिआ	—	2	333
69.	मोटा गुडां	4	31	160
70.	मोटा पचंदेवदा	24	36	66
71.	मोटा वडाला	77	36	68
72.	मोटी बनुगर	143	84	261
73.	मोटी खवाडी	7	16	169
74.	मोटी खोखारी	—	—	54
75.	मोटी नगाझार	—	2	178
76.	मोवन	—	51	57
77.	नाघेदी	55	92	80
78.	नाना वडाला	—	51	172
79.	नवागाम (केएलडी)	83	16	208
80.	नगागाम (एलएलपी)	--	—	59
81.	निकावा	65	10	270
82.	ओखा	237	233	268
83.	परादूआ	—	2	109

1	2	3	4	5
84.	पीपरटोडा	—	2	69
85.	पीथाड	3	148	142
86.	राजपरास	—	2	162
87.	रण	11	82	153
88.	रणपुर	—	80	17
89.	रीनारी	81	44	166
90.	सदोदर	9	82	48
91.	सलाया	78	152	138
92.	समाना	—	98	162
93.	समूर	—	91	84
94.	सनौसरी	—	2	69
95.	सापर	13	—	216
96.	सतापर	42	42	75
97.	सेठ वडाला	123	61	97
98.	शिवा	6	74	119
99.	सिदसर	40	120	43
100.	सिक्का	120	293	446
101.	सिन्हन अहीर	—	—	62
102.	सोनवडीया	49	44	45
103.	तरसई	—	222	108
104.	वडीनार	70	393	92
105.	वडपनचसारा	—	6	106
106.	वनाना	—	2	176
107.	वेराद	33	28	174
108.	डबल्यूएलएल (जामनगर)	—	—	453

विवरण-II

पोरबंदर जिले में गत तीन वर्षों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	पोरबंदर	3184	1548	1083
2.	धर्मपुरा (पोरबंदर)	0	1480	105
3.	माधवपुर घेड	44	177	112
4.	टुकड़ा गोसा	13	102	34
5.	बगवादर	63	113	169
6.	अदवाना	81	76	110
7.	विसावाड़ा	72	55	152
8.	बखाराला	55	102	110
9.	फताना	159	98	83
10.	मोधावादा	41	73	123
11.	कन्टेला	21	63	78
12.	खिशत्री	30	29	146
13.	रानावडाला	17	99	32
14.	सिमर	17	89	6
15.	कदच्छ	41	107	8
16.	ओदादर	0	103	37
17.	रतीया	0	60	124
18.	गरेज	0	163	21
19.	रानावव	328	136	422

1	2	3	4	5
20.	अदित्याना	44	84	94
21.	राना कन्दोरना	126	138	261
22.	बिलेश्वर	37	65	—
23.	राना खिरासरा	87	127	73
24.	मोकर	48	23	86
25.	जम्बु	0	146	46
26.	कुटीयाना	256	247	95
27.	महीयारी	31	26	131
28.	मोड्डुर	32	70	8
29.	गोकरन	132	20	167
30.	खगेशरी	37	115	—
31.	इश्वरीया	72	79	113
32.	कोटड़ा	0	138	46
33.	देवदा	0	183	1
34.	फरेर	0	2	74

अमरीकी मानवाधिकार व्यवहार रिपोर्ट

7382. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मार्च 2002 में जारी की गई मानवाधिकार व्यवहार 2001 संबंधी अमेरीकी विदेश विभाग की विभिन्न देशों संबंधी रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकार से संबंधित समस्याओं के बारे में कतिपय आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) मानवाधिकार व्यवहार 2001 से सम्बद्ध अमरीकी विदेश विभाग कंट्री रिपोर्ट जो 4 मार्च, 2002 को जारी हुई, में भारत में न्यायिक हिरासत में बड़े पैमाने पर मृत्यु, पुलिस हिरासत में मौत और सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बार में कुछ आलोचनात्क टिप्पणियां की गई हैं। तथापि, उसने यह भी स्वीकार किया कि भारत में काफी समय से संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है जिसमें दो सदनों वाला संसद और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है, और भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों एवं स्वाधीनता की व्यवस्था है जिनकी सरकार व्यवहार में आम तौर पर सम्मान करती है। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सम्पूर्ण देश में कार्यरत अन्य स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों के कार्य के बारे में अनुकूल टिप्पणियां भी की गई हैं। इस रिपोर्ट में सम्पूर्ण विश्व के देशों में मानवाधिकारों के बारे में अमरीकी विचारधारा की तालिका भी वार्षिक रूप से तैयार की जाती है जो अमरीकी कानून में अपेक्षित है।

(ग) सरकार इस रिपोर्ट को अमरीकी सरकार की एक आंतरिक कार्यवाही के रूप में मानती है और इसमें की गई आलोचनाओं को अस्वीकार करती है।

प्रति लाइन व्यय में परिवर्तन

7383. श्री अरूण कुमार : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिलेड (बी.एस.एन.एल.) के बनाए जाने के बाद प्रति लाइन व्यय में भारी परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दूरसंचार विभाग से भारत संचार निगम लिमिटेड में परिवर्तन किये जाने के बाद आई भिन्नताओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के गठन के बाद टेलीफोन संस्थापन की प्रति लाइन पूंजी लागत में कोई भारी भिन्नता नहीं है। तथापि, आई.डी.ए. वेतनमानों के अनुसार वेतन और मजदूरी, अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान, करों और शुल्क इत्यादि जैसे विभिन्न मदों पर अतिरिक्त लागत को ध्यान में रखते हुए प्रचालन पर प्रति लाइन व्यय लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समझौता ज्ञापन

7384. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाइलैंड ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त सहयोगिता संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में थाइलैंड को कितनी सहायता करेगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) यह समझौता पत्र निम्नलिखित क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देगा :

- इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य
- इलेक्ट्रॉनिक सरकार
- सूचना सुरक्षा
- मानव संसाधन विकास
- अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास
- तीसरे विश्व के बाज़ारों की खोज

(ग) यह समझौता पत्र अपने निष्पादन की तिथि से तीन वर्षों के लिए वैध होगा और पक्षकारों की आपसी सहमति से इसकी अवधि को कभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग निम्नलिखित प्रयोजन से मुख्यतः कार्यक्रमों की पहचान करने तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा :

(i) अन्वेषण एवं अनुसंधान में सहयोग तथा कार्यान्वयन, निर्माणाधीन अवधि, उद्यम वित्त पोषण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मूलसंचरनात्मक सुविधाओं का विकास

(ii) विनियम कार्यक्रम के जरिए कुशलताओं का विकास, सम्मेलन संयुक्त रूप से प्रायोजित करना, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सेमिनार।

(iii) निर्माणाधीन कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत तथा थाइलैंड में यथासंभव उद्यमियों को शामिल करना।

(iv) दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी, उत्पाद व्यापार एवं बाज़ार विकास।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215

7385. श्री अनंत नायक : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–215 के लिए 9.7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने के बावजूद इस राजमार्ग पर विकास और सुधार कार्य अभी तक शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) किस कार्य विशेष हेतु धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–215 से संबंधित कार्य के शुरू किए जाने के बाद से कोई उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु कुल कितनी धनराशि जारी की गई है और अभी तक वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–215 के विकास और सुधार हेतु केंद्र द्वारा स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–215 पर 15.96 करोड़ रु. के 5 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–215 पर स्वीकृति, व्यय

और स्वीकृत कार्यों की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा कार्यवार तिमाही समीक्षा की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–215 पर स्वीकृति, आवंटन और व्यय

(लाख रुपए)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	आवंटन	व्यय	कार्य की स्थिति
1.	0/0 से 9/7 किमी में सड़क गुणता सुधार	306.88	306.88	306.88	पूरा होने वाला है
2.	121/0 से 130/0 किमी में सड़क गुणता सुधार	286.51	286.51	286.51	कार्य पूरा हो गया
3.	178/0 से 181/0 किमी और 183/3 से 184/0 किमी में पेव्ड शोल्डर	137.3	10.56	10.56	कार्य प्रगति पर है
4.	24 से 34 किमी में चौड़ा करना और सुदृढ़ी करना	452.03			निविदा प्रक्रिया चल रही है
5.	70 से 80 किमी में चौड़ा करना और सुदृढ़ी करना	413.14			निविदा प्रक्रिया चल रही है
	जोड़	1595.86	603.95	603.95	

सुनिश्चित कच्चा कार्गो

7386. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने सरकार से सुनिश्चित कच्चे कार्गो संबंधी मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का विचार है कि 1.4.2002 से निर्देशित कीमत प्रणाली (ए.पी.एम.) समाप्त किए जाने के बाद हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम लि. और इंडियन ऑयल कारपोरेशन जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की व्यक्तिगत तेल कम्पनियां कच्चे तेल को स्रोत से प्राप्त करने/उसका वहन करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करने के लिए मुक्त होंगी।

युगोस्लाविया और हंगरी के शिष्टमंडलों का दौरा

7387. श्री एम. टी. पणमुगम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में युगोस्लाविया और हंगरी के शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके साथ किन–किन मामलों पर चर्चा की गयी है;

(घ) इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जीवन रक्षक औषधियां

7388. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में सरकारी अस्पतालों में प्रयोग हेतु विदेशों से खरीदी गई/आयातित औषधियों/जीवन रक्षक औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेशों से औषधियों/जीवन रक्षक औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु उक्त अवधि के दौरान वर्ष–वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) देश से विभिन्न राज्यों के लिए इन औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के वितरण का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

भारत-यूरोपीय संघ की त्रिपक्षीय बैठक

7389. श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ की एक त्रिपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन–किन विषयों पर चर्चा की गई और इस के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या भारत और यूरोपीय संघ ने भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के बारे में चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। भारत–यूरोपीय संघ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2 मई, 2002 को दिल्ली में आयोजित हुई। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध कार्यसूची में प्रथम स्थान पर है। दोनों पक्षों ने भारत–यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंधों, 10–11 अक्तूबर, 2002 को कोपेनहेगेन में आयोजित होने वाले यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन हेतु तैयारियां तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भी समीक्षा की।

(ग) और (घ) चर्चा के दौरान बाजार की अनुपलब्धता और यूरोपीय संघ द्वारा भारत पर थोपे गए एण्टी डम्पिंग उपायों जैसी बाधाओं के निर्धारण सहित व्यापारिक आदान–प्रदान के संवर्धन के उपायों जैसे विषयों को उठाया गया। दोनों पक्षों द्वारा कोपेनहेगेन में आगामी भारत यूरोपीय संघ व्यापार शिखर सम्मेलन में व्यापक भागीदारी पर बल दिया गया।

तूतीकोरीन पत्तन को गहरा करना

7390. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एक बेल्जियन कंपनी से तूतीकोरीन पत्तन को गहरा करने और उसके विकास हेतु एक व्यापक प्रयोग हेतु पूर्णतः तैयार होने वाली परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोग हेतु पूर्णतः तैयार होने वाली (टर्नकी) परियोजना का ब्यौरा क्या है जिसमें निष्कर्षण गतिविधि शामिल है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को पूर्वी तट पर पत्तनों को गहरा करने हेतु ऐसे प्रयोग हेतु पूर्णतः तैयार होने वाली (टर्नकी) ऐसी परियोजनाओं के लिए इसी तरह के कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अफगानिस्तान के लिए औषधियां

7391. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को औषधियां भेजने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु औषधियों को खरीदने संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) अफगानिस्तान को कतिपय औषधियों की आपूर्ति हेतु विदेश मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) इस संबंध में ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

भारत-अमरीका सुरक्षा सहयोग वार्ता

7392. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अमरीका ने हाल में परमाणु सुरक्षा सहयोग वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी सरकार ने भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के सुरक्षा उपायों और उपकरणों का उन्नयन करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे पर हुए समझौते का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षा संबंधी सहकार–कार्य, जिन्हें मई, 1998 में बंद कर दिया गया था, फिर से शुरु करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

धूम्रपान से होने वाली मौत

7393. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में धूम्रपान से होने वाली मौतों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और तम्बाकू के सेवन से होने वाले रोगों से किन दस राज्यों में सर्वाधिक मौतें हुईं, और

(ख) इस खतरे से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) तम्बाकू के इस्तेमाल के कारण हुई

मौतों के संबंध में वर्षवार और राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वैसे, तम्बाकू के इस्तेमाल की व्याप्तता से संबंधित अध्ययनों, तम्बाकू से संबद्ध रोग और तम्बाकू के इस्तेमाल के कारण उनके विकसित होने का खतरा कितना और कैसा है, इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में हर वर्ष लगभग 8,00,000 व्यक्ति अपनी तम्बाकू की लत के कारण मर जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2 के अनुसार जहां तक इस्तेमाल की व्याप्तता का संबंध, है, बुरी तरह से प्रभावित दस राज्य इस प्रकार हैं :

1. मिजोरम
2. अरुणाचल प्रदेश
3. बिहार
4. उड़ीसा
5. असम
6. नागालैण्ड
7. मध्य प्रदेश
8. सिक्किम
9. उत्तर प्रदेश
10. महाराष्ट्र

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू के इस्तेमाल को निरूत्साहित करने के लिए दिनांक 7 मार्च, 2001 को राज्य सभा में "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण का विनियमन) विधेयक, 2001" नामक एक विधेयक पेश किया है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध करने का प्रयास किया गया है। इसने तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित सभी अनुसंधान और अनुसमर्थन कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल स्थापित किया है। यह देश भर में 12 तम्बाकू अवसान (सेस्सेशन) क्लिनिकों के कार्यकारण में सक्रियता से सहायता करता है। दिनांक 7 अप्रैल, 2002 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता फैलाने और तम्बाकू के इसतेमाल के खतरों के संबंध में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए एक जन प्रचार माध्यम अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा, देश भर में स्कूल और समुदाय आधारित उपाय करने के लिए अनेक गैर–सरकारी संगठनों तथा मूल स्तर के संगठनों की सहायता की जा रही है।

[हिन्दी]

डाकघर के अधिशेष कर्मचारी

7394. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में कर्मचारियों के कई पदों को विशेषकर डाकिया एवं मेल अधिकारियों के पदों में हाल में अधिशेष/कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना का मूल्यांकन

7395. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना का मूल्यांकन किन तिथियों को किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त मूल्यांकन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत ऋण वसूली का प्रतिशत क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) अब तक प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर. आई.) के मूल्यांकन के दो दौर संचालित किए गए हैं। दोनों दौर के मूल्यांकन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनपावर रिसर्च (आई.ए.

एम.आर.), नई दिल्ली द्वारा संचालित किए गए थे। कार्यक्रम वर्ष 1993–94 और 1994–95 से संबंधित मूल्यांकन का पहला दौर वर्ष 1996–97 में संचालित किया गया। इसमें 15,331 लाभार्थियों को कवर करते हुए 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 48 जिलों को कवर किया। कार्यक्रम वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 से संबंधित मूल्यांकन का दूसरा दौर वर्ष 2000–01 में संचालित किया गया। इसमें 16,397 लाभार्थियों को कवर करते हुए 5 राज्यों के 13 जिलों को कवर किया। मूल्यांकन अध्ययन के प्रथम दौर के मुख्य निष्कर्ष विवरण–I के रूप में संलग्न हैं, जबकि मूल्यांकन अध्ययन के दूसरे दौर के मुख्य निष्कर्ष विवरण–II के रूप में संलग्न हैं।

(ख) उपयुक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर 2001 को समाप्त अर्ध वर्ष हेतु प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत बकाया ऋणों की वसूली 28.6 प्रतिशत है।

विवरण-I

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के मूल्यांकन अध्ययन (प्रथम दौर) के मुख्य निष्कर्ष

(1) लाभार्थियों का 67 प्रतिशत सामान्य वर्ग से संबंधित है, 21 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों, 8 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों का अनुपात 11 प्रतिशत है।

(2) संस्वीकृति लक्ष्य का 80 प्रतिशत थी और संस्वीकृत मामलों के 83 प्रतिशत संवितरित किए गए थे।

(3) संस्वीकृत ऋण की औसत राशि प्रति लाभार्थी 52,268 रुपये है।

(4) रोजगार सृजन प्रति इकाई 2.39 है।

(5) लाभार्थियों के लगभग 65 प्रतिशत नियमित भुगतान कर रहे थे।

(6) इकाइयों की स्थापना में कुल निवेश में, और सृजित रोजगार में पिछड़े वर्गों का अंश कुल का 1/3 के लगभग है।

(7) लाभार्थियों के लगभग 53 प्रतिशत को बैंकों द्वारा "कोलेट्रल सिक्यूरिटी" के आग्रह के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा ।

(8) 15098 संवितरित मामलों में से 15002 इकाइयां स्थापित की गई थीं (सफलता दर 99.3 प्रतिशत)।

विवरण-II

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के मूल्यांकन अध्ययन (दूसरा दौर) के प्रमुख निष्कर्ष

(1) लाभार्थियों का 61.3 प्रतिशत सामान्य वर्ग से संबंधित है, 25.6 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों से, 11 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 2.1 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति से संबंधित है। महिलाओं का अनुपात 14 प्रतिशत है।

(2) संस्वीकृति लक्ष्य का 81.6 प्रतिशत थी, और संस्वीकृत मामलों का 74.7 प्रतिशत किया गया था।

(3) संवितरित ऋण की औसत राशि प्रति लाभार्थी 57,403/– रुपये है।

(4) रोजगार सृजन प्रति प्रकार्यात्मक इकाई 1.94 व्यक्ति है।

(5) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का वितरण क्रमशः 49.9 प्रतिशत एवं 50.1 प्रतिशत है।

(6) संवितरित मामलों 89.7 प्रतिशत में परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं।

(7) लाभार्थियों के 36.4 प्रतिशत ऋण किस्तों का समय पर भुगतान कर रहे थे।

(8) चूककर्ता मामलों में 16 प्रतिशत जानबूझकर की गई चूक पाई गई।

[अनुवाद]

चिकित्सा परिषद

7396. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री रामजीवन सिंह :

श्री राधा मोहन सिंह :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा परिषद का गठन सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार में बरती जा रही असावधानी से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के उदेश्य से किया गया था;

(ख) यदि हां, तो चिकित्सा परिषद द्वारा प्रारंभ से ही चिकित्सा उपचार में बरती गई असावधानी के कितने मामलों की जांच की गई;

(ग) सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार में बरती गई असावधानी के मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वार उक्त मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की स्थापना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1933 के अधीन की गई थी जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसके मुख्य कार्य, अन्य के साथ–साथ, भारत में आयुर्विज्ञान शिक्षा के उपयुक्त मानकों को बनाए रखने तथा केन्द्र सरकार को मेडिकल कालेज खोलने, सीटों में वृद्धि करने की अनुमति देने, स्नातकोत्तर पाठयक्रम शुरू करने, भारतीय आयुर्विज्ञान अर्हताओं और विदेशी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता देने/मान्यता समाप्त करने की सिफारिश करने हेतु मेडिकल कालेजों का निरीक्षण/दौरा करना, भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर का रख–रखाव करना तथा अतिरिक्त अर्हताओं का पंजीकरण करना, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी करना आदि हैं। धारा 33 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 20क के उपबंधों के अनुसार (विनियम बनाने की शक्ति) परिषद ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से दिनांक 6 अप्रैल, 2002 को सरकारी राजपत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार–शास्त्र) विनियम, 2002 अधिसूचित किए हैं। ये विनियम अन्य बातों के साथ–साथ, किसी डाक्टर की ओर से होने वाली ऐसी भूल या चूक के बारे में बताते हैं, जो व्यावसायिक कदाचार अथवा अनैतिक कार्य माने जाएंगे तथा जिनके कारण उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी। जहां तक सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय लापरवाही का संबंध है, जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों, जहां संबंधित डाक्टर पंजीकृत होता है, को और राज्य प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है। जहां तक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के साथ सीधे पंजीकृत डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतों का संबंध है, परिषद द्वारा परिषद की नैतिकता–समिति के जरिए कार्रवाई की जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पास इसके प्रारम्भ से डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। वैसे, परिषद से प्राप्त हुई 1999, 2000 और 2001 के वर्षों की सूचना के अनुसार उन्हें सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे डाक्टरों के विरुद्ध क्रमशः 36, 28 और 32 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों, जहां डाक्टर पंजीकृत हैं, को भेज दी गई हैं।

मैरिन अभियंताओं की कमी

7397. श्री ए. नरेन्द्र : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौवहन उद्योग के लिये आवश्यक मैरिन अभियंताओं एवं अन्य कुशल कार्मिकों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में वर्तमान में मैरिन अभियंताओं एवं अन्य कुशल कार्मिकों के लिये तकनीकी संस्थानों की संख्या कितनी है और उनकी क्षमताओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीनतम समीक्षा के अनुसार कार्मिक की आवश्यकता संबंधी आकलन क्या है; और

(घ) नौवहन उद्योग में श्रमबल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मैरिन अभियंत्रण महाविद्यालयों की स्थापना करने और तकनीकी संस्थानों में पाठयक्रम आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार और अन्य निजी संस्थानों द्वारा चलाई जा रही प्रशिक्षण संस्थापनाएं लगभग 1570 नौचालन इंजीनियरों और 600 इंजिन रूम नाविकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दे सकती हैं। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	अधिकारियों की सं.	नाविकों की सं.
1.	महाराष्ट्र	464	शून्य
2.	गोवा	55	160
3.	केरल	100	शून्य
4.	तमिलनाडु	412	440
5.	आंध्र प्रदेश	98	शून्य
6.	पश्चिम बंगाल	400	शून्य
7.	दिल्ली	40	शून्य

(ग) भारतीय रजिस्ट्री के जलयानों के लिए लगभग 1120 नौचालन इंजीनियरों की आवश्यकता है।

(घ) नौवहन उद्योग की जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने नौचालन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए 1997 में एक निर्णय लिया था। इसके परिणामस्वरूप नौचालन इंजीनियरों का उत्पादन 1998 में 700 से कुछ अधिक से बढ़कर इस समय लगभग 1570 नौचालन इंजीनियर हो गया है।

हॉट साइटों के लिये भारतीय उद्योग परिसंघ की दस सूत्री कार्य सूची

7398. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यकता एवं मांग समीकरण के आधार पर काल सेन्टर कंपनियों के संघ द्वारा देश में हॉट साइटों को बढ़ावा देने हेतु एक दस सूत्री कार्यसूची का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन हॉट साइटों के प्रस्ताव भूकम्प, अग्निकांड, बम विस्फोट इत्यादि जैसी आपदाओं में भी अभियानों के मद्देनजर किया है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच करने के बाद, स्वतंत्र हॉट साइटों की स्थापना करने की अनुमति दे दी है। ये हॉट साइटें "हॉट साइट कॉल सेन्टर" के रूप में पंजीकृत होंगी। स्वतंत्र हॉट साइट प्रदाता केवल अवसंरचना अर्थात भवन, मेन सर्वर, एजेन्ट पोजीशन, विद्युत संयंत्र, एअर कंडीशनर आदि प्रदान करेगा। हॉट साइट सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक विभिन्न कॉल केन्द्र हॉट साइट पर डेडिकेटेड सर्वर्स/रूटर्स और आवश्यक पट्टाशुदा सर्किट प्रदान करेंगे।

होमियोपैथी उद्योग

7399. श्री सुबोध मोहिते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार होमियोपैथ उद्योग हेतु वस्तु निर्माण मानदंडों के संबंध में होमियोपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के जैसी ही मानक क्रियाविधि सृजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में होमियोपैथ उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की होम्योपैथी पर उप-समिति ने होम्योपैथी में अच्छी विनिर्माण पद्धतियों पर मसौदा तैयार किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) सरकार ने होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ

इंडिया के 8 खंड प्रकाशित कराए हैं, जिनमें 916 मोनोग्राफ हैं।

(ii) राज्य–फार्मेसियों और प्रयोगशालाओं को सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

(iii) तैयार की गई औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने केंद्रीय होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला स्थापित की है।

(iv) कुछ आमतौर पर प्रयुक्त औषधियों को किसी भी लाइसेंसशुदा फार्मेसी के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में औषधि एवं प्रसाधन–सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची "ट" में संशोधन किया गया है।

नई दिल्ली स्थित आयुर्वेदिक अस्पतालों में अनियमितताएं

7400. श्री नरेश पुगलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 2002 के नवभारत टाइम्स में नई दिल्ली स्थित आयुर्वेदिक अस्पतालों में अनियमितताओं से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु किसी जांच के आदेश दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। उक्त समाचार में बताई गई कमियां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक अस्पताल, लोधी रोड के संबंध में है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 1997 में निर्मित अस्पताल के अतिरिक्त ब्लाक को काम में न लाया जाना, अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के पद को भरने में विलम्ब होना और कुछ आयुर्वेदिक औषधों की खरीद में अनियमितताएं होना, शामिल हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त अस्पताल को चलाने में कमियों का पता लगाने के लिए तथ्यों का पता लगाने वाली जांच करने का आदेश दिया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक सुधारक कार्रवाई की जाएगी।

जहां तक उपर्युक्त अस्पताल के लिए चिकित्सा अधीक्षक के पद को भरने का संबंध है, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ने यह पद दिसम्बर, 1999 में विज्ञापित किया है जिसके बाद संघ लोक सेवा आयोग ने चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित किया। चूंकि कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाया गया, अतः इस पद को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने के लिए पुनः विज्ञापित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में इंटरनेट सेवा

7401. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल, इंदौर एवं मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों को प्रत्येक अंतराष्ट्रीय गेटवे वेब से जोड़ने हेतु उनके मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त राज्य में इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में इंटरनेट सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को श्रेणी "क" के 78 लाइसेंस दिए गए हैं, जो मध्य प्रदेश सहित

भारत में कहीं भी सेवा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में श्रेणी "ख" के 2 तथा श्रेणी "ग" के 9 लाइसेंस दिए गए हैं।

(ii) 14 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने मध्य प्रदेश में इंटरनेट सेवा शुरू करने की सूचना दी है।

(iii) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने मध्य प्रदेश में 44 नोड स्थापित किए हैं।

(iv) बीएसएनएल ने मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई है।

(v) बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को निकटतम नोड से स्थानीय कॉल प्रभार आधार पर इंटरनेट अभिगम्यता उपलब्ध करा दी है।

(vi) बीएसएनएल ने मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक मुख्यालयों में से 304 ब्लॉक मुख्यालयों को इंटरनेट अभिगम्यता उपलब्ध करा दी है।

(vii) बीएसएनएल ने फ्रेंचाइजियों द्वारा स्थापित इंटरनेट ढाबा स्कीम के माध्यम से 142 इंटरनेट ढाबों को इंटरनेट डायल–अप कनैक्शन उपलब्ध कराए हैं।

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबों के लिए निःशुल्क इंटरनेट अभिगम्यता दे रहा है।

(ix) बीएसएनएल के इंटरनेट ढाबा फ्रेंचाइजी कमीशन के रूप में पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) अभिगम्यता प्रभार की 25 प्रतिशत राशि प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

सॉफ्टवेयर सेवाओं में प्रतिस्पर्धियों की पहचान

7402. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन देशों की पहचान की है जो सॉफ्टवेयर एवं सेवा कारोबार में भारत से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूचना प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में उभर रही चुनौतियों का सामना करने हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग विश्वस्तर पर महती भूमिका निभा रहा है। सॉफ्टवेयर और सेवाओं के क्षेत्र में जो देश भारत के संभावित प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं उनमें चीन, आयरलैण्ड, इस्रायल, रूस स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के देश, पूर्वी यूरोपीय समुदाय, फिलीपाइन, मैक्सिको और वियतनाम शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण-I

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अंतर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क

क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आई टीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफिरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोतरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में संपूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कम्प्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002–03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लॉपी डिस्क तथा रिकार्ड नहीं किए गए चुम्बकीय टेपों पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5%, अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25–35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25–35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

- कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक–पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5%, सेल्यूलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक–पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर

कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्द्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थिति इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (शृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में 'निर्यात गृह' का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं :

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरंभिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निदेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यापूंजी के कुल 25% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80-Iए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003–04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. जो भारतीय कम्पनियां विदेशों में पूंजी निवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का पूंजी निवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान सीमा 50 मिलियन अमरीकी डालर है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजी निवेश करने वाली भारतीय कम्पनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

संचार नेटवर्क

7403. श्री वाई. वी. राव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार ग्राम पंचायतों में दूरसंचार कार्यों के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष के दौरान कितनी पंचायतों को राज्यवार शामिल किया जाना है;

(ग) राज्यवार कितनी धनराशि का व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे ग्रामीण संचार नेटवर्क में किस प्रकार से वृद्धि होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान, भारत संचार निगम लि. की 12007 पंचायतों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने की योजना है। राज्यवार ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है। निजी बुनियादी सेवा प्रदाताओं (पी.बी.एस.ओ.) द्वारा 9916 ग्राम पंचायतों को ये सुविधाएं दी जानी हैं।

(ग) और (घ) पंचायतों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने हेतु राज्यवार अलग से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। ग्राम पंचायतों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) उपस्कर का उपयोग करने का प्रस्ताव है। तथापि, स्थलीय प्रौद्योगिकी से कवर न किए जा सकने वाले पंचायत ग्रामों सहित देश के दूर–दराज एवं अलग–अलग गांवों में लगभग 18,045 सैटेलाइट टेलीफोन प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रु. की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. उपस्कर के आगमन से उन क्षेत्रों में भी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना संभव हो जाएगा जो टेलीफोन एक्सचेंज से काफी दूरी पर स्थित हैं।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान कवर की जाने वाली पंचायतें

सर्किल	भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कवर की जाने वाली पंचायतें	निजी बुनियादी सेवा प्रदाताओं द्वारा कवर की जाने वाली पंचायतें
1	2	3
आंध्र प्रदेश	0	1273
असम	391	0
बिहार	587	0
छत्तीसगढ़	971	1903
गुजरात	0	968
हिमाचल प्रदेश	103	0
जम्मू एवं कश्मीर	560	0
झारखण्ड	882	0
कर्नाटक	2	0
मध्य प्रदेश	0	3209
महाराष्ट्र	0	2020
पूर्वोत्तर-I	291	0
पूर्वोत्तर-II	648	0
उड़ीसा	244	0
राजस्थान	0	543
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5370	0
उत्तरांचल	1958	0
जोड़	12007	9916

जनसंख्या नियंत्रण के संदेश के प्रसार संबंधी तकनीक का विकास

7404. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने जनसंख्या नियंत्रण के संदेश को बढ़ावा देने एवं देश के दूर–दराज के गांवों में स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए एक अनन्य तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे जनसंख्या नियंत्रण में कितनी सहायता मिलने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

घरेलू मनीआर्डर कारोबार

7405. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, ट्रैवल एजेंटों एवं कूरियर सेवा को घरेलू मनीआर्डर कारोबार में प्रवेश करने की अनुमति देने का है;

(ख) क्या इस संबंध में दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अभिकरणों द्वारा त्रुटिहीन कारोबार को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सरकार ने नियमन ढांचे और पूंजीकरण के मानदंडों, तथा धन बाहर अंतरित करने के कार्य के निषेध के अध्यधीन धन आधारित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी कार्यकलाप के रूप में घरेलू अंतरण व्यापार के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का इस व्यापार में ट्रेवल एजेंटों और कूरियर सेवा प्रदायकों को दाखिल होने देने की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) इस बारे में दिशा–निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए जाने हैं।

डाकघर का निर्माण

7406. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद एवं सिकन्दराबाद के विभिन्न हिस्सों में डाकघरों के निर्माण हेतु आरक्षित भूमि का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कितने स्थलों पर निर्माण कार्य आरंभ किया गया है;

(ग) क्या अभी भी डाकघरों के लिए आरक्षित कई स्थलों पर निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) डाकघरों के लिए आरक्षित सभी स्थलों पर कब तक कार्य के पूरा होने की संभावना है; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान हैदराबाद में किराये के भवन में डाकघरों के संचालन का विभाग द्वारा कुल कितने किराये का भुगतान किया जा रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के विभिन्न हिस्सों में डाकघरों के स्थान हेतु आरक्षित भूमि का स्थानवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1.	भरतनगर कालोनी हैदराबाद सिटी डिवीजन	418
2.	जुबली हिल्स हैदराबाद सिटी डिवीजन	500
3.	मोतीनगर स्वराज्यनगर हैदराबाद सिटी डिवीजन	418
4.	मंखाल हैदराबाद दक्षिण पूर्व डिवीजन	752
5.	शमशाबाद हैदराबाद दक्षिण पूर्व डिवीजन	921.25
6.	वनस्थलीपुरम हैदराबाद दक्षिण पूर्व डिवीजन	324.05
7.	गगनपहाड़ हैदराबाद दक्षिण पूर्व डिवीजन	289.5
8.	एच. नगर सिकंदराबाद डिवीजन	392.98
9.	एच.एम.टी. टाउनशिप सिकंदराबाद डिवीजन	836.13
10.	के.पी.एच.बी. कालोनी सिकंदराबाद डिवीजन	418.06
11.	जमिस्तानपुरा सिकंदराबाद डिवीजन	263
12.	बोलाराम बाजार सिकंदराबाद डिवीजन	333

(ख) से (ङ) खाली भूखण्डों पर भवनों का निर्माण कार्य प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(च) हैदराबाद में वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान किराये के भवनों में डाकघरों को चलाने के लिए विभाग द्वारा अदा किया गया कुल किराया क्रमशः 42,88,442/– रुपए तथा 42,90,442/– रुपए है।

अतिरिक्त व्यय किया जाना

7407. श्री अरुण कुमार : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 4 (सिविल) के पैरा 9.2 में 2.32 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय संबंधी तथ्य प्रकाशित किया है जिसमें बातचीत के पश्चात् दूसरी सबसे कम बोली देने वाले बोलीदाता के अधिक दर के संशोधित प्रस्ताव को नियमों को ताक पर रखकर स्वीकार किया गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सबसे कम बोली देने वाले बोलीदाता के अलावा अन्य बोलीदाताओं से बातचीत करने पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2002 की रिपोर्ट सं. 4 के पैरा सं. 9.2 का संबंध टगों और पायलट क्राफ्ट की आपूर्ति के लिए न्यूनतम बोलियों के मूल्यांकन में विलम्ब होने के कारण और बातचीत के बाद दूसरे न्यूनतम निविदादाता को अनियमित रूप से स्वीकार करने के कारण हुए 2.32 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय से है। चेन्नई पत्तन न्यास ने नए इन्नौर पत्तन पर प्रचालन के लिए तीन टगों ओर दो पायलट क्राफ्टों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। परामर्शदाता ने 'साइक्लोइडल नोदन प्रणाली' के लिए मैसर्स 'ए' की न्यूनतम पेशकश का इस अर्हता के साथ प्रस्ताव किया कि यह पेशकश तकनीकी रूप से संदिग्ध थी क्योंकि यह बोली सक्रिय स्थायित्व आवश्यकता को पूरा नहीं करती थी और "आजीमथ नोदन प्रणाली" के साथ टगों के लिए मैसर्स 'बी' की अगली उच्च पेशकश की सिफारिश की। निविदा समिति ने 'साइक्लोइडल नोदन प्रणाली' को प्राथमिकता दी (जून, 1998) परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मैसर्स 'ए' की बोली के स्थायित्व पहलुओं पर परामर्शदाता से पक्की राय मांगी। समस्त अतिरिक्त अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के बाद परामर्शदाता ने फर्म से ली गई और अधिक सूचना के आधार पर अंततः 52.32 करोड़ रु. की मैसर्स 'ए' की पेशकश की सिफारिश की (26 जून, 1998)। निविदा समिति ने परामर्शदाता की सिफारिश स्वीकार कर ली और दिनांक 30.6.1998 को मैसर्स 'ए' को आदेश देने की सिफारिश की। बोलियों की वैधता अवधि 90 दिन अर्थात् 20.4.1998 तक थी जिसे पत्तन के अनुरोध पर मैसर्स 'ए' द्वारा 60 दिनों के लिए 20.6.1998 तक और उसके बाद 30 दिनों के लिए 20.7.1998 तक बढ़ा दिया गया। जब अवधि को 30 और दिन के लिए 20.8.1998 तक बढ़ाने की मांग की गई, मैसर्स 'ए' ने उद्धृत किए गए मूल्य के साथ अपनी वैधता अवधि बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की और अपने उद्धृत मूल्य में 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि कर दी जिसका अर्थ निविदा के बाद संशोधन करना था। निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार निविदादाताओं को अपनी निविदाओं में संशोधन करने की न तो आवश्यकता थी और न ही अनुमति थी। मैसर्स 'ए' अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था और इसलिए उनकी पेशकश को अवैध माना गया। चूंकि न्यूनतम निविदादाता (मैसर्स 'ए') ने विद्यमान शर्तों पर अपनी पेशकश की वैधता बढ़ाने से इनकार कर दिया, इसलिए चेन्नई पत्तन न्यास ने लागत और समय अधिकता से बचने के लिए परियोजना के हित में अगली न्यूनतम पेशकश के साथ बातचीत की।

[हिन्दी]

नए डाकघर खोलने संबंधी लक्ष्य

7408. श्री रामो सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने से संबंधित क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में नए डाकघर खोलने के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा

योजना वर्ष	बिहार सर्किल				उत्तर प्रदेश सर्किल			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1997–98	04	31	04	31	6	70	6	57
1998–99	02	72	02	72	3	82	3	82
1999–00	शून्य	51	शून्य	51	3	42	2	10
2000–01	02	73	शून्य	71	1	44	शून्य	45
2001–02	शून्य	60	शून्य	38	2	40	2	38
कुल	08	287	06	263	15	278	13	232

[अनुवाद]

मशीन टूल क्षेत्र के लिए कार्यक्रम

7409. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मशीन टूल क्षेत्र के लिए कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक इस कार्यक्रम के माध्यम से अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित, भारतीय मशीन टूल उद्योग के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.डी.आई.एम.टी.आई.), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय एक्जिम बैंक और भारतीय मशीन टूल विनिर्माणकर्ता संघ (आई.एम.टी.एम.ए.) के सहयोग से 13 दिसंबर, 2001 को आरंभ किया गया था। एन.पी.डी.एम.टी.आई. का उद्देश्य, कार्यकलापों जिसमें प्रौद्योगिकी मैन्यूअल तैयार करने के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवीन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के माध्यम से विपणन विकास, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार डाटाबेस तैयार करना, अभिकल्पों पर नियमित पाठ्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण, कुशल व्यवहार्यों का मेकाट्रॉनिक्स अध्ययन आदि शामिल हैं, के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है।

(ग) और (घ) चूंकि कार्यक्रम की अवधि तीन वर्षों की है, ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यकलाप अभी भी संचालित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष

7410. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष द्वारा क्या प्रगति की गई है;

(ख) सोसाइटी के पास इस समय कितनी धनराशि है; और

(ग) इस धनराशि से कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि की स्थापना हेतु प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। सोसाइटी में उपलब्ध निधियां तथा उससे कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों की स्थिति निधि के प्रचालित होने के पश्चात् ही स्पष्ट हो पाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण डाकघरों का आधुनिकीकरण

7411. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में आधुनिक डिजीटलीकृत डाक प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002–2003 के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में उपलब्ध कराये जाने वाली ऐसी संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता

7412. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग बेरोजगार युवकों को आय सृजन के लघु व्यवसाय आरम्भ करने के लिए कोई वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बेरोजगार युवाओं को प्रदान की गई सहायता/ऋण का ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत के.वी.आई.सी. 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है, और 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी की दर 10 ख रु. का 25 प्रतिशत जमा परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी/संस्थान और पहाड़ी सीमा और जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के मामले में मार्जिन मनी अनुदान, 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30 प्रतिशत है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा। अ.जा./अ.ज.जा, और कमजोर वर्गों के मामले में लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के लिए शेष निधियां बैंकों द्वारा आवधिक ऋण के रूप में प्रदान की जा रही हैं।

(ख) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत, प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक भी शमिल हैं। सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों हेतु आर.ई.जी.पी. का राज्यवार संवितरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	रा./संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	87.88	217.81	776.04

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	30.00
3.	असम	2.01	15.78	67.94
4.	बिहार	5.61	22.47	28.65
5.	गोवा	2.46	22.16	139.58
6.	गुजरात	2.83	21.67	41.47
7.	हरियाणा	85.35	85.35	539.78
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8.79	53.92	283.67
10.	कर्नाटक	65.00	485.38	736.34
11.	केरल	107.57	334.39	942.2
12.	मध्य प्रदेश	95.81	562.67	777.05
13.	महाराष्ट्र	312.23	809.13	734.79
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	3.00	7.92	53.12
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	4.31	180.74
18.	उड़ीसा	3.19	27.74	58.32
19.	पंजाब	162.99	780.74	1048.61
20.	राजस्थान	118.24	792.24	1096.2
21.	सिक्किम	0.00	0.00	11.91
22.	तमिलनाडु	86.4	321.02	470.68
23.	त्रिपुरा	0.00	1.14.	7.17
24.	उत्तर प्रदेश	229.29	549.03	1917.53
25.	पश्चिम बंगाल	14.27	7.61	191.06
26.	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	1.71
27.	चंडीगढ़	0.22	5.06	4.84
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	2.5
29.	दिल्ली	0.83	1.05	15.82
30.	पांडिचेरी	0.15	1.58	9.21
31.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
33.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	2.94
34.	झारखंड	0.00	0.00	12.37
35.	उत्तरांचल	0.00	0.00	13.98
	कुल	1394.12	5130.15	10196.22

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाना

7413. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेनों के कार्य को वास्तविक रूप से कार्यन्वित किए जाने तक उनकी गुणवत्ता/उन पर वाहन चलाने की दशाओं को सुधारने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और इन पर वाहन चलाने की दशाओं में सुधार करने के लिए विशेष योजनाओं को स्वीकार करने हेतु कोई निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो पहले से आरंभ की गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों जिन्हें 4 लेन का बनाया जाना है, की गुणता सुधार और अनुरक्षण के लिए समय–समय

पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे अनुरोधों की जांच की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि वह उसे सौंपे गए सभी विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को यातायात योग्य स्थिति में रखें जब तक कि 4/6 लेन बनाने का प्रस्तावित कार्य पूरा नहीं होता।

[हिन्दी]

पुरूलिया में हथियार गिराये जाने के मामले के मुख्य अभियुक्त का प्रत्यर्पण

7414. श्री सदाशिवराव वादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पुरूलिया में हथियार गिराये जाने के मामले के मुख्य अभियुक्त किम डेवी के प्रत्यर्पण के मुद्दे को डेनमार्क के विदेश मंत्री के साथ उनके भारत दौरे के दौरान उठाया था;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर डेनमार्क की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह ने किम डेवी के मसले को डेनमार्क के विदेश मंत्री की 30 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली की उनकी यात्रा के दौरान उठाया था।

(ग) भारत और डेनमार्क इस मसले का हल खोजने के तरीकों का पता लगाते रहने के लिए सहमत हुए। भारत सरकार कोपेनहेगेन स्थित हमारे राजदूतावास के माध्यम से डेनमार्क की सरकार के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए है।

[अनुवाद]

हैण्डसैटों का चयन

7415. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एमटीएनएल हैण्डसैटों का चयन करने और डब्ल्यूएलएल सेवा में प्रयुक्त होने वाले इन हैण्डसैटों के न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताएं निर्धारित करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एमटीएनएल की ओर से विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यह मूल्यांकन प्रक्रिया कब से जारी है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। एमटीएनएल ने 1999 में डब्ल्यूएलएल उपकरणों के हैंड–सेटों की तकनीकी विशिष्टियों को अंतिम रूप दे दिया था। बाद में, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र ने भी व्यापक आवश्यकताओं (जीआर) वाली विशिष्टियों को अंतिम रूप दे दिया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए' लागू नहीं होता।

(घ) एमटीएनएल की उपर्युक्त तकनीकी विशिष्टियों के आधार पर, 4.7.2000 को दिल्ली की डब्ल्यूएलएल–सेवाओं हेतु 30,000 हैंड सैटों का क्रयादेश दिया गया था। ये हैंड–सैट प्राप्त हो गए थे व इस समय काम में आ रहे हैं । बाद में, टीइसी–विशिष्टियों के आधार पर 24.2.02 को 15,000 हैंड सैटों के लिए एक और क्रयादेश दिया गया है।

[हिन्दी]

भौतिक चिकित्सकों की नियुक्ति

7416. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में सरकारी अस्पातालों में कितने भौतिक चिकित्सक हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में भौतिक चिकित्सकों के कई पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन रिक्तियों को भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) तीन केन्द्रीय अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों में भौतिक–चिकित्सकों के अनुमोदित पद निम्न प्रकार हैं :

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	–	3
सफदरजंग अस्पताल	–	20
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पताल	–	7

(ख) जी, नहीं। सफदरजंग अस्पताल में भौतिक चिकित्सकों के दो पर खाली पड़े हैं–एक 1.6.2001 से तथा अन्य 27.11.2001 से।

(ग) पहला भौतिक चिकित्सक का पद पदधारक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप तथा अन्य पद पदधारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप खाली पड़ा है।

(घ) और (ङ) जी, हां। दो खाली पड़े पदों में से एक पद को जांच समिति ने स्वीकृति दे दी है और इसके लिए सरप्लस–सेल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। पद को भरने के लिए डी.ए.वी.पी. से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया है। उसके पश्चात् इस पद को उपयुक्त अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाएगा। अन्य पद हेतु जांच समिति से अब तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करने की लागत में कमी

7417. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–02 में हैदराबाद और विशाखापटनम पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ख) वर्ष 2001–02 में इन दोनों पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा कितना शुल्क संग्रहित किया गया है;

(ग) क्या राज्य में पासपोर्ट जारी करने की लागत को कम करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) वर्ष 2001–02 के दौरान हैदराबाद और विशाखापटनम स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में जारी पासपोर्टों की संख्या निम्नानुसार है :

पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद	–	48,163
पासपोर्ट कार्यालय, विशाखापटनम	–	2,39,660

(ख) वर्ष 2001–02 के दौरान दोनों पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा निम्नानुसार फीस एकत्र की गई :

पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद	–	1,97,10,125.00 रु.
पासपोर्ट कार्यालय, विशाखापटनम	–	11,30,38,125.00 रु.

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश में पासपोर्ट जारी करने की लागत में कटौती करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ताओं को सुविधाएं

7418. श्री ए. नरेन्द्र : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए टेलीफोन बिलों के नकद भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय डाकघरों द्वारा टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए चैकों को स्वीकार नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों द्वारा चैकों

की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या ऐसे चैकों के भुगतान के लिए कुछ सरकारी प्राधिकरणों से अनुमति की आवश्यकता होती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सटीक प्रक्रिया सहित ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार अब उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं कराती है। भारत संचार निगम लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के मामले में, उन्होंने सूचित किया है कि टेलीफोन बिलों का भुगतान नकद और चैक दोनों मामलों में इस समय ग्रामीण क्षेत्रों के कतिपय, चुनिन्दा शाखा डाकघरों सहित विभागीय डाकघरों में स्वीकार किया जाता है।

(ग) से (च) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बी.एस.एन.एल. और दूरसंचार कर्मचारियों को पेंशन

7419. श्री नरेश पुगलिया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिलेड ने दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त होने वाले और विगत में सेवानिवृत्त हो चुके सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों और मासिक पेंशन का भुगतान करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस जिम्मेदारी को भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अपने ऊपर लिए जाने के विशेष कारण क्या हैं; और

(घ) इस बाबत भारत संचार निगम लिमिटेड पर वार्षिक रूप से कितना वित्तीय भार पड़ने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग और बी.एस.एन.एल. के सेवानिवृत्त होने वाले और विगत में सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ तथा मासिक पेंशन का भुगतान करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया है। दूरसंचार विभाग के पूर्व कर्मचारियों और सेवानिवृत्त होने वाले बी.एस.एन.एल. के आमेलित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और मासिक पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है। बी.एस.एन.एल. में कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए, कम्पनी को मूल नियमों में विहित दरों के अनुसार पेंशन अंशदान का भुगतान करना है। तथापि, वित्त मंत्रालय ने अनुदान मांगों (मांग संख्या 13) में बी.एस.एन.एल. से प्राप्य पेंशन अंशदान से समग्र पेंशन भुगतान के समायोजन की व्यवस्था इस आधार पर की है कि बी.एस.एन.एल. द्वारा सरकार को पेंशन अंशदान में किए जाने वाले भुगतान की अनुसूची सरकार द्वारा पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि के समनुरूप होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने 2002–2003 की अनुदान मांगों की जांच करते हुए सिफारिश की है कि समुचित संशोधन के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए।

(घ) दूरसंचार विभाग के 2002–2003 की अनुदान मांग में दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों तथा बी.एस.एन.एल. से सेवानिवृत्त होने वाले आमेलित कर्मचारियों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों के कारण वित्तीय बोझ का अनुमान 800 करोड़ रुपये का लगाया गया है।

कर्नाटक में केन्द्रीय प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

7420. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कर्नाटक में कितने केन्द्रीय प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए राज्य को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न रोगों पर नियंत्रण करने की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सरकार कर्नाटक सहित देश में मलेरिया, कुष्ठ, क्षयरोग, दृष्टिहीनता और एड्स जैसे प्रमुख

रोगों के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक को प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	रिलीज की गई रकम		
	1999–2000	2000–2001	2001–2002
राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	229.29	250.26	369.55
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	247.98	302.75	196.05
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	352.20	290.20	259.20
राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	315.01	343.76	529.45
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	801.67	398.65	785.15

(ग) इन रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अधीन कर्नाटक में हासिल की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम :

	रक्त जांच दर (ए.बी.ई.आर.)		कीटनाशकों के साथ कवर की गई जनसंख्या (मिलियन में)	
	लक्ष्य ए.बी.ई.आर.	ए.बी.ई.आर. की उपलब्धि	लक्षित जनसंख्या	कवर की गई जनसंख्या
1999	10	18.58	3.26	1.98
2000	10	17.02	4.83	2.45
2001	10	18.35	2.60	1.53

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम :

वर्ष	रोगी की पहचान		रोगी का उपचार		डिस्चार्ज किए गए रोगी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1999–00	10000	18511	10000	18449	14000	17156
2000–01	8000	15830	8000	15813	14000	18325
2001–02	8000	18761	8000	18761	14000	17418

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :

	मोतियाबिन्द आपरेशन	
	लक्ष्य	किए गए आपरेशन
1999–00	2,00,000	164033
2000–01	2,10,000	164693
2001–02	2,20,000	181736 (अनंतिम)

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम :

	पता लगाए गए और उपचार के तहत लाए गए क्षय रोगियों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1999–2000	25720	20244
2000–2001	26050	26133
2001–2002	26400	31099

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :

34 यौन संचारित रोग क्लिनिकों को सुदृढ़ किया गया है; 9 जोनल रक्त जांच केन्द्रों; 7 रक्त जांच केन्द्रों और एक रक्त घटक पृथक्करण सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं; 52 रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया गया है। उच्च जोखिम वाले समूहों में एच.आई.वी. के फैलने को रोकने के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा 34 लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं शुरू की गई हैं; अप्रैल, 2001 में परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था। 2 सामुदायिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं; 33 स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केन्द्र मंजूर किए गए हैं।

टेलीफोन उपभोक्ताओं की श्रेणियां

7421. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियां बनाए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन श्रेणियों को बनाने के पीछे क्या प्रयोजन है;

(घ) क्या सरकार का विचार अधिक गरीबों के बीच टेलीफोन को लोकप्रिय बनाने के लिए आवासीय टेलीफोन कनेक्शनों के किराये को कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) टैरिफ से सम्बन्धित सभी मुद्दे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसने एक दूरसंचार टैरिफ आदेश (20वां संशोधन) जारी किया है जिसमें वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की एक श्रेणी बनायी गई है। इस प्रकार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का टैरिफ अधिक है अर्थात् सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 250/– रुपये के किराए तथा 75 निःशुल्क कॉलों की तुलना में 310/– रुपये का किराया और 45 निःशुल्क कॉलें हैं। इनका पता लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। तथापि, एम.टी.एन.एल. के प्रबन्धन ने सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक जैसा ही टैरिफ अपनाने हेतु वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए उच्च टैरिफ स्कीम का कार्यान्वयन न करने का निर्णय लिया है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) लागू नहीं।

(छ) बुनियादी सेवाओं के संबंध में टैरिफ पहले ही लागत से कम है तथा इस टैरिफ में और कमी करने का कोई औचित्य नहीं है।

ग्रामीण टेलीफोनी

7422. श्री वाई. वी. राव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत संचार निगम लिमिटेड देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज की तारीख में लगभग 80 लाख टेलीफोन लाइनों का प्रचालन करता है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार अलग–अलग कितनी टेलीफोन लाइनें हैं; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 91.5 लाख टेलीफोन लाइनों का प्रचालन कर रहा है।

(ख) इन टेलीफोन लाइनों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन टेलीफोन लाइनों के प्रचालन हेतु प्रति वर्ष लगभग 3100 करोड़ रु. का व्यय होने की संभावना है।

विवरण-I

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें

क्र.सं.	सर्किल	ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें
1	2	3
1.	अंडमान–निकोबार	16984
2.	आंध्र प्रदेश	1028533
3.	असम	93119
4.	बिहार	289709
5.	छत्तीसगढ़	47481
6.	गुजरात	677741
7.	हरियाणा	303482
8.	हिमाचल प्रदेश	281111
9.	जम्मू–कश्मीर	17952
10.	झारखण्ड	63630
11.	कर्नाटक	753963
12.	केरल	1580426
13.	मध्य प्रदेश	224768
14.	महाराष्ट्र	1070526
15.	पूर्वोत्तर-I	44486
16.	पूर्वोत्तर-II	29561
17.	उड़ीसा	227517
18.	पंजाब	672268
19.	राजस्थान	507264
20.	तमिलनाडु	165242
21.	उत्तरांचल	72450
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	414172
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	132046
24.	पश्चिम बंगाल	443636
25.	कोलकाता	0
26.	चेन्नई	0
बी.एस.एन.एल.	जोड़	9158067

'एम्स' को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाना

7423. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रणीय स्वास्थ्य संस्थान 'एम्स' को चुस्त–दुरूस्त बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे चुस्त–दुरूस्त बनाने की उक्त प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में 1200 करोड़ रुपए की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अपनी सुविधाओं के उन्नयन हेतु योजना बना रहा है तथा इसके लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान दिल्ली शहरी कला आयोग को पहले से ही प्रस्तुत किया जा चुका है। मास्टर प्लान में आवासीय सुविधाओं का विस्तार, विस्तारित छात्रावास सुविधाएं, नए सांस्थानिक भवन यथा भुगतान वार्ड, विस्तारित बहिरंग रोगी विभाग, पाचन केन्द्र, वृक्क केन्द्र, दंत कॉलेज, संस्थान का अपना (कैप्टिव) बिजली संयन्त्र इत्यादि सम्मिलित हैं। इस परियोजना पर 1300 करोड़ रुपए की लागत आने

की आशा है और इसे विजन–2025 के एक भाग के रूप में क्रियान्वयन करने की योजना है। इस परियोजना पर अब तक सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है। इसका कार्यान्वयन समुचित स्वीकृतियों और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्रीलंका समझौता

7424. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री प्रकाश बी. पाटील :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने यह मत व्यक्त किया है कि भारत को श्रीलंका की अंदरूनी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भूमिका निभानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देखी है। श्रीलंका के भीतर शांति प्रक्रिया के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा की गई पहलकदमियों का भारत अनुकूल समर्थन करता है। भारत सरकार श्रीलंका की एकता, सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिये स्थायी शांति पुनःस्थापित करने के प्रति वचनबद्ध है ताकि श्रीलंका सोसायटी के सभी घटकों की उचित आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

प्रमुख जलमार्गों के विकास पर किया गया व्यय

7425. श्री राजो सिंह : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवहन समिति द्वारा चुने गए दस प्रमुख जलमार्गों के विकास पर अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने देश के ऐसे 10 जलमार्गों को अभिज्ञात किया था जिनको राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने की संभावनाएं हैं। ये जलमार्ग हैं :

(i) गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली

(ii) ब्रह्मपुत्र

(iii) पश्चिम तटीय नहर

(iv) सुन्दरबन

(v) गोदावरी

(vi) कृष्णा

(vii) महानदी

(viii) नर्मदा

(ix) गोवा में मंडोवी, जुआरी नदियां और कम्बरजुआ नहर

(x) तापी

उपर्युक्त में से इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली, धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी तथा चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों सहित कोल्लम से कोट्टापुरम तक पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1, 2 और 3 घोषित किया जा चुका है। इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा फरवरी, 2002 तक किया गया व्यय इस प्रकार है :

राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1	–	89.58 करोड़ रु.
राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2	–	26.86 करोड़ रु.
राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3	–	41.76 करोड़ रु.

अन्य जलमार्गों पर विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि ये राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं हैं।

बचत योजनाओं के जरिए धन जमा करना

7426. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा बचत योजनाओं के जरिए जमा की गई धनराशि में कम ब्याज दर होने और योजनाओं के कम प्रचार–प्रसार के कारण लगातार कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा जमा की गई राशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन बचत योजनाओं पर अभिकर्त्ताओं को कमीशन का भुगतान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अभिकर्त्ताओं को कुल जमा का कितने प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा लोगों को डाक बचत योजनाओं में बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में लघु बचत योजनाओं के जरिए जमा की गई धनराशि में कमी नहीं आ रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। अभिकर्त्ताओं को नीचे दी गई दरों के अनुसार उनके द्वारा जुटाई गई कुल जमा के प्रतिशत के रूप में कमीशन का भुगतान किया जाता है :

		दर
(i)	महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अंतर्गत	
	5–वर्षीय आवर्ती जमा खाता	4%
(ii)	पे–रोल बचत योजना के अंतर्गत	
	5–वर्षीय आवर्ती जमा खाता	2.5%
	2–वर्षीय तथा 3–वर्षीय सावधि जमा खाता	1%
	5–वर्षीय सावधि जमा खाता	1%
	6–वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम)	1%
(iii)	मानकीकृत एजेन्सी प्रणाली	
	1–वर्षीय सावधि जमा	1%
	2–वर्षीय तथा 3–वर्षीय सावधि जमा	1%
	5–वर्षीय सावधि जमा	1%
	मासिक आय खाता योजना	1%
	किसान विकास पत्र	1%
	6–वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम)	1%
	राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	1%

(ङ) संघ और राज्य सरकारों द्वारा समूचे देश में इलेक्ट्रानिक और साथ ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देकर तथा प्रचार अभियान चलाकर लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करके निरंतर व अधिक संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। जहां तक लघु बचत योजनाओं का संबंध है, छोटे निवेशकों के निवेश को निश्चित गारंटी आकर्षक प्रतिलाभ, कर में छूट, परिसमापन की सुविधा एवं सुगमता प्रदान करके संरक्षित रखा जाता है।

[अनुवाद]

जलपोत के रख-रखाव का ठेका

7427. श्री अरूण कुमार : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत परिवहन सेवा निदेशालय, अंडमान–निकोबार द्वीप समूह ने सबसे कम मूल्य की निविदा देने वाले बोलीदाता की अपेक्षा एक जलपोत के रख–रखाव का ठेका भारतीय नौवहन निगम को दिया जिसके कारण जुलाई, 1994 से सितम्बर, 1999 की अवधि के बीच 261.70 लाख रु. का ऐसा व्यय हुआ जिससे बचा जा सकता था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मामले की जांच की गई है और राज्य को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर जवाबदेही और जिम्मेवारी निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन का जलयान एम.वी.डेरिंग पर कर्मियों की तैनाती का ठेका निविदा प्रक्रिया अपनाने के बाद 30.6.1994 तक मैसर्स सेनसी मैरीन सर्विसेज प्रा.लि. को दिया गया था। तथापि, मैसर्स सेनसी मैरीन सर्विसेज प्रा.लि.

के जरिए जलयान की मरम्मत और रख–रखाव से संबंधित मुद्दों को हैंडल करने में कठिनाइयों के कारण अंडमान और निकोबार प्रशासन ने भारतीय नौवहन निगम से 1994 में जलयान के प्रचालन को उन्हीं शर्तों पर लेने का आग्रह किया जो अन्य जलयानों पर लागू थीं। इसका आशय यह था कि जलयान पर कर्मीदल की तैनाती और इसका रख–रखाव अत्यधिक व्यावसायिक और बचतकारी ढंग से किया जाना चाहिए। हालांकि, भारतीय नौवहन निगम ने जलयान पर कर्मीदल की तैनाती और तकनीकी प्रबंध अपने हाथ में ले लिया परन्तु यह फ्लोटिंग स्टाफ की कमी के कारण मैसर्स सेनसी मैरीन सर्विसेज प्रा. लि. को नियुक्त करता रहा। तथापि, सितम्बर, 1999 के बाद भारतीय नौवहन निगम ने जलयान पर कर्मीदल की तैनाती के लिए अपने अधिकारी नियुक्त करके जलयान का पूरा प्रबंध संभाल लिया है। अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुमान के अनुसार उन्होंने भारतीय नौवहन निगम को फालतू भुगतान कर दिया है जिसके लिए उन्होंने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

अफगानिस्तान को व्यापारिक दौरा

7428. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान को जाने वाले किसी व्यापारिक दौरे का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल की संख्या क्या है;

(ग) क्या यह व्यापारिक मिशन काबुल को छुए बिना ही भारत वापस लौट आया;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) दौरे पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(च) सरकार द्वारा इस घाटे की पूर्ति किस प्रकार से करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (च) अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण में सहायता देने के बहुयामी प्रयत्नों के भाग के रूप में, भारत सरकार ने कार्पोरेट क्षेत्र तथा साथ ही साथ गैर सरकारी संगठनों सहित कई शिष्टमंडलों को अफगानिस्तान की यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल चिकित्सा राहत देने के लिए विशेष उड़ानों द्वारा कई मानवीय राहत सामग्री भेजी हैं। सरकार ने महामान्य श्री हामिद करजई की 26–27 फरवरी, 2002 को भारत की यात्रा के दौरान भारत के व्यापारियों और संगठनों को उनके साथ व्यापक कार्यकलापों की सुविधा प्रदान की।

काबुल जाने वाले विभिन्न शिष्टमंडलों की यात्राओं के दौरान, उनमें से एक शिष्टमंडल खराब मौसम के कारण काबुल नहीं पहुंचा सका था। इसके पश्चात 17 फरवरी, 2002 को भारतीय उद्योग परिसंघ का एक शिष्टमंडल अफगानिक्तान गया था।

इंटरनेट टेलीफोनी

7429. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन कम्पनियों को इंटरनेट टेलीफोनी उत्पादों के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा वाणिज्यिक सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या निजी कम्पनियों का विचार "डायल–अप एक्सेस" की दरों में काफी वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी होगी; और

(ङ) क्या सरकार का दरों को युक्तिसंगत सीमा में रखने के लिए निजी क्षेत्र के दर ढांचे पर कोई नियंत्रण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इंटरनेट सेवाओं (इंटरनेट टेलीफोनी सहित) के लाइसेंस करार के अनुसार लाइसेंस की प्रभावी तारीख से 24 महीने के भीतर सेवा शुरू की जानी चाहिए।

(ग) से (ङ) इंटरनेट सेवा हेतु टैरिफ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के कार्यक्षेत्र में आता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई. एस.पी.) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण

से अपने को अलग रखा है। तथापि, ट्राई लाइसेंस की वैधता के दौरान किसी भी समय टैरिफ की समीक्षा कर सकता है और उसे निर्धारित कर सकता है, जो लाइसेंसधारक पर बाध्यकारी होगा।

विवरण

उन कम्पनियों के नाम जिन्हें इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है

1. मै. सत्यम इन्फोवे लि.
2. मै. डाटा एक्सेस इंडिया लि.
3. मै. आइसनेट नेट लि.
4. मै. डिशनेट डी.एस.एल. लि.
5. मै. ट्रैक आन लाइन नेट इंडिया प्रा.लि.
6. मै. वर्ल्डफोन इंटरनेट सर्विसेज प्रा.लि.
7. मै. एच.सी.एल. इन्फी नेट लि.
8. मै. एस्टेल कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.
9. मै. पैट्रियोट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स लि.
10. मै. सुराना टेलीकॉम लि.
11. मै. गेटवे सिस्टम्स (इंडिया) प्रा.लि.
12. मै. कॉम सैट मैक्स लि.
13. मै. आईसर्व इंडिया सोल्यूशन्स प्रा.लि.
14. मै. डाटा इन्फोसिस लि.
15. मै. जैन इन्फोसिस प्रा.लि.
16. मै. डायरेक्ट इन्टरनेट लि.
17. मै. डायरेक्ट इन्टरनेट लि.
18. मै. डायरेक्ट इन्टरनेट लि.
19. मै. प्राइमस टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.
20. मै. जम्प इंडिया प्रा.लि.
21. मै. एस.ए.बी. इन्फोटेक लि.
22. मै. रोल्टा इंडिया लि.
23. मै. विल्नेट कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.
24. मै. नेट लिंक्स लि.
25. मै. ग्रोथ कम्प्यूसोफ्ट एक्सपोर्ट्स लि.
26. मै. हैथवे केबल्स एंड डाटा कॉम प्रा.लि.
27. मै. विदेश संचार निगम लिमिटेड

मशीन द्वारा लिखित पासपोर्ट

7430. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय मशीन से लिखे जाने वाले और मशीन से पढ़े जाने वाले पासपोर्ट जारी कर रहे हैं;

(ख) सरकार का विचार 2002–03 के दौरान कितने पासपोर्ट कार्यालयों में इसे लागू करने का है; और

(ग) मशीन से लिखे जाने वाले पासपोर्ट के क्या लाभ हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) इस समय 6 पासपोर्ट कार्यालयों में मशीन से पढ़े जाने वाले पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं और 8 अन्य पासपोर्ट कार्यालयों से मशीन से पढ़े जाने वाले पासपोर्टों को जारी करने का कार्य प्रगति पर है।

(ख) सभी प्रमुख पासपोर्ट कार्यालय।

(ग) मशीन से लिखे और पढ़े जाने वाले पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) द्वारा संस्तुत मानक है। आज अधिकांश विकसित देश इस प्रकार के पासपोर्ट जारी करते हैं। मशीन द्वारा लिखित पासपोर्टों में धारक के निजी ब्यौरों को भरने से संबंधित त्रुटियां नहीं होतीं। पासपोर्ट देखने में बेहतर लगता है तथा हेर–फेर की संभावनाएं पर्याप्त रूप से घट जाती हैं। मशीन से पढ़े जाने वाले पासपोर्टों से अप्रवास काउन्टरों पर अनुमति प्राप्त करने के समय में कटौती होगी।

तम्बाकू पर प्रतिबंध

7431. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू से बने गुटकों के उत्पादन, उपभोग, वितरण, विज्ञापन, बिक्री तथा प्रदर्शनी पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाने हेतु महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव कुछ समय से केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से मानव हेतु तम्बाकू आधारित गुटखा तथा इसी प्रकार की सामग्रियों के विनिर्माण, बिक्री, भंडारण, वितरण तथा प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को यह सूचित किया गया था कि इस मामले में केन्द्र सरकार की नीति यह होगी कि उत्पादन घटाने अथवा उस पर रोक लगाने के बजाय मांग को हतोत्साहित करने का दृष्टिकोण अपनाया जाए। सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण का विनियमन) विधेयक, 2001 जिसमें तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों संबंधी विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने के उपाय किये गए हैं और इसके लिये प्रयास किया गया है, पहले ही संसद के समक्ष विचारार्थ रखा गया है। यह भी सूचित किया गया था कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 (iv) में राज्य सरकारों को जनता के स्वास्थ्य के हित में उनके राज्य के सीमा क्षेत्र में किसी भी मद की हो रही बिक्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार है।

यू एस कस्टम सर्विसेज द्वारा कार्यालय स्थापित करना

7432. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड स्टेट्स कस्टम सर्विसेज ने आतंकवाद को रामाप्त करने के अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के भाग के रूप में नई दिल्ली में कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे इन दोनों देशों को आतंकवाद समाप्त करने में किस सीमा तक मदद मिलेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) संयुक्त राज्य ने भारत सरकार से नई दिल्ली स्थित उनके दूतावास में संयुक्त राज्य सीमाशुल्क सेवा कार्यालय खोलने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर भारत सरकार का अनुमोदन अक्तूबर, 2001 में इस निर्णय के साथ प्रदान किया गया कि सं. रा. सीमा शुल्क कार्यालय का आंरभिक संपर्क केन्द्र भारत सरकार का विदेश मंत्रालय होगा और वे स्वतंत्र जांच नहीं करेंगे अथवा जनसंपर्क प्रकार्य की परिधि से बाहर कोई गतिविधि नहीं करेंगे। कार्यालय के कार्य, भारत के प्रधान कौंसल, न्यूयार्क में स्थित भारतीय डी.आर.आई. कार्यालय द्वारा मौजूदा रूप से निष्पादित किए जा रहे कार्यों के समनुरूप होंगे।

(घ) इस व्यवस्था से भारत और संयुक्त राज्य के बीच आर्थिक अपराधों और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सहयोग और सुदृढ़ होगा।

मनीआर्डर पर ट्रैन्जिट शुल्क कम करना

7433. प्रो. उन्नारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीआर्डर करने पर बहुत अधिक शुल्क लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मनीआर्डर पर ट्रैन्जिट शुल्क कम करने के लिए डाक प्राधिकारियों को निर्देश दिया है;

(ग) मनीआर्डर का भुगतान शीघ्र और सस्ती दरों पर करने के लिए ई–मेल जैसी अत्याधुनिक संचार विधियों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। विभाग प्रत्येक 20/– रुपये या उसके किसी भाग के पारेषण के लिए मनीआर्डर कमीशन के रूप में एक रुपया लेता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपग्रह प्रौद्योगिकी की शुरूआत से मनीआर्डर के शीघ्र पारेषण पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। देश में 850 डाक घरों को जोड़ते हुए 150 वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा ऋण की प्रतिपूर्ति

7434. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने केन्द्र सरकार से लिए गए ऋण को वापस करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार बाजार दर से अधिक दर पर ली गई उस अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति पर भी राजी हो गई है जिसे भारतीय नौवहन निगम को अदा करना है; और

(घ) यदि हां, तो इससे भारतीय नौवहन निगम को किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने आवश्यक समायोजन के बाद 255.48 करोड़ रुपये की ब्याज सहित ऋण की समस्त राशि सरकार को वापस कर दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) इससे भारतीय नौवहन निगम को सरकार के पास बंधक रखे अपने जलयानों को मुक्त कराने में मदद मिलेगी।

निधियों का वापस किया जाना

7435. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने दूर संचार विभाग द्वारा निधियों को त्रुटिपूर्ण तरीके से वापस करने के गैर–जिम्मेदाराना रवैये और सरकारी धन की रक्षा में लापरवाही बरतने को लेकर चिंता जताई थी;

(ख) यदि हां, तो विभाग ने लोक लेखा समिति के इस प्रकटन पर किस सीमा तक प्रतिक्रिया जताई है; और

(ग) निधियों की त्रुटिपूर्ण तरीके से वापसी के बारे में और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) लोक लेखा समिति (12वीं लोक सभा) ने "केन्द्रीय सरकार विनियोग लेखे–दूरसंचार सेवाएं (1996–1997)" पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में पूंजी खंड में निरन्तर बचतों, विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विसंगतियों, व्यय की प्रवृत्ति की परवाह किए बिना अतिरिक्त आव्रंटनों की प्राप्तियों, निधियों, की त्रुटिपूर्ण वापसी और निधियों के अविवेकपूर्ण विनियोग का उल्लेख किया है।

(ख) और (ग) समिति ने इच्छा व्यक्त की कि लेखा सूचना प्रणाली को दुरूस्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं ताकि निधियों की त्रुटिपूर्ण वापसी से बचा जा सके। समिति की टिप्पणियों को नोट किया गया तथा सभी क्षेत्रीय इकाइयों को उपयुक्त हिदायतें जारी की गईं। दिनांक 1.10.2000 से दूरसंचार सेवा विभाग/दूरसंचार प्रचालन विभाग के निगमीकरण और भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना के बाद बजट और लेखा प्रणालियों को पूरी तरह से पुनः व्यस्थित किया गया है। दूरसंचार विभाग अब नीति निर्माण, लाइसेंस देने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वायरलेस स्पेक्ट्रम प्रबन्धन और प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है। दूरसंचार विभाग का व्यय अब सामान्य राजकोष से पूरा किया जाता है तथा विभाग की प्राप्तियां भी सामान्य राजस्व को प्राप्त होती हैं।

[हिन्दी]

राजगीर से नालंदा तक राष्ट्रीय राजमार्ग

7436. श्री राजो सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजगीर से नालंदा तक बरबीघा, मोकामा होते हुए एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को कब तक निर्मित कर लेने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) राजगीर–नालंदा–बरबीघा–मोकामा सड़क पहले से ही घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 82 का हिस्सा है।

(ख) और (ग) इस खंड की कुल 73 कि.मी. लंबाई में से 40 कि.मी. लंबाई में गुणता सुधार कार्य पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। शेष लंबाई में गुणता सुधार धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन अगले दो वर्षों में शुरू करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

हार्डवेयर उद्योग को लाभ

7437. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव हार्डवेयर उद्योग को सॉफ्टवेयर उद्योग की तरह लाभ दिए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने वित्त वर्ष 2002–03 के बजट में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग के लिए निम्ननिखित वित्तीय लाभ उपलब्ध कराए हैं :

(i) अर्द्धचालकों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर सीमा शुल्क को 25–35% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामाग्री की 46 मदों पर सीमा शुल्क को 25–35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(iv) इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए औजारों, डाइयों, सांचों पर सीमा शुल्क को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

(v) प्रकाशित तंतु/केबल के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री की 4 मदों पर सीमा शुल्क को 25–35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(vi) कम्प्यूटर/प्रिंटरों के लिए स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है।

मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) द्वारा पट्टे की अवधि का बढ़ाया जाना

7438. श्री अरूण कुमार : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने पट्टे की मूल अवधि के जुलाई, 1990 में समाप्त होने के पहले ही इसकी अवधि का विस्तार करने हेतु आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पट्टे का नवीकरण/विस्तार किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मुम्बई पत्तन न्यास पट्टे की अवधि समाप्त होते ही उक्त कंपनी को जगह खाली करने का आदेश पारित

करने में असफल रहा था और उसने पट्टे की 30 वर्षों की प्रारंभिक अवधि का आगे विस्तार करने के लिए सरकार का अनुमोदन भी नहीं प्राप्त किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(च) उक्त पत्तन न्यास प्राधिकारियों द्वारा जुलाई, 1990 से सभी प्रकार के पट्टे के लिए लागू किर्लोस्कर फार्मूला की बजाय समझौतापूर्ण फार्मूला को अपनाकर किराए की बकाया राशि वसूलने के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) से (ग) यह सच है कि श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लि. ने जुलाई, 1990 में पट्टे की समाप्ति से पूर्व पट्टे के नवीकरण/विस्तार के लिए मुम्बई पत्तन न्यास को आवेदन किया था। मुम्बई पत्तन ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और उन्हें 30 वर्ष के लिए नया पट्टा प्रदान करने हेतु बढ़े हुए किराए सहित संशोधित शर्तों की जानकारी दे दी थी। तथापि, पट्टेदार नया पट्टा प्रदान करने संबंधी शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहा। इसलिए, यह ठेका नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) पट्टा समाप्त होने के बाद श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लि. को खाली करने का नोटिस 7.8.91 को दिया गया। नया पट्टा प्रदान करने की इस पेशकश को किराया संशोधन मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अनुसमर्थित समझौता प्रस्तावों के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। बोर्ड ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 34 के तहत 30 वर्ष तक के लिए पट्टा प्रदान कर दिया और चूंकि यह पेशकश मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अनुसमर्थित समझौता प्रस्तावों के आधार पर नई शर्तों और संशोधित किराए पर 30 वर्ष के नए पट्टे के लिए थी, कानूनी सलाह यह थी कि इसके लिए सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(च) किर्लोस्कर मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित किरायों को पट्टेदारों/किरायेदारों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने दिनांक 4.10.1990 के अपने आदेश द्वारा किर्लोस्कर किराए को अत्यधिक, मनमाना, स्वेच्छाचारी और कानूनी रूप से लागू न किए जाने योग्य बताते हुए खारिज कर दिया था। मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा दायर की गई अपील में खंडपीठ ने समझौते का सुझाव दिया और एक फॉर्मूले की मांग की। तदनुसार, 1991 में समझौता प्रस्ताव तैयार किए गए और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन समझौता प्रस्तावों का मुम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मार्च, 1993 में अनुसमर्थन कर दिया। इस प्रकार न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज की जा चुकी तथा कानूनी रूप से लागू न किए जाने योग्य किर्लोस्कर दर पर बकाया किराया राशि की वसूली नहीं की जा सकी और बकाया किराया राशि की वसूली न्यायालय द्वारा अनुसमर्थित केवल समझौता प्रस्तावों के आधार पर की गई।

टेलीफोन संबंधी मुद्दों पर बीएसएनएल और निजी ऑपरेटरों के बीच मतभेद

7439. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार सेवा की संभावनाओं और उसकी परिभाषा, इंटरकनेक्शन के विषयों, नेटवर्क प्रबंधन, तकनीकी विशिष्टीकरण और उसके मानकों, बिल और उसका निपटान तथा वाणिज्यिक निबंधन और शर्तों आदि जैसे इंटर–कनेक्शन के मुद्दों पर बीएसएनएल और निजी आपरेटरों के बीच मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन मतभेदों को किस तरह और कब तक दूर करने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मं राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निजी प्रचालकों के साथ इंटरकनेक्ट करार पर हस्ताक्षर लाइसेंस करार के निबन्धन और शर्तों तथा भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा जारी संकल्प और विनियमों के अनुसार बीएसएनएल द्वारा किए जाते हैं। बीएसएनएल उन सभी बुनियादी प्रचालकों के साथ 28 इंटरकनेक्ट करारों पर हस्ताक्षर कर चुका है जो देश के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी टेलीफोन सेवा शुरू करना चाहते थे। बीएसएनएल ने उन सेल्यूलर प्रचालकों के साथ भी 23 इंटरकनेक्ट करारों पर हस्ताक्षर किए हैं जो देश में अपनी पसन्द के क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं संचालित करना चाहते थे।

तथापि, बीएसएनएल और उन कुछ निजी प्रचालकों में थोड़ा मतभेद है जो कतिपय तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर आग्रह करते हैं जो मौजूदा नियमों और

विनियमों के अन्तर्गत सामान्यतः अनुमत्य नहीं हैं तथा जिनके संबंध में दो प्रचालकों द्वारा पारस्परिक रुपये से समझौता वार्ता और सहमति की जानी होती है। इंटरकनेक्ट करार पर हस्ताक्षर करने को लेकर यदि सेवा प्रदाताओं में कोई विवाद अथवा असहमति होती है, तो उक्त मामले को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2000 और दिनांक 14 दिसम्बर, 2001 के दूरसंचार, विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) को भेजना अपेक्षित है। दो प्रचालकों के बीच में इंटरकनेक्शन संबंधी मुद्दों के मामले में सरकार की अपनी कोई भूमिका नहीं है।

तथापि, सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्ट करारों के शीघ्र निपटान को सुविधाजनक बनाने हेतु, टीआरएआई ने मसौदा सन्दर्भ इंटरकनेक्ट पेशकश के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है।

लघु उद्योगों में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी

7440. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु उद्योगों में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु किसी मानदंड/नियम में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वदेशी लघु उद्योग इकाईयों के मालिकों के हितों की रक्षा की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में स्थायित्व और संतुलन प्रदान करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन अदालतों द्वारा निपटाए गए मामले

7441. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन अदालतों में कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग-7

7442. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7) पर बाई पास सड़कों के निर्माण के निर्णय को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे सड़कें कहां स्थित हैं जिनके लिए बाईपास सड़कें बनाई जाएंगी और उनकी सही-सही लंबाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में थोपुर और होसूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर निर्माण की जाने वाली बाईपास सड़कों की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है और यह जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर और मदुरै शहरों से गुजरता है। बाईपासों के निर्माण के संबंध में निर्णय, सुधार/उन्नयन के लिए प्रस्तावित खंडों के साध्यता अध्ययन के आधार पर लिया जाता है।

(ख) रा.रा.स. 7 पर निम्नलिखित बाईपासों का निर्माण किया गया है/कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

(i) कटनी बाईपास (जबलपुर-रीवा खंड पर)

(ii) जबलपुर बाईपास (रीवा–जबलपुर खंड पर)

देवनहल्ली बाईपास (हैदराबाद–बंगलौर खंड पर)

येहालंका बाईपास (हैदराबाद–बंगलौर खंड पर)

सलेम बाईपास (बंगलौर–मदुरै खंड पर)

नमक्कल बाईपास (बंगलौर–मदुरै खंड पर)

करूर बाईपास (बंगलौर–मदुरै खंड पर)

(ग) उत्तर–दक्षिण महामार्ग के अंतर्गत थोपुर और होसूर के बीच रा.रा.सं. 7 के खंड को चार लेन का बनाने के लिए साध्यता अध्ययन अभी शुरू किया जाना है। साध्यता अध्ययन के आधार पर इस खंड पर बाईपास सड़कों के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस संपूर्ण महामार्ग को काफी हद तक दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

निरर्थक व्यय

7443. श्री अमर राय प्रधान : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में होने वाले निरर्थक व्यय को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाए हैं और विभिन्न सरकारी विभागों में ऐसे कतिपय क्षेत्रों की पहचान पहले ही कर ली है जहां सर्वाधिक अपव्यय होता है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए उक्त मंत्रालय द्वारा उनके मंत्रालय/उसके अधीन विभागों के अंतर्गत पहचाने गए ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार उनमें कितने अपव्यय का पता चला है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसे अपव्यय को कम करने/रोकने के लिए अब तक कौन–कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी हां। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने सरकारी व्यय में संभावित बचत के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए फरवरी, 2002 में एक व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की स्थापना की थी।

(ख) और (ग) व्यय सुधार आयोग ने इस मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यों और क्रियाकलापों को युक्तिसंगत बनाने तथा सरल और कारगर बनाने के बारे में भी सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सरकारों को और सशक्त बनाने, नीति निर्माण को युक्तिसंगत बनाने तथा सड़क परिवहन के क्षेत्रों में इस मंत्रालय द्वारा कार्यों की मानिटरिंग करने से संबंधित हैं। व्यय में कमी के परिणाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इन सिफारिशों की सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई है और इस मंत्रालय के विचारों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को दिसम्बर, 2001 में बता दिया गया है।

प्रजनन क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान

7444. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1980 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) की एक इकाई, प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए थाने (महाराष्ट्र) में बसाई में 23 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.एम.सी.आर) की इकाई प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) इस भूमि का अधिग्रहण नर वानर और अनुसंधान केन्द्र बनाने के लिए किया गया था न कि प्रजनन अनुसंधान संस्थान के लिए जिसका भवन पारेल, मुम्बई में पहले से ही है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई.एस.आर.ओ.)

7445. श्री सुबोध मोहिते : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एस.आर.ओ. ने निकट भविष्य में एक उद्देशीय उपग्रहों का विकास करने और उसे छोड़ने के लिए रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आई. एस.आर.ओ. द्वारा इस संबंध में कौन–कौन से क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है;

(ग) क्या स्वास्थ्य उपग्रह छोड़ने के लिए आई.एस. आर.ओ. और अपोलो हास्पीटल्स टेलीमेडीसन एन्टरप्राइज लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) इन्सैट–3 शृंखला तक संस्थापित इन्सैट प्रणालियों में बहु–उद्देशीय संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञानीय सेवाएं अन्तर्निहित थी। इन्सैट शृंखला के भावी मिशनों में मौसम विज्ञानीय सेवाओं के लिए अनन्य उपग्रह होगा।

(ग) और (घ) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपोलो टेलीमेडीसन एन्टरप्राइज लिमिटेड (ए.टी.ई.एल.), चेन्नई और अरगोंडा अपोलो चिकित्सा तथा शिक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान अस्पताल (ए.ए.एम.ई.आर.एफ.), अरगोंडा गांव, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन में उपग्रह टेलीमेडीसन नेटवर्क के विकास के लिए एक पायलट परियोजना के लिए व्यवस्था की गई है, जिसके तहत ए.टी.ई.एल. अपने चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल से अरगोंडा अपोलो अस्पताल और श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के अस्पताल को सुपर विशेषज्ञ परामर्श सेवा प्रदान की जाएंगी। इस समझौता ज्ञापन में किसी उपग्रह के प्रमोचन का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सड़क का निर्माण

7446. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य के जोधपुर जिले में सड़कों के निर्माण के संबंध में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) क्या उक्त प्रस्तावों में जोधपुर, ओसियान और फलौदी तक जाने वाली जोधपुर जिले की एम.डी.आर. सड़क के निर्माण कार्य को भी शामिल किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) राजस्थान सरकार से जोधपुर जिले में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों के सुधार के लिए 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालय की स्थापना

7447. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 6.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2606 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां तक औषधालय के निर्माण का संबंध है, क्या इस संबंध में अब तक कोई प्रगति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस औषधालय को कब तक इसके अपने परिसर में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) इस तथ्य कि क्या दिलशाद गार्डन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 87 से संबंधित कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बजट में शामिल किया गया है, कि पुष्टि शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है। सूचना का पता लगाया जा रहा है।

अनुकम्पा आधार पर नौकरी

7448. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों के उन कार्मिकों, जिनकी वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गई, के कितने पात्र आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नौकरी प्रदान की गई है;

(ख) ऐसे पात्र आश्रित परिजनों की संख्या क्या है, जिन्हें अभी तक अनुकम्पा आधार पर नौकरी नहीं दी गई है; और

(ग) मृत कार्मिकों के ऐसे पात्र आश्रित परिजनों को अनुकम्पा आधार पर नौकरी कब तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) :

(क) 1999 — 1 (एक)

2000 — 3 (तीन)

2001 — 2 (दो)

(ख) 9 (नौ)

(ग) इस विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी के पात्र आश्रितों की नियुक्तियां किसी विशेष वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए प्रस्तावित समूह "ग" और "घ" पदों की रिक्तियों की कुल संख्या के 5 प्रतिशत के कोटा के अनुसार की जानी होती है। उपर्युक्त (ख) पर दिए गए नौ मामलों पर भी भविष्य में होने वाली रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

7449. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री शशि कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार, राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करने के लिए भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने की पात्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 25,000 व्यक्तियों की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार से धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार कर्नाटक सरकार के अनुरोध की पूर्ति हेतु कहां तक सहमत हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र परिव्यय के अधीन प्रदान किए गए धन में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाती है। और उनका रख–रखाव किया जाता है। भारत सरकार सिविल कार्यों, स्वास्थ्य कार्मिकों की संविदात्मक नियुक्ति, औषधों और उपस्कर किटों की आपूर्ति, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य शिविरों, आउटरीच सेवाओं, दाई प्रशिक्षण और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के स्वास्थ्य घटक के रूप में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए कर्नाटक राज्य सहित, राज्यों को धन जारी करती है।

(ग) मौजूदा जनसंख्या मानकों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000 लोगों और पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों में प्रति 20,000 लोगों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना है।

(घ) और (ङ) राज्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए प्रत्येक वर्ष लक्ष्य दिए जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए धन, प्रदान करने हेतु कर्नाटक सरकार से कोई अन्य विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में 1201 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के बजाय 1676 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से पहले ही अधिसंख्य हैं।

नर्सिंग महाविद्यालयों/गृहों के लिए मानदंड

7450. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में

नर्सिंग महाविद्यालयों/गृहों को स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टीका/दवा-परीक्षण

7451. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीके और दवाओं के परीक्षण के क्षेत्र में कुछ विदेशी विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के साथ सहयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं की जाती है।

रेल डाक सेवा में अनुकंपा आधार पर नौकरी

7452. श्री भीम दाहाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर में रेल डाक सेवा के उन कार्मिकों, जिनकी वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गई, के कितने पात्र आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी प्रदान की गई है;

(ख) ऐसे पात्र आश्रित परिजनों की संख्या क्या है, जिन्हें अभी तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी गई है; और

(ग) मृत कार्मिकों के ऐसे पात्र आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नौकरी कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 1999 और 2001 के दौरान रेलवे डाक सेवा, गोरखपुर के जिन कर्मचारियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को अब तक अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई है। वर्ष 2000 में यहां किसी भी कर्मचारी की मृत्यु नही हुई।

(ख) रेलवे डाक सेवा, गोरखपुर के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों की संख्या जिनको नौकरी प्रदान नहीं की गई है निम्नानुसार है :

वर्ष	पात्र आश्रितों की संख्या
1999	7
2000	शून्य
2001	1

(ग) उपरोक्त पात्र आठ आश्रितों के आवेदनों में से 5 विचाराधीन हैं। तथापि, वर्तमान अनुदेशों के आधार पर तीन आवेदनों की नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की जा सकी। डाक विभाग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा इस प्रयोजन के लिए निधार्रित मार्गनिर्देशों का पालन किया जाता है। उक्त मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को नियुक्ति दी जाती है जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो जाता है और इस प्रकार अपने परिवार को आजीविका के किसी साधन के बिना गरीबी की स्थिति में छोड़ देता है। इसका उद्देश्य संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय संकट से उबारना और संकटकाल से उबरने में उसकी सहायता करना है। ग्रुप 'ग' और 'घ' पदों में सीधी भर्ती के कोटे के तहत एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों में से अनुकम्पा के आधार पर अधिकतम 5 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं।

भ्रष्टाचार संबंधी मामले

7453. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री शिवाजी माने :
डा. बलिराम :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सतर्कता विभाग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उनके मंत्रालय अधीनस्थ कार्यालयों के कदाचार, वित्तीय गबन और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में पकड़े गए अधिकारियों/कर्मचारियों का श्रेणीवार तथा कार्यालयवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) पूरे भारत में फैले दूरसंचार विभाग के सर्किल कार्यालयों/क्षेत्रीय इकाईयों तथा साथ ही मंत्रालय के अधीन अन्य विभागों से तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सूचना एकत्र की जा रही है। यह सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का निलंबन

7454. श्री बसुदेव आचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में कलपाक्कम के परमाणु ऊर्जा अधिष्ठानों में सेवारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनेक कर्मचारियों के निलंबन के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) काम की अत्यावश्यकता के कारण न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आदेश से एक कर्मचारी के मद्रास परमाणु बिजलीघर से राजस्थान परमाणु बिजलीघर में स्थानांतरण किए जाने को रद्द करने की मांग के सन्दर्भ में, 26.09.2001 को, कलपाक्कम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ के सदस्यों ने तमिलनाडु एटॉमिक पावर इम्पलाइज यूनियन (टी.ए.पी.ई.यू) के सहयोग से संयंत्र स्थल पर विभिन्न अशांतिपूर्ण तरीकों का सहारा लिया जिससे कि कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं पैदा हो गईं। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर, 60 व्यक्तियों को जिनमें वे दो ग्रामवासी भी शामिल थे जिन्होंने गैरकानूनी सभा की थी, हिरासत में रखा गया था। 03.10.2001 को उनकी कैद के आदेशों के परिणामस्वरूप, इस विभाग के कलपाक्कम स्थित विभिन्न संघटक यूनिटों के संबद्ध कर्मचारियों को, उन पर लागू संगत नियमों के अनुसार निलम्बित किया गया माना गया।

(ख) विभिन्न एजेन्सियों जैसे कि प्रधान मंत्री का कार्यालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, संसद सदस्यों, लोक सभा सचिवालय, (ऊर्जा समिति शाखा), आदि से कई ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उनके उपयुक्त उत्तर दे दिए गए हैं।

(ग) उन कर्मचारियों जिन्होंने आन्दोलन में भाग लिया था और जिन्हें कानूनी हिरासत में रखा गया था, के निलम्बन के मामले की समीक्षा 7.2.2002 को की गई और उसके बाद उनके निलम्बन के आदेशों को संबंधित सक्षम प्राधिकारियों ने, प्रबंधकों के यथा उपयुक्त समझी गई विभागीय कार्रवाई किए जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरस्त कर दिया।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की प्रयोगशालाओं का दुरुपयोग

7455. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 अप्रैल, 2002 के "ब्लिट्ज" के मुंबई संस्करण में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे स्थित प्रयोगशालाओं में व्याप्त अनियमितताओं और उनके दुरुपयोग के बारे में अनेक शिकायतें मिलने के बाद इसकी सी.बी.आई. जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सी.बी.आई. जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के बारे में अनुमान

7456. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के बारे में अनुमान लगाने के लिए कोई नया फार्मूला बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता का पुनरीक्षण कर उसमें वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह पुनरीक्षण मात्र लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्योन्नों के आवंटन के उद्देश्य से किया गया है न कि अन्य गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन के लिए;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या लाकड़ावाला विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने से कुछ राज्यों को बहुत गंभीर हानि हुई है जिनके यहां गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कुछ योजना चल रही है और लाकड़ावाला समिति से पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग की गई है;

(ज) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लाकड़ावाला विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के स्वीकार करने से गंभीर हानि हुई है; और

(झ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के अर्थ में व्यक्त किया जाता है जो कपड़ा, आवास, परिवहन आदि की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से गैर–खाद्यान्न व्यय के लिए आवश्यक है। इन गरीबी रेखाओं की सिफारिश मूल रूप से वर्ष 1979 में न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग संबंधी कार्य बल द्वारा की गई थी। इसके बाद, 1993 में, गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल ने इन राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांकों और अंतरराज्यीय मूल्य विभिन्नताओं का प्रयोग करते हुए अलग–अलग करने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग ने मार्च, 1997 में कुछ नाम मात्र के संशोधनों के साथ विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। तब से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान विशेषज्ञ दल के रीति विधान का प्रयोग करके किए जाते हैं। वर्ष 1999–2000 के लिए गरीबी रेखा के अनुपात के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) से (च) जी, हां। योजना आयोग ने गरीबी अनुमान के रीति विधान के चुनाव के संबंध में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने अनुरोध किया था कि गरीबी का अनुमान करते समय राजकोष से वित्तपोषित खाद्यान्न सब्सिडी स्कीम के मूल्य ह्रास प्रभाव के पड़ने वाले असर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बाद के स्तर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया था कि अनुमान गरीबी अनुमान संबंधी पूर्ववर्ती रीति–विधान द्वारा किए जाने चाहिए जिसे कार्य बल रीति विधान के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा की सरकार ने अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय स्तर की गरीबी

रेखा राज्यों में गरीबी रेखा के अनुमान के लिए अपनायी जानी चाहिए।

अभ्यावेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, योजना आयोग ने विशेषज्ञ दल के रीति–विधान (लाकड़ावाला फार्मूला) को जारी रखने का निर्णय लिया है। फिर भी, राज्य प्रायोजित खाद्य सब्सिडी स्कीम के प्रभाव को समाप्त करके योजना आयोग ने आंध्र प्रदेश के गरीबी अनुपात को लक्षित सार्वजनिक वितरण स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्न के आवंटन के संबंध में अनन्य रूप से प्रयोग करने के लिए 22.19 प्रतिशत से बढ़ाकर 25.68 प्रतिशत कर दिया है।

(छ) से (झ) प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों का राज्यवार आवंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबी के अनुपात में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबी के अनुपात पर आधारित मानदण्ड के अनुसार अथवा समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णित ऐसे अन्य मानदण्ड के आधार पर किया जाता है। 1997–98 तक प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां "वर्ष 1987–88 के लिए गरीबी के संबंध में कृतिक बल के अनुमानों" के आधार पर आवंटित की गई थीं। जैसा कि वर्ष 1993–94 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन आंकड़ों पर आधारित गरीबी के अनुमान कृतिक बल के रीति विधान और विशेषज्ञ दल के रीति–विधान दोनों का प्रयोग करते हुए आकलित किए गए थे। वर्ष 1993–94 के लिए कार्यबल के अनुसार और वर्ष 1993–94 के लिए विशेषज्ञ दल के अनुसार गरीबों के राज्यवार शेयर की तुलना से पता चला कि कुछ राज्य को विशेषज्ञ दल के अनुमानों को अपनाने के कारण विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत उनके आवंटन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कुछ राज्यों ने जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, इस मुद्दे पर केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया था। इसके परिणामस्वरूप, विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अंतर्गत वर्ष 1993–94 के लिए कृतिक बल रीति विधान पर आधारित उनकी आशातीत हकदारी को 15 प्रतिशत से अधिक घाटे को रोकने के लिए एक समायोजन फार्मूला बनाने का कार्य किया गया था। वर्ष 1998–99 से आवंटन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग द्वारा यथाअनुमोदित इन 15 प्रतिशत समायोजित शेयरों के आधार पर किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 1999–2000 में राज्य–वार गरीबी–रेखा (प्रति माह प्रति व्यक्ति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	262.94	457.40
2.	असम	365.43	343.99
3.	बिहार	333.07	379.78
4.	गुजरात	318.94	474.41
5.	हरियाणा	362.81	420.20
6.	हिमाचल प्रदेश	367.45	420.20
7.	कर्नाटक	309.59	511.44
8.	केरल	374.79	477.06
9.	मध्य प्रदेश	311.34	481.65
10.	महाराष्ट्र	318.63	539.71
11.	उड़ीसा	323.92	473.12
12.	पंजाब	362.68	388.15
13.	राजस्थान	344.03	465.92
14.	तमिलनाडु	307.64	475.60
15.	उत्तर प्रदेश	336.88	416.29
16.	पश्चिम बंगाल	350.17	409.22
17.	दिल्ली	362.68	505.45
	अखिल भारत#	327.56	454.11

#अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा (में निहित है), अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी अनुपात और व्यक्तियों के व्यय संबंधी वर्ग–वार वितरण से तैयार किए गए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी अनुपात राज्य–वार गरीबी अनुपात के औसत के रूप में भारित के अनुसार प्राप्त किया जाता है।

विवरण-II

1999–2000 में राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या व प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.13	11.05	60.88	26.63	119.01	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.30	40.04	0.18	7.47	3.98	33.47
3.	असम	92.17	40.04	2.38	7.47	94.55	36.09
4.	बिहार	376.51	44.30	49.13	32.91	425.64	42.60
5.	गोवा	0.11	1.35	0.59	7.52	0.70	4.40
6.	गुजरात	39.80	13.17	28.09	15.59	67.89	14.07
7.	हरियाणा	11.94	8.27	5.39	9.99	17.34	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94	0.29	4.63	5.12	7.63
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2.97	3.97	0.49	1.98	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	59.91	17.38	44.49	25.25	104.40	20.04
11.	केरल	20.97	9.38	20.07	20.27	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06	81.22	38.44	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72	102.87	26.81	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.53	40.04	0.66	7.47	7.19	28.54
15.	मेघालय	7.89	40.04	0.34	7.47	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.40	40.04	0.45	7.47	1.85	19.47
17.	नागालैंड	5.21	40.04	0.28	7.47	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	143.69	48.01	25.40	42.83	169.09	47.15
19.	पंजाब	10.20	6.35	4.29	5.75	14.49	6.16

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	55.06	13.74	26.78	19.83	81.83	15.28
21.	सिक्किम	2.00	40.04	0.04	7.47	2.05	36.55
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55	49.97	22.11	130.48	21.12
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04	0.49	7.47	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22	117.88	30.89	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85	33.38	14.86	213.49	27.02
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.58	20.55	0.24	22.11	0.82	20.99
27.	चण्डीगढ़	0.06	5.75	0.45	5.75	0.51	5.75
28.	दादरा और नगर हवेली	0.30	17.57	0.03	13.52	0.33	17.14
29.	दमन व दीव	0.01	1.35	0.05	7.52	0.06	4.44
30.	दिल्ली	0.07	0.40	11.42	9.42	11.49	8.23
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38	0.08	20.27	0.11	15.60
32.	पांडिचेरी	0.64	20.55	1.77	22.11	2.41	21.67
	अखिल भारत	1932.43	27.09	670.07	23.62	2602.50	26.10

टिप्पणी :

1. असम के गरीबी अनुपात का सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा व गोवा के व्यय वितरण का गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा व जम्मू कश्मीर के व्यय वितरण का जम्मू व कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया गया है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पांडिचेरी और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयोग किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चण्डीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों की गरीबी, के लिए प्रयोग किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण का दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया गया है।
7. गोवा के गरीबी अनुपात का दमन व दीव के लिए प्रयोग किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।
9. राजस्थान के शहरी गरीबी अनुपात को अनंतिम समझा जाए।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

7457. श्री बीर सिंह महतो :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली द्वारा ओ बी जारी किये जाने के बाद टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में वरीयता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान प्राथमिकता के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए और प्राथमिकता के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। ओ बी जारी होने के पश्चात जितनी जल्दी संभव हो सभी कनेक्शन प्रदान किये जाते हैं। तथापि, ओ बी जारी करने में माननीय संचार मंत्री, माननीय संचार राज्य मंत्री, संसद सदस्यों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक पीजीएम और क्षेत्रीय महाप्रबंधकों द्वारा अग्रता प्रदान की जाती है।

(ग) 2952 मामलों में ओ बी जारी करने में अग्रता दी गयी।

(घ) पिछले छः महीने के दौरान माननीय संसद सदस्यों से 58 पत्र प्राप्त हुए और अब तक 52 कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। शेष मामलों पर कार्रवाई की जा रही है और कनेक्शन जल्द ही दे दिये जायेंगे।

[अनुवाद]

वातित पेय में रासायनिक घटक

7458. श्री वसुदेव आचार्य :
श्री गुनीपाटी रामैया :
डा. राम चन्द्र डोम :
श्री समीक लाहिड़ी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वातित पेय के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रासायनिक घटक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न ब्रांडों के वातित पेय का समर्थन करने वाले विज्ञापनों में मशहूर हस्तियों के भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अधीन निर्धारित किए गए कार्बोनेटेड जल हेतु मानदण्डों के अनुरूप वातित (एरेटेड) पेयों का विनिर्माण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बी.टी. कॉटन की वाणिज्यिक खेती

7459. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामजी मांझी :
श्री रघुनाथ झा :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बी.टी. कॉटन की वाणिज्यिक खेती को मंजूरी प्रदान करने के दौरान मंत्रालय से परामर्श नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय ने क्या आपत्तियां जताई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने भारतीय स्थितियों में बी.टी. कपास (कॉटन) के संबंध में किए गए अध्ययनों की रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के पास टिप्पणियों के लिए भेजी थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन है, ने इन अध्ययनों की जांच की थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उक्त रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति को भेज दी हैं।

कृषि आधारित उद्योग

7460. श्री पी. कुमारास्वामी : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि आधारित उद्योगों में प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि उत्पादों और अपशिष्टों के अधिकतम उपयोग हेतु आरंभ की गई योजनाएं/परियोजनाएं कौन सी हैं;

(ख) इस संबंध में कृषि आधारित उद्योगों को दी गई छूटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कृषि एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु देशभर में पहले से ही ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, के वी आई सी, 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है, और 10 लाख रुपये से ऊपर और 25 लाख रुपये की परियोजना हेतु मार्जिन मनी की दर 10 लाख रुपये का 25 प्रतिशत जमा परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। अ.जा./अ.जा.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी/संस्थान और पहाड़ी सीमा एवं जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप हेतु मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 30 प्रतिशत है, परन्तु इस राशि से ऊपर और 25 लाख रुपये तक के लिए यह परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत, लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा। अ.जा./अ.ज.जा. आदि के मामले में लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है। यह येजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 14.05.2001 को एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज अन्य बातों के साथ–साथ, खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, छूट एवं विपणन विकास सहायता (एम डी ए) के बीच विकल्प, पैकेजिंग एवं डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, क्लस्टर विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रचार एवं विज्ञापन माध्यम से विपणन आदि प्रदान करता है।

एड्स-रोधी औषधियों को उत्पाद शुल्क से छूट

7461. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एड्स–रोधी कुछ औषधियों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पाद शुल्क से मुक्त की गई औषधियों का ब्यौरा क्या है और इसका क्या उद्देश्य है; और

(ग) इससे देश में उक्त औषधि निर्माताओं एवं रोगियों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित औषधियों को रोगियों हेतु उचित वहनीय कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है :

(1) डिडानोसिन (2) एफाविरेन्ज (3) इंडिनेविर (4) लैमिवुडिन (5) नेलफिनविर (6) नेविरेपिन (7) रिटोनेविर (8) सैक्यूनेविर (9) स्टावुडिन (10) जिडोवूडिन।

(ग) उत्पाद शुल्क से छूट देने से विनिर्माता इन औषधियों को एच आई वी/एड्स रोगियों को कम कीमतों पर उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाएंगे।

विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण

7462. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने 2.57 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना चरण के दौरान एक विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण किया;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सब–स्टेशन द्वारा पत्तन के कंटेनर टर्मिनल में 156 रीफर साकेट को बिजली दी जानी थी;

(ग) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण में एक ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया और इस प्रकार 1.16 करोड़ रूपए का निक्ल व्यय हुआ जो कि परिहार्य था;

(घ) यदि हां, तो क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने ठेकेदार को आगे और एक भूखंड निःशुल्क दे दिया जिसके परिणामस्वरूप पत्तन को 28.22 लाख रुपए की और हानि हुई;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच पड़ताल की है; और

(च) यदि हां, तो चूकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने ठेका-V-विद्युत वितरण प्रणाली और ठेका-II बल्क हैंडलिंग सुविधा के तहत न्हावा शेवा पत्तन परियोजना के भाग के रूप में सभी उपस्कर और पत्तन के नगर क्षेत्र के लिए विद्युत आपूर्ति सुलभ कराने हेतु प्रचालनात्मक क्षेत्र के भीतर और पत्तन के नगर क्षेत्र में एक 220/33 के वी मास्टर यूनिट सब–स्टेशन और आठ 33/3.3/0.415 के वी इलेक्ट्रिकल सब–स्टेशनों का निर्माण किया। आठ 33/3.3/0.415 के वी इलेक्ट्रिकल सब–स्टेशनों में से एक सब–स्टेशन 156 रीफर सॉकेटों तथा सब–स्टेशन के निकट बाहरी क्षेत्र प्रकाश प्रणाली के लिए विद्युत आपूर्ति सुलभ कराने के लिए था।

(ग) से (च) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार नये रीफर सब–स्टेशन के निर्माण की परिकल्पना सब–स्टेशन को ठेकेदार को सौंपने से बहुत पहले पूर्वानुमानित यातायात के आधार पर और परियोजना स्तर पर निर्मित किए गए सब–स्टेशन से नवनिर्मित रीफर प्वाइंटों को विद्युत आपूर्ति सुलभ कराने में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखने के बाद की गई थी। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के सब–स्टेशन में प्रवेश देने के लिए दो करोड़ रुपए की कुल लागत पर 34 मीटर चौड़े भू–खंड सहित यह सब–स्टेशन ठेकेदार को इस शर्त के अध्यधीन सौंप दिया कि उनके द्वारा इस भू–खंड का विकास हरित पट्टी के रूप में किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में कम निवेश

7463. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि योजना आयोग ने सरकार द्वारा कृषि में कम निवेश के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने ग्रोस कैपिटल फोरमेशन इन एग्रीकल्चर (जी.सी.एफ.ए.) के टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कैपिटल फोरमेशन (डी.जी.सी.एफ.) के प्रतिशत के रूप में आई कमी, जोकि वर्ष 1980–81 के मूल्यों अनुसार 1979–80 में 19.1 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1996–97 में 9.4 प्रतिशत हो गया है, के संबंध में नौवीं पंच–वर्षीय योजना की मध्यावधि के दौरान अनुमानित खर्च के संबंध में चिन्ता जताई है। वर्ष 1993–94 के मूल्यों पर जी.सी.एफ.ए. जो कि वर्ष 1996–97 में 6.3 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1998–99 में 5.5 प्रतिशत हो गया है। पब्लिक सेक्टर में जी.सी.एफ.ए. ने 1996–97 में 4668.00 करोड़ रुपये की गिरावट पंजीकृत की है।

(ग) एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार द्वारा कैपिटल फोरमेशन के संबंध में अपनाई गई रणनीति है, ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास फण्ड, त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम, नैशनल वाटरशेड विकास परियोजना तथा अन्य ऐसे ही कार्यक्रम जैसी

स्कीमों को शुरू करने के माध्यम से बुनियादी संरचना विकास के निवेश में वृद्धि करना है

कुशल पायलटों की कमी

7464. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्रपत्तन कुशल पायलटों के अभाव के कारण प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पायलटों को आकर्षित करने के लिए और प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) और (ख) अधिकांश पत्तन कुशल पायलटों की कमी के कारण प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यदि किसी कारणवश किसी पत्तन पर नियमित पायलट उपलब्ध नहीं होते हैं तो पत्तन ठेका आधार पर लिए गए पायलटों के जरिए कार्य की व्यवस्था करते हैं।

(ग) और (घ) महापत्तनों में कार्य करने हेतु पायलटों को आकर्षित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

धनराशि की वसूली न होना

7465. श्री रघुनाथ झा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी विभाग फर्मों को धनराशि मंजूर करते समय सरकार के हित की रक्षा करने में विफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनपेक्षित लाभ हो रहा है और 40.25 लाख रुपए की वसूली नहीं हुई है जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 5 के पैराग्राफ 5.2 में प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन फर्मों से धनराशि वसूल करने और दोषी पाए गए लोगों की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सीएजी रिपोर्ट सं. 5, 2002 के पैरा 5.2 में उल्लिखित कम्पनियों के लिए किसी प्रकार की धनराशि की मंजूरी नहीं दी है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सीरी), चेन्नै को कागज उद्योग के अनुरूपांतर स्वाचलन के लिए 40.25 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया गया था, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। इन कम्पनियों ने भी इस योजना से सीरी, चेन्नै को 50.00 लाख रुपए का समतुल्य वित्तीय अंशदान किया था। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा दिया गया सहायता अनुदान स्वदेशी प्रौद्योगिकी के संवर्धन में विद्यमान खतरे की जिम्मेदारी लेने के लिए थी। परियोजना के परिणाम के अंतिम लाभार्थी होने के कारण ये कम्पनियां प्रणालियों के प्रतिष्ठापन और संतोषजनक रूप से चालू होने के बाद इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा सीरी, चेन्नै को दी गई राशि की इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को अदायगी करने के लिए समहत हो गई थी। प्रणालियों के प्रतिष्ठापन और संतोषजनक रूप से चालू होने के बाद इन कम्पनियों ने अब तक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को अदायगी नहीं की है, जिसका कारण उन्होंने प्रणाली की पद्धति में आ रही समस्याओं और कागज उद्योग में आई मंदी बताया है। इस मामले पर कम्पनियों के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

मौलिक अधिकारों में चिकित्सा अधिकार को शामिल करना

7466. डा. अशोक पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा सुविधा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 और 12

7467. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जबलपुर और कटनी जिलों में आई.आर.क्यू.पी. योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और 12 पर कार्य आरंभ किया गया है;

(ख) क्या उक्त कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) क्या उक्त कार्य की गुणवत्ता को संतोषजनक पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जबलपुर और कटनी जिलों से गुजरने वाले रा.रा. 7 की 160 कि.मी. लंबाई में से 23.25 करोड़ रुपए की लागत से 122 कि.मी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं जिसमें से 111 कि.मी. लंबाई में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। 38 कि.मी. लंबे खंड में सड़क गुणता सुधार कार्य वार्षिक योजना 2002–03 में शामिल किया गया है। जबलपुर जिले में रा.रा. 12 की 56 कि.मी. लंबाई में से 3.77 करोड़ रुपए की लागत से 20 कि.मी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं जिसमें से 17 कि.मी. लंबाई में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष खंडों में सुधार कार्य धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन अगले दो वर्षों में शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन कार्यों पर 21.79 खर्च किए गए हैं।

[अनुवाद]

वी.एस.ए.टी. सेवाएं

7468. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल सेवाएं (वी.एस.ए.टी.) वायरलैस और समन्वय प्रभारों के लिए राजस्व भागीदारी प्रणाली की ओर अग्रसर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो राजस्व भागीदारी की ओर अग्रसित न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) अब तक वी.एस.ए.टी. सेवाओं हेतु डब्ल्यू पी सी प्रभार निर्धारित दर के आधार पर प्रभारित किए जा रहे हैं। राजस्व भागीदारी की व्यवस्था को अपनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस मुददे पर निर्णय लगभग छह महीनों में लिये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन सुविधा

7469. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में नंदुरबर, धुले और जलगांव जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों के पास टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावाना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार नंदुरबर, धुले और जलगांव जिले में टेलीफोन कनेक्शन हेतु लंबित आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची
1.	नंदुरबर	968
2.	धुले	3067
3.	जलगांव	4295
	जोड़	8330

(ख) कुछ लम्बी दूरी के कनेक्शनों को छोड़कर प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को मार्च, 2003 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

चिकित्सकों के उप-संवर्ग

7470. श्री पवन कुमार बंसल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में चिकित्सकों के विभिन्न उप–संवर्ग शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उप–संवर्गों का भर्ती, कार्यकरण और वार्षिक मूल्यांकन का अलग माानदंड है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शिक्षण विशेषज्ञों के उप–संवर्ग हेतु सामान्य वरिष्ठता तैयार नहीं की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रत्येक उप–संवर्ग हेतु एक वार्षिक वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की जाती है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में चार उप–संवर्ग हैं, नामतः अध्यापन विशेषज्ञ, अध्यापनेतर विशेषज्ञ, जन–स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी। इन उपसंवर्गों की भर्ती, काम–काज तथा वार्षिक मूल्यांकन के मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग के अधिकारियों की वरिष्ठता प्रोफेसरों के स्तर तक विशिष्टता–वार तैयार की जाती है और सामान्य वरिष्ठता वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अर्थात निदेशक–प्रोफेसर के स्तर पर तैयार की जाती है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1996 के नियम, के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इन नियमों में अधिकारियों की वरिष्ठता सूची वार्षिक रूप से तैयार करने का प्रावधान नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चारों उप–संवर्गों के अधिकारियों की भर्ती, कार्यकरण तथा वार्षिक मूल्यांकन के मानदण्ड नीचे दिए गए हैं :

उपसंवर्ग	भर्ती	कार्यकरण	वार्षिक मूल्यांकन मानदण्ड
अध्यापन विशेषज्ञ	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	अध्यापन कार्यक्रम के एक भाग के रूप रोगी परिचार्य सहित अध्यापन	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट
अध्यापनेतर विशेषज्ञ	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	समय–समय पर सौंपी जाने वाली रोगी परिचर्या तथा विभिन्न प्रशासनिक ड्यूटी	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट
जन–स्वास्थ्य विशेषज्ञ	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु अध्ययन तथा फील्ड जांच आयोजित करना तथा जनस्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता करना	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट
सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	औषधालयों/अस्पतालों आदि में रोगी परिचर्या और समय–समय पर दी जाने वाली विभिन्न प्रशासनिक ड्यूटियां करना	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाएं

7471. श्री रतन लाल कटारिया :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से देश में कुछ स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा राज्य–वार कितना धन आवंटित किया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उन परियोजनाओं के अंतर्गत कौन–कौन से कार्य किए गए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आज तक इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार कितनी प्रगति हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 का सुधार

7472. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में जैसलमेर–बाड़मेर–संचौर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 की दशा, विशेषकर 229–230, 236–240, 241–242 और 252–253 कि.मी. के बीच अत्यंत खराब है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों से राजमार्ग के इन हिस्सों पर मरम्मत और सुधार कार्य नहीं किया गया;

(ग) इन हिस्सों पर मरम्मत और सुधार कार्य न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या 228 से लेकर 259वें कि.मी. के बीच अंत:वर्ती लेन से लेन के बीच के रास्ते को चौड़ा करने और आई. आर.क्यू.पी. बढ़ाने तथा 240 से लेकर 259वें कि.मी. के बीच आई.आर.क्यू.पी. में सुधार करने संबंधी प्रस्ताव पहले ही महानिदेशक (अनु.विकास) दिल्ली को भेजा जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसका विस्तार कब तक किये जाने की संभावना है तथा इस मार्ग की दशा में सुधार करने का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) राज्य लोक निर्माण विभाग, जो राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण करने के लिए एजेंसी है ने सूचित किया है कि राजस्थान राज्य में रा.रा.15 के जैसलमेर–बाड़मेर–संचौर खंड की स्थिति विशेषतया 229–230, 236–240, 241–242 और 252–253 कि.मी. के बीच अत्यंत खराब नहीं है। तथापि, राज्य लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है कि आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के उल्लिखित खंडों के सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करे।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत यातायात की आवश्यकताओं, परस्पर प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) मध्यवर्ती लेन को चौड़ा करके दो लेन बनाने और 228 से 259 कि.मी. के बीच आई.आर.क्यू.पी. संबंधी प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। 240/0 से 259/0 कि.मी. के बीच आई.आर.क्यू.पी. के लिए प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ है। उसकी जांच की जा रही है। कार्य प्रारंभ करने की तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।

डाक-तार और दूरसंचार विभाग में समूह 'क' की सेवा शर्तें

7473. श्री सुरेश कुरुप :
श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार परिचालन विभाग के निगमीकरण के पश्चात डाक–तार विभाग (भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखन और वित्त सेवा) में समूह "क" के अधिकारियों की सेवा शर्तों के संबंध में व्यापक आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उनकी सेवा शर्तों की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दूरसंचार सेवा विभाग/ दूरसंचार प्रचालन विभाग के निगमीकरण के पश्चात भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के समूह "क" अधिकारियों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूरसंचार और डाक विभागों के लिए इस सेवा हेतु भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी है। भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा के अधिकारी प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर भारत संचार निगम लिमिटेड में कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

विदेशियों के एड्स की अनिवार्य जांच

7474. श्री तूफानी सरोज :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न देशों से भारत में आने वाले विदेशियों के एड्स की अनिवार्य जांच कराने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने एड्स की रोकथाम के लिए स्वैच्छिक परामर्श तथा प्रशिक्षण केन्द्र के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सरकार की नीति के अनुसार, भारत में एक वर्ष से अधिक समय तक ठहरने के इच्छुक सभी विदेशियों तथा उन विदेशियों, जो अल्पकालिक वीजा पर भारत आते हैं परन्तु अपने वास को एक वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक बढ़ाना चाहते हैं, को अपने वास के दौरान सिर्फ एक बार एड्स के लिए जांच करवानी पड़ती है। वैसे, विभिन्न मिशनों में कार्यरत विदेशी, चाहे वे राजनयिक पद पर हों, अथवा नहीं, विदेशी पुरोहित और 'नन्स' तथा भारतीय प्रेस सूचना कार्यालय के प्रत्यायित विदेशी पत्रकार और अल्पकालिक वीजा पर आने वाले सभी विदेशी आगंतुक एड्स के लिए जांच से छूट गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने उच्च व्यापकता वाले राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा नगालैंड को प्राथमिकता देते हुए जिला स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अस्पतालों में चरणबद्ध ढंग से स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फंड

7475. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फंड" के लिए धन की प्रमात्रा को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो यू.एस.ओ. फंड के लिए दिए जाने वाले धन के स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने शुल्क के एक हिस्से का अंशदान इस फंड में करेंगे;

(घ) यदि हां, तो उस प्रणाली का ब्यौरा क्या है जिससे लेवी ऑपरेट होगी;

(ङ) क्या सरकार यू.एस.ओ. फंड हेतु धन जुटाने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। सार्वभौमिक सेवा निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2002–2003 के बजट प्राक्कलन में 1805 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने समायोजित सकल राजस्व (ए. जी.आर.) के 5 प्रतिशत की दर से सार्वभौमिक सेवा लेवी आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह लेवी बुनियादी, सेल्युलर, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, पेजिंग, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-II (आई.पी.II) अति लघु अपर्चर टर्मिनल (वी.एस.ए.टी.) जैसे विविध सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल लाइसेंस शुल्क का एक भाग है।

(घ) सार्वभौमिक सेवा लेवी द्वारा सृजित निधियों का व्यय सार्वजनिक अभिगम्यता टेलीफोनों या जनोपयोगी सामुदायिक टेलीफोनों और निवल उच्च लागत वाले ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों में व्यक्तिगत आवासीय टेलीफोनों पर ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में किया जाएगा। सार्वभौमिक सेवा दायित्व का कार्यान्वयन दो स्पष्ट अभिज्ञेय चरणों में विभाजित किया जाएगा :

चरण-I—सार्वजनिक दूरसंचार तथा सूचना सेवाएं प्रदान करना। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) शेष गावों (1991 की जनगणना के अनुसार अभिज्ञात गांवों के अतिरिक्त) में वीपीटी संस्थापित करना।

(ख) प्रत्येक गांव में एक वीपीटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान करना।

(ग) 1.4.2002 से पहले संस्थापित वीपीटी का प्रतिस्थापन करना।

(घ) सार्वजनिक दूरसंचार तथा सूचना केन्द्रों (पीटीआई सी) के लिए वीपीटी का उन्नयन।

(ङ) हाई स्पीड पीटीआईसी (एचपीटीआईसी) का संस्थापन।

चरण-II—निवल उच्च लागत वाले क्षेत्रों (ग्रामीण/दूरवर्ती) में आवासीय टेलीफोन प्रदान करना। निधियों के वितरण के संबंध में चरण-II से अधिक चरण-I को प्राथमिकता दी जाएगी। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति संबंधी मार्ग निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है।

(ङ) और (च) इस समय, सार्वभौमिक सेवा दायित्व की आवश्यकता में वृद्धि होने से इस प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक सेवा लेवी के अंशदान प्रतिशत में वृद्धि की जा सकती है। किन्तु जोड़ी गई लेवी सार्वभौमिक सेवा लेवी तथा अक्षुण्ण लाइसेंस शुल्क की वर्तमान सीमा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस शुल्क के वर्तमान प्रतिशत से प्राप्त की जाएगी।

सॉफ्टवेयर व्यापार में वृद्धि/कमी

7476. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा साफ्टवेयर व्यापार के संबंध में दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों/उठाए गए कदमों ने कोई उत्साहजनक परिणाम दर्शाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 के दौरान अब तक किए गए व्यापार का ब्यौरा क्या है; और वर्ष 2000–2001 के मुकाबले तुलनात्मक वृद्धि अथवा कमी कितनी है;

(ग) क्या सॉफ्टवेयर उद्योग ने सरकार से उद्योग के समृद्ध विकास हेतु और रियायत प्रदान करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान हुए 28,350 करोड़ रुपए के साफ्टवेयर के निर्यात की तुलना में वर्ष 2001–2002 के दौरान यह 28 प्रतिशत की दर से बढ़कर 36,500 करोड़ रुपए हो गया।

(ग) और (घ) साफ्टवेयर उद्योग ने वर्ष 2002–2003 के बजट में पूर्ण कटौती की कमी के लिए की गई घोषणा के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है जो अब तक आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के अंतर्गत निर्यात होने वाले लाभ पर उपलब्ध थी, यह निर्यात से होने वाले लाभ के 90 प्रतिशत की कटौती पर उपलब्ध थी।

दूरसंचार-नेटवर्क

7477. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार और नेटवर्ट प्रौद्योगिकी सेवाप्रदाता "नेटवर्क प्रोग्राम्स" ने भारत के दूरसंचार बाजार के लिए अपने संपर्क केन्द्र और ग्राक संपर्क प्रबंधन साफ्टवेयर के विकास हेतु 15 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी ने दूरसंचारगत सेवा प्रदाता प्रणालियों को लक्ष्य करके एक उत्पाद–शृंखला तैयार की है;

(ग) क्या इस्राइल, अमरीका और आस्ट्रेलिया में इस क्षेत्र का बाजार पहले ही तैयार हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इससे देश में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार में कहां तक मदद मिलेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पार्सल बम

7478. श्री जी. एस. बसवराज : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 3 जनवरी, 2002 को भुवनेश्वर में एक स्थानीय उप डाकघर में एक पंजीकृत पार्सल बम फटा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए थे;

(ग) क्या इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटना को रोकने के लिए कौन–कौन से एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) भुवनेश्वर के सूर्यनगर उप डाकघर में 3–1–2002 को 11.00 बजे से 11.30 के बीच पार्सल नम्बर 213 बुक किया गया था जिसे कपड़े से पैक किया गया था। इस पार्सल में उसी दिन 13.30 बजे विस्फोट हो गया। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए।

(ग) से (ङ) सभी डाक सर्किलों के अध्यक्षों को 9–1–2002 को आवश्यक निदेश जारी किए गए कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु के निपटान में पर्याप्त सुरक्षा उपाय करें। डाक में बम से निपटने की आकस्मिक कार्य–योजना के संबंध में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यू पी यू) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश भी वितरित किये गये हैं। चुनिंदा डाकघरों में पार्सलों की बुकिंग को रोकने के अलावा जहां संभव हो ग्राहकों से यह निवेदन करने के निदेश जारी किए गए हैं कि पार्सलों को खुली अवस्था में लाया जाए ताकि बुकिंग से पहले उनकी जांच की जा सके।

प्रधान मंत्री का अमरीका का दौरा

7479. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 2001 में प्रधान मंत्री के अमरीका के दौरे के दौरान विशेषकर रक्षा सहयोग और सहमति प्राप्त एवं सामरिक ढांचा स्थापित करने के क्षेत्र में किए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : दोनों पक्षों ने नवम्बर, 2001 के बीच संयुक्त राज्य में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान लिए गए सभी निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की है। रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए दिसम्बर, 2001 में नई दिल्ली में द्विपक्षीय रक्षा नीति दल की बैठक हुई। रक्षा नीति दल ने रक्षा मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता के अन्य संस्थागत मंचों की गतिविधियों और बैठकों का ठोस कार्यक्रम तैयार किया है जो कि निर्धारित समयानुसार चल रहा है। भारत और संयुक्त राज्य ने नए सामरिक ढांचे पर जारी अपनी चर्चा में विस्तार किया है। प्रथम राजनैतिक सैन्य वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में 30 अप्रैल को किया गया। भारतीय विशेषज्ञ, मिसाइल रक्षा पर द्विपक्षीय कार्यशाला में संयुक्त राज्य में मई, 2002 में, तत्पश्चात जून, 2003 में इस क्षेत्र में दूसरे अभ्यास में प्रेक्षण हेतु आमंत्रित हैं।

भारत अमरीका संयुक्त कार्य दल की बैठक

7480. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2002 में नई दिल्ली में आतंकवाद पर भारत–अमेरिका संयुक्त कार्य दल की बैठक आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से सम्बद्ध भारत–अमरीकी संयुक्त कार्य दल की चौथी बैठक 21–22 जनवरी, 2002 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

(ख) दोनों शिष्टमंडलों ने वर्तमान आतंकवाद स्थिति और आतंकवाद का सामना करने के लिए दोनों देशों के बीच संस्थागत, विधि–प्रवर्तन, वित्तीय, सैन्य, आसूचना सहयोग को और सुदृढ़ करने पर विचार–विमर्श किया ।

(ग) दोनों पक्षों अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद स्थिति के मूल्यांकन का आदान–प्रधान करने, आसूचना और अन्वेषण सहयोग को और सुदृढ़ करने, परम्परागत और डब्ल्यू एम डी दोनों आतंकवाद में सुरक्षात्मक और निष्कर्ष प्रबंध क्षमताओं, आन्तरिक/स्वदेशी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर अनुभव का आदान–प्रदान करने आतंकवाद से संबद्ध सितम्बर, 2001 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से सम्बद्ध सैन्य–सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने और साइबर–आतंकवाद, आतंकवाद वित्तपोषण अवरुद्ध करने, प्रभावी सीमा प्रबंध के न्यायिक क्षमताओं और प्रौद्योगिकीय पहलुओं जैसे मसलों पर सहयोग को जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं।

हरियाणा में टेलीफोन कनेक्शन

7481. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल ने हाल ही में हरियाणा के बहादुरगढ़ में नये कनेक्शनों के लिए चलाई गई विशेष योजना के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत से निर्माणाधीन मकानों में अभी भी कनेक्शन दिए जाने हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के आवेदकों से निर्माण स्थल पर शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नये कनेक्शन कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक केवल एक कनेक्शन प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) बहादुरगढ़ में जल्दी टेलीफोन प्रदान करने के लिए केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मई 2002 के अंत तक कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नालॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नालॉजी डेवलपमेंट कारपोरशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5713/2002]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) का.आ. 280 (अ) जो 5 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद बाईपास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कानपुर–वाराणसी खंड के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कोखराज से हल्दिया और कानपुर–वाराणसी खंड तक की भू पट्टी के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत कृत्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 281 (अ) जो 5 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में भौंटी और खागा (दिल्ली–कानपुर खंड) और (कानपुर–वाराणसी खंड) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण और रखरखाव के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 314 (अ) जो 19 मार्च, 2002 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से सिकन्दरा (कानपुर देहात) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण और रखरखाव के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 408 (अ) और का.आ. 409 (अ) जो 11 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 410 (अ) से का.आ. 412 (अ) जो 11 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर भूमि के अर्जन के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 413 (अ) जो 11 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 ख पर भूमि के अर्जन के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 370 (अ) जो 2 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नेल्लौर–चिलकोरीपेट खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 371 (अ) जो 2 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेशवर खण्ड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 445 (अ) जो 18 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 446 (अ) जो 18 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम खण्ड) और (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खण्ड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 448 (अ) जो 18 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 425 (अ) जो 15 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी–रानीपेट खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 426 (अ) जो 18 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई–रानीपेट खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 455 (अ) जो 20 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 आर पर हुगली नदी पर दूसरे विवेकानन्द पुल के रखरखाव, प्रबंध और संचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 464 (अ) जो 26 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ. 465 (अ) जो 26, अप्रैल 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उसमें संलग्न तालिका में यथा विनिर्दिष्ट हिस्से को सौंपने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5714/2002]

(अनुवाद)

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5715/2002]

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5716/2002]

(तीन) न्यूक्लियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5717/2002]

(चार) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5718/2002]

(2) उड़ीसा के केंबीके जिलों के लिए पुनरीक्षित दीर्घावधि कार्ययोजना की एक प्रति, समीक्षा तथा उस पर की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए संख्या** एल.टी. 5719/2002]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु और सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2002 जो 18 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम 2002 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 118 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5720/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

ग्यारहवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 26 चौथा सत्र 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5721/2002]

(2) विवरण संख्या 23 पांचवां सत्र 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5722/2002]

बारहवीं लोक सभा

(3) विवरण संख्या 24 दूसरा सत्र 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5723/2002]

(4) विवरण संख्या 19 तीसरा सत्र 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5724/2002]

(5) विवरण संख्या 19 चौथा सत्र 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5725/2002]

तेरहवीं लोक सभा

(6) विवरण संख्या 16 तीसरा सत्र 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5726/2002]

(7) विवरण संख्या 12 चौथा सत्र 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5727/2002]

(8) विवरण संख्या 10 पांचवां सत्र 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5728/2002]

(9) विवरण संख्या 9 छठा सत्र 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5729/2002]

(10) विवरण संख्या 6 सातवां सत्र 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5730/2002]

(11) विवरण संख्या 4 आठवां सत्र 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5731/2002]

(12) विवरण संख्या 2 नौवां सत्र 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5732/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5733/2002]

(दो) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5734/2002]

(2) महापत्तन न्यास अधिसूचनाओं, 1963 की धारा 124 की उप–धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 285 (अ) जो 15 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी) पहला संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 290 (अ) जो 18 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5735/2002]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5736/2002]

(3) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5737/2002]

(5) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5738/2002]

(7) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5739/2002]

(9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5740/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2002 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 मई, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 14 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संसद अधिकारी और संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे

लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 14 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संसद अधिकारी के वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.02½ बजे

[अनुवाद]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, मैं 'महिलाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम' के बारे में महिला अभिकारिता संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

---

*लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 6 मार्च, 2002 को लोक सभा के माननीय उपाध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। माननीय उपाध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.03½ बजे

[हिन्दी]

शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 2002 के मानसून सत्र के अंत तक और बढ़ाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 2002 के मानसून सत्र के अंत तक और बढ़ाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : महोदय, मैं जम्मू में टैरेरिस्ट अटेक के बारे में कहना चाहता हूं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में चर्चा हुई है। प्रधान मंत्री जी ने उत्तर भी दिया है।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय आपने जीरो आवर में उठाने की इजाजत दी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको ध्यानाकर्षण के पश्चात् अनुमति दूंगा।

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में कथित क्षेत्रीय असंतुलन

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं योजना मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में कथित क्षेत्रीय असंतुलन से उत्पन्न स्थिति।"

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय, माननीय संसद सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में उत्पन्न स्थिति का मामला उठाते हुए क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के बारे में ध्यान आकर्षित किया है।

माननीय संसद सदस्य द्वारा इस क्षेत्र और इसकी जनता के लिए इसी प्रकार की चिंता और मुद्दे समय-समय पर विशेष उल्लेख, शून्य काल के दौरान प्रस्ताव लाकर, प्रधान मंत्री, योजना राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष योजना आयोग को पत्र लिखकर उठाए गए हैं, जो सर्वविदित हैं।

माननीय संसद सदस्य ने इस क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन तथा आधारिक संरचना विकास की कमी जैसे सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, उद्योग, कृषि संभावनाओं का शोषण तथा रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुलों के निर्माण आदि के मुद्दे, साथ ही साथ राजवंशी जैसे पिछड़े समुदाय के सामाजार्थिक तथा सांस्कृतिक विकास और हिन्दी को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में अन्य भाषाओं के विकास के संदर्भ के मुद्दे उठाए हैं।

माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए इन मुद्दों में पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत उत्तरी बंगाल के विकास में महसूस किए गए असंतुलन के हैं; उत्तरी बंगाल में राजवंशी समुदाय का उत्थान; उत्तरी बंगाल के समग्र विकास की आवश्यकता; जूट उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य, चाय उद्योग की मंदी तथा बैंकों की सहायता में कमी; उत्तरी बंगाल का समग्र विकास; उत्तरी बंगाल में आधारिक संरचना विकास; मालदा में 250 बिस्तरों वाले अस्पताल का प्रावधान करना तथा महानंदा में पक्की सड़कें; उपमंडलीय मुख्यालयों का सामाजार्थिक विकास; उत्तरी बंगाल का सामाजार्थिक विकास; 15 करोड़ रुपये का तदर्थ अनुदान; पश्चिम बंगाल को निधियों का आवंटन; तथा हरीशचन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। हाल ही में उन्होंने करनदीघी विधान सभा क्षेत्र, गोलपुकुर तथा चाकुलिया रेवेन्यू ब्लाकों, चंचल उपमंडल तथा रतुआ ब्लाक में नियम 377 के अधीन समग्र विकास के संबंध में मुद्दे उठाए हैं, जिसके उत्तर तैयार किए जा रहे हैं।

इन मुद्दों की समय-समय पर योजना आयोग में जांच की गई है। क्षेत्र के विकास और आयोजना तथा इस प्रयोजन के लिए निधियों का आवंटन करना प्रमुखतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने में राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रायः सभी मुद्दे राज्य सरकार के समग्र उत्तरदायित्व के अंतर्गत आते हैं। निधियों के आपसी आवंटन की योजना जो वार्षिक योजना में राज्यों के लिए मंजूर की जाती है, समग्र रूप से राज्य सरकार के विशेष अधिकार में आती है। वार्षिक योजनाओं के लिए निधियां, मैं दोहराना चाहूंगी कि राज्यों को कुछ क्षेत्र विकास स्कीमों को छोड़कर, उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र का विकास उसी राज्य की सरकार का उत्तरदायित्व है। विभिन्न कार्यक्रम, आदिवासी उप-योजना (टीएसपी), सीमावर्ती विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) (जो दार्जिलिंग गोरखा हिल डेवलपमेंट कौंसिल के अंतर्गत है) आदि के पहचान किए गए विशेष समस्या वाले क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए हैं।

इस सिलसिले में अनेक अवसरों पर माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रत्येक विशेष उल्लेख के प्रत्युत्तर में तत्कालीन योजना राज्य मंत्री जी की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्य

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

मंत्री को माननीय सदस्य की चिंताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए इस अनुरोध के साथ उपयुक्त पत्र भेजा जाता रहा है कि मामले की जांच की जाए तथा राज्य स्तर पर उचित कार्रवाई की जाए। प्रत्येक नोटिस/उल्लेख के प्रत्युत्तर में नियमित रूप से माननीय सदस्य को उत्तर भेजे गए हैं।

मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि राज्य सरकार ने उत्तरी बंगाल क्षेत्र के विकास हेतु स्कीमें तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2000–01 में 'उत्तर बंग उन्नयन परिषद' नामक निकाय भी गठित किया है।

उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय ने उत्तर बंगाल के लिए 2001–2010 के लिए एक सामाजिक–आर्थिक संदर्शी योजना तैयार की गई है जो परिषद के विचाराधीन है। राज्य सरकार ने इस परिषद के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 112.53 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

इसके साथ–साथ, माननीय सदस्य द्वारा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बार–बार किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मामले के रूप में यह निर्णय लिया गया था कि उठाए गए मुद्दों को जानने के लिए तथा उनके समाधान के लिए उत्तरी बंगाल क्षेत्र का अध्ययन कराया जाना चाहिए। यह अध्ययन "उत्तरी बंगाल क्षेत्र के तुलनात्मक पिछड़ापन पर अनुसंधान अध्ययन" के नाम से सितम्बर, 2001 में जनसाधन अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू किया गया था। जो कि योजना आयोग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान है। इस अध्ययन का अर्थ विकास के विभिन्न आयामों, व्यापक रूप से निम्नलिखित शीर्षों (क) वास्तविक संसाधन, (ख) मानव संसाधन, (ग) वास्तविक आधारिक संरचना, (घ) शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित सामाजिक आधारिक संरचना, (ङ) आर्थिक क्षेत्रक, तथा (च) विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में अंतर–जिला विषमता का पता लगाना था। अध्ययन में भावी विकास पहलों की तुलना में उत्तरी बंगाल के जिलों की क्षमता, कमजोरी, अवसर एवं भय (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण पर जोर दिया गया है। चूंकि, अध्ययन पूरा हो गया है तथा रिपोर्ट अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एक राज्य विकास रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, उत्तरी बंगाल भी है, तैयार की जा रही है, जिसके लिए योजना आयोग के सदस्य डा. एस. पी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक कोर समिति गठित कर दी गई है। अध्ययन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कार्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, कोलकाता; इंडियन स्टेटिस्टकल इंस्टीट्यूट; जादवपुर यूनिवर्सिटी; तथा कोलकाता यूनिवर्सिटी जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को सौंपा गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जिस क्षेत्र का उल्लेख मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किया था वह अन्य क्षेत्रों जैसा है।

महोदय, आपको यह स्मरण होगा कि जब महाराष्ट्र और गुजरात का पुनर्गठन किया गया था तब भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष रूप से सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ जैसे क्षेत्रों के विकास संबंधी पहलुओं का प्रावधान किया गया था।

महोदय, उत्तर बंगाल पश्चिम बंगाल का एक भाग है जहां बंगाल और बिहार के पुनर्गठन संबंधी विधेयक के पचास के दशक में पारित होने के पश्चात् अनेक जिलों का पुनर्गठन करना पड़ा था। इसके पश्चात् संपूर्ण विकास परिदृश्य पिछड़ा हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बहुत सुन्दर वक्तव्य है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं मंत्री जी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु का आभारी हूं जिन्होंने वर्ष 2000 में बोर्ड के किसी सांविधिक दायित्व के बिना अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए उत्तर बंगाल उन्नयन परिषद नामक समिति बनाने का प्रयास किया था। अब दसवीं योजना बनने वाली है। सदन इस बात से अवगत होगा कि सड़क मार्ग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों का एकमात्र प्रवेश द्वार उत्तर बंगाल है। सदन इस बात से भी अवगत होगा कि रेल द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क उत्तर बंगाल से है। सदन इस बात से भी अवगत होगा कि जब 1962 में चीन का आक्रमण हुआ तो दिल्ली अथवा भारत के किसी अन्य भाग से नाथूला पहुंचने के लिए सेना के लिए एकमात्र रास्ता उत्तर बंगाल ही था। नक्सली आंदोलन भी उत्तर बंगाल से ही शुरू हुआ था। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, महोदय, कि चूंकि अब दसवीं योजना बनने वाली है और बहुत शीघ्र बनने वाली है। तो क्या वह पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करने पर विचार करके उन्हें इसमें शामिल करेंगी। क्योंकि समय–समय पर वे उन मुद्दों पर अपने सुझाव देते रहे हैं

जिन्हें हम उठाते हैं ताकि दसवीं योजना के दस्तावेज इस प्रकार तैयार किया जा सके कि इन असंतुलनों को पूरी तरह दूर किया जा सके।

बयालीस वर्ष पूर्व उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और मुझे उस विश्वविद्यालय का प्रथम स्नातक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। बत्तीस वर्ष पूर्व वहां सिलिगुड़ी मेडिकल कालेज के नाम से एक ही मेडिकल कालेज था। पैंतीस वर्ष पूर्व वहां जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कालेज के नाम से एक ही इंजीनियरिंग कालेज था। यदि आप पश्चिम बंगाल सहित भारत के अन्य भागों को आंखों से देखें तो आपको पता चलेगा कि अब तक तीन जनगणनाएं हो चुकी हैं और भारत के इस भाग को छोड़कर संबंधित क्षेत्रों में अनेक इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज स्थापित हो गए हैं। इसलिए राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि अनेक सामाजिक संगठनों, जिनमें फारवर्ड ब्लाक के मेरे सहयोगी श्री अमर राय प्रधान शामिल हैं, ने मुझसे संपर्क किया है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनके प्रयासों की प्रशंसा करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरी सहयोगी जलपाईगुड़ी की श्रीमती मिनाती सेन और अलीपुरद्वारस के जोवाखिम बखला ने भी मुझसे संपर्क किया है। हम इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते, यह एक गंभीर मुद्दा है। योजना आयोग को इस क्षेत्र के इस भाग पर उचित ढंग से ध्यान देना होगा क्योंकि इसके एक ओर नेपाल और भूटान की सीमाएं हैं और दूसरी ओर बांग्लादेश सीमा है। मैं आपको बताऊं आडवाणी जी और मुख्य मंत्री भी मेरी इस चिंता से सहमत होंगे कि नेपाल और भूटान के अनेक भागों के आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियां फैलाने के लिए इस क्षेत्र को आधार बना रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के शांतिप्रिय लोग जिसमें सामाजिक और नस्ली जनसंख्या शामिल है, काफी आंदोलन करते रहे हैं। उत्तर बंगाल में केवल एक समुदाय है जिसे हम राजवंशी अनुसूचित जाति कहते हैं। वे कालेजों और स्कूलों में लड़कियों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परेशान हैं। हम सब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं लेकिन आपको यह जानकर धक्का लगेगा कि हरीशचन्द्रपुर, गोलपोखर हेमताल और चकूलिया आदि जैसे दो अथवा तीन राजस्व ब्लाक हैं जहां 60 प्रतिशत मुस्लिम हैं, लेकिन उस क्षेत्र में कोई कालेज नाम की चीज नहीं है। वे लोग कहां जाएंगे?

उत्तर बंगाल के मेरे मित्र इस बात से सहमत होंगे कि हर दूसरे वर्ष आने वाली बाढ़ की तबाही इस क्षेत्र के सभी आर्थिक अवसरों को नष्ट कर देती है, चाहे यह मेरे जिले में हो, उत्तर मालदा में हो, चाहे यह कूचबिहार में हो अथवा जलपाईगुड़ी में हो।

अभी तक छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं चारों उत्तरोत्तर योजनाओं में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जल प्रबंधन समस्या के लिए एक भी मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है। एक समय था जब जलपाईगुड़ी उत्तर बंगाल का सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुख्यालय था। दो बाढ़ों के पश्चात् यह चाय नगरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उसके पश्चात् यह बिलकुल विकसित नहीं हो पाई है। राज्य सरकार द्वारा संस्तुत और अनुमोदित सर्किट बेंच के सुझाव अभी तक विधि मंत्रालय के पास पड़े हुए हैं। इसमें जलपाईगुड़ी के संबंध में कोई संकेत नहीं दिया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि खाद्य प्रबंधन युक्ति, मास्टर प्लान और शैक्षिक तथा औद्योगिक अवसंरचना सहित, अवसंरचनात्मक कमियों की भरपाई करने के लिए दसवीं योजना संबंधी दस्तावेज में समुचित उपाय करने हेतु उत्तर बंगाल सहित कई अन्य क्षेत्रों के लिए एक व्यापक कृतक बल बनाए जाने पर विचार किया जाए।

मैं गत तीन माह से श्री सोमनाथ चटर्जी को अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वे आएंगे। हल्दिया पेट्रो केमिकल्स के अनुप्रवाह उत्पादों से क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास के बेहतर अवसर हो सकते हैं क्योंकि भारत–बांग्लादेश और भारत–नेपाल बाजार सकारात्मक हैं।

युवा विशेषकर बेरोजगार युवा मुझसे यह कहते रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर भारत सरकार से बात क्यों नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का यह बात स्वीकार करने के लिए आभारी हूं। इसके साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करता हूं कि क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ की भांति समान विकास क्षेत्र स्थिति के संबंध में जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 371 में उपबंध किया गया है, इस क्षेत्र पर भी विचार किया

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

जा सकता है ताकि यह क्षेत्र आगे बढ़ सके और जल्दी ही इसकी स्थिति बेहतर हो सके, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य तथा पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करने पर विचार करेंगी।

सिलीगुड़ी का मेडिकल कालेज संपूर्ण उत्तर बंगाल और सिक्किम राज्य का उत्तरदायित्व संभाल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना दबाव हो सकता है। अतः इस समय इस क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त कालेज बहुत आवश्यक समझा जा रहा है। यहां तक कि भूटान के लोग भी भारत में आते हैं और उनके उपचार का प्रथम द्वार सिलीगुड़ी है। भूटान तथा नेपाल के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र को इस तरह की सहायता की जरूरत है।

मैं दो उदाहरणों का उल्लेख करूंगा और फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला उदाहरण 1998–99 में आई पिछली तीन भारी बाढ़ों के बारे में है। क्या आप मालदा, दक्षिण दीनाजपुर और उत्तर दीनाजपुर जिलों में चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं? मदतान केन्द्र नौकाओं पर चले थे और लोगों को वहां मतदान करने के लिए तैर कर भी जाना पड़ा था। पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व सिंचाई मंत्री, माननीय सदस्य श्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी ने महानंदा योजना बनाई थी। परन्तु आज तक तटबंधों का पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। योजना आयोग के संसाधन सृजन कार्यक्रम में योजना पर कभी कार्य नहीं किया गया। माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति बन गई है कि बाढ़ के समय मालदा नहीं पहुंचा जा सकता है। मुझे नदी विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है कि गंगा नदी अपना मार्ग बदलने का प्रयास कर रही है। यदि गंगा नदी फरक्का से राजमहल को अपना मार्ग बदल लेती है और मालदा में प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र में पांच से छः वर्षों के भीतर तबाही मच जाएगी।

मेरा कहना है कि स्थिति वास्तव में बड़ी भयावह और गंभीर है। एक ओर तीस्ता नहर परियोजना संसाधनों की कमी के कारण रुकी पड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर कूचबिहार और जलपाईगुड़ी के लिए पूरी सहायता जो अच्छी सिंचाई के अवसरों के लिए विशेषकर दीनाजपुर क्षेत्र की सिंचाई के लिए तीस्ता नहर से आती है वह भी रुकी पड़ी हुई है। इसलिए इन सभी मुद्दों को मिलाकर एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें संपूर्ण उत्तर बंगाल क्षेत्र के लिए दसवीं योजना दस्तावेज में विशेष आर्थिक सहायता तथा अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु दसवीं योजना दस्तावेज तैयार करने में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

मैं एक और बात की भी अपील करता हूं। कुछ उग्रवादी राजवंशियों की जातीय भावना भड़काकर उत्तर बंगाल में हिंसा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी हम भर्त्सना करते हैं तथा इनसे अपना संबंध तोड़ते हैं। राजवंशी बड़े शांतिप्रिय लोग हैं। वे चाहते हैं कि उनकी सांस्कृतिक विरासत को राज्य और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए। वे अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे का विकास तथा सम्मान की जाने वाली अन्य बातें चाहते हैं। पूरे उत्तर बंगाल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए 20 छात्रावास भी नहीं हैं। तीस्ता, कुलक, पुनर्भवा, आत्रेय, स्रीमती, पगला, महानंदा और फुलहार नदियां अब ऐसी स्थिति में हैं जहां जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदी बेसिन के आकार की सहायता करने तथा विस्तार करने और वहां कई दशकों से एकत्र हुई गाद निकालने की उचित व्यवस्था करने हेतु गंगा कार्य योजना अथवा महानंदा विकास योजना के माध्यम से कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसे साफ किया जाना चाहिए जिसके न होने पर संपूर्ण उत्तर बंगाल प्रभावित होगा।

अब ऐसी स्थिति हो गई है जो खतरनाक है, जिसे माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है और जिसे मैंने माननीय प्रधान मंत्री को ध्यान दिलाया है। फुलहार नदी के कारण स्थिति गंभीर हो गई है और गत सप्ताह इस समय तक इसने कई गांवों को डुबा दिया था। इस नदी से और गंगा नदी, जिसे हम भागीरथि कहते हैं, से खतरा है। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद के संपूर्ण जागीरपुर उप–मंडल में और अन्य गांव विनाश के कगार पर हैं। मेरे मित्र श्री मोइनुल हसन इस संबंध में गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों के माध्यम से एक संकल्प लाए हैं। महानंदा, गंगा और फुलहार में कटाव ने एक के पश्चात् एक गांव समाप्त हो गए हैं।

मैं माननीय मंत्री से रत्ना प्रखंड में महानंदा टोला और बिलैगारी नामक द्वीप का दौरा करने का अनुरोध करता हूं। उन्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि नदी तथा गांव के बीच अब दूरी आधा किलोमीटर है जो कि दस वर्ष पूर्व आठ कि. मी. थी। यह इसलिए है कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अभी

तक बाढ़ बनाने हेतु अथवा कटे हुए नदी के किनारों को विशेष आवरण देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से तीन बातों के बारे में अनुरोध करता हूं। मैं इसे पुनः दोहराता हूं। सबसे पहले, क्या आप इस क्षेत्र, जो पचास के दशक में बांग्लादेश–बिहार पुनर्गठन विधेयक के पश्चात् पुनर्गठित किया गया था, के संविधान के अनुच्छेद–371 के अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम का दर्जा देने पर विधि मंत्रालय से परामर्श करने पर विचार करेंगी? क्या आप दसवीं योजना को साकार रूप देने के लिए एक कार्य बल गठित करने पर विचार करेंगी और क्या आप जिला परिषद और नगर पालिकाओं के कार्यक्रमों की उपेक्षा करते हुए एक दिखावटी प्रेम की बजाय उत्तर बंग उन्नयन परिषद को सांविधिक दर्जा देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करेंगी? क्या आप इस सभा को आश्वासन देंगी कि भारत सरकार उत्तर बंगाल के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी और भारत सरकार दसवीं योजना दस्तावेज के माध्यम से उत्तर बंगाल के विकास हेतु निवेश करेगी? यदि आप संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगी तो इससे समस्या होगी। हमने बहुत कठिनाई से दार्जिलिंग हिल काउंसिल की समस्या का समाधान किया है। समस्या अब विभिन्न आयामों के साथ सामने आएगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। आपको नियमों की जानकारी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया मुझे केवल एक मिनट दें।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना और के.रि.पु. बल भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तर बंगाल के समग्र विकास के लिए दसवीं योजना में केन्द्रीय योजना परिव्यय से पर्याप्त धन मिले।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा में तीन से चार सदस्य बोलते हैं। हमें पता नहीं कि कब ये सूचनाएं दी जाती हैं। केवल एक माननीय सदस्य ने इसे उठाया है। हम भी उस क्षेत्र के विकास के इच्छुक हैं। हम भी उसी राज्य के हैं। हमें भी कुछ कहना है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री हमारी बात सुनने के पश्चात् उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं आपको बताऊं कि इसके पश्चात् 'शून्य काल' है। यदि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो 'शून्य काल' नहीं हो पाएगा। इसलिए, कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग करें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कम से कम दो से तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। नियमानुसार केवल एक सदस्य, जो प्रश्न उठाता है, बोलता है। मुझे खेद है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में सामान्यतः तीन–चार व्यक्ति बोलते हैं। हम भी उसी राज्य के हैं। हमें पता नहीं कि यह सूचना कब दी गई थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आप प्रश्न उठाने के लिए किसी अन्य तरीके का प्रयोग कर सकती हैं। मैं निश्चित ही आपको अनुमति दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कृपया मुझे केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुमारी ममता बनर्जी को केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसे मामले में प्रत्येक को बोलना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं आपके साथ सहयोग करना चाहती हूं...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, यदि ऐसे नियम उद्धृत किए जाते हैं कि 'यदि उन्हें बोलने

की अनुमति दी जाती है तो मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए'। तब मुझे वे नियम लागू करने पड़ेंगे...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको ये शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए जो मैंने नहीं कहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका यह तर्क नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यही समस्या है...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, यह ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी विषय पर, प्रत्येक विषय पर बोलते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह कभी नहीं कहा कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको बताऊं। उनका तर्क बिलकुल स्पष्ट है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय,...*

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हमारा दल राज्य में प्रतिपक्ष भी है। हम वहां पर प्रमुख विपक्षी दल हैं। हम वहां प्रश्न उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा ममता जी से कहना है कि वे किसी अन्य तरीके से अपनी बात कहें तो मैं आपको अवश्य अनुमति दूंगा। अभी माननीय मंत्री जी बोलें।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, इस पर आठवीं लोक सभा में चर्चा हुई थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं लगता कि अब कोई बात कहने को बची है। मैंने इनसे अनुरोध किया और वे मान गई हैं। अब माननीय मंत्री उत्तर दें।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, आठवीं लोक सभा में इस विषय पर एक संदर्भ दिया गया था और उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा की अनुमति दी थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह चाहते हैं कि मैं नियम पढ़कर बताऊं? आपको बता दूं कि मैंने नियम पढ़े हुए हैं। नियमानुसार जिस सदस्य ने मुद्दा उठा दिया है केवल उसी सदस्य को बोलने की अनुमति है। दूसरों को अनुमति देना अध्यक्षपीठ पर निर्भर करता है। लेकिन, इससे 'शून्य काल' बाधित हो जाएगा। अब माननीय मंत्री उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, इन्हें पता होना चाहिए कि सभा में किस प्रकार का आचरण किया जाता है। ...*(व्यवधान)* महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कहा—उसके जवाब में माननीय सदस्य श्री सुदीप बंद्योपाध्याय द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें कार्यवाही–वृत्तांत से हटा दिया जाना चाहिए। आप कार्यवाही–वृत्तांत को देखिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हटाने को कुछ भी नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है उन्होंने क्या कहा है। उनकी बात में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

रूपचन्द पाल : उन्होंने ** शब्द का प्रयोग किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य द्वारा जताई गई चिंता के बारे में पुनः यह कहना चाहूंगी कि...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, किसी ने मुझे क्या कहा—मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।* लेकिन क्या आप एक सदस्य द्वारा किसी दूसरे सदस्य के विरुद्ध कही गई इस तरह की बात को कार्यवाही–वृत्तांत में रखने की अनुमति दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि आपने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा मत यही है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : * शब्द कहा गया है।...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह शब्द असंसदीय है, तो उसे कार्यवाही–वृत्तांत से हटा दिया जाएगा। इसमें समस्या नहीं है।

अब, मंत्री आगे कहें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : यदि यह शब्द असंसदीय है, तो इसे कार्यवाही–वृत्तांत से हटाया जाएगा, यदि नहीं है तो उसे रहने दिया जाएगा...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, उन्होंने * शब्द कहा है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, उत्तरी बंगाल राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अधीन है। राज्य सरकार वहां बिलकुल विफल रही है। यहां तो ये केन्द्र सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन यह राज्य का विषय है...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : यह राज्य का विषय है। फिर भी, उत्तरी बंगाल की जनता के लिए राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। राज्य सरकार इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय,... * ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है यदि यह शब्द असंसदीय है, तो इसे कार्यवाही–वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, वे अब मेरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।* वे मुझसे सीख ले रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वे मुझसे सीख रहे हैं...*(व्यवधान)* अब ये भी वही शब्द...*...कह रहे हैं। यह शब्द असंसदीय नहीं है ! यह तो ...शब्द का संशोधन है...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : आपको नियम का पता होना चाहिए। जिसने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, केवल उसी सदस्य को बोलने की अनुमति होती है...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : आपको कुछ भी पता नहीं। आप चुप रहिए...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री रूपचन्द पाल : आपको नियम–पुस्तिका पढ़ लेनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। जिस प्रश्न को उठाया गया है, वह काफी महत्वपूर्ण है।

मंत्री अपनी बात शुरू करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने शुरू में ही कहा था और पुनः कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य की चिंता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री अपना उत्तर देना आरंभ कर चुकी हैं। कृपया बैठिए। जरूरत से ज्यादा हो चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि सभी असंसदीय शब्द हटा दिए जाएंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यद्यपि यह राज्य का विषय है, तथापि मैं माननीय सदस्य के प्रयास की प्रशंसा करता हूं। मैंने कहा है कि उन्होंने इसे उठाकर बिलकुल ठीक किया। सरकार इसका समुचित उत्तर दे। लेकिन, हर तरह की बातें की जा रही हैं। वैसे तो राज्य के विषयों को यहां उठाया नहीं जाना चाहिए, फिर भी, इस मामले में मैंने इस आधार पर आपत्ति नहीं की...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यही मैं सुनना चाहता था।

अब, मंत्री अपनी बात जारी रखें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, बिलकुल शुरू में ही मैंने कहा था और पुनः इसे दोहराना चाहूंगी कि जिस माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया था, अकेले उनकी ही नहीं बल्कि सभी माननीय सदस्यों–पश्चिम बंगाल के शेष सभी माननीय सदस्यों–की चिंता से योजना आयोग को वस्तुस्थिति से पहले ही अवगत कर दिया गया था और जिन बातों को उठाया गया है, उन पर विस्तार से विचार–विमर्श हुआ है। किसी क्षेत्रविशेष का नियोजन और विकास तथा धनराशि का आवंटन, वास्तव में संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है और केन्द्रीय सरकार तो मूलतः विभिन्न विकास–परियोजनाओं

और पिछड़े क्षेत्रों के विकास में, विभिन्न प्रकार से, राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है।

मैं यहां उन साधनों पर बल देना चाहूंगी जिन्हें हम उपर्युक्त उद्देश्य के लिए अपनाते हैं और पिछड़ेपन पर तो विशेष ध्यान दिया जाता है। केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए एक सूत्र अपनाया जाता है। उत्तरोत्तर वित्त आयोगों ने केन्द्रीय कर-प्राप्तियों के शेयर के वास्तविक निर्धारण के लिए पिछड़ेपन के इसी सूत्र पर जोर दिया है। मूल रूप से, राज्य के प्रति व्यक्ति आय संबंधी मापदंड के प्रतिलोम का निर्धारण उसके पिछड़ेपन के आधार पर ही किया जाता है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वितरण-अवधि 2000-2005 के लिए 62.5 प्रतिशत अंश निर्धारित किया है, जो कि पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा निर्धारित अंश से अधिक है। इसके अतिरिक्त, उसने क्षेत्र संबंधी मापदंड और आधार संरचना-सूचकांक का भी प्रयोग किया है, जिससे पिछड़े राज्यों को फायदा हुआ है। वास्तव में, अधिक बड़ा क्षेत्र और आधार संरचना का कम विकास पिछड़ेपन से गहरा संबंध रखते हैं और इसको ध्यान में रखकर ही ग्यारहवें वित्त आयोग ने इनमें से प्रत्येक राज्य के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत की जगह, 7.5 प्रतिशत अंश निर्धारित किया है।

अब राजस्व-अंतर अनुदान की आवश्यकता का निर्धारण भी एक ऐसी बात है जिस पर, पिछड़े राज्यों के संदर्भ में, विशेष विचार किया जाना आवश्यक है। जो राज्य तुलनात्मक रूप से अधिक पिछड़े हैं, वे बेहतर स्थिति वाले राज्यों की भांति वित्तपोषण करने तथा अधिक धन लगाने में समर्थ नहीं हो पाते और इससे वह स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है, जिसे राजस्व-अंतर अनुदान कहा जाता है।

जब वित्त आयोग का दल प्रत्येक राज्य के दौरे पर जाता है तो वह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर भी ध्यान देता है। तब, ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति विशेष समस्या और उन्नयन हेतु अनुदान की सिफारिशों पर अमल करके की जाती है और इस प्रकार, पिछड़े राज्यों को अपने दावे को रखने का एक अवसर भी उपलब्ध होता है। जनजातीय उप-योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम; कार्यक्रम जैसे विभिन्न ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें उन राज्यों के लिए राशि वितरण का स्तर तय करने के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है, जो इस तरह की संबद्धताओं से ग्रस्त हैं।

और भी ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिन्हें केवल गरीबी उपशमन के लिए तैयार किया गया है। रोजगार सृजन, मूलभूत ढांचे का विकास, पनधारा विकास और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम हैं-जिनका ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की मदद करने का उद्देश्य है।

त्वरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अन्य योजनाएं भी चलाई गई हैं। आयकर में रियायत देने हेतु चिन्हित करने की दृष्टि से जिलों को दो श्रेणियों 'क' और 'ख' में रखा गया है। वास्तव में, औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं हैं। इन योजनाओं को विकास केन्द्र योजना, समेकित बुनियादी ढांचा विकास योजना और अन्य नाम दिए गए हैं।

नौवीं योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन से इस तथ्य का पता चला है कि अल्प विकास का एक मात्र मूल कारण केवल धनाभाव ही नहीं है बल्कि सुपुर्दगी तंत्र और शासन प्रणाली की निपुणता और प्रभावोत्पादकता का अभाव भी एक कारण है।

अंत में, हम पाते हैं कि कुछ राज्यों में वित्तीय समस्याओं के कारण योजनागत निधियों को गैर-योजना संबंधी उद्देश्यों में लगाया जाता है और अपनी ओर से किए जाने वाली व्यय निधि के अभाव के कारण केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया जाता है और इसलिए आवंटनों का अधिकतम उपयोग नहीं किया जाता है, नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वार्षिक योजना के लिए मूलतः स्वीकृत परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय/प्रत्याशित व्यय पश्चिम बंगाल राज्य में मात्र 68 प्रतिशत से 81 प्रतिशत रहा है जबकि आंध्र प्रदेश में यह 86 प्रतिशत से 106 प्रतिशत, कर्नाटक में 93 प्रतिशत से 106 प्रतिशत, केरल में 88 प्रतिशत से 108 प्रतिशत रहा है। यह राज्य सरकार द्वारा धनराशियों के उपयोग में वास्तविक सुधार की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है ताकि वे बेहतर कार्य करने वाले राज्यों के स्तर तक आ सकें। राज्यों को अपनी पारदर्शिकता को सुधारने और प्रतिबद्धता, उत्प्रेरण, व्यावसायिक सक्षमता और निश्चित रूप से राजनीतिक और नौकरशाही की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करके सुपुर्दगी की पद्धति को उन्नयनित करने की आवश्यकता है। दसवीं योजना में इन क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करने पर जोर दिए जाने का प्रस्ताव है। हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं उत्तरी बंगाल में उठाए गए कदमों के बारे में संक्षेप में कहना चाहती हूं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसमें उत्तरी बंगाल क्षेत्र का दार्जिलिंग जिला शामिल है के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान 22.23 करोड़ रुपये निर्गत किए गए हैं।

उत्तरी बंगाल में होलैंड (डच) से सहायता प्राप्त कृषि परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके दो चरण पूरे कर लिए गए हैं। तीसरे चरण पर 33.06 करोड़ रुपये व्यय होगा जिसमें राज्य सरकार का 2.55 करोड़ रुपये हिस्सा भी शामिल है और इसे शीघ्र दिए जाने की आवश्यकता है। प्रथम चरण में, जिस कुल क्षेत्र को सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत लाया गया है वह 2300 हेक्टेयर है, इससे 4000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। दूसरे चरण में लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को विभिन्न सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत लाया गया है और इससे लगभग 53,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। तीसरे चरण में कार्य 1 जनवरी, 1995 से आरम्भ हुआ है। वर्ष 2000–2001 में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता, उत्तरी बंगाल से निर्वाचित मंत्री, संसद सदस्यों की उपाध्यक्षता, विधान सभा के सदस्यों, समापतियों और उत्तरी बंगाल के पांचों जिलों के मजिस्ट्रेटों की सदस्यता वाली उत्तर बंग उन्नयन परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद इस क्षेत्र में विकास योजनाओं की योजना ओर कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिषद को राज्य सरकार ने 112.93 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था।

महोदय, जिस अध्ययन का जिक्र मैंने पहले किया था वह उत्तरी बंगाल क्षेत्र के तुलनात्मक पिछड़ेपन से संबंधित अध्ययन पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य विकास रिपोर्ट जिसका मूलतः संबंध पश्चिम बंगाल से है उसमें उत्तरी बंगाल भी शामिल है को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और इन विशेष संस्थाओं द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है।

महोदय, इस बारे में यही कहूंगी कि माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी बंगाल महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है। हम भी उनसे सहमत हैं कि उत्तरी बंगाल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दसवीं योजना और राज्य की वार्षिक योजना पर 29.5.2002 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के बीच चर्चा होनी है और उस समय माननीय सदस्य की चिंता को ध्यान में रखा जाएगा और इस बारे में उन्हें अवगत कराया जाएगा।

जहां तक कालेजों के न होने, बाढ़ द्वारा तबाही, रेल संपर्कों और कृतिक बल के गठन का मुद्दा है तो माननीय सदस्य सहमत होंगे कि मूलतः अवसंरचनात्मक कमियां और पिछड़ापन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जहां तक कृतिक बल के गठन और विधि मंत्रालय से अनुच्छेद 371 की व्याख्या के बारे में बात करने का संबंध है तो उत्तरी बंगाल के संदर्भ में समान विकास के अधिकार के संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि हम निश्चित रूप से इन मुद्दों पर विचार करेंगे और विधि मंत्रालय को उपयुक्त संदर्भ भेजेंगे।

महोदय, जहां तक राजवंशियों की चिंता का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक 12.9.200 के श्री अरूण शौरी के पत्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां विशेषकर राजवंशियों के लिए काफी योजनाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी ऐसे समूहों के विकास हेतु काफी योजनाओं, जो कि वहां चालू हैं, के लिए निधियां आवंटित की हैं। ये योजनाएं हिन्दी को बढ़ावा देने जैसी हैं और इन लोगों की देखभाल मुख्यतः राज्य सरकार के दायरे में आती है और उसे ही इन लोगों की अस्मिता, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या उत्तर बंगाल के लिए कोई विशेष योजना आवंटन है?...*(व्यवधान)*

श्रीमती वसुन्धरा राजे : बंगाल के मुद्दे पर चर्चा शीघ्र ही होने वाली है। आपकी चिंताओं से पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा...*(व्यवधान)* हम इन चिंताओं को उनके ध्यान में लाएंगे। इनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसे बिना किसी चर्चा के नहीं किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब, यहां यह चर्चा क्यों हो रही है?...*(व्यवधान)* यह एक आश्चर्यजनक रवैया है...*(व्यवधान)* महोदय, हम इस प्रस्ताव के अंतर्गत इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : हमने इस बारे में नहीं पूछा ...*(व्यवधान)*

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, जहां तक महानदी का संबंध है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्होंने जो नोटिस दिया था वह देश के विभिन्न भागों में कथित क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित है लेकिन माननीय मंत्री जी ने देश के अन्य भागों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है...*(व्यवधान)* हमें राज्य सरकार के विरुद्ध ऐसी गैर जिम्मेदारीपूर्ण टिप्पणी की आशा नहीं थी...*(व्यवधान)* यह माननीय मंत्री द्वारा गैर–जिम्मेदारीपूर्ण टिप्पणी है...*(व्यवधान)*

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री जी के विरुद्ध 'गैर–जिम्मेदार' शब्द का प्रयोग किया है। इसे रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं इसका विरोध करती हूं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसका खंडन करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य को उन्हें अपना भाषण पूरा करने देने के लिए कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने आंकड़े दिए हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : माननीय सदस्य द्वारा यह गैर–जिम्मेदार टिप्पणी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे रिकॉर्ड से निकलवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपने अपनी बात रख दी है। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है...*(व्यवधान)*

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार द्वारा निधि आवंटन का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* मैं सभा को आश्वस्त करना चाहती हूं कि भारत सरकार असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक और उपयुक्त कदम उठाती रहेगी...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री जी जल संसाधन मंत्रालय के साथ परामर्श करके आप इस पर विचार करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, उनका वक्तव्य समाप्त होने के बाद ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, अंत में, केन्द्र सरकार इस तत्व को मानती है कि इन चिर समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही होगा और हम इन कदमों का पूर्णतः समर्थन करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : इसलिए, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की अन्य राज्यों की तुलना में गैर–निष्पादक राज्य के रूप में पहचान की गई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, शून्य काल आरम्भ करने से पहले मैं श्री प्रमोद महाजन से अनुरोध करूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

अपराह्न 12.39 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 14 मई, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 14 मई, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सैतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में 'शून्य काल' की चर्चा आरम्भ होगी। श्री मदन लाल खुराना।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैंने भी सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं। जिन्होंने सूचनाएं दी हैं वे हैं—श्री मदन लाल खुराना, श्री रामजीलाल सुमन, योगी आदित्यनाथ, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री राधाकृष्णन, श्री नवल किशोर राय, श्री किरीट सोमैया, चौधरी तेजवीर सिंह, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा। इन सभी माननीय सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर में हुए हमले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सूचनाएं दी हैं।

यह मुद्दा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी माननीय सदस्य अवगत हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस संबंध में सभा में एक वक्तव्य दिया है कि यदि आवश्यकता हुई तो वे विभिन्न दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि सभा की मर्यादा कायम रखी जाए। यदि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन तब अन्य महत्वपूर्ण प्रकृति के विषयों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं समझता हूं कि यदि प्रधान मंत्री ऐसा आवश्यक समझते हैं तो उनके द्वारा विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाने के बाद, इस पर चर्चा हो सकती है और तत्पश्चात् माननीय सदस्य इस विषय पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, इस मसले पर 'शून्य काल' में चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं सुझाव दूंगा कि आप नेताओं की एक बैठक बुलाएं। हम अगले दो दिनों में समय निकाल सकते हैं। जब हम किसी प्रकार की सुदृढ़ चर्चा कर सकते हैं जिसमें प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री उपस्थित होंगे...*(व्यवधान)* मुझे किसी एक सदस्य के इस विषय पर बोलने से कोई समस्या नहीं है। यदि दस सदस्य आज इस विषय पर बोलते हैं तो इस समय इस पर जवाब देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। यदि हम सभी सहमत हों तो हम अगले दो दिनों में इस विषय पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं जहां प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और सभी लोग उपस्थित होंगे। वे विचारों को सुनेंगे और उनका जवाब देंगे। यही चर्चा का सही तरीका होगा। मैं नहीं समझता हूं कि जम्मू और कश्मीर पर 'शून्य काल' की चर्चा उचित होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोस्लाह (उलूबेरिया) : सभा भी इसकी सर्वसम्मति से निंदा कर सकती है और इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों ने मुझे इसका भी सुझाव दिया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्षपीठ द्वारा इसकी निंदा की जा सकती है। अध्यक्षपीठ इसकी निंदा करे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम बुलाया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। आपने मुझे सुझाव दिया था कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सब लोग एक साथ मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करें। यही आपका सुझाव था।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो बताया गया है, मेरे ख्याल से वह ठीक प्रोसीजर है और इस पर अच्छी तरह से चर्चा भी हो जाएगी। अगर उसको कंडेम करना है तो यह आपकी तरफ से भी किया जा सकता है और हाउस की तरफ से भी किया जा सकता है। यह विषय ऐसा है जिसके ऊपर सही चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा सारे मैम्बर्स को भी बोलने के लिए समय मिलना चाहिए। इसलिए आज, कल या परसों जैसा भी आप मुनासिब समझें,

इस पर चर्चा के लिए समय निश्चित कर दें। ऐसी हमारी राय है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, आपने मेरा नाम बोलने के लिए बुलाया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : हम भी इस सदन के मैम्बर हैं। सुबह नौ बजे आकर हमने नोटिस दिया है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे मात्र एक सुझाव दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, सुबह प्रश्न काल शुरू होने से पहले मैंने यह प्रश्न उठाया था क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि 13 दिसम्बर को जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उसके बाद यह सबसे बड़ी घटना हुई है। इसलिए मैंने प्रश्न काल शुरू होने से पहले इस विषय को उठाया था। उस समय प्रधान मंत्री जी ने ठीक कहा था कि हमारे रक्षा मंत्री जी गए हुए हैं और आडवाणी जी भी यहां नहीं हैं इसलिए वह कल उत्तर देंगे।

मैं केवल दो चीजें कहना चाहता हूं। जैसा अभी आपने कहा कि एक प्रस्ताव इस सदन की तरफ से आज ही आना चाहिए। मेरा कहना है कि लोक सभा में इस नरसंहार की निंदा करते हुए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लेते हुए सदन को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए और आतंकवाद को वार्निंग देनी चाहिए। ऐसा एक प्रस्ताव यहां सर्वसम्मति से पास हो।

मेरा दूसरा निवेदन है, जैसे मैंने कहा, जम्मू–पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालूचक में मंगलवार तड़के हिमाचल रोडवेज की यात्री बस और सेना शिविर पर आत्मघाती हमले में सैनिकों के परिवारों के 37 बेगुनाह लोगों का नरसंहार हुआ है जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। ऐसे नरसंहार कब तक चलेंगे। हमें पाकिस्तान को साफ कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद पर हुए हमले के बाद कहा था कि हम आर–पार की लड़ाई लड़ेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने भी निवेदन किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अभी चर्चा चाहते हैं तो एक स्टेटमेंट करके फिनिश करेंगे, फिर दूसरी चर्चा की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मेरा इतना ही निवेदन है कि आज चेयर की ओर से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं।

श्री भान सिंह भौरा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, नियम 184 के तहत हमने वैस्ट बंगाल के बारे में नोटिस दिया हुआ है। उसका क्या हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर निर्णय लूंगा और आपको कल बताऊंगा।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : महोदय, मैं 'शून्य काल' के दौरान निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूं।

पंजाब का भटिंडा जिला भारत के एक महत्वपूर्ण जिले के रूप में तेजी से उभर रहा है और इस तथ्य को मानकर भारत सरकार ने पहले ही विकासात्मक और अन्य कार्यों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है। केन्द्र सरकार द्वारा भटिंडा में तेलशोधक कारखाने की स्थापना की घोषणा ऐसी ही एक योजना थी जिससे बेरोजगारी की समस्या पर अंकुश

लगाने में सहायता मिलेगी। दूसरे इससे पंजाब के साथ–साथ देश में भी समृद्धि आएगी।

महोदय, गुरु गोविन्द सिंह तेलशोधक कारखाने के निर्माण–कार्य का उद्घाटन बहुत ही धूमधाम के साथ हुआ। इस तेलशोधक कारखाने के निर्माण का कार्य सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को सौंपा गया। लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक यह संपूर्ण परियोजना विभिन्न सरकारी विभागों में फंसी हुई है। इस परियोजना के पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं दीखती है।

इसलिए मैं केवल सरकार का ध्यान इस सच्चाई की ओर दिलाना चाहता हूं और यह निवेदन करता हूं कि परियोजना से संबंधित सभी विभाग अड़चनों को दूर करने के लिए एक साथ बैठें ताकि परियोजना पूरी हो सके।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्य काल में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। मराठवाड़ा में औरंगाबाद एक ऐतिहासिक स्थल है। मराठवाड़ा के आठों जिलों में छत्रपति शिवाजी महाराज के महान् सुपुत्र राजे संभाजी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। राजे संभाजी महाराज ने मराठवाड़ा के लिए अनेक कुर्बानियां दी थीं, यहां तक कि औरंगजेब ने उनकी आंखें तक निकलवा दी थीं। औरंगाबाद में विश्व प्रसिद्ध अजंता–एलोरा गुफाएं हैं जिनमें स्थापित प्राचीन मूर्तियों तथा पेन्टिंगों को देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं। इस क्षेत्र की जनता, विधायकों और सांसदों की यह हार्दिक इच्छा है कि औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर राजे संभाजी महाराज एयरपोर्ट किया जाए ताकि पूरे विश्व के लोग राजे संभाजी महाराज के बारे में जानें तथा महाराष्ट्र के बलशाली इतिहास से पूरी दुनिया अवगत हो सके।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट करता हूं कि मराठवाड़ा की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर राजे संभाजी महाराज एयरपोर्ट किया जाए।

[अनुवाद]

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं जो त्रिपुरा के रियांग शरणार्थियों को वापस मिजोरम भेजने के बारे में है। अक्टूबर, 1997 और जनवरी, 1999 के बीच की अवधि के दौरान भारी संख्या में रियांग आदिवासी मिजोरम से त्रिपुरा आ गए थे। उनकी वर्तमान संख्या लगभग 31000 है। उन्हें छह राहत शिविरों में रखा गया है। त्रिपुरा सरकार ने मानवीय आधार पर उन्हें छह राहत शिविरों में रखा है। त्रिपुरा सरकार ने उन्हें तुरन्त वापस भेजने के मामले को भारत सरकार के साथ–साथ मिजोरम सरकार के साथ भी उठाया है।

अनेक बैठकें हुई हैं। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने इस मसले को सुलझाने के लिए इसे केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ उठाया था और उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की थी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी बैठकें बुलाई थीं। अधिकारियों ने भी अनेक बैठकें की हैं और अनेक निर्णय लिये गए हैं। लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है और एक भी शरणार्थी वापस मिजोरम नहीं गया है।

शरणार्थियों ने त्रिपुरा में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। वे हैं : (1) वनों की कटाई, (2) भूमि का अतिक्रमण, (3) रोजगार हेतु स्थानीय जनता के साथ प्रतियोगिता, (4) अपराध में वृद्धि, इत्यादि। इनकी उपस्थिति ने प्रशासन पर काफी प्रशासनिक बोझ भी डाला है और विकास संबंधी प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इन मुद्दों को हल करने में विलंब होने से वहां स्थिति और जटिल हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें। मुझे अगले विषय पर अगले माननीय सदस्य को भी बोलने की अनुमति प्रदान करनी है।

श्री खगेन दास : अतः मैं केन्द्र सरकार से रियांग शरणार्थियों को समयबद्ध तरीके से वापस भेजने को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल सक्रिय कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी उन्होंने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आदि से संबंधित नोटिस दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : हां, महोदय। आप पहले ही कह चुके हैं कि कल आप इस विषय पर अपना विनिर्णय देंगे।

मैंने नियम 184 के अधीन अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बच्चों और स्त्रियों पर अत्याचार संबंधी चर्चा के लिए नोटिस दिया था। पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और देश के अन्य भागों में अत्याचार सतत रूप से जारी है। हमें इस बारे में बहुत चिंता है; इसलिए, हमने इस विषय पर चर्चा करने हेतु नियम 183 के अधीन नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय, अभी–अभी आपने यह कहा है कि आप निर्णय लेंगे और कल हमें इसके बारे में बताएंगे। आपने यह बताकर बहुत कृपा की, और आप यदि एक सकारात्मक निर्णय लें तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय खाद्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि भारत में किसानों की आज भी हालत खराब है। हमारा किसान आज भी अहिल्या के रूप में है और अपने उद्धार के लिए किसी राम जैसे उद्धारक की बाट जोह रहा है।

आज भी किसानों को उन्नत बीज नहीं मिलता है, खाद की आपूर्ति नहीं हो पाती है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, किसानों को तकनीकी ज्ञान की जानकारी नहीं है और बाजार की व्यवस्था भी उसके लिए नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करके कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन करें ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : किसानों के बारे में हमारा भी नोटिस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसी सिलसिले में है क्या?

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मेरा स्कैम के बारे में है, हजार करोड़ रुपये का स्कैम है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

देश भर में करोड़ों श्रमिक और कर्मचारी अपनी जमा राशि के संबंध में चिंतित हैं। मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता था, लेकिन अब मुझे इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : मेरा किसानों के सवाल पर नोटिस है, बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मार्ग्रेट आल्वा के बाद आपको इजाजत दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, हमने इस 13 मई को संसद की स्थापना के 50 वर्ष मनाए। संसद की स्थापना के पश्चात् अब तक की इसकी उपलब्धियों के संबंध में काफी बातचीत की गई। फिर भी, मैं यह कहूंगी कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका के बावजूद और संविधान के अंतर्गत दी गई गारंटी के बावजूद, दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत कम है, जबकि हम जनसंख्या के 50 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

महोदय, आज हम आठ प्रतिशत हैं और हमने कभी भी दस प्रतिशत की सीमा पार नहीं की। महोदय, इसीलिए, मैं आज संसद में इस ऐतिहासिक अवसर के ठीक बाद इस प्रश्न को लेकर खड़ी हुई हूं, कि आम सहमति से महिला (आरक्षण) विधेयक को लाने के लिए महिलाओं को जो वचन दिया गया था उसे निभाया जाए। प्रधान मंत्री जी ने यह वचन दिया था कि वह आम सहमति पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमने तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना। इसीलिए, आज मैं यह मांग करूंगी कि भारत की संसद के 50 वर्षों की श्रद्धांजलि के रूप में महिला (आरक्षण) विधेयक को चर्चा के लिए लाया जाए, इस पर बहस की जाए और यदि इसे वे नहीं चाहते, यदि यह पराजित भी हो तो भी इसे संसद तक आने दें। इस पर बहस और निर्णय होने दें...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम भी इसका समर्थन करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी महिला सदस्य इसका समर्थन कर रही हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, यदि आवश्यक हो, इसके लिए हमें एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभी महिला सदस्य खड़ी हों और कहें कि वे इसका समर्थन करती हैं।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, हम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मुझे विश्वास है कि अध्यक्षपीठ की ओर से आप भी हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं आपसे अपील कर रही हूं कि इसे चर्चा के लिए कार्य सूची में रखने के लिए पहल करें ...*(व्यवधान)* मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अंतरिम संसद के समय से ही महिला सांसदों के योगदान पर पुस्तक प्रकाशित की जाए...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, हम भी इसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अधिकतर सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।

अपराह्न 12.56 बजे

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद न किए जाने के बारे में

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस साल सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 620 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। एक अप्रैल से कहा गया कि खरीद केन्द्र प्रारम्भ हो जाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक दस अप्रैल तक भी उत्तर प्रदेश में कोई खरीद केन्द्र नहीं खुला। अगर खरीद केन्द्र खोले भी गए, तो वहां पर पर्याप्त सुविधा नहीं थी। न बोरियां थीं और न कांटा था। कुल मिलाकर किसान का गेहूं खरीदने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। जो गेहूं के व्यापारी हैं, ये लोग किसान का गेहूं खरीदने का काम करते हैं, इनकी मिलीभगत है। जब किसान अपना गेहूं बेचने जाता है तो उसको नहीं खरीदा जाता है। ये लोग गांव में जाकर वहां से 500–550 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीद लेते हैं। उसके बाद ये व्यापारी खरीद केन्द्रों में उसे ले जाते हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। किसानों की खुली लूट हो रही है। घोषित समर्थन मूल्य 620 रुपए प्रति क्विंटल की जगह किसान को केवल 500 रुपए या 550 रुपए ही मिल पा रहे हैं। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। जानबूझकर किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है और सरकार इस मामले में चुप बैठी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जब आपको इस संबंध में नोटिस दिया था, उसी समय खाद्य मंत्री जी को भी नोटिस दिया था कि वे सदन में उपस्थित रहें। खरीद केन्द्रों में गेहूं के व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मांग करता हूं कि तत्काल खाद्य मंत्री जी इस सवाल पर अपना वक्तव्य दें, और यह बताया जाए कि खरीद के मामले में किसानों का शोषण कैसे रोका जाए, इस बारे में सरकार क्या सार्थक कार्यवाही कर रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो किसान के गेहूं की जो कीमत 620 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है, वह पर्याप्त नहीं है। पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 610 रुपए प्रति क्विंटल था। उसके अनुपात में खाद, बिजली और पानी के दाम काफी बढ़ गए हैं और इस साल सरकार ने गेहूं की कीमत में सिर्फ दस रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है, जो नाकाफी है। जैसा अभी श्री रामजी लाल सुमन ने बताया कि 500 रुपए या 550 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसान गेहूं बेचने को मजबूर है। मैं कहना चाहता हूं कि कई जगह तो केवल 450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान अपना गेहूं बेचने को मजबूर हो रहा है। यह भी स्थिति है कि खरीद केन्द्रों पर बोरे नहीं हैं। जब किसान वहां जाता है, तब खाद्य निगम के अधिकारी उसे भगा देते हैं। मैं इससे सहमत हूं कि वहां के व्यापारी खाद्य निगम के अधिकारियों से मिलकर पूरा का पूरा गेहूं खरीद रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अब इसमें दो ही बातें हैं। हमारा एक सुझाव तो यह है कि अगर सरकार चाहती है कि किसान किसी तरह से मजबूत हो तो सरकार को बाकायदा क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। हमारे देश के वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जितनी विदेशी कम्पनियां आ जाएं, जितना कर लीजिए लेकिन किसान की खुशहाली के बिना देश खुशहाल नहीं हो सकता। विदेशी कम्पनियां, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष का या विदेशी कर्जे का कोई मुकाबला कर सकता है तो वह किसान करेगा और वह किसान आर्थिक दृष्टि से जितना कमजोर होगा, देश उतना ही कमजोर होगा। कितना दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान देश हिन्दुस्तान का किसान गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहा है। देश में किसान कई प्रांतों में आत्महत्या कर रहा है। आप यह मत कहिए कि केवल आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र में आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं, हिन्दुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां किसानों ने आत्महत्या नहीं की हो। किसानों का अपमान हो रहा है, सरकारी वसूली हो रही है और उधर किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसान पर बकाया है और वह नहीं दे पाता है तो वह आज हवालात में बंद है और किसानों के साथ सख्ती की जा रही है, बिजली और पानी की वसूली के लिए भी किसान पर सख्ती की जा रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि खाद्य मंत्री जी इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला है। 15 दिन के बाद किसान के घर में गेहूं नहीं रहने वाला है चाहे उसे 450 रुपये या 550 रुपये में बेचकर घाटा उठाना पड़े।...*(व्यवधान)* क्योंकि गरीबी के कारण उसे घाटे में बेचना पड़ता है।...*(व्यवधान)* इसलिए उसे क्षतिपूर्ति दीजिए और किसान को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी और दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : छत्रपाल जी, आपने इस विषय पर नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : अध्यक्ष जी, मैंने इसी विषय पर नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : छत्रपाल जी, आप बोलिए। आपका नोटिस इसी विषय पर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छत्रपाल जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका नोटिस है, इसीलिए मैंने उन्हें परमिशन दी है।

(व्यवधान)

श्री छत्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में किसानों का गेहूं गली–गली मारा फिर रहा है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : अध्यक्ष जी, मैं भी इसी विषय में एसोशिएट करती हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप भी संबद्ध कर सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : पिछले 6 महीने की मेहनत के बाद गेहूं आया है और अच्छी फसल हुई लेकिन आज खरीद के लिए कोई नहीं है। खरीद के लिए विशेष तौर से...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में एजेंसी गेहूं खरीदना चाहती है लेकिन एफसीआई के गोदामों में गेहूं नहीं लिया जाता क्योंकि एफसीआई के गोदामों में खुला भ्रष्टाचार होता है।...*(व्यवधान)* जब भी किसी एजेंसी का खरीदा हुआ गेहूं एफसीआई के गोदामों में पहुंचता है, वहां के अधिकारी या वहां के लेबर के लोग 300 या 400 रुपये प्रति ट्रक उनसे मांगते हैं। यह बात मैंने खाद्य के मंत्री से भी कही लेकिन एफसीआई में खुले भ्रष्टाचार के नाते दूसरी एजेंसियां गेहूं खरीदने में अपने को असमर्थ पा रही हैं। सही मायनों में एफसीआई के गोदामों में भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके कारण एजेंसियों को पेमेंट भी नहीं हो रहा है और वे गेहूं भी नहीं खरीद पा रही हैं। इसलिए खाद्य मंत्री जी को विशेष तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए और गेहूं खरीदा जाना चाहिए। दूसरा सवाल है कि वहां 'नैफेड' को सरसों खरीदन के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। 'नैफेड' सरसों खरीदना चाहती है लेकिन वित्त विभाग ने 'नैफेड' को सरसों खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया।...*(व्यवधान)* यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी 'नैफेड' को जल्दी से जल्दी पैसा दिला दें।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : चुपचाप नहीं सुनेंगे तो क्या चिल्लाकर सुनेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं अपने आपको उस विषय से संबद्ध करता हूं जो श्री मुलायम सिंह यादव और श्री रामजीलाल सुमन द्वारा उठाया गया है। महोदय, मेरा मानना है कि यह अत्यधिक महत्व वाला निहायत जरूरी विषय

है। सरकार को इस पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : श्री रामजीलाल सुमन और दोनों पक्षों की ओर से अन्य लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं इससे खाद्य मंत्री को अवगत करा दूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, किसान मर रहा है।...*(व्यवधान)* किसान के पास तराजू नहीं है...*(व्यवधान)* देश के हर हिस्से में किसान की यही दशा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप बोलिए। आपका विषय भी महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि मुम्बई विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रख दिया गया है और मुम्बई एयरपोर्ट का नाम भी छत्रपति शिवाजी के नाम पर रख दिया गया है। बाबासाहिब भीमराव अम्बेडकर जी का कार्य क्षेत्र मुम्बई रहा है और वे संविधान के शिल्पकार भी हैं। इसलिए हमारी मांग है कि मुम्बई सैन्ट्रल के पश्चिमी रेलवे स्टेशन का नाम भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखना चाहिए। कुमारी ममता बनर्जी जी जब रेल मंत्री थीं, तब भी हमने यह मांग की थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। प्रमोद महाजन जी से निवेदन है कि वे रेल मंत्री को आदेश दें कि मुम्बई सैन्ट्रल के पश्चिमी रेलवे स्टेशन का नाम भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाए।

कुमारी ममता बनर्जी : पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में निर्णय हुआ था कि किसी के नाम पर नहीं, किसी किताब या अन्य चीज पर होगा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : लेकिन अब दे रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, जब छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा है, तो बाबासाहिब अम्बेडकर जी के नाम पर भी रखा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.09 बजे

(लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.09 बजे पुनः समवेत हुई।)

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*)

[हिन्दी]

दिल्ली में बिजली और पानी की समस्या के बारे में

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदया, दिल्ली शहर में पूरी रात बिजली गुल रही है। सिर्फ सांसदों का इलाका ही नहीं, पूरे दिल्ली शहर में बिजली के गुल रहने से पानी भी किसी के आवास में नहीं आ सका। सदन में माननीय सदस्य बहुत लेट बैठते हैं।

हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए और दिल्ली सरकार को यहां से कोई निर्देश देने चाहिए कि बिजली की व्यवस्था दिल्ली में सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को कठिनाई न हो। यहां उद्योग–धंधे हैं, देहात के लोग यहां रोजी–रोटी के लिए आते हैं, उन्हें भी बिजली के अभाव में काफी परेशानी हो रही है और पानी भी नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी को थोड़ा देखना है कि एमपीज को कोई दिक्कत न हो जाए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : इस समस्या की जानकारी सुबह से ही हो रही है। मैं आवश्यक कार्रवाई तुरन्त करवाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सुनिए, पावर मंत्री जी उत्तर दे रही हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : सभापति जी, दिल्ली की सम्माननीय मुख्य मंत्री जी विद्युत मंत्रालय आई थीं। हमारे माननीय मंत्री सुरेश प्रभु जी से मिली थीं। उन्होंने दिल्ली के लिए 100 मेगावाट अधिक बिजली की मांग की और केन्द्र सरकार की तरफ से 100 मेगावाट अधिक बिजली देने का वादा किया। मगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो काम है वह दिल्ली सरकार करेगी। यह बात सही है कि गर्मी के दिनों की वजह से पानी और बिजली की काफी तकलीफ हो रही है लेकिन केन्द्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। इतना ही मुझे कहना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप बैठे हुए हैं, आप दिल्ली की सरकार को कहिए, हम गर्मी से परेशान हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीया मंत्री इसका जवाब दे रही हैं। आपने एक सवाल किया है। जब माननीया मंत्री जवाब दे रही हैं, तो कृपया उन्हें सुनिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदया, वे मुझे संबोधित कर रहे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। सवाल उन्होंने किया है। माननीया मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है। किन्तु इस सवाल पर वे मुझे संबोधित कर रहे हैं...*(व्यवधान)* क्या इस पर जवाब देने का मेरा कोई अधिकार है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम लोग उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग नियम 377 के अधीन मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदया, मेरा एक सूचना–विषयक प्रश्न है। हम समझते हैं कि माननीय वित्त मंत्री इस पर वक्तव्य देंगे। हम उसके लिए तभी से इंतजार करते रहे हैं। यदि हमें बता दिया जाता कि माननीय वित्त मंत्री घोटाले या अन्य विषयों के बारे में कब वक्तव्य देंगे, तो इससे हमें सुविधा होती।

सभापति महोदय : क्या मैं इस बारे में बता सकती हूं? मैं समझती हूं कि यह वक्तव्य आज पांच बजे दिया जाने वाला है।

अब हम नियम 377 के अधीन मामले शुरू करने जा रहे हैं।

अपराह्न 2.13 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार में थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : महोदय, बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण जिले के अंतर्गत मैनाटाड, गौनाहा, रामनगर तथा बगहा–प्रखंडों में 800 वर्गमीटर भू–भाग में शिवालिक पर्वत के तलहटी में जंगलों से घिरे क्षेत्र को आमतौर पर थारूहट क्षेत्र कहा जाता है, जहां थारू जाति के लोग निवास करते हैं, जो अत्यंत ही निर्धन, अशिक्षित तथा पिछड़े हुए हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 2 लाख के आसपास होगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी थारू जाति के लोग गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर, खीरी, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत तथा नैनीताल जिलों में निवास करते हैं और वहां पर इनकी जनसंख्या 4 लाख के आसपास होगी। उत्तर प्रदेश में थारू जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में रखा गया है, लेकिन बिहार में एक ही जाति होने के बावजूद तथा प्रत्येक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के थारूओं के समान होने के बावजूद बिहार राज्य में थारू जाति को अत्यंत पिछड़ी जाति की सूची में रखा गया है। एक ही राष्ट्र में, एक ही जाति के साथ समान परिस्थितियों के बावजूद दो अलग–अलग पड़ोसी राज्यों (उत्तर प्रदेश और बिहार) में भारतीय संघ द्वारा अलग–अलग तरीकों से व्यवहार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार की थारू जाति को उत्तर प्रदेश की तरह ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(दो) उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी और फतेहपुर रेलवे स्टेशनों पर कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

डा. अशोक पटेल (फतेहपुर) : महोदय, जनपद इलाहाबाद–कानुपर के बीच जनपद कौशाम्बी और फतेहपुर हैं। इन जनपदों से होकर अनेक गाड़ियां गुजरती हैं, परन्तु ठहराव न होने के कारण इन जनपदवासियों को अजमेर, जोधपुर तथा बीकानेर की ओर जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों का ठहराव फतेहपुर तथा कौशाम्बी स्टेशनों पर किया जाना चाहिए ताकि फतेहपुर–कौशाम्बी से अजमेर, जोधपुर तथा बीकानेर की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

(तीन) मध्य प्रदेश के जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर भिटौनी-शाहपुर बाईपास पर रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 जबलपुर–भोपाल मार्ग पर भिटौनी शाहपुर बाईपास मार्ग में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने से इस मार्ग पर वाहनों का भारी आवागमन रहता है। शाहपुर–भिटौनी में रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर भारत पेट्रोलियम का फिलिंग स्टेशन तथा इंडियन ऑयल का डिपो स्थित है जिसके कारण यात्री तथा माल गाड़ियों के अलावा पेट्रोलियम के रेक भी यहां अक्सर आते हैं तथा घंटों रेलवे फाटक बंद रहता है। दोनों ओर वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती हैं जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इस रेलवे फाटक पर जनहित में अति आवश्यक मानकर शीघ्र ओवर ब्रिज का निर्माण कराने का कष्ट करें।

(चार) जयपुर में कतिपय स्थानों पर रज्जू मार्ग की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़ गन्ता, गणेशगढ़ ऐसे स्थान हैं जहां बिना रोप–वे के जाना कठिन कार्य है। हरिद्वार में मंसा माता के मंदिर की भांति इन स्थानों पर रोप–वे लगाया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस कार्य के पूरा करने के लिए जयपुर नगर निगम, राज्य सरकार भी सहयोग करने के लिए तैयार है।

मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि जयपुर में उपरोक्त स्थानों पर रोप–वे लगाए जाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करें।

(पांच) गुजरात के सूरत जिले में कार्यालय खोलने के कार्य में शीघ्रता लाए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : सभापति महोदय, गुजरात के पासपोर्ट कार्यालय में दक्षिण गुजरात के 20 हजार से अधिक पासपोर्ट जारी किए जाने के मामले लंबित हैं। अहमदाबाद पासपोर्ट कार्यालय में स्टाफ की भी कमी है। पासपोर्ट के लिए लोगों को दक्षिण गुजरात से कई घंटों की यात्रा करनी पड़ती है और कई दिनों तक अहमदाबाद रहना पड़ता है। सूरत जिले में पासपोर्ट कार्यालय खोलने हेतु जगह का चयन कर लिया गया है परन्तु अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में धीमी गति से कार्य हो रहा है जिससे लोगों की समस्या घटने की बजाय बढ़ रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सूरत में प्रस्तावित पासपोर्ट कार्यालय को शुरू करने के कार्य को तेजी के साथ किया जाए।

[अनुवाद]

(छह) पाकिस्तान में कैद भारतीय सैनिकों की रिहाई कराए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, खबर है कि 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान गायब हुए 54 भारतीय सैनिकों के सगे–संबंधी उनकी वापसी के लिए गत तीन दशकों से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं।

[श्री पवन कुमार बंसल]

एक पाकिस्तानी कैदी के पत्र में कहा गया है कि 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों की ऐतिहासिक रिहाई के बदले केवल 616 भारतीय सैनिकों को वापस किया गया था। इससे साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान द्वारा कुछ भारतीय सैनिकों को रिहा नहीं किया गया था। तब से इन बदनसीब सैनिकों के सगे–संबंधियों ने पाकिस्तानी जेलों में उनके जिल्लत की जिन्दगी जीने के बारे में ढेर सारे साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि, पाकिस्तान इन बातों से इनकार करता है।

उन्होंने घोर पीड़ा और यंत्रणाओं को झेला है, किन्तु धैर्य के साथ इस उम्मीद पर निरंतर पहल की है कि सरकार एक न एक दिन उनकी रिहाई जरूर कराएगी। वर्ष 1985–89 के दौरान हमारी सरकार द्वारा कुछ पहल की गई थी, किन्तु स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। तीस सालों का समय एक लम्बा समय होता है। 1971 के युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए 54 सैनिकों की रिहाई को सरकार द्वारा और उन सभी राजनयिक स्तरों पर जो युद्धबंदियों की रिहाई के लिए बनाए गए हैं, अवश्य प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

(सात) झारखंड में हनवारा और बिहार में सन्हौला को जोडने के लिए गेरुआ नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : सभापति महोदय, बिहार में भागलपुर के जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड और झारखंड राज्य के हनवारा के बीच गेरुआ नदी पर कोई पुल नहीं होने के कारण कृषि उत्पादन के मामले में अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र तथा व्यस्त व्यापारिक केन्द्र होने के बावजूद यह इलाका पिछड़ेपन का शिकार है। आजादी के 55 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास हेतु कृषि, व्यापार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। फलस्वरूप गरीबी, अभाव, अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण इलाके के युवाओं की विशाल संख्या को दिशाविहीन जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।

अतएव भारत सरकार से मांग है कि झारखंड एवं बिहार के उपरोक्त सीमावर्ती क्षेत्र के चौतरफा विकास हेतु हनवारा (झारखंड) एवं सन्हौला (बिहार) को जोड़ने हेतु गेरुआ नदी पर शीघ्र पुल निर्माण किया जाए ताकि झारखंड एवं बिहार राज्य के बीच आवागमन एवं व्यापार का विकास संभव हो।

[अनुवाद]

(आठ) पश्चिमी बंगाल में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के राज्य सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : पश्चिम बंगाल की सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दसवीं योजना के दौरान अलग–अलग जगहों में कुल 1231 कि.मी. की दूरी में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भेजा है–

1.	नंदकुमार से दीघा चन्दनेश्वर (उड़ीसा सीमा)	91 कि.मी.
2.	राधामणि (एएसएच–4 से एनएच–41 का जंक्शन) अनन्तपुर–पांसकुरा–मेकोग्राम–घाटल–बोडो–खरर–हाजीपुर–आरामबाग–वर्द्धमान–नारजा–मुरातीपुर–नतुनहाट–फुटिसांको–कुली–मोरेग्राम (एसएच–7 से एनएच–34 का जंक्शन)	275–10 कि.मी.
3.	कोना एक्सप्रेसवे विद्यासागर सेतु–कोलकाता–डायमंड हार्बर	
4.	कुलपी–काकविप–नमखाना–बक्खाली	133 कि.मी.
5.	गजोल–बुनियादपुर–पेतिराम–त्रिमोहोनि–हिल्ली	100 कि.मी.
6.	रानीगंज–पंडाबेश्वर–दुबराजपुर–यूटी–मोरेग्राम	141 कि.मी.
7.	तुलिन (पश्चिम बंगाल बिहार सीमा)–पुरुलिया–बांकुरा–विष्णुपुर	
8.	आरामबाग–वर्द्धमान–मोग्रा–ईश्वरगुप्त सेतु कल्याणी	
9.	हरिघंटा–गायघाट–पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सीमा)	391 कि.मी.
10.	हल्दिया से दीघा तक तटीय राजमार्ग	100 कि.मी.

मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से इस दिशा में कदम उठाने का अनुरोध करता हूं जिससे कि दसवीं योजना के दौरान उक्त योजनाएं स्वीकृत और क्रियान्वित की जा सकें।

[हिन्दी]

(नौ) खेती में उपयोग किए जाने से पूर्व बी.टी. कॉटन बीज का व्यापक अध्ययन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, बी.टी. कॉटन की उपज में उत्पादन बढ़ने और लागत कम होने की बात बीज उत्पादक निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा कही जा रही है। परन्तु इसका देश में परीक्षण अधिकारिक रूप से सरकारी क्षेत्र में हुआ नहीं दिख रहा। विश्व के अमेरिका, आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेन्टाइना, मैक्सिको, इंडोनेशिया जैसे कपास उत्पादक देशों में भी बी.टी. कॉटन उत्पादन की खुली छूट नहीं है, वहां एक सरकारी विभाग है उससे अनुमति लेनी पड़ती है और दिशा निर्देशों के अनुसार उसकी निगरानी में इसकी खेती की मंजूरी मिली है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बी.टी. कॉटन के कुप्रभाव की जानकारी सरकार के पास बी.टी. कॉटन उत्पादक संस्थान की रिपोर्ट ही है। इस उपज का देश के उत्तरी भाग में इस कम्पनी द्वारा भी परीक्षण नहीं किया गया है। परन्तु उत्तरी भारत–पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कपास उत्पादक राज्य हैं, में बी. टी. कॉटन का बीज किसानों को बेचा जा रहा है। बिना परीक्षण, बिना जांच और उपज के कारण पैदा होने वाले कुप्रभावों की रोकथाम के उपायों के बिना इस उपज की खुली छूट राष्ट्र हित में नहीं।

अतः सरकार इस मामले पर अलग–अलग तीन–चार सरकारी व निजी वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा जांच–पड़ताल कराए और जांच की रिपोर्ट पर अध्ययन कर बाद में आगे की कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

(दस) अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) : 65 वर्ष से अधिक की उम्र के ऐसे बड़ी संख्या में बेसहारा वरिष्ठ नागरिक हैं जो अन्नपूर्णा योजना और राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन/राज्य सरकार की वृद्धा पेंशन योजना से वंचित रहे हैं। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 4.66 लाख लाभान्वितों पर 41.94 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय हो रहा है और राज्य वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 8.53 लाख अतिरिक्त लाभान्वितों पर 76.80 करोड़ रुपए का वार्षिक परिव्यय हो रहा है।

मैं भारत सरकार से ऐसे एक विशेष मामले के रूप में वित्त वर्ष 2002–03 के दौरान अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के एक लाख लाभान्वितों के लिए अतिरिक्त धन आवंटित करने और उसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि निर्गत करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अतिरिक्त धन आवंटित किए जाने की स्वीकृति मिलने पर योजना को कार्यरूप देने और बड़ी संख्या में उन बेसहारा लोगों को जो इसके लिए योग्य पाए जाएंगे उनकी पहचान कर उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए समुचित ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

(ग्यारह) त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के पेयजल प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ऐक्सीलिरेटिड वाटर सप्लाई कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को पेयजल योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है। महाराष्ट्र सरकार ने 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 40 शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाएं सन् 1995 में केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी थीं। पिछले सात सालों में इनमें से अब तक केवल 20 योजनाएं ही स्वीकृत हुई हैं जिन पर काम चालू है। जबकि शेष 20 शहरों की योजनाएं अभी तक केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं। इसका मुख्य कारण है कि इन शहरों की जनसंख्या 20 हजार से ज्यादा हो गई है।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐक्सीलिरेटिड वाटर सप्लाई के तहत योजना हेतु जनसंख्या का मानदंड बढ़ाकर कम से कम 40 हजार कर दे तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई शेष 20 पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करे, ताकि

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

इन योजनाओं पर समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार काम शुरू किया जा सके।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु के गुम्मीडीपोंडी और तिरुवेल्लोर रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूट्रीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरुम्बुदुर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री पेरुम्बुदुर में प्रवासियों, गरीब मजदूरों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपनगरीय रेल यातायात की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई उपयुक्त आरक्षण पटल नहीं है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि गुम्मीडीपोंडी और तिरुवेल्लोर रेलवे स्टेशनों पर उपयुक्त आरक्षण पटल खोले जाएं। साथ ही हजारों लोग अवाड़ी बाजार में रेल लेवल क्रासिंग को पार करते हैं जिससे उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका होती है। मैं सरकार से अवाड़ी में पुल के नीचे एक सड़क का निर्माण करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर रेलवे कार्यशाला को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : दक्षिण–पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले खड़गपुर रेलवे वर्कशाप की स्थिति बहुत खराब है। 1985 से भाप वाले इंजन के पीओएच शाप को विद्युत इंजन वाले पीओएच शाप में बदल दिया गया था। इसके उत्पादन का लक्ष्य धीरे–धीरे प्रति माह तीन इंजन से बढ़कर पांच इंजन कर दिया गया और लक्ष्य प्राप्त करके इसने अपनी स्थिति में सुधार किया था। इसके अलावा इसमें पूर्णतः या आंशिक रूप से यहां रि–कैबलिंग, ट्विन पाइप, मोडीफीकेशन, ड्यूरेल ब्रेक कनवर्जन, 6 पी कनवर्जन, हाई स्पीड गेयर रेशियो कनवर्जन आदि का कार्य भी होने लगा था। यहां कैम्बर रेक्टीफिकेशन और बड़ी दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुए इंजनों के नवीकरण से संबंधित कार्य भी किए जा सकते थे। इसने माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित इकाई, तुरन्त जंजीर खींचने की प्रणाली का विकास और एयर फ्लो मेश्जटिंग सिस्टम को भी रेलवे में सम्मिलित करने में सफलता मिली। अब इस वर्कशाप के कार्यभार और लक्ष्य को बहुत कम कर दिया गया है। डीजल लोको, कैरीज एंड वेगन पीओएच शाप्स और भारतीय रेल का सबसे बड़े प्रेस जैसी अन्य शाखाओं के कार्यभार को भी इसी प्रकार कम किया जा रहा है। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि खड़गपुर स्थित रेलवे वर्कशाप को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु वह आगे आएं।

अपराह्न 2.30 बजे

सरकारी विधेयक–पारित

[अनुवाद]

(एक) बीमा (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा विधायी कार्य, मद संख्या–15 'बीमा (संशोधन) विधेयक' पर चर्चा करेगी। इस विधेयक के लिए दो घंटे समय आवंटित किया गया था। हमने एक घंटा और 25 मिनट पहले ही ले लिया है। अब केवल 35 मिनट बचे हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदया, मैं बीमा संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक में बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्रवेश की अनुमति देना, उन्हें केवल कारपोरेट एजेंट ही नहीं बल्कि बीमाकर्ता बनाना, मध्यस्थों के रूप में दलालों के प्रवेश को मान्यता देना और क्रेडिट कार्डों, स्मार्ट कार्डों आदि के माध्यम से किस प्रकार भुगतान किया जाएगा, आदि के लिए आई.आर.डी. को विधि सुझाने के लिए अधिकृत करना तीन प्रमुख प्रावधान हैं।

मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में और उसके बाद के आईआरडीए अधिनियम में भी माध्यस्थों के लिए प्रावधान किया गया है। माध्यस्थ कौन है? माध्यस्थ एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति है। वहां पर एजेंट होते हैं जो माध्यस्थ हैं। वहां पर पर्यवेक्षक हैं जो माध्यस्थ हैं। अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि किसी तीसरी पार्टी को प्रशासक बनाया जाए। उदाहरणार्थ मेडीक्लेम सेवा के मामले में वे दावे के अंतिम निपटान के साथ ही और अन्य सभी कार्य भी देखेंगे। अमरीका में उन्हें 'एमजीए'–मैनेजिंग जनरल एजेंट के नाम से जाना जाता है। आजकल सरकार अंग्रेजी के शब्द 'ब्रोकर' का प्रयोग करने में संकोच करती है लेकिन यहां पर ब्रोकर शब्द का प्रयोग एकदम समीचीन और उपयुक्त हैं। वास्तव में आईआरडी विधेयक को पारित करते समय सरकार के ध्यान में माध्यस्थों के नाम

पर ब्रोकरों को अनुमति देने का मुद्दा भी था। ऐसा लगता है कि हमने 1992 के घोटाले से कोई सीख नहीं ली है।

भारतीय रिजर्व बैंक के सार्वजनिक ऋण कार्यालय का अभी तक आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। सिफारिश की गई थी कि वित्तीय बाजार में सभी लेन–देन केवल 'डिमैट' रूप में ही किए जाएं। 'इक्विटी बाजार' में व्यापक रूप से ऐसा किया गया है लेकिन बाण्ड बाजार या ऋण बाजार में ऐसा नहीं किया गया है। हमें पता है आज क्या हो रहा है। कम से कम 18–19 सहकारी बैंकों में जो अधिकांशतः देश के पश्चिमी भाग में हैं और कुछ पूर्वी भाग में हैं, 1992 के घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समितियों की सिफारिशों के बावजूद वंचक बाजार संचालक लेने–देनों के वास्तविक स्वरूप का लाभ उठा रहे हैं जिन्हें अनुमति दी गई थी। उन्हें 'ई.पी.एफ.' में अनुमति दी गई है और हमें पता है कि नाविक भविष्य निधि का दुरुपयोग किया गया है। यह दुखद स्थिति हैं उन अभागे लोगों का क्या होगा, लगभग 93 करोड़ रुपये का दुरुविनियोग किया गया है।

जब सहकारिताओं की बात आती है, हम जानते हैं कि उन पर अत्यन्त उच्च तबके के लोगों का राजनीतिक प्रभाव है। राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोग चाहते थे कि सहकारी समितियां बीमा क्षेत्र में प्रवेश करें और सरकार ने उसको अनुमति देने का निश्चय किया। क्या उनके पास विशेषज्ञ हैं? क्या उन्हें बीमा का ज्ञान है? इस विधेयक को पुरस्थापित करते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि इससे ग्रामीण क्षेत्र को मदद मिलेगी और यह आशा की गई थी कि बीमा क्षेत्र में सहकारिताओं के प्रवेश से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवरेज में वृद्धि होगी। यह सरकार का दृष्टिकोण है।

मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व चेयरमैन जो कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, की राय उद्धृत कर रहा हूं। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं व्यावसायिकता के कारण सेबी के चेयरमैन के पद पर पदोन्नति दी गई है। उन्हें कहना क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन ने समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में बीमा माध्यस्थों को अनुमति देने के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "अनेक देशों में इस प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने ब्रोकरों एवं अन्य स्वरूपों में माध्यस्थों की इस प्रणाली को नहीं अपनाया है।"

मैं मुद्दे पर जोर देना चाहूंगा। सरकार कहती है कि इससे ग्रामीण बीमा क्षेत्र को मदद मिलेगी और चेयरमैन का कहना है कि वितरण के नये चैनल शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर बहुत कम पैदा होंगे। यह भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की स्वीकारोक्ति है। मेरे पास विशेषज्ञों के विचार हैं जिनका कहना है कि इससे स्थिति में सुधार नहीं आएगा बल्कि इससे स्थिति और खराब होगी।

महोदया, मैं माननीय मंत्री से केवल एक बात पूछ रहा हूं। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? बीमा अधिनियम के 64 (5ख) में क्या कहा गया है? क्या यह बीमा कम्पनियों द्वारा कोई जोखिम घटित होने से पहले प्रीमियम प्राप्ति को अनुमति नहीं देना है? अब चूंकि उस प्रीमियम को ब्रोकर के माध्यम से संग्रहीत करने का प्रस्ताव है। वह अपना कमीशन लेगा। यथार्थ में उसे दावे का निपटान करने की अनुमति होगी। वह पूर्ण अधिकार संपन्न बीमा कम्पनी के रूप में कार्य करेगा परन्तु उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जैसा कि यूटीआई के मामले में हुआ है, ऐसा केन्द्र सरकार के एक अधिनियम यूटीआई अधिनियम द्वारा हुआ है। अब सरकार का कहना है कि आईडीबीआई, एसबीआई और भारतीय जीवन बीमा निगम को मासिक आय योजनाओं एवं सुनिश्चित आय योजनाओं को प्रायोजित करना चाहिए और उनके कारण हुई हानि को वहन करना चाहिए। 'सेबी' इस पर विचार कर रही है। प्रायोजकों ने कहा है कि इस विशेष बात के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। छोटे निवेशकों को हुई हानि को कौन वहन करेगा। अतः बीमा कंपनियां भी कहेंगी कि वे उत्तरदायी नहीं हैं। ऐसा अमरीका जैसे देश में भी हुआ है। इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है कि अमरीका जैसे देश में इन ब्रोकरों ने बीमा उद्योग में कैसे तबाही मचा रखी है। यदि ऐसा अमरीका जैसे देश में हो रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में क्या होगा जहां हाल में इतने अधिक घोटाले हुए हैं, वर्तमान में घोटाले हो रहे हैं, संयुक्त संसदीय समिति घोटालों की जांच कर रही है, जहां हर्षद मेहता एवं उनके सहयोगियों द्वारा घोटाले किए गए हैं, जहां केतन पारेख, केतन सेठी और कई अग्रवाल मिलकर अव्यवस्था फैला रहे हैं। क्या होगा? हम राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति में लौट जाएंगे। जब सहकारिता का मुद्दा उठा था उस समय भी इस सभा में माननीय मंत्री ने कहा था, "हमें राष्ट्रीयकरण से पूर्व का अनुभव है। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। 'ब्रोकर' वास्तविक प्रतिनिधि बीमाकर्ता

[श्री रूपचन्द पाल]

बन जाएंगे। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय इस बात का स्पष्टीकरण देंगे। क्या यह बीमा अधिनियम के 64 (पांच ख) द्वारा अनुमन्य है? इसमें कहा गया है कि पहले प्रीमियम प्राप्त किया जाएगा और उसके बाद बीमा कम्पनियों द्वारा जोखिम स्वीकार करना संभव हो पाएगा। इस प्रकार की स्थिति के कारण मैं इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करता हूं।

महोदया, मैं संसद की अत्यंत महत्वपूर्ण समिति–सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा उल्लिखित कुछ आपत्तियों का उल्लेख कर रहा हूं। इसके सभापति प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा थे। सर्वसम्मति से सिफारिश की गई थी। उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि "हम ब्रोकरों को अनुमति देने के सख्त खिलाफ हैं।" यह रिकार्ड में है।

श्री आर. एन. मल्होत्रा जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति ने साक्ष्य में कहा है? ऐसा कहा जाता है कि श्री आर. एन. मल्होत्रा ने कहा है कि माध्यस्थों को अनुमति दी जानी चाहिए। मेरे पास एक दस्तावेज है। यह स्वयं श्री आर. एन. मल्होत्रा द्वारा वित्त संबंधी पांचवीं स्थायी समिति के समक्ष 17 जनवरी, 1997 को दिया गया साक्ष्य है। श्री आर. एन. मल्होत्रा ने बीमा क्षेत्र में सुधारों एवं परिवर्तन की शुरूआत अपने प्रतिवेदनों से की थी। उन्होंने अमरीकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स) के प्रतिवेदन के संबंध में कहा : "दिवालिया हो गई बीमा कम्पनियों ने अपने अधिकांश कार्य यथा हामीदारी, प्रीमियम एकत्रित करना, दावों का निपटान एवं पुनः बीमा अधिकार 'मैनेजिंग जनरल एजेंट्स' को दे दिए हैं।" अमरीका में इस शब्द का प्रयोग किया गया है जबकि इंग्लैंड और हमारे देश में उन्हें 'ब्रोकर' कहा जाता है। 'मैनेजिंग जनरल एजेंट्स' बीमा कंपनियां नहीं हैं और सामान्यतः ठीक से विनियमित नहीं हैं। अधिकारों को पूर्ण रूप से प्रत्यायोजित करने के खतरनाक कदम उठाए जाने से बीमा कंपनियां मात्र डाकघर बन गई हैं क्योंकि बीमा कंपनियां त्वरित गति से बिक्री और बीमा व्यापार में विविधता नहीं लाना चाहती थीं।" ये अभिसाक्ष्य स्वयं श्री आर. एल. मल्होत्रा द्वारा दिए गए हैं।

सभापति महोदय : मुझे आपको यह बात बता देनी चाहिए कि आपके दल को सात मिनट का समय आवंटित किया गया है लेकिन मैं आपको 15 मिनट का समय दे रहा हूं। आपने अब तक 12 मिनट का समय ले लिया है।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा...*(व्यवधान)* क्या मैं कोई असंगत बात कह रहा हूं? मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य की बात करने जा रहा हूं। वे क्या कहते हैं? उनका कहना है : "कि मेरे अधिकारी, मेरे अपने आदमी जो कि प्रत्यक्ष रूप से बिक्री में लगे हैं, ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं।"

सात लाख एजेंटों ने अपना खून–पसीना बहाकर इस बीमा उद्योग का निर्माण किया है। वे लोग सामाजिक दायित्व का पूरा–पूरा निर्वाह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सरकार इस बीमा क्षेत्र को बर्बाद करने पर ही तुली हुई है। इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत एजेंटों का क्या होगा? स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रयोग के तौर पर यह केवल दो वर्षों के लिए होगा और इसमें पर्याप्त सुरक्षोपाय होंगे। पर्याप्त सुरक्षोपाय क्या हैं? सरकार का कहना है कि उसने स्थायी समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया है। क्या नोट कर लिया है? सुरक्षोपाय क्या हैं? क्या सरकार कोई सुरक्षोपाय मुहैया करा सकती है? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सेबी, कम्पनी मामलों के विभाग जैसे कई विनियामक हैं। यहां एक और विनियामक है, वह है आईआरडीए, फिर क्या होगा? 16 या 17 निजी बीमा कम्पनियों से मिल रही प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद पूंजीगत बाजार क्षेत्र में जिस तरह बीमा उद्योग प्रदर्शन कर रहा है, उसे देखते हुए हमें विश्वास है कि सरकार इस मामले में जल्दी नहीं करेगी, चाहे वह सहकारी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करने के मामले में हो या बीमा क्षेत्र में दलालों को बिचौलिए के रूप में अनुमति प्रदान के मामले में हो। मैं भुगतान प्रणाली के विरोध में नहीं हूं। वह हमेशा किया जा सकता है–उन्नयन, बदलाव, आदि–आदि।

महोदया, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदया, माननीय वित्त मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए बार–बार आश्वस्त किया था कि बीमा क्षेत्र का पुनर्गठन कर उसे मजबूती प्रदान की जाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे कि यह कमजोर हो। किन्तु, ऐसे कदम बीमा क्षेत्र को कमजोर करने के लिए ही इस बीमा अधिनियम में संशोधन के जरिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर 'ब्रोकर' शब्द का उल्लेख न कर 'इंटरमीडियरी' शब्द का प्रयोग किया है। क्या मैं एक चीज जान सकता हूं : क्या दलालों के प्रवेश

से विश्व के किसी देश को लाभ मिला है। विश्व के कुछ देशों में दलालों का घर बीमा कम्पनियों के घर से बड़ा है। यह पूरा खेल 'जनता के पैसों की लूट' है जैसा कि राष्ट्रीयकरण के पहले के दिनों में होता था।

मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकार बीमा क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र को आने देने और दलालों या निगम एजेंटों को अनुमति प्रदान करने की जल्दबाजी न करे। यह सही है कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। किन्तु, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के नाम पर हम देख रहे हैं कि कोई विनियमन नहीं है। एक कह रहा है कि वह जिम्मेवार नहीं है, तो दूसरा कह रहा है कि वह उसका उत्तरदायित्व नहीं है। यह क्या हो रहा है? घोटालों पर घोटाला हो रहा है और जनता के पैसों की लूट हो रही है, छोटे निवेशकों को उसी तरह लूटा जा रहा है जिस तरह कम्पनियों को बंद करने के नाम पर या प्लान्टेशन कम्पनियों के नाम पर या यूटीआई के रूप में या शेयर मार्किट के रूप में या यहां तक कि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लूटा जा रहा है।

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि यह संशोधन बीमा अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के प्रतिकूल है, यह बीमा अधिनियम की धारा 64 (पांच ख) के विरुद्ध है। यह विश्व भर का अनुभव है कि वर्तमान में घिनौने किस्म का उदाहरण पेश करने वाले दलालों, सहकारी क्षेत्रों जिन पर शायद ही हमारा नियंत्रण होता है, की तरह बिचौलियों को इस बीच में आने देना अनर्थकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि यह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की जवाबदेही है। विनियमों और उन सभी चीजों की बहुलता है। इससे स्थिति जटिल हो गई है।

इसलिए, हमें इंतजार करना चाहिए। स्थायी समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि सुरक्षोपाय होने चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि हालात पर काबू पाने में कोई सुरक्षोपाय संभव है। अतः सरकार को तब तक यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए जब तक कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारे गौरवशाली बीमाक्षेत्र के हितों के प्रति दृढ़ संकल्प न हो।

सभापति महोदय : धन्यवाद। अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : सभापति महोदय, हमें भी टाइम दे दीजिएगा, हमने भी नाम दे दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई नहीं बोला है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब टाइम नहीं है, 35 मिनट ही बचे हैं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से अभी तक किसी ने अपने विचार इस बिल पर नहीं रखे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : कल बहुत टाइम था। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : कल कहां टाइम था। इस पर हमारा बोलना बहुत जरूरी है, इस विधेयक को वापस कराना है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नाम कल बुलाया गया था। आप मुझे देखकर बात करिए, चेयर को एड्रैस करिए। कल चेयर से आपका नाम बुलाया गया था, लेकिन आप हाउस में नहीं थे, आप याद करिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : यह विधेयक पहले आना चाहिए था, लेकिन वह विधेयक पहले आ गया था तो हमने सोचा कि यह अब नहीं आएगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदया, 13वीं लोक सभा के प्रारंभ में हमारी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में अपने किए गए वादों, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के संबंध में अपनी समझ और इसके लिए मार्ग प्रशस्त किए जाने के मामले में गहन विचार–विमर्श के बाद बीमा विनियामक विधेयक का समर्थन किया था। किन्तु, उस समय हमने अपने इस योगदान में प्राथमिकता वाले सामाजिक क्षेत्र में निवेश हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत कतिपय संशोधनों सहित कई सावधानियां बरती थीं। यहां तक कि माननीय वित्त मंत्री ने भी इस सभा को आश्वस्त किया है कि इस उद्योग के विस्तार के क्रम में बीमा क्षेत्र में किसी की छंटनी या नुकसान का कोई डर नहीं होगा।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

मैं जानता हूं कि सरकार दलील देगी कि विधेयक पर यदि आम राय न भी हो, तो भी इसे पूरा समर्थन मिला है, किन्तु हमारी पार्टी के श्री शिवराज पाटील और श्री एन. जनार्दन रेड्डी दोनों ही की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति की टिप्पणी में मतभेद के स्वर थे। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार यह तर्क देगी कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रही है जो छंटनी आदि के विरुद्ध दिए गए अपने आश्वासन के संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री की सभा में की गई घोषणा के विपरीत हो।

तथापि, महोदया, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चीजों को उजागर करने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि वे इन पर समुचित संज्ञान लेंगे।

जब जीआईसी (संशोधन) विधेयक आया तो हमने विवेचनात्मक रूप से उसका समर्थन किया और अन्ततोगत्वा जब माननीय वित्त मंत्री ने सभा पटल पर हमें यह आश्वासन दिया कि यदि भविष्य में जरूरत हुई तो बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाद में समुचित संशोधन पर विचार किया जा सकता है, तो हम लोगों ने महसूस किया कि माननीय मंत्री की वचनबद्धता जायज है और तदनुसार हमने उनका समर्थन किया। अपनी पार्टी की ओर से मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आज मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं। इस विषय पर मेरी बात बहुत ही संक्षिप्त होगी। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि सभा को आज कई विधेयकों का निपटारा करना है।

मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री हम लोगों को सुनने के बाद कुछ विकल्प खुले रखेंगे ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर पूरे मामले में वे फिर से विचार कर सकें। इसका कारण है कि हम लोग अभी उसे प्रयोग के तौर पर कर रहे हैं। बहुत सारी निजी कम्पनियों ने अभी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है और आपकी जो उम्मीदें हैं कि भारत में बड़ी संख्या में निजी बीमा कम्पनियों का प्रवेश होगा और इनका प्रसार कश्मीर से लेकर केप कोमरिन तक प्रत्येक गांव, शहर और नगर में होगा तथा देश में बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा का माहौल होगा–अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तथापि, मैं एलआईसी को लोगों को विशेषकर उनकी अंतर्निहित व्यवस्था और क्षमताओं तथा उनकी कार्यप्रणाली के लिए बधाई देना चाहता हूं। वे एलआईसी की आंतरिक योजनाओं और भारत सरकार की उस नीति को बनाए रखकर कि सार्वजनिक क्षेत्र के सुदृढ़ उपक्रम व्यर्थ न हो जाए जैसी प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद अपनी विकास दर को महत्वपूर्ण रूप से बनाए रखने में सक्षम रहे हैं।

हम केवल दो बातों को सुनिश्चित करने के लिए इस बीमा विधेयक में संशोधन ला रहे हैं। पहली बात सहकारी क्षेत्र से संबंधित है और दूसरी तथाकथित दलालों और बिचौलियों से संबंधित है। जहां तक सहकारी क्षेत्र का सवाल है तो यह सच है कि कुछ अपवाद हैं, किन्तु मधेपुरा या नागपुर जैसी जगहों में सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्त्ता आर्थिक अपराध, जोड़–तोड़ और अपयोजन में लिप्त रहे हैं। देश का कानून अपना काम करेगा। मैं माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया का आभारी हूं जो कल इसे सभा नोटिस में लाए और इसकी सीबीआई आदि से जांच की सकारात्मक मांग की। मैंने कल महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री से बात की थी। वे भी इस मामले में सख्ती से निपटने के लिए वचनबद्ध हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में हम लोग पार्टी लाइन से हटकर अपराधियों से कोई समझौता नहीं करेंगे।

अतः मैं देश के सहकारिता आंदोलन पर एक स्वर से यह दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं कि वह आर्थिक क्षेत्र के कलंक हैं। इसलिए, मैं बीमा क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के प्रवेश का विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि सहकारिता का अपने समाज, राष्ट्र और इस आंदोलन के प्रति जवाबदेही निभाने का बहुत पुराना इतिहास है। इसलिए, यदि बीमा क्षेत्र में सहकारिता का प्रवेश होता है, तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे कोई समस्या उत्पन्न होगी या इससे विकास दर को नुकसान पहुंचेगा या उस तरह की जवाबदेही नहीं निभाएगी जिस तरह की हम किसी व्यक्ति विशेष से उम्मीद करते हैं। यह उससे कहीं अधिक होगी और इसलिए, हम सहकारिता के इस क्षेत्र में प्रवेश का विरोध नहीं कर रहे हैं।

लेकिन, दलालों के प्रवेश पर हमें कड़ी आपत्ति, संदेह और आशंका है। अब, गत कुछ वर्षों में शेयर बाजार के दलालों की भूमिका को देखा जा सकता है। श्री मनमोहन सिंह के समय में हर्षद मेहता था, श्री यशवंत सिन्हा के समय केतन पारिख हुआ। मैं किसी खास वित्त मंत्री के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि शेयर बाजार के दलालों की भूमिका जगजाहिर है और भारत की जनता, भारतीय संसद और इसकी कई समितियों के दबाव के कारण उनके दिन लद चुके हैं और जोड़–तोड़ की उनकी क्षमता क्षीण

हो चुकी है। अदालत में आज वे अपनी सुनवाई के दिन गिन रहे हैं। अब वे सोचते हैं कि बीमा क्षेत्र को चूसने का यह नया आधार है तथा इसकी आड़ में बचा जा सकता है और यदि हम इस विधेयक के माध्यम से उनके प्रवेश को न्यायोचित ठहराते हैं, तो मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री न सही, पर वित्त मंत्री के रूप में उस पद पर भविष्य में जो कोई भी बैठा होगा उन्हें इस पर पछताना होगा।

मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूं। यह मेरी प्रबल आशंका है क्योंकि दलालों की किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं होती। दलालों की चाहे संसद के प्रति हो या संस्थान के प्रति या फिर किसी कार्यकारिणी के प्रति क्या जवाबदेही होती है? हां, आप इतना कह सकते हैं कि आप उसे पकड़ सकते हैं और उस पर मुकदमा चला सकते हैं। उस पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं, किन्तु, जिस व्यक्ति ने प्रीमियम अदा किया है, जिसने अपने आप का बीमा कराया है, उसकी कौन रक्षा करेगा, कौन उसके अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करेगा, इसलिए, उन एजेंटों वाली वर्षों पुरानी परंपरा की कीमत पर इस क्षेत्र में दलालों का बाढ़–द्वार खोलना नुकसानदेह होगा जिसमें एजेंटों ने मरते दम तक एड़ी–चोटी का पसीना बहाकर बीमा का अर्जन करते हैं, प्रीमियम भुगतान का प्रबंध करते हैं और प्रीमियम पर उनके स्वयं के शेयर के लिए बचनबद्धता से योजना तैयार करते हैं।

कई चीजें कही गई हैं। जब वित्त मंत्री हमारे पार्टी–सदस्य की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति का कार्य देख रहे होते हैं, तो यह एक विडंबना है कि मैं डा. विजय कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का आश्रय ले रहा होता हूं। किन्तु, वित्त मंत्री हमारी पार्टी से आने वाले सभापति की प्रशंसा करेंगे। मैं उनकी प्रशंसा नहीं करूंगा। मैं सावधानीपूर्वक कहूंगा–हम स्थायी समितियों की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि वे संसद की समितियां हैं–कि वे अपने विवेक से अपनी सिफारिशें देते हैं परन्तु स्थायी समितियों के प्रतिवेदन भी अवलोकन और छानबीन के अध्यधीन होते हैं।

वर्तमान सरकार द्वारा एक नया तरीका अपनाया गया है कि जब कोई चीज उनके अनुकूल होती है तो वह स्थायी समिति का सहारा ले लेती है और जब वह यह महसूस करती है कि स्थायी समिति का आदेश उनके लिए अनुकूल नहीं है तो वह स्थायी समिति के प्रतिवेदन की अनदेखी कर देते हैं। शायद ही किसी प्रतिवेदन पर चर्चा अथवा वाद–विवाद किया जाता है। मैं आपको स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों के सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां सरकार द्वारा एक भी निर्णय का सम्मान नहीं किया गया। परन्तु कभी–कभी किसी तरह उनके पास कोई दलील होती है और जोरदार ढंग से कहते हैं कि यहां स्थायी समिति का प्रतिवेदन है जिसने हमें पृष्ठांकित किया है। मेरा कहना है कि यह सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन है जिसने उन्हें अन्य सिफारिशें दी हैं कि शेयर दलाल किस तरह खतरनाक होते हैं। मैं डा. विजय कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली समिति का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने गहराई में जाकर कार्य किया और विस्तृत विश्लेषण दिया। उन्होंने न केवल हांगकांग में कार्य कर रही राष्ट्रीय बीमा कम्पनियों का उदाहरण दिया है अपितु इस क्षेत्र में शेयर दलालों के भावी खतरों का उदाहरण भी दिया। इन्होंने उस भाग का भी संज्ञान क्यों नहीं दिया? इन्होंने पार्टी में अपने सहयोगी की अध्यक्षता वाली सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों की भी अनदेखी की। संभवतः वे यह कहेंगे कि उदार अर्थव्यवस्था में यह इतने उदार हैं कि कभी–कभी वे किसी अन्य की अध्यक्षता वाली न कि अपनी पार्टी के सहयोगी की समिति की सिफारिशें पृष्ठांकित कर देते हैं। यह एक अलग बात है।

मैं वित्त मंत्री से श्री आर. एन. मल्होत्रा की टिप्पणियों की अनदेखी न करने का अनुरोध करता हूं। वे राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री भी पहले दिन से ही राजनीतिज्ञ नहीं थे। वह वित्त मंत्रालय में एक नौकरशाह के रूप में बैठे थे और बाद में वह राजनीति में आए। मैं श्री आर. एन. मल्होत्रा के विवेक, बुद्धि और समझदारी पर गर्व महसूस करता हूं। वह इस देश के एक महान सपूत हैं। इन्होंने स्वयं बीमा क्षेत्र में सुधारों संबंधी समिति की अध्यक्षता की थी। इन्होंने अमरीका में एमजीए के साथ तुलना करते हुए इस क्षेत्र में दलालों के प्रवेश करने की बात सुस्पष्ट रूप से कही है। वे अक्सर अनेक मामलों में विशेषकर अर्थव्यवस्था खोलने तथा बीमा क्षेत्र पर अमरीका की नकल करते हैं। उनकी अपनी हाउस कमेटी ऑफ सीनेट ने आज नहीं बल्कि 1999 में विस्तृत जांच की और इस बारे में टिप्पणी की थी कि बीमा क्षेत्र में सर्वत्र खुले तरीके से एमजीए के माध्यम से कार्य करना कितना जोखिमपूर्ण है और उन्हें कितना भुगतान करना पड़ा था। यह सीनेट की समिति की एक टिप्पणी है। क्या सभा इस मामले में अमरीका की हाउस कमेटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

की टिप्पणियों का संज्ञान नहीं लेगा। क्या सभा श्री आर. एन. मल्होत्रा, इस क्षेत्र में एक महान व्यक्ति, जो इस सभा के संसद सदस्यों से अधिक सक्षम हैं, की टिप्पणियों का संज्ञान नहीं लेगी? यदि वे राजनीति में आए होते तो वे भी मंत्री होते।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब वे उदार विचारों की बात करते हैं तो वे कृपया इस प्रकार के विचारों को भी देने का प्रयास करें। मैं उनसे इस विधेयक को लाने और इन सभी प्रावधानों जिनसे बीमा क्षेत्र की भावी प्रगति को खतरा हो के साथ इस विधेयक को पारित न करने का अनुरोध करता हूं।

मैं उन सभी क्षेत्रों का वर्णन नहीं करना चाहता जिन्हें मेरे प्रिय सहयोगी सीपीआई (एम) के श्री रूपचन्द पाल द्वारा पहले ही उद्धृत कर दिया गया है। मैं केवल इतना कहूंगा कि शेयर दलाल जब अपनी वचनबद्धता और जवाबदेही के बिना प्रवेश करते हैं तो वे अपने हितों और कार्यों का ध्यान रख सकते हैं परन्तु अंततोगत्वा यहां ऐसा कोई कानून नहीं है, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि वित्त मंत्री इस बात को कह सकें कि विधेयक के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा वह चूककर्ता दलाल को कानून के हवाले करके उसे न केवल दंडित कर सकेगा बल्कि उसके द्वारा धोखाधड़ी से ऐंठे गए धन को भी उन व्यक्तियों, जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं, के लाभ हेतु वापस दिला सकेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

ऐसा कोई सुरक्षात्मक खंड नहीं है। अतः मैं मंत्री से पुरजोर अपील करता हूं कि यदि उनके लिए सम्भव हो तो बीमा विधेयक के संपूर्ण प्रावधानों पर पुनर्विचार करें।

27 जुलाई, 2001 के 'दि इकनॉमिक टाइम्स' ने शेयर दलालों की भूमिका के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था जिसकी मंत्री को जानकारी है। इसमें कहा गया है :

> "शेयर दलाल वर्धित रूप से परम्परागत प्रतिभूति व्यापार से आगे देख रहे हैं। जबकि विगत चार अथवा पांच महीनों से शेयर बाजारों में धनराशि में तीव्र गिरावट के कारण प्रतिभूति व्यापार और वियरी बदला दलाली से होने वाली आय लगभग समाप्त सी हो गई है, बराबर बड़ी संख्या में अब शेयर दलाल अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाकर म्यूचुअल फंड तक बीमा उत्पादों के वितरण की ओर जा रहे हैं। जहां तक बीमा उत्पादों के वितरण का संबंध है, हम निगमित बीमा हेतु विनियमों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत मिलता है कि शेयर दलाल, जिनमें से कुछ धोखाधड़ियों, घोटालों में संलिप्त हैं और उनकी आंतरिक हेराफेरी में विशेषज्ञता है, और वे दलाल के रूप में बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक हैं जहां वे 17.5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की आशा रखते हैं। उनमें से कुछ कानून के संरक्षण के बिना निगमित घरानों की ओर स्व-बोली बीमा कम्पनियों के रूप में कार्य करने वाली रक्षित दलाली अर्जन इकाई हो सकती हैं।"

ये कुछ मुद्दे हैं जिनका श्री रूपचन्द पाल द्वारा, मेरे द्वारा, श्री आर. एन मल्होत्रा, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा अन्य विशेषज्ञों द्वारा उल्लेख किया गया है, जिन्होंने उल्लेख किया है कि एम जी ए जिन्हें दलाल माना जाता है, कमीशन कमाने के लिए अधिक से अधिक कारोबार करने में जिसकी ज्यादा रुचि है वे ही अक्सर बीमा उत्पादों का कम मूल्य लगाते हैं और वे ही कम आंकने की गुणवत्ता की अनदेखी करते हैं। यदि पश्चिमी विश्व इसे स्थान नहीं दे सकता अथवा समर्थ नहीं हो सकता तो क्या यह भारत जैसे विकासशील देशों जिन्हें अभी निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के बीच अंततः प्रतिस्पर्धा का सामना करना है और जिनके पास इस समय प्रतिस्पर्धा के खतरे का मुकाबला करने के लिए स्थायी अवसंरचनात्मक ढांचा और संस्था नहीं है, के लिए उचित होगा? मैं माननीय मंत्री का इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इसके पश्चात् हम विचार करेंगे कि क्या हमें समर्थन करना चाहिए अथवा समर्थन रोक देना चाहिए या बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए।

मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि कृपया पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करें और सभा को बताएं कि आप उन शेयर दलालों से कैसे निपटेंगे जो इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वे विश्व में बीमा क्षेत्र के लिए कई बार विनाशकारी साबित हुए हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय,

माननीय वित्त मंत्री जी ने बीमा (संशोधन) विधेयक विचार करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक पर उन्हीं की पार्टी के सदस्य, श्री किरीट सोमैया, का भाषण मैंने कल सुना। उन्होंने अपने संपूर्ण भाषण में इस विधेयक के खिलाफ में कहा, लेकिन अंत में उन्होंने समर्थन कर दिया। "वाक स्वतंत्रः कर्म नियंत्रः"—मतलब यह कि उन्होंने वाजिब बात बोली, लेकिन पार्टी की लाचारी की वजह से समर्थन किया, क्योंकि वोट पक्ष में ही देना है। श्री रूपचंद पाल जी ने सभी कानून के बारे में बताया। इस विधेयक पर मल्होत्रा कमेटी, एम्प्लाइज एसोसिएशन, एलआईसी के चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी की क्या राय है, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा।

अपराह्न 3.04 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

हम आरोप लगाते थे कि यह सरकार दलालों की सरकार है, लेकिन ये तो कानून भी ले आए। सभी लोग इस विधेयक के खिलाफ में बोल रहे हैं। एलआईसी संस्थान में एक लाख 19 हजार कर्मचारी–अधिकारी हैं, साढ़े 7 लाख एजेंट्स और 100 मंडल कार्यालय हैं। सभी जगहों में प्रशंसा हो रही है कि यह संस्था आर्थिक विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उसमें ये क्यों लगे हुए हैं। इन्होंने प्राइवेट कम्पनी को न्यौता दिया, प्राइवेट वाले अलग से आ गए। अगर कोई संस्था ठीक से काम कर रही हो तो उसका सपोर्ट करना चाहिए या उसकी टांग खींचने का काम करना चाहिए।

महोदय, मुझे आश्चर्य लग रहा है प्राइवेट वालों को इन्होंने न्यौता दे दिया। विदेशी, मल्टीनेशनल सब कम्पनियां आ रही हैं। उससे भी नहीं हुआ तो अब यह जो विधेयक लाए हैं यह ऐसा है जैसे–"विष कुंभम पयो मुखम।" मुंह से लगता है कि अमृत है, मुंह मीठा है और भीतर विष भरा हुआ है। मंत्री जी ने दावा किया है कि यह कोआपरेटिव है तो कोआपरेटिव का कैसे कोई खिलाफ करे। फिर इन्होंने दावा किया कि देहात क्षेत्र बड़ा अछूत है। वहां इसका प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए वहां इंश्योरेंस को प्रवेश कराया जाए तो इसका खिलाफ कौन करेगा। लेकिन बीच में दलाल कहां से आ गए। यह दलाली का कानून बना रहे हैं, इस कानून में दलाल एवं बिचौलिए ला रहे हैं। हम लोग नॉन बैंकिंग में बड़े दुखी हैं। बिहार में कई नॉन बैंकिंग कम्पनियां चल रही थीं दस हजार करोड़ रुपए गरीब आदमी ने अपना पेट काटकर जमा किए और वे लेकर भाग गए।...*(व्यवधान)* कुबेर, बर्न इंडिया आदि विभिन्न नाम हैं। छोटे–छोटे जो निवेशक हैं, वे छटपटा रहे हैं। मुझे आशंका है कि दलाल लोग इधर–उधर पैसा कर देंगे, फिर सरकार क्या करेगी। उसमें कानून पढ़ने वाले और जानने वाले विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि दलाल पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहेगा। सरकार दलालों को छूट दे देगी, इससे सब नाश हो जाएगा, इंश्योरेंस का नाम खत्म हो जाएगा।

महोदय, अमेरिका में तीन हजार बीमा कम्पनियां हैं। 600 बीमा कम्पनियां दीवालिया हो गईं और जो रुपए जमा किए, वे लोग लेकर भाग गए। अगर यहां लेकर भाग जाएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। इंश्योरेंस वाले लोग नाम लिख देंगे। लोग अपना पेट काटकर उसमें पैसा एवं प्रीमियम जमा करेंगे और वे लेकर भाग जाएंगे। लोग इधर–उधर घूमते रहेंगे। फिर बाद में नॉन बैंकिंग की तरह यह करो, कमीशन बैठाओ, जांच–पड़ताल करो। इसलिए रूपचंद पाल जी और मुंशी जी ने ठीक ही सुझाव दिए हैं कि इसे वापस ले लेना चाहिए। जब एलआईसी ठीक काम कर रही है तो क्यों उसे तंग एवं खराब करने की जरूरत है। उसमें ट्रेनिंग वगैरह का प्रबंध करना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ेगी। अभी ट्रेनिंग महंगी है। अभी दस–बारह इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए मंत्री जी ने क्या किया। इन्होंने घोषणा की थी कि जो कृषि बीमा है, उसके लिए अलग से वे कम्पनी बनाएंगे। इनका दलाली में, प्राइवेट को लाने में बहुत इंटरस्ट है, इस पर इनकी रुचि कम क्यों है? कृषि बीमा के लिए इन्होंने दावा किया था, घोषणा की थी कि हम अलग कम्पनी बनाएंगे। किसानों की कृषि की जो बर्बादी हो जाती है, उन्हें बीमा से संरक्षण मिल सकेगा। फिर पशुपालन का क्या होगा। इस देश में आम गरीब आदमी पशुपालन करते हैं। सरकार दावा करती है कि हम देहात में ले जाएंगे। ये देहात में किसके यहां ले जाएंगे। देहात में किसान पशुपालन करते हैं। गाय रखते हैं...*(व्यवधान)* आपके सामने ये सब बातें करो तो आपको बहुत परेशानी हो जाती है। मैं सरजमीन की बात करता हूं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो किसान उत्पादन करते हैं, देश की जो आर्थिक रीढ़ हैं, वे फसल पैदा करते हैं, खेती करते हैं, पूंजी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, उसमें दवाइयां एवं खाद डालते हैं। उनकी खेती, बाढ़, सुखाड़ और प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो जाती है। इन्हीं कारणों से किसान आत्महत्याएं करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृषि बीमा का क्या हुआ? आम आदमी

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

और गरीब किसान कर्जा लेकर मवेशी पालते हैं। आज के जमाने में गाय और बैल का दाम 20–25 हजार रुपये से कम नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, आप तो भले आदमी हैं, आप तो किसानों की समस्याओं को सुनने वाले हैं। माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि किसान पशु–पालन करता है और अगर उसके पशु के साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, वह मर जाता है तो किसान बर्बाद हो जाता है। इसलिए पशु–बीमा हो जाने से उसे उसका लाभ मिलेगा और देश के आर्थिक विकास का जो सपना हम देख रहे हैं उसमें किसान की, गरीब आदमी की सहभागिता कैसे होगी, माननीय मंत्री जी हमें बताएं। दलाली से काम ठीक नहीं चल सकता है, उससे सब जगह खराबी हो रही है। न जाने कितने नाम यूटीआई में दलाली के आए हैं। प्राइमा–फैसी देखने से लगता है कि सरकार दलाली को बढ़ावा दे रही है। सरकार को इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। हमारा अनुरोध है कि सरकार इस विधेयक को वापस ले। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : सभापति जी, मैं बीमा (संशोधन) पिधेयक, 2001 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी यहां बैठे हुए हैं। वे अच्छे और विद्वान व्यक्ति हैं। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारी बातों को ध्यान से सुनकर इस विधेयक को वापस ले लें और जो विधेयक 1999 में बना दिया है उसको भी समाप्त करें। भय इस बात का है कि हमारे देश में एक ईस्ट–इंडिया कम्पनी आई और देश 200 वर्षों तक गुलाम रहा। इंश्योरेंस–एक्ट 1938 में पास हुआ, लाइफ इंश्यारेंस एक्ट 1936 में पास हुआ, जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972 में पास हुआ लेकिन 1999 और 2002, इन दो ही वर्षों में यह एक्ट पास करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी और जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के साथ यह सरकार खिलवाड़ न करे। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये दोनों ही कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं। इन दोनों कम्पनियों का जितना भी मॉड्रनाइजेशन किया जा सकता है सरकार को करना चाहिए और दोनों कम्पनियों को सरकार जितना बढ़ा सकती है, उसे बढ़ाना चाहिए। उसमें कंप्टीशन लाने की आवश्यकता क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। जबकि दोनों लाभ में हैं और दोनों देश के विकास के लिए हितकर हैं। 1999 का जो अधिनियम पास हो चुका है, यदि उसे समाप्त करने के लिए आप दोबारा प्रयास नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश गुलामी की ओर चला जाएगा। विदेश की तमाम ताकतों का ध्यान देश की तरफ लगा है कि वे कैसे यहां पूंजी निवेश करके उसे लूटें। हमारा गरीब देश है। विदेशी और मल्टी नेशनल कम्पनियों को 26 परसैंट जो हिस्सा दिया गया है उस पर प्रतिबंध लगाए। आप सरकारी कम्पनियों का विदेशी कम्पनियों के साथ कम्पीटिशन कर रहे हैं लेकिन विदेशी कम्पनियों को यहां इस तरह से आने से रोकें। भारतीय जनता पाटी का सत्ता में आने से पहले नारा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और विदेशी ताकतों से सावधान रहना। अब यही सरकार सत्ता में आकर ऐसा काम कर रही है। यह सरकार पूरे देश को विदेशी ताकतों के हाथ गिरवी रखने जा रही है। वह पैसा कर्ज लेकर हर ढंग से इस काम में लगी है। माननीय वित्त मंत्री जी गलती से वहां बैठ गए हैं जबकि उन्हें यहां बैठना चाहिए। मालूम नहीं इतनी अच्छी सोच के व्यक्ति ऐसा विधेयक क्यों लेकर आए हैं? जापान की एक कम्पनी इंश्योरेंस कम्पनी के रूप में भारत में प्रवेश करना चाहती है लेकिन इससे देश को खतरा है। वह कौन सी कम्पनी है और कैसे प्रवेश करना चाहती है?

महोदय, 1999 में पास किए गए विधेयक के अनुसार विदेशी कम्पनियां 26 परसैंट पूंजी निवेश करेंगी लेकिन इससे क्या लाभ होगा? वे कितना लाभ लेकर जाएंगे? कहा जा रहा है कि वह विकास के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन यह गलत है। इंश्योरेंस के लिए कितनी प्राइवेट कम्पनियों ने आवेदन किया? हमने सुना है कि 12 कम्पनियों ने आवेदन किया। वे कौन–कौन सी कम्पनियां हैं जो इस कारोबार में आ रही हैं और उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया? इन कम्पनियों को लाइसेंस देने से सरकार और जनता को क्या लाभ हो रहा है? इस पर सरकार का कितना नियंत्रण होगा?

महोदय, पूर्व वक्ताओं में से रघुवंश बाबू, पाल साहब और मुंशी जी ने अपनी बात को यहां रखा। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के साथ सरकार क्यों खिलाड़ कर रही है और किस कारण उसे बरबाद करने में लगी है?

कहा गया है कि दलालों को 30 परसैंट कमीशन दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कोआपरेटिव सोसायटियां जाएंगी।

मैं पूरी कोआपरेटिव सोसायटियों के बारे में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां कोआपरेटिव सोसायटियां लूट रही हैं। कहा गया कि कोआपरेटिव सोसायटियां गांवों में जाएंगी। लाइफ इंश्यारेंस और जनरल इंश्योरेंस गावों में घर–घर तक पहुंच चुकी हैं। कोई भी कोआपरेटिव सोसायटी, मल्टी नेशनल कम्पनी और प्राइवेट कम्पनी गांवों में नहीं जाएगी। इस बिल में लिखा है कि इंटरनेट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा। गांवों में इंटरनेट और क्रेडिट कार्ड नहीं है। यह कहना गलत है कि ये गांवों में जाएंगे। मंत्री जी देश हित को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को वापस लें और 1999 का अधिनियम समाप्त करें। लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी और जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को देश में पूरी तरह से छूट दें। उसके कम्पीटिशन में किसी दूसरी कम्पनी को न लाएं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : माननीय सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सभा में इस चर्चा में भाग लिया और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और उन आशंकाओं के प्रति जो भविष्य के बारे में उनके मस्तिष्क में हैं, पर सरकार को सावधन भी किया।

महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति, जिसने इस विधेयक पर विचार किया, जैसा श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा प्रत्याशित, जिसने इस कानून पर विचार किया और फिर बिना किसी संशोधन के सभा द्वारा इसे अपनाने की सिफारिश की। मुझे इस तथ्य की भी जानकारी है कि इससे कुछ लोग अप्रसन्न भी हैं।

श्री दासमुंशी जब इस पर बोल रहे थे तो उन्होंने मेरी पार्टी के एक सदस्य की अध्यक्षता वाली अन्य समिति का उल्लेख किया था जबकि स्थायी समिति की अध्यक्षता उस दल के सदस्य द्वारा की गई है जिससे श्री दासमुंशी हैं। इससे सिर्फ यह प्रदर्शित होता है कि समितियों में सदस्य किस तरह दलगत भावना से ऊपर उठकर पूरी तरह निष्पक्षता से अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह बिल्कुल भी असामान्य नहीं है कि दो अलग–अलग सदस्यता वाली संसद की दो समितियां दो भिन्न–भिन्न निष्कर्षों पर पहुंचती हैं।

परन्तु ऐसा नहीं है–मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं–कि सरकार एक समिति के प्रतिवेदन पर केवल तभी ध्यान देती है जब यह उसके अनुकूल होता है और यदि यह उसके अनुकूल नहीं होता तो उसकी अनदेखी कर देती है। हम समिति की सिफारिशों का विशेषकर जब समितियां कानून बनाने पर विचार करती हैं, यथासम्मान करते हैं। मेरा अपना अनुभव बताता है कि हमने संसद की स्थायी समितियों द्वारा विभिन्न विधानों के संबंध में की गई सभी सिफारिशों को यथासंभव स्वीकार किया है। यह इस बात का द्योतक अथवा प्रमाण है कि इस संसदीय लोकतंत्र में समिति व्यवस्था किस तरह प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि इस विधेयक को संसद द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकृत किया जाना चाहिए। जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, संशोधन में पांच बातें हैं जो हम चाहते हैं कि बीमा विधेयक में स्वीकृत किए जाएं। बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों का प्रवेश, शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच अतिरेक के आवंटन में परिवर्तन, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और इंटरनेट का प्रयोग करके प्रीमियम के भुगतान के माध्यम में अधिक लचीलापन लाए जाने की अनुमति से संबंधित है।

जो श्री सी. एन. सिंह कह रहे थे उसके उत्तर में मैं जोड़ना चाहूंगा कि केवल यही भुगतान के तरीके नहीं हैं। भुगतान के अन्य तरीके भी हैं यथा चैक द्वारा, नकद द्वारा इत्यादि। किन्तु ये समूची प्रणाली के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर भुगतान के लिए अतिरिक्त तरीके हैं।

अन्य कारक हैं–निगमों की अर्हता योग्यता में अधिक लचीलेपन की स्वीकृति और अन्त में, दलालों को एजेंट या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की शुरूआत।

संशोधन के इन पांच कारकों में से जिन दो कारकों ने इस सभा का ध्यान सर्वाधिक आकर्षित किया है वे हैं सहकारी समितियों का बीमा क्षेत्र में प्रवेश और दलालों को बीमा क्षेत्र में मध्यस्थ के रूप में लाइसेंस देना। मैं इन दो के संबंध में सदस्यों की आशंकाओं को दूर करूंगा।

लेकिन उस विषय पर आने से पहले मैं इस सभा को उस बात की याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने उस समय बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक पारित करते समय और जब हम संशोधनों के लिए तैयारी कर रहे थे और बीमा क्षेत्र को खोला जा रहा था, तब आज से 2½ साल पहले कही थी।

जो बात मैंने कही थी--उसे अब दोहराना चाहूंगा- कि हमारे पास देश में बीमा व्यवसाय जीवन बीमा, सामान्य बीमा

[श्री यशवंत सिन्हा]

और पुनः बीमा को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी संभावना है। सभी क्षेत्रों में इस देश की क्षमता का पूरा दोहन नहीं किया गया है। मेरे पास यहां आंकड़े हैं जो यह दर्शाएंगे कि हम जीवन बीमा या और गैर जीवन–बीमा की व्याप्ति की बात करें, विकसित और विकासशील दोनों देशों की तुलना में हम बहुत पिछड़े हैं। अतः बहुत अधिक संभावना है।

हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सीमित क्षेत्र है और हम इसमें भागीदारी के लिए ज्यादा प्रतिभागियों को बुलाने जा रहे हैं। मैं इसे इस प्रकार देखता हूं कि हमारे पास एक विस्तारशील क्षेत्र है, जो तेजी से विस्तृत हो रहा है जहां अधिक प्रतिभागी इसे न केवल तेजी से विस्तृत करेंगे बल्कि इसमें सभी के लिए स्थान भी होगा। हम इसे इस प्रकार देखते हैं। अतः जितने अधिक प्रतिभागी होंगे, विस्तार उतना बेहतर और त्वरित होगा और सभी के लिए पर्याप्त अवसर होगा।

इस विषय को इस प्रकार देखने पर, हमारे देश में जीवन बीमा और सामान्य बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रही सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की भूमिका या योग्यता या प्रभावशीलता के विषय में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए।

मैं इस सभा में ढाई वर्ष पूर्व 1999 में हुए वाद–विवाद को स्मरण करता हूं। उस समय भी, आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि निजी क्षेत्र के प्रवेश के साथ ही सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को अपूरणीय क्षति होगी, कि वे अपने व्यवसाय खो देंगे और निजी क्षेत्र आएगा और समूचे बीमा व्यवसाय पर कब्जा कर लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जीवन बीमा और सामान्य बीमा–दोनों क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां एक साल से अधिक समय से कार्य कर रही हैं। उन्होंने भी अपना व्यवसाय पा लिया है और धीरे–धीरे विस्तार कर रही हैं।

हमें ज्ञात है कि जीवन बीमा निगम ने किस प्रकार कार्य किया है। वर्ष 2000–01 में 64.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और 2001–02 में 137 प्रतिशत वृद्धि रही है। यह पूरा साल है जब निजी क्षेत्र से हमारी प्रतिस्पर्द्धा रही। निजी क्षेत्र में दस कंपनियां हैं जो अब जीवन बीमा व्यवसाय में कार्यरत हैं। इसके बावजूद, जीवन बीमा निगम ने अपना व्यवसाय 137 प्रतिशत बढ़ाया है। इसी प्रकार, सामान्य बीमा में, वर्ष 2001–02 के दौरान पिछले वर्ष के मात्र 5.9 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि 11.4 प्रतिशत हुई है। सामान्य बीमा व्यवसाय में यह विस्तार हुआ है। अतः सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों को नुकसान होगा, ऐसी कोई भी आशंका नहीं होनी चाहिए।

श्री दासमुंशी ने मुझे इस सभा में दिए गए आश्वासन का उचित ही स्मरण कराया है कि कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां कमजोर हों। वस्तुतः उनको मजबूत करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। हमने इसी मार्ग का अनुकरण किया है। यह दिए गए समर्थन और तैयार किए गए वातावरण के कारण ही जीवन बीमा और सामान्य बीमा कंपनियां सरकारी क्षेत्र में विस्तार करने में समर्थ हो पाई हैं। वे एकाधिकार की स्थिति में नहीं, जैसी कुछ वर्ष पूर्व तक की स्थिति थी, बल्कि प्रतिस्पर्द्धा के वातावरण में ऐसा करने में समर्थ हुई हैं। और, इसलिए, इस संदर्भ में सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों का एकाधिकार की स्थिति में कार्य करने की तुलना में बहुत अधिक श्रेय है।

इसके साथ ही, इस सभा के माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की शंका बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों को कोई नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने निजी क्षेत्र की तुलना में पहले शुरूआत की है और वे अपना स्थान बनाए रखेंगी। सरकार सर्वाधिक प्रयास करेगी कि निजी क्षेत्र फलते–फूलते रहें। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता था।

अब मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूंगा। यह जानना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय कहां फैलेगा। यह ग्रामीण क्षेत्र में फैलेगा और जो बात मैं कहना चाहूंगा वह यह है महोदय कि इस सभा के किसी भी सदस्य द्वारा यह सोचना पूर्णतः गलत है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय घाटे का व्यवसाय है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय फलता–फूलता व्यवसाय है और यह व्यवसाय कर रही सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। जनगणना की परिभाषा के अनुसार, जीवन बीमा निगम का 54 प्रतिशत व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में था या है। अब आईआरडीए ने परिभाषा में संशोधन कर दिया है और इसलिए, सख्त परिभाषा के कारण प्रतिशत में गिरावट आई है। किन्तु कार्यकरण के प्रथम वर्ष में, आईआरडीए द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार कि निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 5 प्रतिशत व्यवसाय अवश्य किया जाना चाहिए, के विपरीत निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ग्रामीण

क्षेत्र में किया गया वास्तविक व्यवसाय 8 प्रतिशत से अधिक है। अतः वे भी ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं। वे ग्रामीण क्षेत्र में वहां की जनता के प्रेमवश नहीं गए हैं अपितु केवल इस कारणवश गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा व्यवसाय है इस बात की उन्हें जानकारी है। अतः मेरे मस्तिष्क में इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र बढ़ने वाला है, बीमा कम्पनियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना लाभकारी होगा और वे ग्रामीण क्षेत्र में अपना व्यवसाय फैलाएंगे। हमारे पास आईआरडीए नामक एक विनियामक है जो परिस्थिति को अत्यन्त ध्यानपूर्वक देख रहा है और आवश्यकता पड़ने पर निर्देश दे रहा है।

अब, उन दो मुद्दों पर आते हैं, जिनका उल्लेख किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक सहकारी क्षेत्र का संबंध है, उसकी अपनी शक्ति है। मैं श्री दासमुंशी से पूर्णतः सहमत हूं कि वे वैसे सहकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हैं।

इस देश में कोई भी सहकारी समितियों के विरुद्ध नहीं हो सकता। हमारे यहां सरकारी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है और सहकारी क्षेत्र है। सभी क्षेत्र में बुरे लोग हैं। हम इस देश में अत्यन्त सशक्त सहकारी आन्दोलन के श्रेय को वापस लेने के लिए सहकारी क्षेत्र को इस कारणवश अलग नहीं कर सकते कि नागपुर में एक घोटाला हुआ है या माधवपुरा बैंक में या कहीं और एक घोटाला हुआ है। मैं सोचता हूं कि समूचे सहकारी आन्दोलन की भर्त्सना करना हमारी गलती होगी। हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो नहाने के पानी के साथ बच्चे को भी फेंकने के समान हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि सहकारी समिति तथा अन्य कोई व्यक्ति जो गलत कार्यों में लिप्त है को सजा देना सुनिश्चित करें। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम पूरे क्षेत्र की भर्त्सना करें। चाहे वह शहरी सहकारी बैंक आन्दोलन हो या ग्रामीण सहकारी बैंक आन्दोलन हो या उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी समितियां हों या किसी अन्य क्षेत्र में सहकारी समितियां हों—सहकारी समितियों ने देश में अच्छा कार्य किया है। यह एक सशक्त आन्दोलन है। मैं सोचता हूं कि हमें इस आन्दोलन का समर्थन करना चाहिए। अब, यह सत्य है कि जब हमने बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला तो सहकारी क्षेत्र उसमें शामिल नहीं था। यह भी सत्य है कि हमें सहकारी क्षेत्र के लोगों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि हम बीमा क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र को निषिद्ध क्यों करना चाहते हैं। हमने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया। हमने अत्यन्त गम्भीरता से इसकी जांच की और पाया कि इसमें कमी है, जैसे निजी क्षेत्र बीमा व्यवसाय में है उसी प्रकार उपयुक्त सहकारी संस्थानों को भी बीमा क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए और इसीलिए यह संशोधन है।

अब, हमारे पास सख्त नियम हैं। ये बैंक के नियमों की तुलना में अधिक सख्त हैं। कुछ समय बीतने के साथ सहकारी बैंक ऐतिहासिक रूप से बढ़े हैं। नियमें हैं, आरबीआई है और राज्य सहकारी पंजीयक भी हैं। वे इन विनियमों को लागू करने का प्रयास कर रही हैं। किन्तु बीमा क्षेत्र में, शुरू में हम अत्यन्त कड़े विनियम रखने जा रहे हैं। सहकारी संस्थाओं के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड इत्यादि निजी क्षेत्र के समान ही होंगे। अतः मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि कुछ सहकारी बैंकों या सहकारी समिति में कोई गलत कार्य हुआ है इस आधार पर हमें सहकारी समितियों को बीमा व्यवसाय में प्रवेश करने से नहीं रोकना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि यदि उनके मन में कोई आपत्ति हो तो उसे दूर करें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उनके पास विशेषता नहीं है।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, विशेषज्ञता प्राप्त की जाती है। विशेषज्ञता क्या है? ये आपके कर्मचारी हैं और जो उसका नेतृत्व करता है वह विशेषज्ञ है। हमने प्रावधान बनाया है कि सहकारी समितियों को तभी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जब वे एक पृथक् बीमा सहकारी समिति बनाएं, पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड का अनुपालन किया जाएगा, और बीमा क्षेत्र में वे एक मात्र आईआरडीए द्वारा विनियमित किए जाएंगे। अतः मैं सभा को आश्वासन दूंगा कि यह सरकार का प्रयास होगा और विनियामक का प्रयास होगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सहकारिता आन्दोलन की कमियां और अन्य क्षेत्रों में विफलताएं बीमा क्षेत्र में दुहराई न जाएं और बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियां उसी सुदृढ़ता और स्वस्थ तरीके से कार्य करें जैसा कि निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र कार्य कर रहा है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सबसे बड़ी बीमा कम्पनी वेस्टर्न कोऑपरेटिव है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं नहीं समझता हूं कि बीमा क्षेत्र में सहकारिता के आने से उसकी क्षमता पर शक करने का हमारे पास कोई कारण हो।

अब सवाल बिचौलियों के रूप में दलालों का है। इस सभा में तरह–तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जो अभी–अभी बोल रहे थे, ने कहा कि मैं व्यवसाय में दलाली शुरू कर रहा हूं और दलाल कहीं भी गलत कारनामों में ही लिप्त पाए जाते हैं। यहां भी यही तर्क दिया गया है कि कुछ अन्य क्षेत्रों में सहकारिता में दलालों द्वारा कुछ गलत किया गया है, इसलिए हमें यहां उसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझना होगा। जहां तक जीवन बीमा का सवाल है, तो उसमें एजेंट होते हैं। यह सरकार से जुड़ा मामला कतई नहीं है कि हम किसी न किसी रूप में भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) के लाखों एजेंटों की जीविका या उन निजी कम्पनियों को प्रभावित करने जा रहे हैं, जो एजेंटों के माध्यम से ही चल रही हैं। इस संदर्भ में आईआरडीए ने कहा है कि उसने शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रशिक्षण आदि के बारे में जो मानदंड स्थापित किए गए हैं, वे मौजूदा एजेंटों पर लागू नहीं होंगे।

मौजूदा एजेंट उसी तरह काम करेंगे जिस तरह वे करते आए हैं। यह केवल उन नए एजेंटों पर लागू होगा जो बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। विश्व भर में बीमा व्यवसाय में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत–बहुत व्यावसायिक हैं जिनमें आज हमें विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है। मैं यहां जीवन बीमा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं साधारण बीमा की बात कर रहा हूं।

साधारण बीमा में एजेंट कैसे काम करते हैं? एजेंट सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी का होता है, चाहे वह कम्पनी सरकारी क्षेत्र की हो या निजी क्षेत्र की। वह एलआईसी या टाटा एआईजी या किसी अन्य बीमा कम्पनी का एजेंट होता है। वह उस कम्पनी को व्यवसाय दिलाने के लिए उस कम्पनी की ओर से ग्राहक के पास जाता है। मान लीजिए कि मैं ही वह व्यक्ति या ग्राहक हूं जिसे बीमा की जरूरत है। मुझे किसी विशेष रूप से इसकी जरूरत हो। मैं किसके पास जाऊंगा? यही वजह है कि बिचौलियों का यह पूरा तंत्र विकसित हुआ है। यदि आपको किसी विशेष प्रकार की योजनाओं की जरूरत है, तो आप बिचौलियों से मिलेंगे। ग्राहक बिचौलियों के पास जाएगा और कहेगा कि उनकी अमुक आवश्यकताएं हैं और वह अमुक प्रकार की पालिसी कराना चाहता है। बिचौलिया यह बताएगा कि बीमा क्षेत्र में किस–किस तरह की योजनाएं हैं। या फिर, वह अपने ग्राहक की ओर से चार या पांच कम्पनियों के पास जाकर इस बात का पता लगाएगा कि क्या उनके पास अमुक तरह की कोई योजनाएं हैं या क्या वे इस तरह की योजना बना सकती हैं और उसके ग्राहक के लिए अधिक से अधिक प्रतिस्पर्द्धी पेशकश क्या हो सकती है। इसलिए, ग्राहक सेवा कुछ इस तरह की है जिसे केवल बिचौलियों की प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यवस्था से ही पूरा किया जा सकता है। यह काम एजेंटों के माध्यम से उतना बढ़िया नहीं हो सकता है, विशेषकर साधारण बीमा के क्षेत्र में, जहां मैंने कहा कि ऐसी कई विशिष्ट योजनाएं हैं, ऐसी कई अद्वितीय योजनाएं हैं जो कभी–कभी केवल एक ही ग्राहक की सुविधानुकूल होती हैं। ऐसी योजना हो सकती है जो केवल एक ही ग्राहक के अनुकूल हो। यहां तक कि इस तरह की योजनाओं की पेशकश बीमा कम्पनियों द्वारा अधिक से अधिक प्रतिस्पर्द्धी शर्तों पर भी की जा सकती है। यही कारण है कि विश्व भर में बिचौलियों की इस तरह की व्यवस्था रही है। इन बिचौलियों में कॉर्पोरेट जगत भी हो सकते हैं या कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है।

मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे लोग प्रीमियम एकत्रित नहीं करेंगे। वे दावों का निपटारा नहीं करेंगे जैसा कि रूपचन्द पाल जी आशंका जता रहे थे। वे बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि नहीं होंगे। उनका कार्य आईआरडीए द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित और विनियमित होगा। अमेरिका और कुछ अन्य देशों में घटी घटनाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। वहां दलाल ही कम्पनी का संचालन कर रहे थे। वहां प्रधान एजेंट (प्रिंसिपल एजेंट) होते थे, मुख्य एजेंट (चीफ एजेंट) होते थे और अमेरिका में प्रबंध महाएजेंट (मैनेजिंग जनरल एजेंट) के नाम से जाने जाते थे। यह वह व्यवस्था नहीं है जो हम इस संशोधन के जरिए लाने जा रहे हैं। दरअसल, हम उस व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं जो हमारे देश में बीमा का राष्ट्रीयकरण किए जाने से पहले जारी थी। सभा को हम इस आशंका से दूर रखना चाहते हैं कि हम इस देश में उस कुव्यवस्था को फिर से दुहराने जा रहे हैं जो अन्य देशों में या राष्ट्रीयकरण से पहले भारत में विद्यमान थी। हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वह पूरी तरह से एक नई संकल्पना है जिसकी कई अन्य देशों में

सराहना हुई है, जिसमें उनके लिए प्रतिस्पर्द्धी बीमा बाजार की संभावना शामिल है।

एक बात श्री किरीट सोमैया द्वारा कही गई थी। वह यह कि क्या हमें जीवन बीमा के लिए तीन वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा और इसे हम केवल साधारण बीमा क्षेत्र में ही लागू कर सकेंगे। यह एक अच्छा सवाल है और संभव है कि आईआरडीए इस पर निश्चित रूप से विचार करेगा। इस क्षेत्र का विनियमन आईआरडीए ही करेगा। अतः आईआरडीए ही यह निर्धारित करेगा कि कब वह इसके लिए पहल करेगा। यहां विधान बनाने वाला एक विधान है, जो कालांतर में सभी क्षेत्रों में इस तरह की अनुमति दे सकेगा। किन्तु, यह कब होगा, यह आईआरडीए ही तय कर सकेगा। इसका स्वरूप क्या होगा वह भी आईआरडीए ही तय कर पाएगा। इस बीमा अधिनियम के अंतर्गत वह नियम बनाएगा और जब नियम बन जाएंगे तब हम यह निश्चित करेंगे कि इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाए।

अतः, कई ऐसी चीजें हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरे पास मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट है। इसमें भी बिचौलियों के बारे में सिफारिश की गई है। किन्तु, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। हमने सरकार में एक आम सहमति तैयार की है जो संसद की स्थायी समिति में भी देखी गई थी। मैं सभा को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब बीमा व्यवसाय को प्रतिस्पर्द्धा के लिए खोला जा रहा था तो हमारे मन में तरह–तरह की आशंकाएं थीं। उस समय भी यह आशंका जताई गई कि देश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निगमों आदि की पाश्चात्य शक्तियों का गुलाम हो जाएगा।

ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया जाएगा। मैं इस सभा में एक बार फिर कहना चाहता हूं कि उस मौके या किसी अन्य मौके पर मैंने जो कुछ भी कहा है वह यह कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास विश्व का मुकाबला करने का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर होगा। कैसा राष्ट्र होगा भारत कि वह इस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में विदेशियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर या प्रतिस्पर्द्धा के डर से भाग खड़ा होगा? हम प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने में सक्षम हैं। हम अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम हैं। हमारे पास सबसे अच्छी प्रतिभाएं हैं। मैं जानता हूं कि हमारे बीमा कर्मचारियों को जब विदेशों में जहां बीमा के क्षेत्र में हमारी भागीदारी है, प्रशिक्षण ओर प्रबोधन के लिए भेजा गया, तो वे इतने अच्छे पाए गए कि वहां की कम्पनियों ने उन्हें वहीं रख लेने की इच्छा जाहिर की। यदि वे अमेरिका जाते, तो वहां यही कहा जाता : "कृपया इन लोगों को यहीं रहने दिया जाए क्योंकि हम इन्हें चाहते हैं।" यदि हम उनको यूरोप भेजते, तो वहां भी कहा जाता : "कृपया इन्हें यहीं छोड़ दिया जाए क्योंकि हम इन्हें यहीं रखना चाहते हैं।" इस देश में इस तरह की प्रतिभाएं हैं और इन्हीं प्रतिभाओं की वजह से भारत को कोई दबा नहीं सकता है। कोई इस तरह की शर्त नहीं लगा सकता जिससे कि हम अपने आपको अभाव की स्थिति में पाएंगे। अतः मैं जोर देकर यह सिफारिश करना चाहता हूं कि हमारे पास आशंका का कोई कारण नहीं है। हमारे पास प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने की क्षमता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिस्पर्द्धा से मुकाबला करने की क्षमता है। जब हम इस विधान को लागू कर रहे हैं और नियम बना रहे हैं, तो हम उन सभी आशंकाओं का ध्यान रखेंगे जिनकी संभावनाएं इस सभा में व्यक्त की गई हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा की जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र फले–फूलेगा और जो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय में लगे हुए हैं उनकी भी पूरी सुरक्षा की जाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचे...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस पूरे संदर्भ में बिचौलियों की क्या जवाबदेही होगी?

श्री यशवंत सिन्हा : वे पूरी तरह से आईआरडीए से विनियमित होंगे। वे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इंश्युरेंस रेग्युलेटैरि एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल : मैंने धारा 64 (पांच ख) के अंतर्गत के प्रावधान के बारे में पूछा था कि बीमा कम्पनियों द्वारा जोखिम उठाने के पहले की प्रीमियम की प्राप्ति के बाद उत्तरोत्तर प्रीमियम की उगाही दलाल ही करेगा।

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं, मैंने अभी–अभी स्पष्ट किया है कि प्रीमियम की उगाही दलाल नहीं करेगा। मैंने कहा है कि प्रीमियम दलाल नहीं जमा करेगा। वे दावों का निपटारा नहीं करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : क्या उन्हें लिखित रूप में भी नहीं दिया जाएगा?

श्री यशवंत सिन्हा : वे केवल बीमा कम्पनियों के साथ काम करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल : क्या यह धारा 64 (पांच ख) का उल्लंघन नहीं है?

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं, ऐसा नहीं है। यदि यह धारा 64 (पांच ख) का उल्लंघन होता तो स्थायी समिति में ऐसा कुछ कहा गया होता?

श्री रूपचन्द पाल : मैं इस बारे में आपका विचार जानना चाह रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह धारा 64 (पांच ख) का उल्लंघन है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं ऐसा नहीं मानता हूं... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई बिचौलिया किसी एक ही बीमा कम्पनी से संबद्ध होगा या कई अन्य कम्पनियों से?

श्री यशवंत सिन्हा : वह किसी एक बीमा कम्पनी का एजेंट नहीं होता है। जैसा कि मैंने इस सभा में स्पष्ट करने की कोशिश की है, बिचौलियों का काम बीमा पॉलिसी चाहने वाले व्यक्ति को बेहतर योजना उपलब्ध कराना है। मैंने इसे सभा में स्पष्ट रूप से कहा है। मान लीजिए कि मैं साधारण बीमा में इच्छुक हूं और मुझे किसी व्यवसाय का बीमा कराना है। मैं चाहता हूं कि यह व्यवसाय अमुक तरीके से बीमाकृत हो, उसमें अमुक तरह की जोखिम हो, अमुक वर्षों के लिए हो, आदि–आदि। तो, इसके लिए मैं किसी विशेष योजना की तलाश में होता हूं। मैं बिचौलिए के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि इस तरह की मेरी आवश्यकता है और कहूंगा कि क्या वह मेरे लिए किसी ऐसी बीमा कम्पनी का पता लगाएगा जो मुझे अधिक से अधिक प्रतिस्पर्द्धी दर पर इस तरह की योजना प्रदान करेगी। फिर, वह बिचौलिया इस बात का पता लगाएगा कि इस तरह की योजना है भी या नहीं। यदि इस तरह की योजना उपलब्ध नहीं है, तो वह फिर मेरे जैसे विशेष ग्राहक के लिए इस तरह की विशेष योजना बनाने के लिए बीमा कम्पनियों से बात कर सकता है।

श्री रूपचन्द पाल : आप सलाहकार और विपणन के बारे में बोल रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : यह बिलकुल वही है जो मैंने बताने की कोशिश की है। इस समय यह काम बीमा कम्पनियों के लिए एजेंट कर रहा है। वह किसके प्रति जवाबदेह होता है? एजेंट कम्पनी के प्रति निष्ठावान होता है। यह बिचौलिया ग्राहक के प्रति निष्ठावान होगा... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगी।

खंड 2 धारा 2 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 8,

"2001" *के स्थान पर*

"2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (3)

(श्री यशवंत सिन्हा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 धारा 2ग का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 28,

"2001" *के स्थान पर*

"2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (4)

(श्री यशवंत सिन्हा)

सभापित महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 10 धारा 42क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 28,

"2001" *के स्थान पर*

"2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (5)

(श्री यशवंत सिन्हा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 18 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,

"2001" *के स्थान पर*

"2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्री यशवंत सिन्हा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"बावनवे" *के स्थान पर*

"तिरेपनवे" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(श्री यशवंत सिन्हा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.49 बजे

(दो) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1954 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

यह बहुत छोटा सा संशोधन है। सदन अवगत है कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के द्वारा दिनांक 14.9.2001 को चार वर्ष की सदस्यता वाले पूर्व संसद सदस्यों की न्यूनतम वेतन की राशि को 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया था। पर उसमें पूर्व संसद सदस्यों की दो श्रेणियां रह गई थीं। एक श्रेणी वह थी, जिसमें लोक सभा की दो अवधि होने के बाद भी जिन संसद सदस्यों के चार वर्ष पूरे नहीं हो पाए थे और दूसरी श्रेणी थी अंतरिम संसद के सदस्यों की, जिनको 2500 रुपये मिलते थे, उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे, उनकी राशि 3000 रुपये कर दिया जाए।

मेरा सदन से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को आगे बिना बहस के पारित करने की अनुमति प्रदान करें। अगर इसमें कोई सुझाव होगा, तो जब कभी बड़ा बिल आएगा, उसमें इसका समावेश किया जा सकता है, तो वह तय किया जाएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है, मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूं और अपील करता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हम सभी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन, यदि किसी विधेयक को विभिन्न खंडों में लाया जाए तो हमेशा गलत संदेश जाता है। सरकार हर बार वेतन और भत्तों के संबंध में कोई विधेयक लाती है। मीडिया को यह संदेश जाता है कि संसद सदस्यों को सब कुछ मिल रहा है, जो उचित नहीं है। सरकार को मंत्रालय के माध्यम से जनता को एक व्यापक वक्तव्य देना चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि भारत में संसद सदस्यों को मिलने वाले लाभ विश्व के अन्य देशों के संसद सदस्यों की तुलना में बहुत कम हैं। हम किस प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम लाखों-करोड़ों ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी तुलना विश्व के अन्य लोगों से की जा सकती है। हमारा काम जोखिम भरा है। विश्व में कोई भी संसद सदस्य 10 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब सरकार खंडों में इस प्रकार के विधेयक लाती है तो समाचार पत्र लोगों के दिमाग में इस प्रकार की छवि बना देते हैं कि हमें कुछ और मिल रहा है। आप भगवान के लिए एक बार में ही एक समग्र विधेयक लाइए और जनता को युक्तिसंगत जवाब दीजिए। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक समग्र विधेयक लाए और जनता को यह संदेश दे कि सरकार क्या दे रही है और क्या नहीं दे रही है। अन्यथा, सदन के बाहर अनावश्यक रूप से हमारी आलोचना होगी। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनता को यह बताते हुए एक समग्र विधेयक लाएं कि वह विधेयक अंतरिम संसद के सदस्यों के लिए है जो वृद्ध हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं। सरकार सभी चीजों को शामिल करते हुए एक समग्र विधेयक क्यों नहीं लाती? मेरा यही कहना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : जब पहले वेतन और भत्ते बढ़ाने संबंधी विधेयक लाया गया था, तो मैं ही एकमात्र सदस्य था जिसने इसका विरोध किया था और इसका कारण यही था कि इसकी जनता में कटु आलोचना होगी। सरकार रोजाना एक के बाद एक संशोधन ला रही है। यदि सरकार को वर्तमान स्थिति का स्पष्ट बोध है तो एक समग्र संशोधन लाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय, आपने ऐसा नहीं किया है। आप जनता की नजरों में संसद सदस्यों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आप 500 रुपये, 3000 रुपये ओर ऐसी ही राशि बढ़ाने के लिए टुकड़ों में संशोधन लाते हैं। इसका जनता में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसा न करें। कृपया स्थिति का आकलन करें।...*(व्यवधान)*

अब यह विधेयक भी दोषयुक्त है। कुछ ऐसे पूर्व-सांसद हैं जिन्होंने तीन वर्ष या इससे अधिक समय पूरा किया है। उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि बहुत से सदस्य तीन वर्ष से अधिक समय तक सदस्य रहे हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी ओर, एक संसद सदस्य केवल इसलिए पेंशन पाने का हकदार हो जाता है कि वह दो बार सदन का सदस्य रहा है, फिर चाहे वह चार वर्ष की अवधि के लिए भी सदस्य न रहा हो। यह भी एक खामी है। इसलिए, मंत्री महोदय, आपको विचार करना चाहिए। आपको सदस्यता वर्षों की संख्या घटाकर दो या तीन करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मुद्दा यह है कि अस्थायी संसद सदस्यों को भी पेंशन मिले। आप इस मद पर खर्चा करें।

आप ऐसा क्यों नहीं करते? जो सदस्य चार वर्ष पूरा नहीं कर पाए हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। इसमें उनका कोई दोष नहीं है...*(व्यवधान)* कुछ सदस्य केवल इसलिए चार वर्ष

पूरे नहीं कर पाए कि सभा समय से पूर्व ही भंग कर दी गई। क्या यह उनका दोष है?

अतः वे संसद सदस्य जो तीन वर्ष 9 महीने या 10 महीने तक सदस्य रहे हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिलती। इसलिए, सरकार को उनके मामले पर भी विचार करना चाहिए, एक व्यापक अध्ययन करना चाहिए और एक समग्र विधेयक लाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति जी, यह बिल 14.9.2001 में जब सदन में आया था और उस समय इस पर चर्चा भी हुई थी। सरकार का पीस मील लेजिस्लेशन में बिल लाने का कोई इरादा नहीं है लेकिन उस समय थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी, जैसे अंतरिम संसद के करीब 20 सदस्य हैं, वे इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। उनकी 2500 की राशि बनी रही और वह नहीं बढ़ पाई। ऐसे ही जिनके दो कार्यकाल होने के बाद भी चार वर्ष नहीं हुए थे, ऐसे ही थोड़े से संसद सदस्यों के लिए इसमें सम्मिलित किया गया। हम मुंशी जी और राधाकृष्णन जी की बात से सहमत हैं कि पीस मील लेजिस्लेशन में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जो भी इस पर विचार होगा, जो हमारी सम्मति है और जो भी फैसले होते हैं, उसके अनुसार किया जाएगा। यह बात हम भी समझते हैं कि इसमें है तो कुछ भी नहीं लेकिन अखबार में ऐसे निकलेगा जैसे पता नहीं कि हम लोगों ने क्या फैसला लिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब इस बात से परिचित और सहमत भी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस त्रुटि को दूर करके संशोधन के माध्यम से, हम आप सबकी सहमति से इसे पारित कराएं और बाद में जब भी लाएंगे तो बिना उसके नहीं लाया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य, वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.57 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश—जारी

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसरण में, 14 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (तिरानवेवां) संशोधन, विधेयक, 2001 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया है :

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "बावनवें" शब्द *के स्थान पर* "तिरपनवें" *प्रतिस्थापन* किया जाए।

खंड 1

2. प्रष्ठ 1, पंक्ति 2, "2001" के *स्थान* पर "2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

अतः, मैं राज्य सभा प्रक्रिया और कार्य–संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में, इस विधेयक को लौटाता हूं और अनुरोध करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 368 के साथ पठित उक्त नियम के अनुसरण में, लोक सभा इन संशोधनों से सहमत हो।

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए संविधान (तिरानवेवां) संशोधन विधेयक, को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 3.59 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक–पारित

(तीन) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद सं. 17 पर विचार आरम्भ करेंगे। श्रीमती सुषमा स्वराज।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इन मामलों पर बात करके मंत्री जी के काम में दखल नहीं देना चाहता।

सभापति महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया नियम का उल्लेख कीजिए। किस नियम के अंतर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि मुझे ठीक से स्मरण है तो नियम 74 के अंतर्गत।

सभापति महोदय : नियम 74 में तो विधेयक के पुरःस्थापन के पश्चात् के प्रस्तावों की बात की गई है। यह इसके लिए ठीक नियम नहीं है, इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : कृपया नियम 74 का परन्तुक पढ़िए। उसमें इस चरण में प्रस्ताव पर आपत्ति करने के सदस्य के अधिकार का उल्लेख है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने नियम पढ़ा है। यह पुरःस्थापन का प्रक्रम नहीं है। यह विचार करने का प्रक्रम है।

अपराह्न 4.00 बजे

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : ईश्वर के लिए, कृपया आप नियम 74 को देखिए तो !

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : चलिए, इन्होंने ईश्वर में विश्वास तो किया।

सभापति महोदय : नियम 74 'विधेयक के पुरःस्थापन के पश्चात् रखा गया प्रस्ताव' से संबंधित है, न कि इस स्थिति में विद्यमान विधेयक से।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, आप उस नियम का अंतिम भाग पढ़िए। सदस्यों को दो दिन का समय दिया गया है। विधेयक कल पुरःस्थापित किया गया था। हमने सभा रात्रि 8 बजे समाप्त की थी। इस विधेयक को पढ़ने का समय नहीं मिल पाया। यह सदस्य का अधिकार बनता है।

सभापति महोदय : विधेयक पुरःस्थापित हो चुका है।

वरकला राधाकृष्णन : मैं इसके पुरःस्थापन का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इस विधेयक पर विचार किए जाने का विरोध कर रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरा विचार है कि यह माननीय सदस्य कल सभा में उपस्थित नहीं थे। जब

माननीय मंत्री ने सभा की राय मांगी थी कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए अथवा नहीं। मेरा विचार है कि सभा ने इस पर सहमति दी थी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी, हां।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : हमारे पास प्रतियां हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बंसल, नियम में कहा गया है कि :

"...यदि प्रस्ताव किए जाने की अनुमति न दे।"...

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं तो केवल उसका उल्लेख भर कर रहा हूं। फिर भी, सरकार की मनमानी के चलते सदस्य के अधिकार को तो कम नहीं किया जा सकता ! सरकार को इस सभा में बनाए जाने वाले कानून का भलीभांति अंदाजा करना चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को खारिज कर दिया है। आप यदि कुछ कहना चाहें तो अपनी बारी आने पर कह सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा का समय खराब मत कीजिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस विधेयक के महत्व को स्वीकार करते हुए इस विधेयक पर तुरन्त चर्चा की अनुमति प्रदान की। मैं माननीय सदस्य, श्री वरकला राधाकृष्णन से कहना चाहूंगी, जैसा श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने भी कहा, कल वे सदन में उपस्थित नहीं थे, यह बिल आज सर्क्युलेट नहीं हुआ, कल ही सर्क्युलेट हो गया था। मैंने खास तौर से इन्ट्रोडक्शन के समय यह अनुमति मांगी थी कि इस बिल पर तुरन्त चर्चा की अनुमति सदन दे। मैं इस सदन की आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने यह अनुमति मुझे दी।

महोदय, इस विधेयक के जरिए हम एक छोटा सा संशोधन केबल एक्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं। संशोधन छोटा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रासंगिक तथा सामयिक भी है। जिस समय केबल इन्डस्ट्रीज की शुरूआत हुई, उस समय लगभग सभी चैनल्स फ्री–टू–एयर चैनल थे। इसलिए केबल आपरेटर्स एक निश्चित राशि पर अपनी सर्विसेज लोगों के घरों में उपलब्ध करा रहे थे। यह राशि शहरवार अलग–अलग थी और एक ही शहर में इलाकेवार भी अलग–अलग थी, लेकिन एकमुश्त थी। हर महीने वे इन पैसों की उगाही करते थे, लेकिन धीरे–धीरे ब्राड–कास्टर्स ने अपने चैनल्स को पे–चैनल्स में बदलना शुरू किया। पे–चैनल का मतलब है, उस चैनल के लिए अतिरिक्त पैसा उपभोक्ता को देना होगा, तभी वह चैनल अपने घर में देख सकेगा। यह पैसा केबल आपरेटरों ने उपभोक्ताओं से वसूल करना शुरू किया। धीरे–धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और ज्यादा से ज्यादा चैनल्स फ्री–टू–एयर चैनल्स से पे–चैनल में बदलते गए। उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा। यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। उपभोक्ताओं में त्राहि–त्राहि मच गई। शायद किसी भी एक राजनीतिक दल के सांसद ऐसे नहीं होंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत मुझसे न की हो। दोनों सदनों में इससे संबंधित प्रश्न उठाए गए और इस संबंध में कई तरह के सम्पादकीय भी छपे। अखबारों में खबरें आईं कि क्या सरकार असहाय है, सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करती। इसके बाद सरकार ने केबल आपरेटरों की एक मीटिंग बुलाई। केबल आपरेटरों ने बताया कि जब ब्रोडकास्टर पे चैनल करते हैं तो वह पैसा अगर हम उपभोक्ता से न वसूलें तो कहां से दें। हम अपनी जेब से वह पैसा दे नहीं सकते, इसलिए हमें जबरन वसूली करनी पड़ती है, क्योंकि हम इस पैसे को वसूलने और आगे ब्रोडकास्टरों को देने के लिए मजबूर हैं। फिर हमने ब्रोडकास्टरों को बुलाया, उनसे बात की। उन्होंने अपनी अलग से शिकायत रखी। उन्होंने कहा कि केबल आपरेटर अपनी उपभोक्ता संख्या को अंडर रिपोर्टिंग करता है, यानी अगर एक केबल वाला

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

एक हजार घरों में केबल की सर्विस देता है तो वह हमें बताता है कि वह 200 घरों में ही देता है। इसलिए हमें अपना ही उचित पैसा नहीं मिल रहा, हम अंडर रिपोर्टिंग का क्या करें। तब हमें लगा कि यह समस्या तीन तरफा है। उपभोक्ता शिकायत करता है कि केबल आपरेटर मनमानी से पैसा बढ़ाकर उसका शोषण करता है, केबल आपरेटर शिकायत करता है कि ब्रोडकास्टर पे–चैनल का पैसा बढ़ाकर अपने फ्री टू एड चैनल को पे में बदल कर उससे जबरदस्ती वसूली करवाने पर बाध्य और मजबूर करता है और ब्रोडकास्टर शिकायत करता है कि केबल आपरेटर अंडर रिपोर्टिंग करके उसके उचित पैसे से उसे वंचित रखता है। तब हमें लगा कि ये तीनों एक–दूसरे पर दोष देकर बरी हो रहे हैं, यानी केबल आपरेटर और ब्रोडकास्टर एक–दूसरे को शोषक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और स्वयं को शोषित बताते हैं। लेकिन सत्यता यह है कि इन तीनों के टकराव में उपभोक्ता का शोषण हो रहा है और उसे दोहरी मार पड़ रही है। उसे न कोई विकल्प उपलब्ध है कि वह जो चैनल देखना चाहे, केवल वही देखे और न उसे यह सुविधा उपलब्ध है कि जिन चैनलों को देखे, केवल उन्हीं का पैसा दे। उस पर अनचाहे चैनल थोपे जा रहे हैं और उन चैनलों का पैसा भी वसूल किया जा रहा है। वह दोहरे अन्याय का शिकार हो रहा है।

महोदय, हमने एक टास्क फोर्स गठित की, जिसमें हमने इन तीनों के प्रतिनिधि रखे। उपभोक्ता, केबल आपरेटर और ब्रोडकास्टरों के प्रतिनिधि लिए और एक मास्टर सर्विस आपरेटर होते हैं, उनके भी प्रतिनिधि लिए। मनोरंजन के अधिकारी भी रखे। हमने उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी भी रखे। मैं आज इस सदन में उस टास्क फोर्स को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत सराहनीय और जल्दी काम किया। सितम्बर, 2001 में टास्क फोर्स का गठन हुआ और तीन–तीन महीने में लगातार एक–एक मीटिंग करके बहुत विस्तृत अध्ययन करने के बाद, बहुत गहराई से इस पर चिंतन करने और चर्चा करने के बाद उन्होंने हमें अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में से यह उभरकर आया कि अगर सरकार सीएएस, यानी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम लागू करे तो इन तीनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमने देखा कि सीएएस लागू करने के लिए हमारे पास अधिकार हैं, लेकिन वे अधिकार हमारे पास किसी अधिनियम में नहीं थे, इसलिए हमें वे अधिकार देते नहीं थे। इसलिए इस विधेयक में मैं संशोधन ला रही हूं ताकि सरकार को यह अधिकार मिल जाएं कि सरकार सीएएस लागू कर सके।

अब यह अधिकार लेकर हम करेंगे क्या और सीएएस सिस्टम होता क्या है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को संक्षेप में बता दूं कि हम इसमें सीमित हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, लेकिन वह हस्तक्षेप केबल का पूरा परिदृश्य बदल देगा। इसमें हम एक तरफ यह करने जा रहे हैं कि जो मनोरंजन की बुनियादी जरूरत है, वह हर केबल आपरेटर, हर उपभोक्ता को उचित दर पर मुहैया कराएं। जहां तक पे–चैनल का संबंध है, उसका घर में एक बक्सा लगाकर यह तय किया जाए, केबल आपरेटर उससे जाकर पूछे कि आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से चैनल देखना चाहते हैं, वे ही सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और वह जो देख रहा है, केवल उसका पैसा उससे वसूला जाए। इस तरह का अधिकार, इसके बाद एक अधिसूचना जारी करके लिया जाएगा। पहला यह कि बुनियादी मनोरंजन उचित दर पर उपभोक्ता को मुहैया हो और पे–चैनल में हर व्यक्ति तय करे कि वह अपने घर में क्या देखना चाहता है, अपनी रुचि के मुताबिक उसे देखे और उन्हीं का पैसा उससे वसूला जाए। इस तरह से इन तीनों समस्याओं का समाधान होगा। तब उपभोक्ता शोषण से बचेगा, ये सारा बोझ उसकी जेब पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी मर्जी से देखेगा। उस पर व्यर्थ का बोझ नहीं पड़ेगा। केबल आपरेटर का समाधान यह होगा कि ब्रोडकास्टर जबरदस्ती वसूली करने पर जो उसे मजबूर करता था, इस कारण से वह बदनाम होता था, वह इस बदनामी से बचेगा। ब्रोडकास्टर का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि व्यवस्था इतनी पारदर्शी हो जाएगी कि जो वह कहता था कि केबल आपरेटर अंडर रिपोर्टिंग करता है, वह चाहे तो भी अंडर रिपोर्टिंग नहीं कर सकेगा--इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकेला यह संशोधन इन तीनों समस्याओं का सार्थक समाधान प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि संशोधन छोटा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस बिल को पास करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम,

1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी नहीं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : जब आप अपनी बात कहें तब स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

अपराह्न 4.10 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, बाजार की अर्थव्यवस्था में सदैव मांग और पूर्ति की संक्रियाएं चलती रहती हैं। विकसित समाज में तो यह बात सही लगती है और स्वीकार्य भी है। लेकिन हमारे जैसे विकासशील समाज में, चूंकि हम विगत 50 वर्षों से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यह न केवल वांछनीय बल्कि अपरिहार्य भी है कि सरकार सार्वजनिक हित से जुड़े कतिपय महत्वपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप करे और विभिन्न सेवाप्रदाताओं–चाहे वे बड़े–बड़े औद्योगिक घराने हों या बहुराष्ट्रीय कंपनियां–द्वारा जनता के शोषण को रोके।

हाल में सरकार अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण में ही उलझी रही है और इस काम में उसने जनहित की रक्षा करने के अपने महत्वपूर्ण कार्यों का त्याग कर दिया है। यह उद्देश्य से भटकने वाली बात है। इस मामले में एक उपयुक्त उदाहरण होगा–महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी। इस दृष्टि से यह विधेयक–जिसे मैं इस सरकार की वर्तमान नीतियों से हटकर परिकल्पित किए गए एक विधेयक के रूप में मान रहा हूं–स्वागत योग्य है। मुझे यह शुरू में ही कह देना चाहिए था, क्योंकि इस विधेयक में केबल टेलीविजन कनेक्शनों की प्रयोक्ता–दरों पर नियंत्रण रखने की बात की गई है। जैसा कि माननीय मंत्री ने भी कहा, कुछ समय से केबल–आपरेटर विभिन्न पे–चैनलों के प्रसारणकर्ताओं को अधिक शुल्क चुकाने पर बाध्य हैं और इससे उपभोक्ताओं के लिए वह कीमत बढ़ती जा रही है। यह उनके नियंत्रण से बाहर की बात थी, उपभोक्ताओं के लिए भी इसका कोई समाधान नहीं था–क्योंकि उनके पास तो कोई चारा ही नहीं बचता। उन्हें तो वही शुल्क देने की विवशता थी, जिसके लिए उनसे कहा गया।

आने वाले दिनों में पे–चैनलों की संख्या बढ़ेगी और यह समस्या और घनीभूत होती जाएगी, उपभोक्ता के लिए तो बहुत भारी पड़ेगी–क्योंकि उसे उन सभी चैनलों–हो सकता है कि लगभग 100 के करीब–के लिए पैसा देना पड़ेगा, जिनमें से वह कई को तो देखना ही नहीं चाहता हो अथवा, कइयों तक तो संभवतया उसकी पहुंच ही न बने। इस तरह सभी चैनलों के लिए वह अत्यधिक मूल्य चुकाता रहेगा। साफ सी बात है, देश भर के विभिन्न उपभोक्ता संगठनों की यह मांग है कि सरकार इस मामले में कोई निर्णयकारी कार्रवाई करे और केबल–ऑपरेटरों तथा प्रसारणकर्त्ताओं के बीच पनपती अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए तथा प्रयोक्ता–शुल्क को विनियमित करे।

इसकी आवश्यकता से आश्वस्त होने के पश्चात् मैं समझता हूं कि सरकार के लिए आदर्श मार्ग यह था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने का कानूनी प्राधिकार प्राप्त करती और सदस्यता शुल्क को नियमित करने हेतु कदम उठाती। मैं पुनः कहूंगा कि उस सीमा तक इस विधेयक के प्रावधानों का समर्थन किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, माननीय मंत्री महोदया, संभवतः इस समस्या का समाधान करने के लिए उत्सुक थीं क्योंकि चाहे वह परामर्शदात्री समिति में हो अथवा स्थायी समिति अथवा कुछ और, हम सभी उन पर दबाव डाल रहे थे। लेकिन मैं नहीं जानता कि वास्तव में कारण क्या था। वह ऐसा एक छोटा सा कदम क्यों उठाना चाहती थीं जिसे वह एक महत्वपूर्ण कदम समझती हैं, उसे उठाने में क्यों डेढ़ वर्ष लग गए? क्या यह इतना मुश्किल था? सरकार को क्या समस्या थी? क्या सरकार ने लोगों की समस्या महसूस नहीं की?

इस कदम को उठाने में सरकार को इतना अधिक समय क्यों लगा है? आज ऐसे समय में जब हमारे पास अभिसारिता विधेयक है, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियामक) अधिनियम को निरस्त कर देगा। हम निश्चित रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं। इसके बावजूद, हम इससे सहमत हैं लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि इस विलंब का वास्तविक कारण क्या था? सरकार ने समय पर कार्य क्यों नहीं किया? मैं तो यह कहूंगा कि यह कदम विलंब से उठाया गया है और इससे लोगों को बहुत अधिक नहीं मिला है। मैं इस संबंध में संक्षेप में कहना चाहूंगा।

[श्री पवन कुमार बंसल]

मैं यह फिर कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने मुक्त चैनलों और भुगतान चैनलों के बीच भेद करके अच्छा कार्य किया है। जैसा कि वह कहती हैं, अब उपभोक्तओं को बहुत कम मूल्य पर शिक्षा, मनोरंजन, सूचना, खेलकूल इत्यादि संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले मुक्त चैनलों का एक गुलदस्ता मिल जाएगा। यद्यपि इस अधिनियम में सरकार को केवल अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का ही अधिकार मिलता है। इसीलिए, हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदया इस सभा को विशेष सेवाओं के लिए अधिकतम मूल्य सीमा के संबंध में आश्वस्त करें। फिर भी मैं सहमत हूं कि समय-समय पर मूल्यों में संशोधन करना होगा और इसीलिए इस प्रकार की शक्ति आवश्यक है। अतः इस प्रावधान का समर्थन मैं व्यक्तिगत रूप से करूंगा।

जैसा कि मैंने कहा, मुक्त चैनलों और भुगतान चैनलों के बीच भेद करते समय, उन्होंने सभी भुगतान चैनलों को भी पृथक कर दिया है, यद्यपि मैं नहीं जानता कि 'पृथक्करण' शब्द का उपयोग सही है अथवा नहीं। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति एक अथवा दो अथवा बड़ी संख्या में पे-चैनल ले सकता है। ऐसी ही चीज की आवश्यकता थी। इससे किसी भी व्यक्ति को केवल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी जिसे वह लेना चाहेगा और केबल ऑपरेटर के माध्यम से उपलब्ध सभी चैनलों का भुगतान करने की बाध्यता से मुक्त होगा।

प्रत्येक चैनल के लिए दरें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त करना भी वांछनीय है। मैं पाता हूं कि यद्यपि इस विधेयक में यह प्रावधान है कि सरकार को मुक्त चैनलों के गुलदस्ते के लिए अधिकतम दरें निर्धारित करने का अधिकार है तथापि हमें इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नजर नहीं आता जो सरकार को भुगतान चैनलों की दरें निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता हो। इसी संबंध में मैंने आरम्भ में संदेह प्रकट किया था। एक बाजार प्रभावित अर्थव्यवस्था में जहां आप हरेक चीज प्रभावशाली व्यवसायियों पर छोड़ देते हैं, वे स्वयं ही दरें निर्धारित कर लेते हैं। अतः ऐसा प्रावधान कहां है जिससे वह यह सुनिश्चित करेंगी कि संपूर्ण परिवेश पर अपना प्रभुत्व जमाने वाला एक विशिष्ट चैनल इसके बावजूद कीमतें नहीं बढ़ाएगा? यदि आप मुझे यह उत्तर देना चाहती हैं कि चैनल लेना या न लेना उपभोक्ता पर निर्भर है तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं होगा क्योंकि यदि हम एक बार सरकार का हस्तक्षेप स्वीकार कर लेंगे तो हम यही चाहेंगे कि सरकार का हस्तक्षेप प्रभावी और लोगों के हित में हो। मुझे यहां इसी बात की कमी खल रही है।

मैं समझता हूं कि विधेयक में इस परिणामी प्रावधान से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें उपभोक्ता को यदि एक ओर लाभ मिलेगा तो दूसरी ओर उसे हानि होगी। में लागू किए जा रहे कंडीशनल एक्सेरसा सिस्टम से सहमत हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि यदि आपको मुक्त चैनलों और भुगतान चैनलों के बीच भेद स्थापित करना है तो आपकी 'एड्रेसेबल सिस्टम' कही जाने वाली प्रणाली को उपलब्ध कराना होगा और मैं यह मानता हूं कि यह ऐसी प्रणाली है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में 'सेट टॉप बॉक्स' कहते हैं। परिभाषा के अनुसार, हम इसे इस प्रकार समझेंगे-यह एक इलैक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेतों को भेजा जा सकता है जिसे उपभोक्ता के घर पर डिकोड किया जा सकता है। यह सब ठीक है लेकिन इसमें शंकाएं भी हैं। यहां मैं चाहूंगा कि माननीया मंत्री महोदया कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें। एक आम उपभोक्ता के लिए 'सेट टॉप बॉक्स' बहुत महंगे और नागवार हो सकते हैं, जिस कारण इस नये प्रावधान के लाभ से उपभोक्ता वंचित ही रह जाएगा। यदि सेट टॉप बॉक्स का मूल्य बहुत अधिक होगा तो इसका अर्थ होगा कि इसमें पूंजी निवेश करना पड़ेगा। संभवतः किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रतिमाह 200 रुपये अथवा 300 रुपये देना मुश्किल नहीं होगा लेकिन उसके लिए एक सेट टॉप बॉक्स का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हमें इस प्रकार की स्थिति का भी अंदाजा होना चाहिए। तो, क्या हम उपभोक्ता को वास्तव में कुछ दे रहे हैं अथवा नहीं? मैं माननीया मंत्री महोदया से इसी बात का आश्वासन प्राप्त करना चाहूंगा क्योंकि यद्यपि हम इस विधेयक में सरकार को मुक्त चैनलों के मूलभूत टीयर में अधिकतम शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देते हैं, तथापि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा सेट टॉप बॉक्स के विनिर्माता अथवा विक्रेता को हम इस बात के लिए बाध्य कर सकें कि वह मूल्यों को एक विशेष स्तर से ऊपर निर्धारित न कर सके और किसी भी स्थिति में उसे सरकार अथवा किसी सरकारी एजेंसी द्वारा मूल्यों को अनुमोदित कराना होगा। मैं इस विधेयक में इसी प्रकार का प्रावधान चाहता था जिसका मैं समझता हूं यहां अभाव है। इस उपकरण का खर्चा उठाना बहुत से लोगों के लिए वास्तव में बहुत मुश्किल हो सकता है।

इसी के साथ एक अन्य कारण भी जुड़ा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सभी पे–चैनलों का खर्चा उठा सकता है। तो मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत आप उस पर कर लगा रहे हैं। मुक्त चैनलों के लिए वह आपके द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करेगा, उसी मुक्त चैनलों के गुलदस्ते के लिए। इसके बाद वह सभी पे–चैनल लेना चाहेगा और उसे निश्चित रूप से उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में उन सभी चैनलों को भी उस सेट–टॉप–बॉक्स से गुजारना होगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सभी चैनल उपलब्ध हों, तो उसके लिए एक सेट–टॉप–बॉक्स लगाने की आवश्यकता ही क्यों हो? इसका अर्थ यह है कि उस स्थिति की अपेक्षा इस स्थिति में उसे अधिक भुगतान करना पड़ेगा। तो, आप उसे क्या लाभ प्रदान कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि लोगों को इससे मुक्त रखने का कोई प्रावधान होना चाहिए था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पवन कुमार बंसल जी, आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मुझे खेद है, क्या आप इसके लिए भी मुझे रोक रहे हैं। मैं थोड़ी देर में बैठ जाऊंगा। हम इस विधेयक के पारित किए जाने से सहमत थे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रत्येक विधेयक को जल्दी–जल्दी इस तरह पारित कराना चाहते हैं। यदि सरकार का यही रवैया रहा तो मुझे निश्चित रूप से बहुत बुरा लगेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगी कि आप इन्हें बोलने दीजिए। वे सारी बातें आनी चाहिए जिन पर इन्हें कहना है।

सभापति महोदय : आसन को इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि सारा सदन सहमत है। यदि सभी माननीय सदस्य जो बोलने वाले हों, अपने समय में से कुछ इन्हें दे सकते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : हम अपना समय कम कर लेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : हम इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंपना चाहते थे। हम कतिपय मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। सरकार की इच्छा का अनुसरण करते हुए हम इस विधेयक पर आज के दिन चर्चा करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसे आप पारित ही कर दें। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं बैठ जाना पसंद करूंगा। इस प्रकार का रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापित महोदय, इस बिल के लिए 2 घंटे का समय क्या काफी नहीं है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लगता है श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने बिल पढ़ा ही नहीं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है।

[अनुवाद]

महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करना सूची में शामिल नहीं था। कार्य मंत्रणा समिति ने कोई समय नियत नहीं किया था। स्वाभाविक है कि मैं नहीं कह सकता कि यह एक घंटे का समय था अथवा दो घंटे का। लेकिन कल सभा की यह इच्छा थी इसीलिए हम इस विधेयक को पारित करने के लिए सहमत हो गए। कोई समय आवंटित नहीं किया गया था इसीलिए मैं यह मानता हूं कि इस विधेयक के साथ न्याय करने की आवश्यकता है। माननीया मंत्री महोदया को कई अच्छे सुझाव दिए जाते हैं। यदि कोई माननीय सदस्य कोई अच्छा सुझाव देना चाहता है तो उसे सुझाव देने दें। चर्चा पूरी होने दीजिए और विधेयक को पारित होने दीजिए। हम यहां विधेयक को पारित करने के लिए बैठे हैं न कि उसका विरोध करने के लिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस समय विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को सेट–टॉप–बॉक्स का मूल्य नियंत्रित करने में समर्थ बनाता हो। मैं वास्तव में यह चाहूंगा कि माननीया मंत्री महोदया से सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि इन उपकरणों के निर्माताओं की मनमानी नहीं चलेगी ओर वे बेचारे दर्शकों की कीमत पर लाभ न उठाएं। यह एक वास्तविक चिंता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सताती है और जिसके संबंध में कुछ लोगों ने मुझसे बातचीत भी की थी। मैं माननीया मंत्री महोदया से यही चाहूंगा कि वह इस मुद्दे पर बोलें।

[श्री पवन कुमार बंसल]

महोदय, मैं अब इस विधेयक के एक या दो प्रावधानों पर बोलने जा रहा हूं। नई धारा–4 की प्रस्तावित उपधारा (8) को विधेयक में शामिल करने की मांग की गई थी, इसमें यह प्रावधान किया गया है और मैं उद्धृत करता हूं कि :

> "केबल ऑपरेटर किसी भी उपभोक्ता से केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नल प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के रिसीवर सेट लगाने की मांग नहीं करेगा।"

लेकिन एक एड्रेसेबल सिस्टम के मामले में एक ऐसा ही प्रावधान अर्थात् सेट–टॉप–बॉक्स गायब है। अब वह गारंटी कहां है कि इस सेट के एक विनिर्माता अथवा आयातक के लिए कोई बंधक बाजार नहीं होगा। मैं समझता हूं कि देश में तैंतीस मिलियन केबल लगे घर हैं। लोग इनकी सेवाएं प्राप्त करना चाहेंगे। यदि आप कुछ ऐसा लाभ दें तो केवल एक या दो भुगतान चैनलों को चुनकर और उनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद यह अधिक मितव्ययी साबित होगा।

संभवतः, मैं एक सेट–टॉप–बॉक्स खरीदना चाहूंगा लेकिन जैसा कि मुक्त बाजार में होता है, मुझे किसी भी प्रकार के सेट–टॉप–बॉक्स खरीदने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते कि वह प्रणाली के अनुरूप हो, जैसा कि अब दूरभाष उपकरणों के मामले में है। एक समय था जब दूरभाष विभाग आपके लिए दूरभाष उपकरण जारी कर रहा था। अब आप बाजार जाकर कोई सा भी उपकरण खरीद सकते हैं। यहां भी ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए। इसे मैं इस विधेयक में विशेष रूप से गायब पाता हूं। इस उप–धारा (8) में इस आशय के एक संशोधन का प्रावधान किया जाना चाहिए था।

यद्यपि मैं संघीय ढांचे में उपभोक्ता दरों आदि को नियंत्रित करने की सरकार की इच्छा का स्वागत करता हूं, तथापि एक ऐसा क्षेत्र है, जो काफी अस्पष्ट है। उसके आधार के संबंध में मेरा कोई विवाद नहीं है लेकिन यह काफी अव्यवहारिक साबित हो सकता है। इसके अनुसार दर निर्धारित करते समय केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों, शहरों, कस्बा और क्षेत्रों के लिए अलग–अलग धनराशि नियत कर सकती है। मान लीजिए मैं तमिलनाडु या कहीं और एक छोटे–से कस्बे या कहीं दूर–दराज के क्षेत्र में रहता हूं, सरकार या मंत्रालय का कोई अधिकारी उस कस्बे के नाम से भी परिचित नहीं होगा। क्या हर कस्बे के लिए अलग–अलग दर तय करेंगे? यह अधिकार किसी निचले स्तर के व्यक्ति को क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए? मैं केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों या जिलों के लिए विस्तृत मानदंड तय करने की बात समझ सकता हूं। उनका कहना है कि कहीं किसी छोटे कस्बे हेतु अलग दर निर्धारित की जानी चाहिए। इसके आधार के संबंध में मेरा कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या यह व्यावहारिक होगा? क्या केन्द्र सरकार ऐसा कर पाने में सक्षम होगी? इसलिए यह अधिकार किसी और को सौंप दिया जाना चाहिए।

कुछ समय पहले मैंने संचार अभिसारिता विधेयक के लागू होने के बाद केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के निरस्त हो जाने की संभावना बल्कि निश्चितता का उल्लेख किया था। ऐसा होगा और मुझे विश्वास है कि एक बार वर्तमान संशोधन के अंतर्गत कुछ निश्चित कदम उठाए जाते हैं तो उन्हें बाद में भी जारी रखा जाना चाहिए लेकिन मैं जल्दी से संचार अभिसारिता विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था। इन प्रावधानों का संचार अभिसारिता विधेयक में उल्लेख नहीं है और संभवतः इस संबंध में आपको कुछ और करना होगा। खंड 18 के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। यदि मैं संचार अभिसारिता विधेयक 2001 के खंड 18 के उपखंड 2 (iii) को उद्धृत करूं तो उसमें कहा गया है कि : उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग–

> (iii) "जहां भी आवश्यक समझा जाए, इस अधिनियम के उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समुचित टैरिफ और सेवाओं के लिए दरों को अवधारित करेगा।"

अतः मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि यद्यपि ये प्रावधान स्वागत योग्य हैं, तथापि मैंने विधेयक की कुछ कमियों का उल्लेख किया है लेकिन जब कभी कुछ महीनों बाद यह नया अभिसारिता अधिनियम लागू होगा, क्या इसके प्रावधान, वर्तमान स्थिति को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त होंगे या नये प्रावधानों के अंतर्गत क्या किया जाएगा? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदया, इस तथ्य पर विचार करें और अगर जरूरी हो तो यह सुनिश्चित करने हेतु समुचित कदम उठाएं कि इन प्रावधानों को विधेयक में पुनः शामिल किया जाए। इसे समिति के पास कैसे भेजा जाता है या समिति स्वयं इस पर कैसे विचार कर सकती है ये अलग–अलग प्रश्न हैं और जिसके ब्यौरे में मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बात

पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए अभी आप जो कुछ भी कहें, अंततः आयोग भी यही न कहे कि हमारे पास अधिकार नहीं हैं या तब कोई व्यक्ति इसे चुनौती न दे सके। मैं जानता हूं कि जब कभी भी यह अभिसारिता अधिनियम पारित होता है कुछ निश्चित अधिकार और कुछ निश्चित प्रावधान इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी जारी रहेंगे। लेकिन इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इतना कहने के बाद माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन के रूप में इस विधेयक के प्रावधानों को स्वीकार करते हुए मैं एक बार फिर कुछ समय पहले कही गई अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि इस विधयेक का कोई भी प्रावधान समाज के किसी भी वर्ग के लिए चाहे वे लोग जो भुगतान कर सकते हैं या वे लोग, जो भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, और किसी के लिए भी हानिकारक सिद्ध नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान, जो हम स्वीकार कर रहे हैं जिसे कानून में शामिल करने हेतु सहमति दे रहे हैं, चाहे थोड़े ही समय के लिए सही, यह लोगों के हित और लाभ की पूर्ति करता हुआ दिखे और लोगों की कीमत पर इससे किसी को लाभ नहीं उठाने दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक लाई हैं। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इस बिल का पुरजोर समर्थन करने का कारण यह है कि मैंने इसी सदन में 17.8.2001 को नियम 377 के अधीन सूचना के तहत जब यह मामला उठाया था तो उस समय मैं नहीं जानता था कि सरकार इतने विस्तार से इतनी जल्दी इस अधिनियम को लेकर आएगी। उस समय इस संदेश में जो कसबाई क्षेत्रों में, छोटे स्थानों पर जो केबल ऑपरेटर्स थे, उनकी समस्याएं थीं। मैंने मांग की थी कि क्या अमेरिका की तरह यहां पर एड्रेसेबल सिस्टम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सरकार जो बिल यहां पर लेकर आई है, उसमें इस बात को विस्तार से रखा है। दूसरी बात जो मैंने 2 मई, 2002 को प्रश्न संख्या 522 के पूरक प्रश्न के रूप में पूछी थी जो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी इसी सत्र में इस संशोधन को लाने वाले हैं। इसके लिए मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारे विद्वान सहयोगी, कांग्रेस के मित्र बंसल जी जो कि अधिवक्ता भी हैं, उनके भाषण को यदि देखें तो उन्होंने दोनों बातों की पुनरावृत्ति की है। यह बात साफ है कि जब मंत्री महोदया ने कहा कि यह बड़ा प्रासंगिक अवसर है और उन्होंने कहा कि यह विलंब हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों बातों में कोई तालमेल नहीं है। इस बात को कहते समय यह बात भी कही है कि कहीं न कहीं उपभोक्ता की बात का ध्यान नहीं रखा गया, उपभोक्ता उसमें सफर होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो संशोधन 4(क) है, उसके चौथे बिन्दु में स्पष्ट लिखा है कि :

> "यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकतम रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि कोई केबल ऑपरेटर उसके द्वारा दिए जाने वाले आधिकारिक सेवा पंक्ति में पारेषित कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए अभिदाता से मांगेगा।"

इसका साफ मतलब है कि जो उपभोक्ता है, उसके संरक्षण का जो अधिकार है, उस पर सरकार की पैनी नजर है। उसको उस बिन्दु में स्पष्ट किया गया है। दूसरी बात यह है कि हम जन–प्रतिनिधि ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे पूर्वांचल है या जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वास्तव में यहां प्रसारण की सुविधाएं नहीं हैं। कल मैं मांग करता हूं कि वहां पर दरें कम होनी चाहिए तो उस बात का उल्लेख उसी के नीचे 5 नंबर में स्पष्ट किया गया है कि :

> "राज्यों, नगरों, उपनगरों या क्षेत्रों के लिए भिन्न अधिकतम रकमें विनिर्दिष्ट कर सकेगी।"

यदि कोई मांग आती है, ऐसी समस्या आती है तो उसका समाधान भी स्पष्ट किया गया है। एक बात जरूर है कि जब कभी नेशनल चैनल की बात चलती थी, पे–चैनल की बात अभी लगातार समाज के सामने समस्या के रूप में आई है। आगे भी जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो हमें इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, लेकिन आज तक की परिस्थिति में यह संशोधन इस बात की गारंटी देता है कि यदि कोई उपभोक्ता पीड़ित है तो उसका संरक्षण कैसे होगा। इस बात का उसमें स्पष्ट उल्लेख है और उसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि यदि कोई उपभोक्ता वास्तव में किसी चैनल को नहीं देखना

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

चाहता तो उसके बाद किसी ग्रुप के रूप में, कोई पे–चैनल उस उपभोक्ता पर पूरी तरह से लादता है और उसका शुल्क पे करने की बात करता है तो उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि पूरी तरह से कैसे उसकी सूची जारी की जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निःशुल्क चैनल्स को 1–10 चैनल की श्रेणी में रखा जाएगा। यह गारंटी है, अन्यथा आप देखें कि जो भी केबल ऑपरेटर हमें कनैक्शन देता है, तो उसमें डीडी–1 या डीडी–2 देखें तो जो भी मनोरंजन के सीरियल, नेशनल चैनल पर आते हैं, वे इतने धुंधले दिखते हैं कि ऑटोमैटिक ही हम उसको बंद कर देते हैं। इस बात की गारंटी भी सरकार कहती है कि इसको सुनिश्चित करना होगा।

यह बहुत गंभीर मामला है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो–जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, उस पर इसलिए विचार करना जरूरी है क्योंकि आर्थिक और सांस्कृतिक, दोनों ही रूप से हम घाटे में रहे हैं। डेढ़ या दो वर्ष की अवधि है। हम इस बात का भी साहस नहीं जुटा पाते हैं कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया का विरोध करें क्योंकि उसके पे चैनल्स में समाचारों का भी उतना ही स्थान है। इसलिए हम उनके खिलाफ बोलने से कतराते हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि इस संशोधन अधिनियम को प्रस्तुत करने का यह बहुत उपयुक्त समय है और साहसिक कदम है। जिस एक्ट की बात माननीय बंसल जी ने कही है, उस संदर्भ में भी मैं इस अवसर को विधेयक के प्रस्तुतीकरण हेतु सामयिक और प्रासंगिक मानता हूं। जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, ऐसी स्थिति में गंभीर घटनाओं को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने का मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस तरफ भी श्री बंसल जी ने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने सही कहा है कि प्रिंट मीडिया के सामने प्रैस कौंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन इलैक्ट्रोनिक मीडिया, चाहे वह समाचार से जुड़ा हो, प्रैस से जुड़ा हो या मनोरंजन से जुड़ा हो, यदि कोई गलत जानकारी देने का प्रश्न आता है, तो उसका समाधान भी आज हमारे पास नहीं है।

महोदय, मैं बार–बार अपनी तरफ से, संगठन के माध्यम से कहता रहा हूं कि जैसे प्रसार भारती बोर्ड है, जब हमारे पास सरकारी चैनल की संख्या एक थी, चाहे वह रीजनल चैनल हो या मनोरंजन चैनल हो, तब प्रसार भारती बोर्ड की आवश्यकता थी, लेकिन आज सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हम सरकारी नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचाएं, भले ही ऐसा करने में हम व्यावसायिक दृष्टि से घाटे में रहें, लेकिन जन–अपेक्षाओं के अनुरूप जन समस्याओं का समाधान देने के लिए हमें अपनी योजनाओं को ईमानदारी और सच्चाई के साथ जनता तक पहुंचाने के लिए, ठोस और कारगर कदम उठाने पड़ेंगे।

महोदय, मैं मंत्री महोदया को इस संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे सार्थक कदम की तरफ और इन बातों को आगे बढ़ाने की तरफ यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब बात आती है कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया को आजादी दी जाए, लेकिन आज उसे ऐसी आजादी मिली हुई है कि हमें सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। इसीलिए शायद यह संशोधन आया है और इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, सैट–टॉप बॉक्स, जिसकी बात कही गई है, उसकी कीमत पर जरूर तर्क हो सकता है। केबल आपरेटर को रु. 300 प्रति माह की जगह यदि रु. 100 देने पड़ेंगे, तो हमें लगेगा कि रु. 200 की बचत हो गई, लेकिन यदि सैट–टॉप बॉक्स के रु. 3500 या रु. 4000 देने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता के ऊपर यह बोझ पड़ेगा। मेरा आग्रह है कि सरकार इन बातों की तरफ ध्यान दे। उपभोक्ता पर बोझ न पड़े इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। इस तरफ भी प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, इस विधेयक का एक उद्देश्य लाखों उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखना है। इस पर विविध मंचों पर चर्चा हो चुकी है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कुछ उपाय आवश्यक थे। मैं माननीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस आवश्यकता पर ध्यान दिया और विविध स्तरों पर चर्चा

के बाद उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। इस सीमा तक यह माननीया मंत्री महोदया की ओर से प्रशंसनीय प्रयास है। इस विधेयक के पक्ष में कई तर्क हैं। हम विधेयक के पक्ष में सभी तर्कों से अवगत हैं और माननीय मंत्री महोदया उन्हें सदन के पटल पर रख चुकी हैं।

आप जानते हैं कि केबल आपरेटरों द्वारा केबल शुल्क में लगातार की जा रही वृद्धि हर जगह चिंता का विषय बन गई है। इसकी शुरूआत 30 से 40 रुपये से हुई और अब देश के शहरों में यह 300 या 350 रुपये पहुंच गया है और आशंका है कि महानगरों में जल्दी ही यह 500 रुपये तक पहुंच जाएगा। इस तरह यह मनोरंजन उद्योग और इस सुविधा के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या है। अतः यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी समस्या इस सुविधा के लिए प्रसारणकर्त्ताओं द्वारा मनमानी दरें तय करना है।

यह भी चिंता की बात थी। इस विधेयक में इसे नियंत्रित करने हेतु कुछ निश्चित प्रावधान हैं। इस पर ध्यान देने के लिए माननीया मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं लेकिन कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिया जाना शेष है और कुछ संदेह हैं जिनका निराकरण किया जाना शेष है। विधेयक में उपभोक्ता दरें नियत करने का एक प्रावधान है। श्री बंसल ने इसका उल्लेख किया है। मैं इस संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उपभोक्ता दरें तय करने का मापदंड क्या हो? हमारे यहां शहरी क्षेत्र हैं, महानगर हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं। अलग–अलग प्रकार के उपभोक्ताओं वाले अलग–अलग क्षेत्र हैं। उपभोक्ताओं दरों को तय करने का मापदंड क्या हो? यह बहुत पारदर्शी होना चाहिए और मनमाने तरीके से तय नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे यहां सरकार द्वारा मनमानी कार्रवाई असामान्य बात नहीं है। कई अवसरों पर सरकार मनमाने निर्णय लेती है, जो लोगों के हितों के विरुद्ध होते हैं। इस संबंध में सावधानी की जरूरत है। इसलिए मापदंड क्या हों? यह बहुत पारदर्शी और उचित होने चाहिए और आम उपभोक्ता पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। यह ऐसी बात है, जिसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।

दूसरी बात आवश्यक नियंत्रण के संबंध में है। बाध्यकारी प्रावधान हमेशा स्वायत्तता की भावना के विरुद्ध होते हैं, हम हमेशा मीडिया की स्वायत्तता के पक्ष में रहे हैं। जब बाध्यकारी प्रावधान सामने आते हैं, तो यह स्वायत्तता की भावना के विरोधाभासी हो जाते हैं। सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि बाध्यकारी प्रावधानों द्वारा मीडिया की स्वायत्तता का अतिक्रमण नहीं होगा। यह भी चिंता का विषय है, जिसे माननीय मंत्री महोदया को स्पष्ट करना चाहिए।

तीसरा विषय सरकार द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण के संबंध में है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में हमेशा नियंत्रण द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना रहती है क्योंकि नियंत्रक मनुष्य होता है और वह कई बार राष्ट्रीय हितों की बजाय व्यक्तिगत या किसी समूह विशेष के हितों से प्रभावित हो जाता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह हम देख चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह नियंत्रण कतिपय कार्यक्रमों संबंधी सामग्री को घटाने या बढ़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाएगा। नियंत्रण करने वाले येा निर्णय करने वाले अगर कतिपय सामग्री का प्रसारण न चाहें तो वे इसे नियंत्रित कर सकते हैं। वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। हमने पहले भी ऐसा होते हुए देखा है। हमने देखा है कि उस एपीसोड के सार्वजनिक होने के बाद तहलका के लोगों को किस तरह सजा दी गई, शंकर शर्मा को कैसे परेशान किया जा रहा है और कैसे उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने कुछ चीजों का पर्दाफाश किया। इस तरह के नियंत्रण से हमेशा खतरा रहता है। अगर वे इस बाध्यकारी प्रावधानों को ला रहे हैं और ऐसे नियंत्रण का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसका किसी भी प्रकार दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम देख चुके हैं कि गुजरात की वास्तविकता का स्पष्ट रूप से प्रसारण के कारण स्टार टी.वी. को दंडित किया गया। यह सब बातें परदे के पीछे हो रही हैं। लोगों के मन में यह चिंता है और इसलिए इस बात को माननीय मंत्री महोदया को स्पष्ट करना चाहिए।

जैसा कि श्री बंसल उल्लेख कर चुके हैं, कुछ समय बाद, अभिसारित विधेयक के लागू होने के बाद यह कानून अप्रासंगिक हो जाएगा। यह दो महीने, तीन महीने या छह महीने में अप्रासंगिक हो जाएगा। तब क्या परिणाम होंगे?

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस सब में बड़े व्यापारिक हित निहित हैं। मैं इस संबंध में भी स्पष्टीकरण चाहूंगा।

महोदय, यह बताया गया है कि एक टेलीविजन सेट में एनॉलॉग बॉक्स लगाने की कीमत 3000 रुपये आएगी। अनुमान

[श्री हन्नान मोल्लाह]

है कि देश में आज चार करोड़ टेलीविजन सेट हैं, अतः जिसके पास टेलीविजन सेट हैं, उसे यदि एनॉलॉग बॉक्स लगाना पड़े तो यह कुल 12,000 करोड़ रुपये का कारोबार होगा। पुनश्चः यदि कोई एनॉलॉग बॉक्स की जगह डिजिटल बॉक्स लगाने का फैसला करता है, तो उसकी कीमत 7000 रुपये होगी और ऐसे में यह 28,000 करोड़ रुपये का कारोबार होगा। लोगों में ऐसी चर्चा है कि जिन लोगों की सत्ता के गलियारे तक पहुंच है वे सत्ता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस विधेयक के पारित होने के बाद होने वाले इस कारोबार को हड़पना चाहते हैं। वे इस कारोबार पर नियंत्रण करना चाहते हैं और इससे होने वाला भारी लाभ कमाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीया मंत्री महोदया इस बात का स्पष्टीकरण करें और इसका भी स्पष्टीकरण दें कि एनॉलॉग बॉक्स या डिजिटल बॉक्स की कीमत क्या होगी। इसकी कीमत 3,000 रुपये होगी या 7000 रुपये होगी। यह उपभोक्ताओं पर भारी बोझ होगा। क्या सरकार का विचार अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का कर माफ कर देने का है? यह अतिरिक्त धनराशि कौन वहन करेगा? क्योंकि यह प्रणाली लगाने हेतु केबल आपरेटरों को यह खर्च उठाना होगा। लेकिन सेट टॉप बॉक्स हेतु भुगतान अन्ततः उपभोक्ताओं को ही करना पड़ेगा। अभी केबल चैनल देखने हेतु उन्हें प्रतिमाह 100 रुपये देने होते हैं लेकिन अब सेट टॉप बॉक्स खरीदने हेतु उन्हें 3000 या 7000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इस प्रकार उपभोक्ताओं को एक ही बार में साठ से आठ वर्ष के शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। फिर सात–आठ वर्षों की अवधि के भीतर टेलीविजन प्रौद्योगिकी जो प्रणाली की सहायक है और जिसके बारे में आज विचार हो रहा है, अप्रचलित हो जाएगी। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या 100 रुपये या कुछ कम अधिक राशि का प्रति माह भुगतान करना उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा या एक बार में ही 7000 रुपये का भुगतान करना उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी साबित होगा। मैं इस बात के संबंध में स्पष्टीकरण चाहूंगा।

महोदय, मेरी दूसरी बात केबल ऑपरेटरों के एकाधिकार के बारे में है। विधेयक के प्रावधानों का झुकाव एकाधिकरण की तरफ है, इससे ऐसा पता चलता है कि धीरे–धीरे छोटे केबल आपरेटरों का पत्ता साफ हो जाएगा। यह उद्योग अधिकतर अपराधी तत्वों द्वारा चलाया जाता है। इस उद्योग के बड़े लोग, अपने बाहुबल और वित्तीय सामर्थ्य के माध्यम से अन्य क्षेत्र के छोटे केबल ऑपरेटरों का व्यापार हड़प लेंगे और उन्हें बाजार से हटा देंगे और एक समय आएगा जब इस क्षेत्र में केवल पांच–छः बड़े केबल आपरेटर ही होंगे और उन्हीं का पूरे देश में व्यापार चलेगा और छोटे केबल ऑपरेटरों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सरकार का इस संकट को किस तरह से नियंत्रित करने का प्रस्ताव है? सरकार का छोटे केबल ऑपरेटरों के हित की रहना किस तरह से करेगी? हम लोगों के लिए यह भी बड़ी चिंता की बात है।

महोदय, प्रौद्योगिकी बड़ी तीव्र गति से विकसित हो रही है। हम आप्टिकल फाइबर केबल के युग में हैं। आप्टिल फाइबर केबल बिछाने से हमारे पास 'ब्रॉड–बैंडिंग' की संकल्पना होगी। फिर एकल सेवा प्रदाता एक ही चैनल से टेलीविजन, इंटरनेट टेलीफोनी और कम्प्यूटर सेवा प्रदान करने में समर्थ हो जाएगा। यदि वह प्रौद्योगिकी आ जाती है, तो यह 'सेट–टॉप–बॉक्स' बिलकुल पुरानी और अप्रासंगिक हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि 'वेब टी.वी.' पहले से ही प्रचलन में है। यदि यह प्रौद्योगिकी एक या दो वर्षों में आ जाती है, तो यह 'सेट–टॉप–बॉक्स' फालतू हो जाएगा, तो 28000 करोड़ रुपये के उन उत्पादों का क्या होगा जो ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए थे? जब नई प्रौद्योगिकी आ जाएगी तो क्या वे इसे फेंक देंगे?

यह बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यदि मात्र थोड़ा सा समयांतराल ही शेष है तो हम लोगों को इस पर इतनी बड़ी राशि व्यय करने का दबाव क्यों डालें? हमें इस तथ्य को भी समझना चाहिए।

जैसा कि श्री पवन कुमार बंसल ने प्रस्ताव किया था कि इस विधेयक के कुछ प्रावधान अभिसरन विधेयक में भी होने चाहिए ताकि निरंतरता बनी रहे। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा कि इसके पीछे वास्तविकता क्या है। इसमें इसी तरह की कई संदेहास्पद बातें हैं। यदि ये मुद्दे स्पष्ट हो जाते हैं तो मैं बिलकुल उपभोक्ताओं के हित का समर्थन करूंगा और यह स्वागतपूर्ण कदम होगा। लेकिन यदि वे 'किंतु–परंतु' बने रहेंगे, तो लोगों के दिमाग में इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के. येरनगायडू (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, इस केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002

से आशा है कि इससे केबल ऑपरेटर विनियमित हो जाएंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उचित दर पर कम से कम न्यूनतम संख्या में निःशुल्क प्रसारण चैनल की सेवा प्राप्त हो। मैं सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरी राय में, इसमें पहले से ही काफी विलंब हो गया है। इस अधिनियम को एक वर्ष पहले ही संशोधित कर दिया जाना चाहिए था।

हमारे देश में आज चालीस मिलियन घर केबल टेलीविजन से जुड़े हुए हैं। अब हमारे यहां निःशुल्क प्रसारण वाले चैनल और भुगतान (पे) चैनल हैं। इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद, उपभोक्ताओं को निःशुल्क प्रसारण वाले चैनल न्यूनतम लागत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान प्रणाली में, उपभोक्ता निःशुल्क प्रसारण होने वाले चैनलों और भुगतान (पे) चैनलों के लिए अधिक धनराशि का भुगतान कर रहे हैं। विभिन्न शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण तंत्र अपनाए जा रहे हैं। इस विधेयक की अधिसूचना के समय, हमें एक पारदर्शी प्रणाली उपलब्ध करानी चाहिए। देश में विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों, नगरपालिकाओं और निगमों के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण प्रणाली शुरू करनी होगी। इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत दर्शक जो देखेगा सिर्फ उसी का भुगतान करेगा। इस विधेयक में उपभोक्ता को यह चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है कि जो वह चाहेगा वही उसके घर में आएगा।

'सेट-टॉप-बॉक्स' प्रदान कर दिए जाने के बाद उपभोक्ता को उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करना पड़ेगा जो वह देखना चाहेगा। 'सेट-टॉप-बॉक्स' एक महंगी वस्तु है। प्रारंभ में इसकी लागत करीब 1500 रु. से 2000 रु. तक है और मात्रा के साथ-साथ इसकी लागत घटती जाएगी। केबल ऑपरेटर अब अपना प्रभार नकद वसूल रहे हैं। उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी रिकार्ड नहीं रखा जाता कि वे उपभोक्ताओं से वास्तव में कितनी राशि वसूल रहे हैं। कोई पारदर्शी प्रणाली नहीं है। बदले परिदृश्य में जब उपभोक्ता 'सेट-टॉप-बॉक्स' लगवा लेता है, तो प्रणाली पारदर्शी हो जाएगी। यदि वसूल की जाने वाली धनराशि चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ली जाती है तो आय का ब्यौरा उचित रूप से रखा जा सकता है और सरकार को अधिक कर राजस्व मिलेगा। यदि 'सेट-टॉप बॉक्स' का शुल्क घटा दिया जाता है और उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर इसे उपलब्ध कराया जाता है, तो अधिक संख्या में लोग अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार एक या दो निःशुल्क प्रसारण वाले चैनलों का उपयोग कर सकेंगे। इससे भारी मात्रा में निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। इससे केबल कंपनियों और 'कन्टेन्ट' कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर विलय होने की संभावना है। ए.ओ.एल. और 'टाइम वार्नर' जैसे अंतराष्ट्रीय छत्रपों का विलय उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है।

इस संशोधन के प्रभावी होने के बाद, भारत में बड़े पैमाने पर निवेश हो सकता है। इस संबंध में, हमारे मुख्य मंत्री ने भी प्रधान मंत्री से इस विधेयक को यथाशीघ्र पारित कराने का अनुरोध किया है। यदि यह शीघ्र पारित हो जाता है, तो यह उपभोक्ताओं की रक्षा करेगा। साथ ही साथ, हमें एक पारदर्शी प्रणाली भी ईजाद करनी होगी। ऐसा इसलिए कि संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद, यदि यह उपभोक्ताओं के लिए मददगार नहीं होने जा रहा है, तो यह बेकार होकर रह जाएगा। इसलिए, अधिसूचना के समय भी और बिना 'सेट-टॉप-बॉक्स' के भी प्रमुख केबल ऑपरेटर के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क प्रसारण चैनल की सुविधा मिलेगी।

इसलिए, इस परिदृश्य में, सरकार को इन निःशुल्क प्रसारण होने वाले चैनलों के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि निर्धारित करनी चाहिए एवं उसका विश्लेषण करना चाहिए। तभी आम आदमी को कम राशि में इन निःशुल्क प्रसारण होने वाले चैनल उपलब्ध होंगे और वह इस सेवा का उपभोग कर सकेगा।

महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत एवं समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 में अब पे-चैनल खुल गए हैं और पे-चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं से पैसा लिया जाएगा या केबल ऑपरेटर लेंगे। हमें लग रहा है कि यह जो पे-चैनल आए हैं, वे उपभोक्ताओं के लिए पे-चैनल सरदर्द साबित होने वाला है। अभी तक दूरदर्शन

[श्री धर्म राज सिंह पटेल]

के माध्यम से या सरकारी माध्यम से जो भी चीजें दिखाई जाती थीं, निःशुल्क दिखाई जाती थीं। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था। अब जब चैनलों में इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई है, उसमें पैसा लगाने की बात आ गई, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप जो भी चैनल खोलें, उन चैनलों में ब्रॉडकॉस्टिंग करने वाले जो लोग हैं, उनसे पूछें कि आप विभिन्न जिलों में, कस्बों में किस रेट पर अपने चैनल प्रोग्राम दे रहे हैं, क्या रेट लगा रहे हैं? वह अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखाएं कि हमारा यह रेट है, 10 रुपये या 15 रुपये या 50 रुपये है जिससे केबल ऑपरेटर के ऊपर तोहमत लग रही है कि वे बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनता को मालूम हो जाए कि जयादा पैसा कौन ले रहा है? चैनल वाले ले रहे हैं या केबल ऑपरेटर ले रहे हैं।

अपराह्न 4.58 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

जहां तक केबल ऑपरेटर्स का सवाल है, मैं समझता हूं, अभी तक बहुत बड़े परिवार से लोग नहीं आए हैं। जो बेरोजगार युवक हैं, वे थोड़ी–बहुत पूंजी लगाकर अपना काम चला रहे हैं। ऐसा न हो जाए कि पुलिस के माध्यम से उनका शोषण शुरू हो जाए और शोषण इस रूप में हो कि यह 100 चैनल दिखा रहा है और पुलिस से रेट तय हो जाए और मालूम पड़े कि 1000 आदमियों को दिखा रहा है और उसे रेट फिक्स करना पड़े। इसलिए यह कानून बनाकर जहां हम उपभोक्ताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उपभोक्ता बच भी न पाएं और केबल ऑपरेटर भी परेशान हों और चैनल वालों को कहीं फायदा न हो जाए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो भी चैनल दे रहे हैं, उनसे आप बात करें और उनके रेट की जानकारी करें जिससे कस्बों और जिलों के लोगों को मालूम हो कि इनका रेट कितना है और केबल ऑपरेटर का कितना रेट है। यह जनता को मालूम हो जाए कि कौन–कौन से चैनल दूरदर्शन निःशुल्क दिखाएगा या केबल ऑपरेटर दिखाएगा, यह भी जनता को मालूम होना चाहिए, यह तस्वीर भी जनता के सामने साफ रहनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

फ्लैक्स उद्योग द्वारा मुद्रित चुनाव प्रचार सामग्री और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी का स्थानान्तरण

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अनुच्छेद 75(4) में कहा गया है :

"किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।"

मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। तीसरी अनुसूची में कहा गया है :

"...मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रंकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

जब मंत्री अपना वक्तव्य देंगे, तो मैं आशा करता हूं कि इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। उस मामले में, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अन्यथा, मुझे आपके विनियम की आवश्यकता पड़ेगी।

मैं जानना चाहता हूं कि अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय क्या उनकी जानकारी में हितों के टकराव का कोई मुद्दा आया और क्या उस विशेष समय पर उन्होंने कार्यकारिणी की किसी एजेंसी के सम्मुख उस हित की उपेक्षा की...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि हमारे समक्ष वक्तव्य नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वक्तव्य दिए जाने के बाद, आप अपना विनिमय दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे वक्तव्य सुनने दें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं भी यही बात कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वक्तव्य से हम संतुष्ट हो जाएंगे ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : वक्तव्य से वित्त मंत्री भी संतुष्ट होने चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय,...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : वह अपना कर्त्तव्य जानते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि हितों का टकराव था और यदि उन्होंने कहा था कि एक्जिक्यूटिव एजेंसी के साथ हित का टकराव है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि उन्हें ऐसा नहीं लगता, तो हम यह जानना चाहेंगे कि क्या वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन संविधान के अंतर्गत ली गई शपथ के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सके।

अब, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपना वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, यह मामला दिनांक 13 मई, 2002 को माननीय सदस्य श्री पवन कुमार बंसल द्वारा पलैक्स इंडस्ट्रीज के श्री अशोक चतुर्वेदी के साथ मेरे कथित संबंधों के बारे में संसद में उठाया गया है। इस मामले पर मुझसे संसद में एक वक्तव्य देने की मांग की गई है। मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री ने संसद को यह आश्वासन दिया था कि मैं 15 मई को इस मामले पर संसद में एक वक्तव्य दूंगा। यह वक्तव्य उस मांग और अनुवर्ती आश्वासन के जवाब में है।

महोदय, मैंने सन् 1999 में लोक सभा के लिए दिल्ली में कुछ मुद्रकों द्वारा चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री छपवाई थी। पलैक्स इंडस्ट्रीज उन मुद्रकों में से एक है जिन्हें मैंने मुद्रण आदेश दिया था। इसके पश्चात् यह मुद्रित सामग्री मुझे रेल द्वारा हजारी बाग में भेज दी गई। पलैक्स इंडस्ट्रीज से प्राप्त हुई सप्लाई के लिए वैसे ही नियमित बिल दिए गए जैसे अन्य मुद्रण फर्मों द्वारा दिए गए थे और उनका पूरा भुगतान किया गया था। मेरे रिकार्ड से पता चलता है कि पलैक्स इंडस्ट्रीज से प्राप्त सप्लाई के लिए उन्होंने 45,583/– रु. के पांच बिल भेजे थे। हजारी बाग, लोक सभा चुनाव क्षेत्र के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भरकर दी गई चुनाव व्यय की सांविधिक विवरणी में इस व्यय को शामिल किया गया था। ये सारे अभिलेख चुनाव आयोग तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास होने चाहिए।

उत्पाद शुल्क के तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री सोमेश्वर के कार्यालय में 7 नवम्बर, 2001 को सी.बी.आई. द्वारा छापा डाला गया था जिसके बाद श्री सोमेश्वर और श्री अशोक चतुर्वेदी को हिरासत में ले लिया गया था। इस मामले की जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है जो कि मेरे मंत्रालयी उत्तरदायित्व के दायरे में नहीं आता। सी.बी.आई. द्वारा न तो मुझे रिपोर्ट करना और न ही मामले की प्रगति की अद्यतन जानकारी समय–समय पर मुझे देना अपेक्षित है। इसलिए मेरे मौजूदा कामकाज और श्री सोमेश्वर और श्री अशोक चतुर्वेदी के मामले में सी.बी.आई. द्वारा की जा रही जांच में कोई अंतर्विरोध नहीं है।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के तत्कालीन उप महानिदेशक श्री कैलाश सेठी अपने मूल विभाग सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से इस संगठन में प्रतिनियुक्ति पर थे। दिसम्बर, 2001 में उनका स्थानान्तरण मूल विभाग में प्रशासनिक तौर पर एवं लोक हित में किया गया था।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे सी.बी.आई. के श्री एम.एस. बाली के स्थानान्तरण से कोई लेना–देना नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य श्री बंसल ने आरोप लगाया है।

इस तथ्य कि मैंने सप्लायर से कुछ चुनाव प्रचार सामग्री खरीदी थी, का काल्पनिक अर्थ यह कभी भी नहीं निकाला

[श्री यशवंत सिन्हा]

जा सकता कि मेरा उससे कोई संबंध है। मुझसे हमेशा के लिए उनके अच्छे चरित्र और अच्छे आचरण की गारंटी की आशा भी नहीं की जा सकती। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि इस पूर्णतः रूटिन, पारदर्शी और सुस्पष्ट ट्रांजेक्सन से एक सांसद के रूप में मेरी गरिमा और वित्त मंत्री के रूप में मेरी प्रभावकारिता पर कोई समझौता नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको नियमों की जानकारी है। ऐसे मुद्दों पर किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है।

अब मैं श्री किरीट सोमैया को बोलने के लिए पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल कृपया बैठ जाइए। कृपया, क्या आप बैठेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर किसी अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि नियमों में इसकी अनुमति नहीं है। श्री सोमैया कृपया विधेयक पर बोलें।

अपराह्न 5.07 बजे

(इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय के पश्चात् जो भी कहा जा रहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया, कृपया अपनी बात कहते रहें। श्री मुलायम सिंह जो कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 5.08 बजे

[हिन्दी]

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक—*जारी*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यहां जो बिल रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं माननीय इन्फोरमेशन एंड ब्रोडकास्टिंग मिनिस्टर का तो समर्थन करता ही हूं, साथ में वित्त मंत्री जी का भी समर्थन करना चाहूंगा। जिस प्रकार के आरोप–प्रत्यारोप हुए थे, उन्होंने स्पष्टीकरण करने के पश्चात् जिस प्रकार से पलायन का रास्ता पसंद किया, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के आरोप करने के पहले यह मंत्री जी से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता और लोकशाही में एक अच्छी परम्परा होती।

महोदय, मैं मुलायम सिंह जी के सुझाव का भी समर्थन और स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि यह जो विधेयक हमारे सामने रखा गया है, वास्तव में इसे जो नाम दिया है—'केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक'। मैं कहना चाहूंगा कि,

[अनुवाद]

केबल टेलीविजन ही नहीं है, वास्तव में यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है।

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जो बिल लाए हैं इसकी चर्चा जनवरी 2000 में प्रारंभ हुई थी।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : ...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, यह हमारे लिए क्या कह रहे हैं कि...*(व्यवधान)* इन्हें माफी मांगनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैंने बोलने की इन्हें इजाजत नहीं दी है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : ये कह रहे हैं कि... *(व्यवधान)* यह क्या बात हुई। इन्हें माफी मांगनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसी जो कुछ बात इन्होंने कही है वह रिकार्ड से निकाल दी जाए। आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : संसदीय परिपाटी के अनुसार सभा भवन से बाहर जाना और वापस आना दल पर निर्भर करता है...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : देश की एक–एक चीज आप बेचने में लगे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : आप तो 50 साल तक इस देश को लूटकर खा गए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। आपने वॉक–आउट किया, उसके बाद आप अंदर आए। मैं नहीं समझता हूं कि इस विषय पर अब चर्चा होनी चाहिए। आपने वॉक–आउट किया, यह आपका अधिकार था और यह प्रश्न यहां खत्म हुआ। अब किरीट सोमैया जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, एक मिनट मुझे दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक मिनट दूंगा तो इनको दो मिनट मुझे देने पड़ेंगे। किरीट सोमैया जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए। मैं और किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी पर आरोप लगाया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं? मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। किरीट सोमैया जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् अन्य लोगों को अवसर दिया गया था तो हमें अवसर क्यों न दिया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : मैं इस केबल टेलीविजन नेटवर्क बिल का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : श्री किरीट सोमैया विधेयक पर बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : बंसल जी, आप लोगों ने बिना सुबूत के यहां पर अखबारों को लेकर किस प्रकार से आरोप लगाए। माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या गलत कहा है। आपने बिना सुबूत के केवल अखबारों को लेकर माननीय मंत्री जी के ऊपर लगाए हैं और उनका जवाब आपको न मिले...*(व्यवधान)*

आप असत्य आरोप लगाएं...*(व्यवधान)* माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या गलत कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप ही केवल सत्यवादी युधिष्ठिर हैं यहां पर।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गीते जी, दासमुंशी जी, प्रियरंजन दास जी, यहां पर आरोप–प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। आप बैठ जाइए। मैं इस प्रकार से सदन नहीं चलाना चाहता हूं। यह

[श्री किरीट सोमैया]

कोई बात हुई? मैं बार–बार बता रहा हूं कि एक विषय आया था। गंभीर विषय था, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। उसके बाद चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष का अधिकार है कि वे वॉक–आउट करें, बाहर जाएं, लेकिन इसके बाद इसमें चर्चा करने की क्या जरूरत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक पर श्री किरीट सोमैया का भाषण शुरू हो गया है। इसलिए मैं अभी किसी को परमिशन नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, इन्होंने उससे पूर्व कुछ कहा था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं वह सब कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब हमने बहिर्गमन किया था तो उसी विषय पर कुछ बातों को कार्यवाही–वृत्तांत में जाने दिया गया था...*(व्यवधान)* इसीलिए, हम कह रहे हैं कि यह सही नहीं है। हमें भी अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी। मैं उनकी बात कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुनी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको बिल पर बोलना है?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं मंत्री जी की स्टेटमेंट पर एक सफाई चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह विषय मैंने खत्म कर दिया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारी व्यवस्था दे दी है। इस पर आगे किसी बात की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक पर बोल रहे हैं या दूसरे किसी विषय पर बोल रहे हैं क्योंकि आपको दूसरे किसी विषय पर बोलने की इजाजत नहीं है।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं चैनल ऑपरेटर्स के लिए कह रहा हूं कि अंगूर खट्टे हैं। मैं कांग्रेस के लिए ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : अब आपके लिए अंगूर मीठे कर दिए हैं।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय,

[अनुवाद]

कृपया उद्देश्यों और कारणों का विवरण देखें। तीसरी पंक्ति 'अवांछित कार्यक्रम' लिखा है।

[हिन्दी]

वास्तव में इस बिल द्वारा बहुत अच्छा प्रावधान होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि पूरा परिवार साथ बैठकर टेलीविजन के कार्यक्रम देखता है लेकिन उनमें ऐसे चैनल्स और प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हर कोई देखना पसंद नहीं करता।

अपराह्न 5.17 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

इस नए विधेयक से हम उन्हें रोक सकेंगे। साथ ही अनवांटिड टेलीविजन चैनल्स हैं जिनका लोग भुंगतान नहीं करना चाहते। अब हम इस बिल के माध्यम से उसे भी रोक सकेंगे। मैं इस बिल का स्वागत करते समय यह भी कहना चाहूंगा कि इससे कंज्यूमर्स को फायदा होगा। मैं इसके साथ कुछ आंकड़े भी रखना चाहूंगा। काफी समय से इस पर चर्चा प्रारंभ हुई है।

[अनुवाद]

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन विदेशी टी. वी. चैनलों द्वारा इस समय कितनी आय अर्जित की जा रही है। मैं विशेष रूप से विदेशी टी.वी. चैनलों का उल्लेख करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

हमारे मन में यह है कि जी और स्टार टी.वी. चैनल्स हमारी कल्पना के हिसाब से लोक टी.वी. चैनल्स में आएं। 10 टी.वी. चैनल्स वालों ने अपनी कम्पनी का रजिस्ट्रेशन फॉरेन में करवाया है।

[अनुवाद]

या तो हांगकांग में अथवा सिंगापुर में। अब लगभग हर टी.वी. चैनल का रिकार्ड में मारीशस में अपना मुख्यालय है।

[हिन्दी]

उनको विज्ञापन से मिलने वाला रेवेन्यू क्या है? ये लोग कहते हैं कि हमें केबल द्वारा पैसा चाहिए।

[अनुवाद]

स्टार टी.वी की कुल राजस्व आय 950 करोड़ रुपये थी; जी टी.वी. की आय 660 करोड़ रुपये थी और सोनी की आय 450 करोड़ रुपये थी।

[हिन्दी]

उन्हें इतना रेवेन्यू विज्ञापनों के माध्यम से मिलता है। ऐसे में ये आम उपभोक्ताओं पर चैनल्स के पैसे लगाना चाहते हैं। जब कभी क्रिकेट मैच या टूर्नामेंट होता है तो दो चैनल्स के पास उसका अधिकार–एक स्टार स्पोर्ट्स और दूसरा ईएसपीएन। जैसे ही मैच प्रारंभ होने लगता है, उसके दो दिन पहले वह अपना रेट डबल कर देते हैं। इसलिए यह विधेयक अधूरा है। आपको इसमें एक कदम और आगे जाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

भारत में एकाधिकारवादी कानून और प्रावधान हैं। मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

पहले स्टार स्पोर्ट्स अलग था लेकिन दो चैनल्स मर्ज हो गए और एक मॉनोपोलिस्टिक कम्पनी बना ली। वास्तव में आम उपभोक्ता मल्टी नेशनल के सामने टिक नहीं सकता इसलिए मिनिस्ट्री को यह विषय अपने हाथ में लेना चाहिए।

मैं एक दूसरे विषय की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस विषय पर चर्चा जनवरी, 2000 में प्रारंभ हुई थी। अनेक राज्यों ने इस बारे में कुछ कायदे–कानून बनाने प्रारंभ किए हैं।

[अनुवाद]

क्या केन्द्र सरकार को ऐसा विधान लाने का अधिकार प्राप्त है, क्या राज्य सरकारों को यह अधिकार है, कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इसे लागू किया है, क्या प्रभाव होगा, क्या कोई टकराव होगा।

[हिन्दी]

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रकार की कोई स्टडी की है, यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किया है? अभी 2–4 दिन पहले केबल ऑपरेटर्स और कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन्स के बीच चर्चा प्रारंभ हुई है। अनेक टी.वी चैनल्स ने धमकियां देना प्रारंभ कर दिया है और कहा है कि रेट डबल कर देंगे क्योंकि सरकार जब यह बिल लाएगी, लोक सभा में पास होगा। मैं श्री बंसल और श्री दासमुंशी जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में न भेजते हुए लोक सभा में पास करने के लिए समर्थन दिया है और राज्य सभा में भी इसी प्रकार से इसे लाया जाएगा। इससे प्राइवेट चैनल्स की हो रही दादागिरी पर रोक लगाने का समर्थन किया है।

सभापति महोदय, मुझे 2–4 दिनों से अनेक लोगों ने कहा है कि टी.वी. चैनल्स वालों ने धमकियां देना शुरू कर दिया है कि अगर यह बिल आया तो वे तुरंत कांट्रेक्ट रिवाइज करके रेट्स डबल कर देंगे। मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि

[श्री किरीट सोमैया]

[अनुवाद]

क्या ये उन प्रभारों को समाप्त कर सकते हैं जो आज विद्यमान हैं?

[हिन्दी]

यह बिल यहां पास होने के बाद राज्य सभा में जाएगा और उसके पश्चात् राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए जाएगा। यदि इस बीच टी.वी. चैनल्स या पे–चैनल्स ने रेट बढ़ा दिए तो क्या होगा? इसलिए में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर ध्यान दें। इस बिल में लिखा हुआ है कि फेसेज में इसका इंपलीमेंटेशन होगा। पहले मेट्रो सिटीज में लागू किया जाएगा, उसके बाद हैदराबाद, बंगलौर, भोपाल और जयपुर जैसे बड़े शहरों में किया जाएगा। हैदराबाद के लोगों की इच्छा है कि वे तेलुगु चैनल देखेंगे, गुजराती क्यों देखें?

[अनुवाद]

यदि मैं दक्षिण भारतीय चैनल नहीं देखना चाहता तो मैं इसके लिए शुल्क क्यों दूं?

[हिन्दी]

जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, वे एक साथ पैसा लेते हैं। मेरी विनती है कि यह कानून बाकी शहरों में भी लागू किया जाए।

सभापति महोदय, अभी हमारे साथियों ने बताया कि इस तरह की अफवाह है कि इन बौक्सेज की कीमत 5 से 10 हजार रुपये होगी। इसमें फायदा किसका होने वाला है? इसमें नुकसान तो कंज्यूमर का ही होगा।

[अनुवाद]

ऐसा इसलिए है क्योंकि उपभोक्ताओं को 5000 रुपये से 10000 रुपये और भुगतान करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

सभापित महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे बताएं कि इस बारे में उनकी क्या परिकल्पना है। वे बहुत बड़ी मात्रा में बॉक्सेज उपलब्ध कराएं। साथ ही कंजर्वेंस एक्ट आने वाला है, इस बिल के पास होने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। क्या जो प्रोवीजन हो रहा है, वह पार्ट्स में होगा या पुनः विधेयक लाना पड़ेगा? इसमें पौजिटिव इम्पैक्ट होने की पूरी–पूरी संभावना है। आज 3.8 मिलियन व्युअर्स टी.वी. चैनल्स देख रहे हैं। उन पर इसका क्या पौजिटिव इम्पैक्ट होगा? क्या वे टी.वी. चैनल्स फ्री टू एयर करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ईएसपीएन–स्टार चैनल्स और स्पोर्ट्स चैनल क्रिकेट मैचेज दिखाने पर कितना रुपया कमाते हैं? हिन्दुस्तान में जो मैचेज होते हैं, उसके राइट्स दूरदर्शन के पास हैं, दूरदर्शन को उनसे कितना पैसा मिलता है? मेरी जानकारी के अनुसार दूरदर्शन फ्री टू एयर है, उसने गत दो साल में अच्छा प्राफिट कमाया है। लोगों को पता चले कि जब दूरदर्शन फ्री टू एयर है और इतना प्राफिट कमाया है तो

[अनुवाद]

पे–चैनल इतना अधिक क्यों वसूल रहे हैं।

[हिन्दी]

इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं कि वह कंजूमर्स के हित में एक अच्छा विधेयक लाई हैं और इसका मैं हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने से पहले जो आशंकाएं मेरे मन में हैं, उन्हें मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मंत्री जी ने इसका उद्देश्य प्रकट करते समय बड़ी सुन्दरता के साथ देश को आश्वासन दिया कि इस बिल को वह इतनी जल्दी इसलिए लाई हैं, चूंकि उनके मन में उपभोक्ताओं के प्रति बहुत चिंता है। उपभोक्ताओं के प्रति उनकी इस चिंता का मैं आदर करता हूं। उनके मन में उपभोक्ताओं के लिए जो संवदेना है, उन्हें राहत तथा प्रोटेक्शन देने का जो उनका इरादा है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एन.डी.ए. सरकार यदि समाज के सभी वर्गों के प्रति इतनी संवेदनशील होती तो हमें बड़ी खुशी होती। आज पेंशनर्स का इंटरेस्ट घट रहा है। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई संवेदना नहीं है। एन.डी.ए. के लोगों के कहने के बाद भी वित्त मंत्री जी ने कोई सुलह नहीं की। बैंक्स में जमा रकम पर इंटरेस्ट घटने जा रहा है, उसमें कटौती की जा रही है। उसके बारे में सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट में कटौती हो रही है, उसके लिए भी एन.डी.ए. सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। हिन्दुस्तान में बहुत अधिक उपभोक्ता

टी.वी. देखते हैं और उनके लिए सरकार के एक ही मंत्री के मन में सहानुभूति है। आज जो केबल ऑपरेटर्स ने रेट्स में बढ़ोतरी की है और उसके लिए जो कदम मंत्री जी ने उठाया है, उसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन मंत्री जी के द्वारा मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मुझे सरकार की नीयत पर शक है। वह शक क्यों है, यह मैं आपको बता रहा हूं।

यह मंत्री जी जिस पार्टी की हैं, यह पार्टी सैंटर–स्टेट रिलेशंस के बारे में कांग्रेस के जमाने में सरकारिया कमीशन के समर्थन से लेकर स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर्स दो, इस मुहिम में शामिल थी। लेकिन आज शायद उनकी स्टैंड बदल गया है। 1995 में कानून आने के बाद देश में दूरदर्शन को छोड़कर दूसरा कोई चैनल नहीं था। हिन्दुस्तान में 1997 में बाकी चैनल्स आए और 1999 तक पूरे देश में छा गए। जनता की तकलीफों पर ध्यान देने तथा इस कानून को लाने में सरकार चार वर्ष तक चुप बैठी रही। मैं यह बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि मंत्री जी जो बिल लाई हैं, इसे हम लोग पास करेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन एक हफ्ते से भारत के समाचार पत्रों में जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के बारे में भी कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से होना चाहिए। उन खबरों में यह है कि सरकार के बिल में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस बॉक्स की जरूरत होगी, उस बॉक्स की क्या कीमत होगी। उसके लिए क्या कोई ठेकेदार या लॉबी बाहर से बॉक्स मंगाने का इंतजाम कम्पलीट करने की इंतजार में हैं कि इसे वह सप्लाई करें, ताकि उनका भी दो पैसा बन जाए। उसका टैक्स उपभोक्ता पर लगेगा या हमारे देश में इनडिजिनस टाइप का कोई बॉक्स हो सकता है, यदि हो सकता है तो उसके क्या प्राइस होंगे। इस बोर में सरकार की ओर से कोई सुझाव सदन के सामने आना चाहिए। क्या इस बारे में सरकार को जानकारी है, यह पहले स्पष्ट होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई सभी पे–चैनल्स घर में रखता है तो उसे उस बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी उसे उस बॉक्स के लिए पैसा देना पड़ेगा। दूरदर्शन हमारे देश का गौरव है। मैं एक सूचना देना चाहता हूं, जिसे सुनकर सोमैया जी खुश होंगे। फुटबाल का प्रेसीडेंट होने के कारण हम लोग चार–पांच साल पहले ई.एस.पी.एन. और स्टार से जुड़े हुए थे। देश में अपलिंकिंग नहीं मिलती थी। लेकिन जब हम स्पॉन्सर के पास जाते थे तो वे कहते थे कि यदि आप डी.डी. पर खेल दिखाओगे तो हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ठीक नहीं है, उसके रंग और कैमरा भी ठीक नहीं है। तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। एक के बाद एक कम्पनी जैसे कोका कोला, हिन्दुस्तान लीवर आदि, आदि, मैं आपको बता नहीं सकता।

सभापति महोदय : दासमुंशी जी, एक मिनट रुकिए। चूंकि साढ़े पांच बजे आधा घंटे की चर्चा लेनी है। यदि सदन की सहमति हो तो अभी छः माननीय सदस्यों को इस बिल पर और बोलना है। इसमें लगभग एक घंटा लगेगा और उसके बाद माननीय मंत्री जी का उत्तर भी होना है उसमें लगभग आधा घंटा और लग सकता है। यदि आपकी सहमति हो तो इसे उसके बाद लिया जाए या इसे अभी लिया जाए।

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : महोदय, वास्तव में जो कार्य सूची परिचालित की गई है, में कहा गया है कि इस पर 5.30 बजे तक अथवा जब तक कार्य संबंधी मदें निपटाए जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, विचार किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह अपराह्न 5.30 बजे प्रारंभ होना है।

सभापति महोदय : क्या अब हमें आधे घंटे की चर्चा प्रारंभ करनी चाहिए?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कल जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो आधे घंटे की चर्चा शुरू की जानी थी। उस समय लिया गया निर्णय यह था कि विधेयक पर चर्चा की जाए और फिर इसे पारित किया जाए और फिर आधे घंटे की चर्चा हो। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विधेयक राज्य सभा में भेजा जाना था। इसी कारण मैं अब अनुरोध करता हूं कि हम इस चर्चा को जारी रखें। चर्चा समाप्त होने दो। सत्ता पक्ष के सचेतक ने मुझसे संपर्क किया था और कहा था कि वे अपनी पार्टी के वक्ताओं की संख्या कम कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी का अंतिम वक्ता हूं। इसलिए, यह चर्चा शीघ्र ही पूरी की जा सकती है और फिर सभा द्वारा आधे घंटे की चर्चा शुरू की जा सकती है।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि विधेयक पारित करने के पश्चात् आज ही आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हां, इस पर आज ही चर्चा की जा सकती है।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

सभापति महोदय : मैं सभा की अनुमति ले रहा हूं। यदि सभा सहमत हो तो बाद में आधे घंटे की चर्चा कराई जा सकती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनका जो सुझाव आया है कि पहले बिल को टेक–अप कर लें उसके बाद आधे घंटे की चर्चा ले लें, हमें लगता है कि हम उनके सुझाव को मान लेते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि सभा सहमत हो तो विधेयक पारित करने के पश्चात् हम आधे घंटे की चर्चा करा सकते हैं। क्या आप सभी इस पर सहमत हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति जी, दूरदर्शन के अधिकारी ने हमें बोला कि आप देश के नागरिक होने के नाते देश के टी.वी. दूरदर्शन के साथ शामिल हो जाइए, विदेशी कंपनी को छोड़ दीजिए। मेरे मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। हम उनको छोड़कर आए लेकिन आधे स्पॉन्सर्स हमें छोड़कर चले गए। कहने लगे कि आपका प्रोजेक्शन ठीक नहीं है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि पिछले छः महीनों में दूरदर्शन की टीम ने प्रगति की है और सुधार के साथ वे काम कर रहे हैं। यह टैम्पो बना रहेगा तो और लोग भी दूरदर्शन के साथ शामिल होंगे। जहां तक लाइव टैलीकास्ट की बात है, आपका स्पोर्ट्स चैनल बहुत कम कवर कर रहा है, आपका मार्केटिंग नेटवर्क बहुत कम है, इसलिए आपको लाइव टेलीकास्ट के जो प्रोग्राम हैं वे अधिक नहीं मिल रहे हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए।

मैं अभी आशंका की बात कर रहा हूं। आप मानें या न मानें लेकिन दूरदर्शन अभी तक इनडायरेक्टली सरकार के नियंत्रण में ही चलता है। उदाहरण के तौर पर इस देश में अगर जीटीवी नहीं होता और 13 मार्च को देश को तहलका के बारे में नहीं दिखाया जाता तो देश उस बारे में अंधेरे में रहता। जिस दिन जीटीवी ने दिखाया, उस दिन दूरदर्शन ने कुछ नहीं दिखाया। चार दिन तक दूरदर्शन में इस बात का जिक्र भी नहीं हुआ। जो प्राइवेट चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं...

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : पार्लियामेंट पर हुए अटैक को भी नहीं दिखाया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जी हां, मैंने देखा कि दूसरे चैनल्स ने जिस पारदर्शिता से दिखाया, वह दूरदर्शन ने नहीं दिखाया। मंत्री जी मेरी बात का बुरा न मानें, उस पद पर दूसरी पार्टी के लोग भी कल बैठ सकते हैं, परंतु मैं निष्पक्ष रूप से कह सकता हूं कि अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग चैनल सरकार के खिलाफ सरकार के कामों को दिखाने के लिए इनफॉर्मेशन न्यूज और बाकी कुछ लगातार दिखाना शुरू करे और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहे तो मैं उनको दबाव में लाने के लिए कहूंगा कि तुम मेरे खिलाफ ज्यादा मत दिखाओ, जो रेट मांगो, वह मैं तय कर लूंगा तो इससे बचने के लिए क्या रास्ता है यह जरा बताएं। आपने क्लाज 5 में प्रावधान रखा है :

[अनुवाद]

> "(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना में यथास्थिति, विभिन्न राज्यों, नगरों, उपनगरों या क्षेत्रों के लिए भिन्न–भिन्न अधिकतम रकमें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।"

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान बड़ा देश है। आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम से संबंध रखने वाले रामोजीराव जी ने जो ईटीवी शुरू किया, अब उसने हर भाषा में काम करना शुरू कर दिया है। अगर मान लिया जाए कि किसी एक प्रांत में एक टीवी चैनल केबल ऑपरेटर द्वारा केन्द्रीय सरकार के खिलाफ कुछ कर रहा है, साजिश नहीं, खबर दिखा रहा है, राज्य सरकार की प्रशंसा कर रहा है और राज्य सरकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की कनफ्लिक्ट है।

महोदय, अब केबल ऑपरेटर के दाम तय करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्तियां हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी राज्य सरकार को खुश करना चाहे तो वह किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी रेट तय कर सकती है, लेकिन वह ऐसा राज्य सरकार की सलाह से कर सकती है। अगर यह क्लॉज न रहे तो मुझे लगता है कि एक न एक दिन सेंटर के साथ, स्टेट के साथ जो दूरदर्शन का न्यूज चैनल है, उसके साथ कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता रहेगा। इसके बारे में मैं समझता हूं कि आदरणीय मंत्री महोदया एक प्रावधान इस बिल में कहीं भी कर दें कि :

[अनुवाद]

"ऐसी राशि नियत करते हुए केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श करेगी।"

[हिन्दी]

इससे सबको प्रोटेक्शन मिलेगा।

महोदय मेरी दूसरी शंका यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में

[अनुवाद]

"कोई केबल ऑपरेटर उपभोक्ताओं से उपलब्ध कराई गई मूल सेवा टायर में प्रसारित कार्यक्रमों के लिए जिस अधिकतम राशि की मांग कर सकता है उसका निर्धारण।"

[हिन्दी]

यह अच्छा है। आपने यह भी सही कहा है कि अगर केबल ऑपरेटर सब्सटेंश्यली डिसक्लोज न करे कि उसे कितना मिला है या कितना क्या है, तो यह आपके साथ धोखा होगा। इसलिए यह प्रॉविजन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा निवेदन है कि क्या आप समझती हैं कि बिना रैगुलेटरी अथौरिटी के अगर यह काम सीधे सरकार की ओर से हो, तो ठीक रहेगा। अगर मैं किसी स्टेट को खुश करना चाहता हूं या वहां की केबल ऑपरेटर लॉबी को खुश करना चाहता हूं, तो मैं किसी भी तरह से कितनी ही कम प्राइस फिक्स कर सकता हूं। हम लोगों को छिपाने की जरूरत नहीं है। हम सब पौलिटीशियन हैं। सभी अपने–अपने प्रांत में, अपनी–अपनी जगह हैं, लॉबी किसी भी दिन बन सकती है और उस लॉबी के द्वारा काम करा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि इसमें यह प्रावीजन होता तो अच्छा होता जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पावर की बात आती और अगर उसी एक रैगुलेटरी अथौरिटी की रिकमेंडेशन होती कि किस स्थिति में किस स्टेट में, किस डिवीजन में केबल अथौरिटी का इतना रेट होना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता और लाबी द्वारा रेट कम फिक्स कराने की शंका खत्म हो जाती।

महोदय, आखिर में मंत्री महोदया, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आपको इतना ही लोगों का ख्याल है, तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगी कि मौजूदा हालात में जो केबल आपरेटर की फीस इन्क्लूडिंग पे–चैनल मौजूद है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, किसी प्रांत में रु. 100 है, किसी प्रांत में रु. 200 है और किसी प्रांत में रु. 300 है, इसके नीचे आप जाएंगी या आपकी जो मैकेनिज्म होगी, वह इससे ऊपर होगी, यह बात पहले स्पष्ट करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूं कि

[अनुवाद]

"क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इस संशोधन के पश्चात् फ्री–टु–एयर चैनलों तक सभी भुगतान चैनलों की कुल शुल्क दर वर्तमान शुल्क राशि से अधिक नहीं होगी।

[हिन्दी]

यह आपको हमें पहले स्पष्ट करना चाहिए।

अन्त में, मैं मंत्री महोदया से एक और दर्खास्त करना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या इसे आप दुबारा कहेंगे?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस संशोधन के पश्चात् फ्री–टु–एयर चैनलों तथा सभी पे–चैनलों का कुल शुल्क दर वर्तमान शुल्क राशि से अधिक नहीं होगी।

[हिन्दी]

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमें डर है कि उपभोक्ता

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसलिए मंत्री महोदया अगर वास्तव में देश की जनता का भला चाहती हैं तो उन्हें इसमें यह भी क्लीयर करना चाहिए कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जितना बोझ जनता के ऊपर वर्तमान में है उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यह आश्वासन हाउस में उन्हें देना चाहिए। उसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर आपके इस बिल के पास होने से जनता के ऊपर रु. 5 या रु. 10 भी बढ़ते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपकी उपभोक्ता के प्रति हमदर्दी नहीं है और आपका यहां बिल लाना और उसे पास कराना ठीक नहीं है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्य सभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय को सिगनेचर हेतु चला जाएगा और इसमें सात दिन या 15 दिन लग सकते हैं, इस बीच में केबल ऑपरेटर साजिश करके कहीं दाम बढ़ा दें, उससे बचने के लिए आपके पास आर्डीनेंस लाने का अधिकार और शक्ति मौजूद है। इसका भी हमें आश्वासन दीजिए कि यदि इस कानून के बनने में डिले हो, तो ये लोग ऐसा न करें और यदि ऐसा करें तो आप आर्डिनेंस लाकर उपभोक्ता को प्रोटेक्शन देंगे। इसलिए ये सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए।

अंत में, मेरा मंत्री महोदया से एक निवेदन है कि पहली बार एशिया के देशों में, फर्स्ट टाइम इन दि हिस्ट्री, 31 मई से 30 जून तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबाल का खेल, वर्ल्ड कप जापान और कोरिया में हो रहा है। जहां तक दूरदर्शन की बात है, वह ज्यादा दाम देकर खेल दिखाने का राइट नहीं खरीद सकता है, तो क्या दूरदर्शन हमें इस मैच को दिखाएगा या नहीं?

जहां तक मुझे जानकारी है, उसके हिसाब से दूरदर्शन के हाथ में कोई राइट्स नहीं है। एक ही ग्रुप को ये राइट्स मिले हैं जो इंडिया में केबल आपरेटर्स सेटेलाइट के जरिए दिखाता है। उसका नाम स्टार स्पोर्ट्स चैनल है। स्टार स्पोर्ट्स चैनल ने 50 हजार रुपये का रेट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 50 हजार रुपए देंगे, आप खेल गतिविधियां दिखाइए। मेरी जानकारी के अनुसार दूरदर्शन तीन लाख रुपये मांग रहा है और कहा है कि अगर वे तीन लाख रुपये नहीं देंगे तो हम खेल नहीं दिखाएंगे।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि कल या परसों तक आप इस बारे में जानकारी लेकर कुछ इंतजाम करिए ताकि दूरदर्शन के सौजन्य से केबल द्वारा पहली दफा फुटबाल का वर्ल्ड कप जो एशिया में जापान और कोरिया के बीच हो रहा है, उसका आनंद हमारे देश के खेल प्रेमी ले सकें। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है।

मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में कल या परसों तक कुछ समाधान निकाल लेंगी क्योंकि 31 मई, 2002 से यह खेल शुरू हो रहा है जो कि 30 जून, 20002 तक चलेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम हम पूरे मन से संशोधन विधेयक का स्वागत करते हैं क्योंकि भारत सरकार इस विषय पर विचार–विमर्श करने के लिए अपनी विधायी शक्तियों के भीतर है, दूसरे केन्द्र सरकार की विधायी शक्तियों का प्रयोग केबल टेलीविजन उद्योग को और नियंत्रित करने के स्वीकृत उद्देश्य के लिए होता है जो पहले से ही केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा विनियमित किया जा रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि माननीय मंत्री महोदय इस पर कल चर्चा करने के लिए सहमत हैं तो हमें आधे घंटे की चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : कल नियम 193 के अधीन चर्चा होगी। इसमें समय लगेगा। इसलिए इस पर कल चर्चा करना संभव नहीं होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : विधेयक को पारित करने के पश्चात् हम इस पर चर्चा करेंगे। कल बिहार के मुद्दे पर चर्चा के कारण यह संभव नहीं होगा। नियम 193 के अधीन चर्चा होगी।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : केबल टेलीविजन नेटवर्क बहस का विषय नहीं है जो विशेषकर संघ सूची अर्थात् हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । में इंगित किया गया हो। संघ सूची की मद संख्या 31 केन्द्र सरकार को बेतार प्रसारण और ऐसे अनेक प्रकार की संचार व्यवस्था से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

जब संविधान बनाया गया था तो उस समय उपग्रह सिग्नल और आधुनिक ओप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क, संचार व्यवस्था से बिलकुल अनभिज्ञ थे क्योंकि न तो उनका आविष्कार हुआ था और न ही यह प्रयोग में था। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं की गहरी दूरदृष्टि के कारण संचार के क्षेत्र में सभी भावी आविष्कारों को शामिल करने का विचार किया। उन्होंने मात्र केन्द्रीय विषय होने के लिए संचार व्यवस्था के सभी रूपों पर विचार किया और इस प्रकार संघ सूची की मद संख्या 31 में संचार के रूपों जैसे अन्य सभी शब्दों का उपयोग किया।

वास्तव में, संघ सूची की मद सं. 97 केन्द्र सरकार को ऐसे सभी विषयों पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करती है जिन्हें सूची । और ।।। अर्थात् राज्य सूची और समवर्ती सूची में निर्दिष्ट किया गया है।

जब ऐसी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो यह बिलकुल उचित था कि केन्द्र सरकार ने सम्पूर्ण देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क को विनियमित करने के उद्देश्य से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम 7) को अधिनियमित किया।

मूल अधिनियम अर्थात् 1995 का केन्द्रीय अधिनियम 7 इस वर्तमान विधेयक द्वारा संशोधित होने जा रहा है। 1995 का अधिनियम यह मूल मुख्य डाकघरों के सभी मुख्य डाकघरों को पंजीकरण अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। इसलिए कोई अनुमति अथवा लाइसेंस किसी अन्य अधिकारी से प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। इस सुस्पष्ट प्रावधान के कारण तमिलनाडु द्वारा 'रिकार्ड किए गए वीडियो कैसेट के माध्यम से और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम 1984 के माध्यम से टेलीविजन स्क्रीन पर तमिलनाडु फिल्म प्रदर्शनी' नाम शीर्षक से वर्ष 1984 में पारित किए गए पहले के कानून जिसे राज्य प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित था, केन्द्रीय अधिनियम के अपनी प्रतिकूलता की सीमा से रद्द हो गया था। इसका तमिलनाडु सरकार के सचिव द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 के अपने पत्र (संस्थापना) संख्या–1876 गृह (सिनेमा–।।) विभाग में उल्लेख किया गया है।

यह संभव है कि संचार विषय के संबंध में विधान अथवा विधायी सक्षमता के लिए विषय से संबंधित संवैधानिक स्थिति को जाने बिना राज्य सरकार गलती से संघ के विषयों पर विधान बनाने का जोखिम उठा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को संघ द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को स्मरण कराना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को प्राप्त कार्यकारिणी शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निदेश दे सकती है।

जब पूरे देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क को विनियमित करने हेतु केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 का केन्द्रीय सरकार अधिनियम 7 है तो क्या केबल टेलीविजन नेटवर्क को विनियमित करने के उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों द्वारा पारित कानून होने चाहिए? यदि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इसी विषय पर विधान बनाने की अनुमति प्रदान दी जाती है तो हम आश्वस्त हैं कि इसी विषय पर 30 विभिन्न कानून होंगे। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण संविधान ही निष्प्रभावी हो जाएगा जो हमारे देश में केन्द्र और राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों को वैज्ञानिक रूप से पृथक करता है और इससे संविधान की खिल्ली उड़ेगी।

हम माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट किए गए संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानना चाहते हैं। केन्द्र सरकार इतनी बड़ी शरारत को किस प्रकार रोकने जा रही है जिसे या तो संचार के संबंध में अथवा केबल टेलीविजन उद्योग के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समान विषय पर कानून बनाकर पैदा की जाती रहेगी?

क्या माननीय मंत्री को तमिलनाडु विधान सभा द्वारा समान विषय पर पारित कानून और इसे स्वीकृति दिए जाने हेतु प्रतीक्षा के बारे में जानकारी है। क्या माननीय मंत्री ने राज्य के उक्त अधिनियम का अध्ययन किया है? केन्द्र सरकार के इस विषय पर क्या विचार हैं?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, केबल टी.वी. नेटवर्क विधेयक देर से आया है। देशभर में 3 करोड़ 80 लाख लोग घरों में केबल टी.वी. का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30,000 केबल आपरेटर्स हैं और 75 चैनल हैं। इसे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

इतने दिनों तक छोड़ दिया गया। यह सही है कि जो लोग मेहनत करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, काम करते हैं, उनको भी कुछ बचत होनी चाहिए ताकि फ्री छूट न दे दी जाए। आजकल टी.वी. बहुत लोकप्रिय हो गया है इसलिए कन्ज्यूमर्स टी.वी. देखने के लिए लाचार हैं। आम लोग टी.वी. देखना चाहते हैं। दूरदर्शन का एक मैट्रो चैनल है। यहां हम इतना भाषण देते हैं, काफी मेहनत करते हैं लेकिन देहात में उसका प्रचार ही नहीं है और वहां चैनल का दाम ज्यादा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि कोई रैगुलेटरी अथारिटी होनी चाहिए नहीं तो अगर कोई गड़बड़ होगी तो हम किसको कहें। एक दिन हमारे यहां टी.वी. में 'आज तक' नहीं आ रहा था। हमने पूछा तो बताया गया कि केबल की गड़बड़ी है इसलिए नहीं आ रहा है। ऐसे में किसको कहा जाए। इसलिए एक रैगुलेटरी अथारिटी होनी चाहिए जो इसकी देखभाल करे नहीं तो पे–चैनल, ब्रॉडकास्टर्स आदि सब आपस में झगड़ा करते हैं जिसकी वजह से कन्ज्यूमर्स पर भार पड़ता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज प्रकाशि हुई है–केबल कनेक्शन की दर 300 रु. होगी। वैसे केबल के सौ–सवा सौ रुपये लगते हैं लेकिन अब यह न्यूज प्रकाशित हुई है।

[अनुवाद]

"केबल कनेक्शन की दर 300 रुपये होगी;"

केबल ऑपरेटरों ने मई से 300 रुपये प्रति माह का केबल शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अनेक बहु प्रणाली ऑपरेटरों द्वारा लिया गया जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में बैठक की।

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है कि देश भर में सब ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, उनकी लॉबी भी है, उनका हर जगह प्रभाव क्षेत्र है तो फिर कन्ज्यूमर्स का क्या होगा। ये सब लोग जब–तब बैठक करके पैसा बढ़ा लेंगे। लोग टी.वी. देखने के लिए लाचार हैं, इसीलिए इस पर कडे नियंत्रण की जरूरत है।

इसमें आगे लिखा है :

[अनुवाद]

"शुल्क बढ़ाए जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए अखिल भारतीय कवायत के रूप में दिल्ली में पिछले सप्ताह सिटी केबल के जवाहर गोयल, ईनकेबलनेट के आर.जे. हिन्गोरानी, हैथवे एंड ओरटेल के जग्गी पण्डा सहित सभी अग्रणी व्यक्ति मिले। अनेक केबल ऑपरेटर पहले ही यह शुल्क बढ़ा चुके हैं।"

[हिन्दी]

इन सब लोगों को धन वसूलना अच्छा लगता है। इन पर कोई लगाम ही नहीं है, अराजकता है और सारा काम बेलगाम चल रहा है। यह सब कैसे हो रहा है, यह सब तो सुविचारित है। जिस समय यह शुरू हुआ, उसी समय इस पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए था। अन्त में देखा जाए :

[अनुवाद]

"तथापि, प्रसारणकर्ता सरकार से शर्तबंद अधिगमन को अनिवार्य बनाने में ढील चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि सरकार एक सेट–टॉप–बॉक्स के माध्यम से प्रसारण होने वाले पे–चैनेल को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लेती है तो ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी। उपभोक्ताओं को पे–चैनल देखने के लिए लगभग 3,000 रुपये की लागत वाले एक सेट–टॉप–बॉक्स खरीदना पड़ेगा।"

[हिन्दी]

पहले टी.वी. खरीदा, फिर 100-200 रुपये महीना दे रहा है, अब 3000 रुपये की मशीन कंज्यूमर को खरीदनी पड़ेगी। इस सारे मामले को साफ करके देखना चाहिए कि टी.वी. की जो लोकप्रियता हुई है, उस लोकप्रियता से लोग टी.वी. देखने के लिए लालायित हैं, बहुत उत्सुक हैं। उनकी इस उत्सुकता का शोषण न किया जाये, ये सब लॉबीज और संगठित समूह मिलकर आम उपभोक्ता जो देखना चाहते हैं और देखने के लिए उत्सुक हैं, उनका शोषण न कर सकें, इसके लिए हरचन्द उपाय होना चाहिए। मंत्री महोदय ने दावा किया है कि इस विधेयक में आम उपभोक्ता को हम राहत दे देंगे और इससे नियंत्रण हो जायेगा–यह देखना है, लेकिन कोई रैगुलेटरी अथारिटी होनी चाहिए, जो इस सब की देखभाल करे और नियंत्रण रखे, नहीं तो ब्रॉडकास्टर, पे–चैनल और केबल वाले कभी लड़ेंगे, झगड़ा–झंझट करके आम उपभोक्ता

पर बोझ डाल देंगे। इसलिए इस पर देखभाल करके ठीक से काम करना चाहिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति जी, मंत्री महोदया जो केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2002 लाई हैं, मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करता हूं।

मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं दूंगा। इसमें मेरा कुछ अनुभव है और मेरे मन में कुछ बात है, वह सदन में रखूंगा। राज्य सभा के एक सदस्य श्री राम जेठमलानी जी ने एक अनस्टार्ड क्वश्चन किया था,

[अनुवाद]

"क्या सरकार ने ऐसे परिवारों की संख्या से संबंधित सर्वेक्षण कराया है जो देश में केबल नेटवर्क के माध्यम से टी.वी. कार्यक्रम देखते हैं।"

[हिन्दी]

इसमें गवर्नमेंट का उत्तर है कि :

[अनुवाद]

"सरकार ने केबल उद्योग के कारोबार का मूल्यांकन करने के लिए केबल नेटवर्क से जुड़े हुए परिवारों की संख्या का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।"

[हिन्दी]

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सुझाव होगा कि सरकारी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से इसका सर्वे कराने की जरूरत है। कितने टी.वी. केबल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनमें से कितने सरकारी चैनल्स से जुड़े हुए हैं और कितने निजी चैनल्स से जुड़े हुए हैं, इस सबका सर्वे होना चाहिए। मुझे रेट के बारे में भी कुछ कहना है। अभी-अभी डा. रघुवंश प्रसाद जी ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से केबलधारकों को राहत मिलने वाली है। ज्यादातर राहत उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज उपभोक्ता केबल ऑपरेटरों को 300 रुपए या उससे भी ज्यादा रकम का मंथली भुगतान कर रहा है। हमारा देश गरीब देश है। हमारे यहां लोगों की पेइंग केपेसिटी कितनी है, यह भी सोचना होगा। लोगों की विभिन्न चैनल्स देखने की लालसा होती है, लेकिन जो क्लास थ्री और फोर के लोग हैं, उनके लिए इतनी ज्यादा रकम देना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो रेट बढ़ा है, इस बिल से जो राहत लोगों को मिलने वाली है, वह रेट आगे न बढ़े, इस पर भी वे ध्यान दें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी इसमें पूंजीपतियों की मोनोपली है। जो छोटे-छोटे केबल आपरेटर्स हैं, उनका भी प्रोटेक्शन इस विधेयक के माध्यम से होना चाहिए। इसका व्यापारीकरण न हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। केबल आपरेटर्स पर कुछ सामाजिक दायित्व भी होना चाहिए।

प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स का जो नेटवर्क है, वह अभी शहरों तक या तालुकों तक ही सीमित है। दूर-दराज के गांवों में अभी केबल शुरू नहीं हुआ है। वहां के लोग अभी भी निजी चैनल्स से वंचित हैं। इसलिए ऐसा मापदंड होना चाहिए कि दूर-दराज के जो क्षेत्र हैं, जो देहात हैं, वहां भी इसकी सुविधा लोगों को मिले।

यह बिल पहले आना चाहिए था, लेकिन अभी भी उचित समय पर मंत्री जी ने यह बिल पेश किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, मैं इस बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। वैसे भी मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिल पेश करते हुए मंत्री जी ने कम शब्दों में सारी बातों का जिक्र कर दिया था। तीन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक सवाल जहां ब्राडकास्टर्स का है, वहीं केबल ऑपरेटर्स और उपभोक्ताओं का भी है। मंत्री जी ने जो बिल सदन में रखा है, यह उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने वाला है। मुझे एक-दो बिंदुओं पर शंका है, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने जवाब के क्रम में उत्तर दें। उपभोक्ताओं का जो पैसा लगता है, जैसा बिल में आया है कि सारे देश के केबल आपरेटर्स बैठकर तय करेंगे।

अपराह्न 5.59 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

यह बात केबल ऑपरेटर्स पर क्यों छोड़ी जा रही है, इस व्यवसाय में मुनाफा कितने प्रतिशत दिया जाएगा, इसका

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

सीमा निर्धारण होना चाहिए। पूंजी कितनी लगती है, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसका जो रेट निर्धारण हो, वह देश के राज्यों की राजधानियों के अनुसार अलग–अलग होना चाहिए। जैसे एक तरफ महाराष्ट्र है तो दूसरी तरफ बिहार और वैस्ट बंगाल हैं। इन क्षेत्रों में लोगों की आय में काफी असमानता है। इसलिए आय के स्रोत के आधार पर रेट निर्धारित होना चाहिए। कई ऐसे राज्य हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यदि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वहां के उपभोक्ताओं की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती।

सायं 6.00 बजे

ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि इस मूल्य का निर्धारण राज्य की आर्थिक व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि कुछ निःशुल्क चैनल चलते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि जो चैनल शुल्क लेते हैं, आखिर प्रचार से कितनी आमदनी होती है, इसका एक हिसाब होना चाहिए। यदि प्रचार से उनको आमदनी उतनी हो जाती है तो फिर चैनल पर पैसा निश्चित करके और उपभोक्ताओं पर अलग से बोझ लादने का क्या औचित्य हो सकता है? वे व्यवसाय करते हैं। उपभोक्ताओं के प्रचार के कारण ही आमदनी होती है और फिर अलग से उपभोक्ताओं पर चैनल का पैसा और लादा जाए, तो इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आप गंभीरता से लीजिए कि व्यवसाय में उनको कितना मुनाफा दीजिएगा? उपभोक्ताओं पर इसमें दोहरी मार पड़ती है। इसलिए हम चाहेंगे कि उपभोक्ताओं पर चैनल के पैसे का भार न पड़े।

जहां तक मनोरंजन का जो चैनल है, अगर उपभोक्ता चैनल लेते हैं तो उसमें पैसा लगेगा और हमें इसमें कुछ नहीं कहना है लेकिन मनोरंजन के अलावा अन्य चैनल पर उपभोक्ताओं को निःशुल्क चैनल दिया जाना चाहिए। उसमें उपभोक्ताओं का पैसा नहीं लगना चाहिए। जहां तक बक्से की जो बात चल रही है, मंत्री जी की नीयत है कि उपभोक्ताओं को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें। अभी केबल ऑपरेटर वालों ने रेट रखा हुआ है। बक्से के बाद और अधिक भार पड़ गया तो हमारी समझ में तो यह आता है कि जिस नीयत से मंत्री महोदया जी यह बिल ला रही हैं, वह नीयत फेल हो जाएगी। इसलिए बक्सा जो आप रखवा रही हैं, आप यह स्पष्ट करिए कि उसका भार किस पर पड़ेगा? इस बक्से का भार क्या सरकार अपनी तरफ से देगी या केबल ऑपरेटर वाले देंगे या इस बक्से का भार उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा? हमारा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिए और साथ ही निगरानी के लिए आप कौन सी व्यवस्था कर रही हैं? आप जो केबल ऑपरेटर के लिए कानून बना रही हैं कि जिससे कोई गड़बड़ न हो, जैसी कि आपने अपने प्रस्ताव में शंका जाहिर की थी कि केबल ऑपरेटर वाले सही आंकड़े नहीं देते हैं, यह गड़बड़ी हुई। तो इस तरह की गड़बड़ी फिर न हो, इसके नियंत्रण के लिए कौन सी व्यवस्था आपने की है, इस पर विस्तार से आप बता दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि उपभोक्ताओं पर अधिक भार न पड़े, यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, जब मैंने अनुच्छेद 254 का अध्ययन किया तो उसमें एक परन्तुक है। वास्तव में राज्य भी केबल टेलीविजन नेटवर्क संबंधी विधान पारित करने में सक्षम है और इसी समय केन्द्र सरकार को एक विधान पारित करने में अधिकार मिला है बशर्ते कि यह परन्तुक राज्य की सहायता कर रहा है। महोदय, अनुच्छेद 254(2) कहता है :

> "परंतु इस खंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है, जो राज्य के विधान–मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्द्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियम करने से निर्धारित नहीं करेगी।"

महोदय, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 आज पारित होने जा रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

महोदय, हम हुमाऊं रोड पर रहते हैं। वहां साउथ एवेन्यू अथवा नार्थ एवेन्यू की तुलना में शुल्क भिन्न है। केबल टेलीविजन ऑपरेटरों की मांग है कि हुमाऊं रोड के निवासियों को प्रति माह 250 रुपये का भुगतान अदायगी करने हैं जबकि साऊथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू के निवासियों को 150 रुपये प्रतिमाह का भुगतान कर रहे हैं। इसलिए यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग–अलग है...*(व्यवधान)* इसलिए यह विधेयक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया है। एक ही समय में सभी उपभोक्ता सभी चैनलों का उपयोग नहीं करते हैं। उपभोक्ता चुनिंदा चैनलों का चयन कर सकते हैं और वे इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। मैं समझता हूं इसीलिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक 2002 को पुरःस्थापित किया गया है और यह संसद के विचाराधीन है।

एक संदर्भ था कि तमिलनाडु विधानमंडल ने हाल ही में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक पारित किया है जिसे राज्यपाल की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

उक्त विधेयक का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रणाली को विनियमित करना, और केबल टी.वी.नेटवर्क के संबंध में वीसीआर बहु–प्रणाली संचालन के माध्यम से टेलीविजन स्क्रीन पर सिनेमा, नाट्य प्रदर्शन, खेल–कूद और मनोरंजन के प्रदर्शन को विनियमित करना है। वर्ष 1996 से ऐसी स्थिति थी कि तमिलनाडु राज्य में कहीं भी कोई भी बिना किसी लाइसेंस के केबल टी.वी. नेटवर्क का संचालन कर सकता था। उनके प्रचालन को विनियमित करने और किसी एक टी.वी. के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ही...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : सन टी.वी.।

श्री पी. एच. पांडियन : जी हां, सन टी.वी.। इस प्रकार, उनके द्वारा इसके प्रचालन को विनियंत्रित करने के लिए यह विधेयक लाया गया था। फिर, वे उपभोक्ताओं से 250 रुपए प्रति माह वसूल रहे थे। इसी उद्देश्य से तमिलनाडु विधान सभा द्वारा यह विधेयक पारित किया गया था। किसी को भी प्रचालन की अनुमति नहीं दी गई थी। वे बिना लाइसेंस के प्रचालन कर रहे थे। चूंकि वे सत्ता में थे, और इस प्रकार उस टी.वी. पर उनका संरक्षण था।

मेरे पास केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के ही विधेयक थे और मैं उनका अध्ययन कर रहा था। मंत्री महोदय तमिलनाडु विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक की विषय–वस्तु के बारे में भी जाने। दोनों बिल्कुल ही भिन्न हैं। जहां तक तमिलनाडु विधानमंडल की क्षमता का संबंध है, वे इस विधेयक को पारित करने में सक्षम है। और यह क्षमता किस सीमा तक प्रदर्शित हुई है, यह प्रश्न नहीं है क्योंकि दोनों ही विधेयकों की विषय–वस्तु भिन्न है। केन्द्रीय विधेयक इसे कुछ सीमा तक विनियमित कर रहा है और राज्य विधेयक इसको काफी हद तक विनियमित कर रहा है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया विधेयक, लाइसेंसिंग प्रणाली को विनियमित करता है जबकि केन्द्रीय विधेयक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

फिर, मैं यह कहना चाहता हूं कि टी.वी. चैनलों को राज्य सरकारों से, केन्द्र सरकार से और विभिन्न औद्योगिक घरानों से काफी विज्ञापन मिलते हैं। इन विज्ञापनों की रेटिंग को विनियमन को सुगम बनाने और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के लाभ के लिए तमिलनाडु में एक विधेयक के माध्यम से लाइसेंसिंग प्रणाली आरंभ की जा रही है ताकि सरकार को केबल नेटवर्क प्रचालन से कुछ धन प्राप्त हो सके। विधेयक के पारित होने की तिथि तक राज्य सरकार को केबल नेटवर्क से कोई आय नहीं होती थी। इसलिए, खराब आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए सरकार की सहायता करने हेतु वर्तमान मुख्य मंत्री डा. पुराची थालेवी द्वारा इस मार्ग को प्रशस्त किया गया था...*(व्यवधान)* यह एक तरीका है। केबल टी.वी. चैनलों को अपने लाभ को सरकार के साथ शेयर करना चाहिए। एक टी.वी. चैनल 20,000 रुपए की शेयर पूंजी से शुरू किया जाता है...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : कौन सा टी.वी.? सन टी.वी?

श्री पी. एच. पांडियन : मैं नहीं जानता। वह उत्तर दे रहे हैं, महोदय।

20,000 रुपए की शेयर पूंजी से शुरू किया गया टी. वी. चैनल प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपए के कर का भुगतान करने में समर्थ था और उस कारोबार के माध्यम से, वे अपने प्रचालन को आंध्र प्रदेश (जैमिनी टी.वी.) और केरल (सूर्या टी.वी.) तक विस्तार करने में समर्थ थे...।*(व्यवधान)*

श्री एस. एस. पालनीमनिक्कम : महोदय, वे तीन पीढ़ियों से इस कारोबार को करते रहे हैं...।*(व्यवधान)* उनके पास अपने कारोबार का अन्य राज्यों में विस्तार करने का सामर्थ्य है।

[श्री पी. एच. पांडियन]

...*(व्यवधान)* उन्होंने खाता–बही को प्रस्तुत किया है और कर का भी भुगतान किया है। इसमें गलत क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : हम चाहते हैं कि सरकार के पास धन आए।...*(व्यवधान)* वे अपने राजनीतिक उपक्रम से समृद्ध होने में समर्थ थे।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं...।*(व्यवधान)*

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : आपने भी जया टी. वी. आरंभ किया है परन्तु असफल रहे। हम उसमें क्या कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : श्री पांडियन, मुझे अभी भी विश्वास है कि आप एक अधिवक्ता हैं। आप कानून के दायरे में बाले रहे हैं। संविधान में अवशिष्ट शक्ति क्या है?...*(व्यवधान)* यदि राज्य विधानमंडल...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : क्या आप मुझे संविधान और संवैधानिक वैधता सिखा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : क्यों नहीं? कोई भी किसी को सिखा सकता है। जब आपको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, तो मुझे अपने साथी सदस्य को संविधान के बारे में सीख देने का पूरा अधिकार है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : कृपया बैठ जाइए। आप 'बच्चा' वकील हैं।...*(व्यवधान)* क्या आप मुझे संविधान के बारे में बता रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : क्यों नहीं? मेरे विचार से मैं आपसे ज्यादा सक्षम हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : आप मुझे संविधान नहीं पढ़ा सकते...*(व्यवधान)*

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : सभापति महोदय, यह सही नहीं है। माननीय सदस्य श्री पांडियन आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)* वह एक दूसरे सदस्य पर लांछन लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)* वह मंत्री महोदय को 'बच्चा' वकील कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* श्री राजा भी एक अधिवक्ता हैं। महोदय, माननीय सदस्य श्री पांडियन को अपनी टिप्पणी वापस लेनी होगी। उन्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : आप 'बच्चा पुरात्ची थैलवी' हैं।...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : महोदय, मुझे उनके वकालत की प्रामाणिकता पर संदेह है।...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। श्री पांडियन एक साथी सदस्य के विरुद्ध लांछन लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : जी, नहीं। आप साथी सदस्य से क्यों डर रहे हैं?...*(व्यवधान)* सन टी.वी. प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपए का भुगतान कर के रूप में कर रही है।...*(व्यवधान)* भेद को खुलने मत दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, इन आरोपों को कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। यह असंसदीय है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अनपार्लियामेंट्री शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, माननीय सदस्य श्री पांडियन अन्य सदस्य पर लांछन लगाए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : सन टी.वी. ने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया है। क्या आप इससे सहमत हैं? ...*(व्यवधान)* सन टी.वी. ने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया है।

सभापति महोदय : श्री पांडियन, कृपया केबल विधेयक पर ही बोलिए। आप अपने आपको केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक तक सीमित रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : केवल पांडियन जी की स्पीच ही रिकार्ड में जाएगी।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन : सन टी.वी. ने विदेशी मुद्रा संबंधी उल्लंघन किया है। इसे मंत्री श्री मारन द्वारा संरक्षण प्राप्त है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पांडियन जी, आप बिल पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : यदि आपमें सचमुच में ही साहस है तो आप संवैधानिक आधार पर क्यों नहीं बोलते? आप संविधान का अध्ययन कीजिए। केन्द्र सूची के मद संख्या 97 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है जो राज्य विधानमंडल को प्रदत्त नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : मुझसे संविधान की बात मत कीजिए।...*(व्यवधान)* महोदय इसे भी मारन द्वारा संरक्षण प्राप्त है।...*(व्यवधान)* आप संविधान की बात छोड़िए। क्या आपने कर के रूप में 14 करोड़ रुपए का भुगतान किया है या नहीं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पांडियन कृपया आप विधेयक एवं इससे संबंधित मुद्दों पर ही बोलिए।

श्री आदि शंकर : महोदय, सभी असंसदीय टिप्पणियों को कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : उन्होंने सन टी.वी. को आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, केरल की मजबूती प्रदान की है और अब वह 'दिल्ली' की मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह ठोस ...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : महोदय, इन सभी टिप्पणियों को कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पी. एच. पांडियन : इन्हें कार्यवाही–वृत्तांत में क्यों सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? सीमेंटिड असंसदीय नहीं है।...*(व्यवधान)* उन्होंने केरल की मजबूती प्रदान की है।... *(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, संगत अभिलेखों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : केवल मूर्ख ही शब्दों से डराए जा सकते हैं। इस तरह मत बोलिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पांडियन जी, आप बिल पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन : 'सीमेंटिंग' के लिए आपको सीमेंट की आवश्यकता है। सीमेंट के लिए आपके पास उद्योग होना चाहिए। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आपको संरक्षण चाहिए। यदि आपको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो आप सीमेंट का मूल्य बढ़ा सकते हैं।...*(व्यवधान)* एक सीमेंट उत्पादक संघ था जिसके माध्यम से सन टी.वी. फल–फूल रहा था। ...*(व्यवधान)* इसीलिए मैंने कहा कि 20,000 रुपए की शेयर पूंजी पर उन्होंने 14 करोड़ रुपए के कर का भुगतान किया। ...*(व्यवधान)* मुझे यह ब्यौरा सभा में दिए गए एक प्रश्न के जवाब में मिला है।...*(व्यवधान)*

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : महोदय, यह क्या है? विषय मामला क्या है और माननीय सदस्य क्या बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कोई एलिगेशन कार्यवाही में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। हमारे पास विधेयक क्या है और हम बातें क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। मेरे साथी सदस्य श्री पांडियन जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। वह कतिपय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो इस विधेयक से बिल्कुल ही अलग है। आप कृपया इन सब बातों को कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दीजिए।

सभापति महोदय : श्री पांडियन, आप कृपया विधेयक पर ही बोलिए।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मेरा कहना है कि एक उद्यमी जो कि राजनीतिक शख्सियत है, ने अपने राजनीतिक

[श्री पी. एच. पांडियन]

प्रभाव से टी.वी. पर एकाधिकार किया...*(व्यवधान)* 'सुमंगली प्रकाशन' तमिलनाडु में एकाधिकार कर रहा था। क्या आपको पता है सुमंगली प्रकाशन, सुमंगली केबल क्या है? यह तमिलनाडु में था। इसे एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त था।

सभापति महोदय : बहस तलिनाडु के बारे में नहीं है। बहस केबल टी.बी. के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री आदि शंकर : महोदय, अम्मा 'सुमंगली' नहीं हैं। पुरात्ची थैलवी 'सुमंगली' नहीं हैं। तब वह 'सुमंगली' शब्द पर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, यह कार्यवाही–वृत्तंत में सम्मिलित नहीं किया जाए...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : मैं चाहता हूं कि यह सारी बातें कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित की जाएं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कोई भी असंगत बात कार्यवाही में नहीं जाएगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, 'सुमंगली' और 'अम्मा' शब्द इस बिल से संबंधित नहीं हैं। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से माननीय पांडियन जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस बिल पर ही बोलें और अपनी बात कहें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन : उन्होंने केबल टी.वी. पर एकाधिकार राजनीतिक दबाव के द्वारा किया था। यह सत्ता का दुरुपयोग है। आपने 4500 रुपये की बात की। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने श्री यशवंत सिन्हा के विरुद्ध एक पोस्टर बिल का आरोप लगाया। उसमें कुछ भी नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने वित्त मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। वित्त मंत्री ने स्वयं वक्तव्य दिया है। अपने विरुद्ध आरोप लगाने में वह स्वयं सक्षम हैं। हमने उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मैं बहस में भाग नहीं लेता। चूंकि उन्होंने कहा था कि संविधान के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया था और मैं बात को ठीक करना चाहता था। अतः मैंने बहस में भाग लिया।...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : श्री पांडियन को यह अच्छी तरह पता है कि यह संविधान के विरुद्ध है, लेकिन इसके बावजूद वे...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : नहीं...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : इन सभी बातों को मत छिपाइए। आप एक वरिष्ठ वकील हैं। आपको सही बात का पता होना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : कानूनी रूप से गुमराह होने वाला मैं अंतिम व्यक्ति हूंगा। अनुच्छेद 254 के परन्तुक में कहा गया है :

"परन्तु इस खंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है, जो राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।"

आप विधि का निरसन नहीं कर रहे हैं। विधि वहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : आप केवल इसी मुद्दे पर बचाव कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तमिलनाडु सरकार इससे बच नहीं सकती...*(व्यवधान)* आप इसी पर बचाव कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : इसमें असंगति किस सीमा तक है? यदि यह संविधान के पूर्णतः विरुद्ध है तो किसी विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून अवैध है। अतः, मेरा कहना है कि असंगति किस सीमा तक है। इसीलिए दोनों में अन्तर है। यहां तक तमिलनाडु ने भी लाइसेंस की पद्धति को विनियमित करने के लिए कानून बनाया है और न कि किसी और के लिए...*(व्यवधान)* यहां कोई न्यायालय नहीं है...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है ...*(व्यवधान)* यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, यह विधेयक पारित किया जाना चाहिए। आप विधेयक को पारित किए जाने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पांडियन, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. एच. पांडियन : हां, महोदय, समाप्त कर रहा हूं। महोदय, टी.वी. लाभकारी व्यवसाय है। केबल टी.वी. दूसरा लाभकारी व्यवसाय है क्योंकि लगभग सौ चैनल हैं और विदेशी चैनल भी हैं...*(व्यवधान)* आप अपना आचरण सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन : इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने बताया कि मैंने क्या गलती की। क्या मैंने बोलकर गलती की? मंत्री महोदय राज्य के कानून के उद्देश्य को जानेंगे और आपके कानून के उद्देश्य को जानेंगे। मंत्री महोदय को कहने दीजिए। यदि वे कहेंगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। यदि वे कहेंगी कि राज्य द्वारा बनाया गया कानून असंगत है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा...*(व्यवधान)* मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* इसीलिए मैंने कहा कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून किस सीमा तक असंगत है। राज्य सरकार ने ऐसा कानून पारित किया है। केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए इस हद तक का कानून पारित किया है। लगातार हस्तक्षेप के कारण लोग इससे बहुत नाराज हैं... *(व्यवधान)*

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : क्या यह अप्रासंगिक था?

श्री टी. आर. बालू : इसकी क्या प्रासंगिकता है?

श्री पी. एच. पांडियन : मैं सन टी.वी. देखता हूं, मैं भी दर्शक हूं। क्या मुझे इसके बारे में बात करने का अधिकार नहीं है?

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

अब खत्म करो।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन : इसके बाद मैं उस तरह बात करूंगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इस कानून से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।

संसद में स्वतन्त्र बहस होनी चाहिए और उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि हस्तक्षेप किया जाएगा तो समस्या पैदा होगी। यदि कोई असंसदीय बात है या कुछ असत्य है तो मुझे बताइए मैं इस सभा से वापस ले लूंगा। मेरी टिप्पणी को हटाए जाने का सवाल ही नहीं है। आप क्यों चाहते हैं कि सन टी.वी. द्वारा कर के रूप में 14 करोड़ रुपये के भुगतान के उल्लेख से संबंधित टिप्पणी को कार्यवाही–वृत्तांत से निकाला जाए?

श्री टी. आर. बालू : आप सन टी.वी. की बात करके समस्या पैदा कर रहे हैं। जब केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन विधेयक पर विचार–विमर्श हो रहा है तो इस संबंध में बात करने की क्या प्रासंगिकता है?

श्री पी. एच. पांडियन : ऐसा इसलिए है क्योंकि वे केबल टी.वी. आपरेटर हैं।

श्री टी. आर. बालू : आप केवल इस सभा के सदस्य ही नहीं बल्कि व्यवसाय से एक वकील हैं। आप जानते हैं कि कानून क्या है और संविधान में क्या कहा गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन : 1996 से 2001 तक सभी केबल टी.वी. ऑपरेटरों को डीएमके सरकार ने परेशान किया। इस पर आंदोलन हुए। सभी टी.वी. ऑपरेटरों ने एक सभा की जहां एकत्रित होकर सबने इस पर चर्चा की। मुख्य मंत्री इनके बचाव के लिए आगे आए और इन केबल ऑपरेटरों की रक्षा की।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, यह एकदम गलत है। उन्होंने जो आरोप लगाया है उन्हें उसका प्रमाण देना होगा।

[श्री पी. एच. पांडियन]

अन्यथा, सब कुछ कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जाए। कृपया इस बात का ध्यान रखिए।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदय, बहस के लगभग अंत में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं साथ ही मैं कुछ आपत्तियां भी प्रकट करता हूं।

सर्वप्रथम, इससे केबल उद्योग में लाइसेंस प्रणाली शुरू होगी। गत 10 से 12 वर्षों में केबल उद्योग का बहुत विस्तार हुआ है और इसमें बहुत अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं। मेरे विचार में इससे लाइसेंस की नई प्रणाली की शुरूआत होगी। इसके प्रमुख कारण जिनसे मैं कुछ कारणों से सहमत भी हूं, निम्न हैं :

> "सरकार द्वारा समय–समय पर यह विहित किया जाना कि अभिदाता केबल सेवा प्रदाता को आधारिक सेवा पंक्ति के लिए, जिसमें निःशुल्क प्रसारण चैनलों का गुलदस्ता होगा और सरकार इस पंक्ति में चैनलों की संख्या तथा देश के विभिन्न राज्यों/नगरों/क्षेत्रों में उसके लिए समय–समय पर अधिकतम लागत भी अवधारित किया जाना।"

यह अधिकतर इस पर निर्भर करेगा कि नौकरशाही इस प्रणाली को कैसे चलाएगी। सामान्यतः नियंत्रण से भ्रष्टाचार कुछ सीमा तक अनिवार्य रूप से फैलता है। मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिए कि इस प्रणाली में ऐसी गिरावट नहीं आएगी कि कोई भी इंस्पेक्टर या ऑपरेटर किसी घर में जाए, किसी व्यक्ति के पास जाए, और अपनी शर्तें बताएं तथा धनोपार्जन करें। सबसे प्रमुख बात यह है कि दर्शकों के पास क्या विकल्प हैं? मैं वास्तविक उपभोक्ता के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जब इस विशेष मामले में जहां ओपेन एसेस सिस्टम हो तो किसी दर्शक को स्वयं ही निर्णय करना होता है कि उसे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। लेकिन इस विधेयक में अश्लीलता, अत्यधिक हिंसा, सेक्स और विज्ञापन के अयोग्य बातों को विज्ञापित करने पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रस्ताव किया गया है, वह निश्चय ही स्वागत योग्य प्रावधान है। दूसरे, मेरा सोचना है कि हमें प्रौद्योगिकी के द्रुत प्रसार के विषय में अवगत होना चाहिए। जब आप 'केबल प्रणाली' के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि 'ब्राड बैंडिंग' व्यवहारिक रूप से कार्नर में आ गई है और प्रयोग में आने के लिए तैयार है। इस समय प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव आ रहा है और कुछ ही समय में 'आप्टीकल फाइबर' के माध्यम से डिजिटल सिस्टम को समय की मांग बन जाना चाहिए।

अभिसारिता विधेयक सभा में लंबित है। मैं नहीं जानता कि सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार किए जाने के बाद इस विधेयक का क्या भविष्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होगी। मैं अपनी वास्तविक चिंताओं के रूप में इन मुद्दों को उठा रहा हूं न कि इस विधेयक का विरोध करने के रूप में। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अन्य देशों के अनुभवों पर भी विचार किया गया है या नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार के माध्यम से तेजी से इसका लोप होता है और केबल उद्योग से संबंधित कंपनियां व्यवहारिक रूप से कारोबार विहीन हो जाती हैं। इसलिए, हमें इस पहलू पर गौर किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश के अनेक लोगों को रोजगार देने वाली विद्यमान प्रणाली किसी ऐसी सरकारी प्रणाली का शिकार न हो जिसमें ज्यादातर केबल ऑपरेटरों को अपना कारोबार बंद करने के लिए और इन लोगों को बेरोजगार होने के लिए बाध्य किया जाता है। किसी भी मामले में, उपभोक्ता के पास अंतिम निर्णय होना चाहिए।

महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणियों में कुछ शंकाओं का समाधान किया है। मुझे आशा है कि वह कुछ और शंकाओं और चिंताओं का भी समाधान करेंगे जिन्हें मैंने अभी व्यक्त किया है। चूंकि समय की कमी है, इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि इससे एक नए युग की शुरूआत होगी।

(हिन्दी)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक, 1995 में संशोधन करने के लिये माननीय मंत्री जी यह बिल लायी हैं। जब से देश में टी. वी. नेटवर्क चला है, लोगों को इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। यह टी.वी. नेटयर्क भारत सरकार की परमीशन से 1995 से चल रहा है। गांव–गांव, शहर–शहर में केबल

टी.वी. नेटवर्क अच्छी तरह से काम कर रहा है लेकिन इस टी.वी नेटवर्क पर जितना सरकार का कंट्रोल होना चाहिये था, उतना नहीं है। लगता है कि 1995 के इस कानून के माध्यम से टी.वी. केबल नेटवर्क पर कंट्रोल कम हो गया और डिस्पिलिन कम दिखाई पड़ रहा था, इसलिये पहले 2000 में और अब 2002 में मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लेकर आई हैं।

सभापति महोदय, टी.वी. केबल नेटवर्क को इतनी फ्रीडम नहीं होना चाहिए। इनके द्वारा सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। इस नेटवर्क द्वारा लोगों की भूमिका में परिवर्तन होना चाहिए। आज देश में असमानता बहुत बढ़ रही है। इसलिए इस केबल नेटवर्क द्वारा ऐसे प्रोग्राम दिखाये जाने की आवश्यकता है। आप टी.वी. पर रामायण और महाभारत दिखाओ लेकिन बुद्धिज्म के मामले में लोगों में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। आज कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। टी.वी. चैनल्स पर इसको दिखाया जा रहा है। गुजरात में गोधरा की घटना के बाद टी.वी नेटवर्क पर बहुत कुछ दिखाया गया। वे दिखा रहे थे कि मुसलमानों की भूमिका क्या बनती है। सरकार का इस पर कंट्रोल होना चाहिए। लोगों के मन में शान्ति पैदा होनी चाहिए परन्तु आज क्रान्ति पैदा हो रही है। हर समय एक–दूसरे को खत्म करने की संभावना तैयार होती रहती है। रोज ही एक बात टी.वी. चैनल्स पर दिखाई जाती है, उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिये कि कितनी बार उस चीज को दिखाया जाना चाहिए।

सभापति जी, आज प्राइवेट चैनल्स का दूरर्शन कंपीटीशन नहीं कर पा रहा है। लोग स्टार, जी न्यूज, सहारा चैनल्स ज्यादा देखते हैं। दूरदर्शन को केपेबल होने की आवश्यकता है।

दूरदर्शन न्यूज हर आदमी देखे, लेकिन बहुत बार लोग दूरदर्शन न्यूज नहीं देखते हैं। यदि आप इस पर कंट्रोल रखना चाहती हैं तो दूरदर्शन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी जो विधेयक लाई हैं, वह बहुत अच्छा विधेयक है। केबल टेलीविजन नेटवर्क पर कंट्रोल रखने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन केवल कानून बना देने से इस पर कंट्रोल होने वाला नहीं है। उसके लिए अच्छे अधिकारी तैयार करने की भी आवश्यकता है। आप केवल कानून बनाती रहें और अधिकारी केवल लेते–देते रहें। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप अच्छे अधिकारी बनाओ और ऐसा कानून बनाओ, जिस कानून के माध्यम से अच्छे अधिकारी बनने चाहिए। जब तक अच्छे अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक आप कितने ही कानून बनाओ, इन कानूनों का उपयोग होने वाला नहीं है।

हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि टी.वी. पैसा कमाने के लिए काम करता है। लेकिन केवल पैसा कमाने का काम इसे नहीं करना चाहिए। इसे समाज में कुछ परिवर्तन का काम भी करना चाहिए। चाहे वह सन टी.वी. हो। पांडियन जी ने बताया है कि 14 करोड़ रुपए सन टी.वी. ने टैक्स दिया है।...*(व्यवधान)* उसने इससे ज्यादा पैसा कमाया है। लेकिन 14 करोड़ रुपए उसने टैक्स दिया है।

(अनुवाद)

श्री टी. आर. बालू : सन टी.वी. ने किसी को धोखा नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : उनके द्वारा आयकर के रूप में 14 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।...*(व्यवधान)*

(हिन्दी)

श्री रामदास आठवले : 14 करोड़ रुपए उसने टैक्स दिया है। इसका मतलब है कि उसका काम ठीक चल रहा है। अगर उन्हें सन टी.वी. चलाना है तो आप लोग मन टी. वी. निकाल सकते हैं। इसका आपको पूरा अधिकार है। इसलिए हमारा कहना है कि इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। सुषमा स्वराज जी एक कैपेबल मिनिस्टर हैं, इसलिए आप इस पर कंट्रोल रखने का प्रयत्न कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति महोदय, सरकार जो विधेयक लाई है, उसकी मूल भावना यह है कि पिछले वर्षों में देखा गया कि बहुत से देशी–विदेशी चैनल्स ने मनमाने तरीके से उपभोक्ताओं से पैसे वसूलने शुरू कर दिये। इस देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा उपभोक्ताओं का ऐसा भी है जिसकी अपनी आर्थिक विपन्नता और सीमाएं हैं। वे सब लोग इसका उपभोग नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने इस दिशा में विचार किया कि क्यों न इन पर ऐसा नियंत्रण किया जाए, जिससे अधिकांश जनता तक इन सेवाओं को पहुंचाया जा सके। स्वाभाविक है इसके पीछे मूलतः जो भावना है, उस भावना से कहीं कोई विरोध नहीं हो सकता है और मैं इस विधेयक का पूरे मन से स्वागत करता हूं।

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल दो चीजें संक्षेप में कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, उनमें मुख्यतः दो प्रकृति के चैनल्स हैं–शिक्षात्मक और सूचनात्मक। जैसे ज्योग्राफिक चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, इस तरह के कुछ और भी चैनल्स हैं जिनसे शिक्षात्मक और सूचनात्मक जानकारी मिलती रहती है। ये चैनल्स लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा और साधन बन सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे चैनल्स हैं, जो बुनियादी तौर पर मनोरंजनात्मक चैनल्स हैं। कुछ तीसरे प्रकार के चैनल्स केवल व्यापारिक चैनल्स हैं। इनके बारे में इसके पूर्व के सत्रों में और इस सत्र में भी विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि ऐसे अनेक चैनल्स हैं जो हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और कभी–कभी ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं कि जिन्हें परिवार के साथ बैठकर देखना संभव नहीं हो पाता है। मैं इतना सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से कानून बनाकर आपको जो अधिकार मिलने जा रहा है, यह बहुत अच्छा अवसर है, इस अधिकार का उपयोग करते हुए जो भी रिम्यूनरेशंस, फीस या सबस्क्रिप्शन है, उसे तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

ऐसे चैनल्स जो स्वस्थ मनोरंजन प्रदान नहीं करते, जो अश्लीलता प्रदर्शित करते हैं या जो हमारी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जिनकी समाज को कोई बड़ी ज्ञानात्मक उपादेयता नहीं है, ऐसे जितने चैनल्स हैं, जब आप उनका सबस्क्रिप्शन रेट फिक्स करें तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि वह इतना ऊंचा रख दीजिए कि जिससे कम से कम लोग उनको ऑप्ट करें या उनको देखने की इच्छा प्रदर्शित करें। दूसरी बात यह है कि जो ज्ञानवर्द्धक चैनल्स हैं, जैसे मैंने दो–एक के नाम लिये हैं और जो स्वस्थ मनोरंजन देने वाले चैनल्स हैं, ऐसे चैनल्स का जब फिक्सेशन करें तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि वह ऐसा हो जिससे सहज रूप से आम आदमी उसकी सेवाओं का लाभ उठा सके।

मैं एक दूसरा सुझाव देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में खेल–कूद की गतिविधियों का विस्तार काफी तेजी से हुआ है। कभी–कभी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि दासमुंशी जी ने भी कहा है कि अनेक विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इसमें देखा गया है कि ठीक उन प्रतियोगिताओं के आयोजित होने से पहले अचानक उन चैनल्स द्वारा कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। उस पर नियंत्रण का अधिकार तो आपको प्राप्त होगा ही।

महोदय, मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। अनेक वर्षों से इस देश में क्रिकेट का खेल बहुत लोकप्रिय रहा है और क्रिकेट खेल के विभिन्न आयोजन समय–समय पर होते रहते हैं। आजकल वैस्टइंडीज के साथ हमारी सीरीज चल रही है जिसमें अभी तो टैस्ट मैचेज हो रहे हैं, लगभग 25 तारीख को अंतिम मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एक–दिवसीय क्रिकेट मैचेज का सिलसिला शुरू होना है। शुरू से आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर यह परंपरा रही है कि हिन्दी में भी कमेंट्री करने के लिए किसी को वहां पर नियुक्त किया जाता था जिससे कि देश का एक बहुत बड़ा तबका जो ग्रामीण अंचलों में रहता है, जो अधिकांश हिन्दी भाषी प्रदेश के लोग हैं, जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है, उस तक उस खेल को पहुंचाया जा सके वे भी उसका आनंद उठा सकें, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखें कि एक हिन्दी विरोधी लॉबी पैदा हो गई है और वह निरंतर इस बात का प्रयास करती रही है कि कोई न कोई तकनीकी मुद्दा उठाकर हिन्दी की कमेंट्री को किसी न किसी तरह से बंद किया जा सके। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अवसर का लाभ लेते हुए कि अभी जो वैस्टइंडीज के साथ हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हिन्दी कमेंट्री की जो टैस्ट मैचेज में व्यवस्था नहीं कर पाए थे, करनी चाहिए थी, लेकिन अगर टैस्ट मैचेज में व्यवस्था नहीं हो सकी तो कम से कम एक दिवसीय मैचेज में जो आम लोगों में बहुत लोकप्रिय होते हैं, ऐसी गतिविधियां अभी से शुरू करके हिन्दी की कमेंट्री की वहां व्यवस्था कराई जाए। वह बहुत दिक्कत का काम नहीं है और आने वाली जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल की गतिविधियां हैं, क्रिकेट की गतिविधियां हैं, उनमें भी यह व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिन्दी बोलने और समझने वाले लोगों का है। उन तक यह कमेंट्री पहुंचे और संदेश पहुंचे, उनमें भी यह लोकप्रिय हो, इस के लिए यह जरूरी है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं तथा आशा करता हूं कि इसमें जो भी छोटे–मोटे व्यवधान होंगे, उनको दूर करके इस परंपरा को जो पहले से चली आ रही थी और बीच में बंद कर दी गई थी, इसे मंत्री जी पुनः आरंभ करेंगी ताकि हिन्दी के प्रति जो हमारा लगाव है, उसको भी प्रदर्शित किया जा सकेगा। मैं अंततः इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, कुल 15 माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही सीमित समय में उनके योगदान के कारण बहुत सार्थक चर्चा इस विधेयक पर हो सकी है।

इस चर्चा का आरंभ प्रमुख विपक्षी दल की तरफ से भाई पवन कुमार बंसल जी ने किया। मैं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बिल का स्वागत किया और सरकार के हस्तक्षेप की सराहना भी की। लेकिन प्रारंभ में उन्होंने एक भाव प्रकट किया कि यह बिल देर से लाया गया है, इस बिल को लाने में देरी की गई है।

सभापति महोदय, मैं बहुत अदब के साथ पवन बंसल जी से कहना चाहूंगी कि उनकी यह धारणा ठीक नहीं है। सामान्यतः सरकार इस तरह की चीजों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है और इस तरह से सरकारी हस्तक्षेप को बहुत पसन्द भी नहीं किया जाता है, लेकिन जब कोई सवाल, समस्या बन जाता है, तब सरकार असहाय बनकर देख भी नहीं सकती और वह हाथ पर हाथ रख कर बैठ भी नहीं सकती। इसीलिए मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में यह बात कही थी कि जैसे ही यह सवाल, समस्या बना, हम लोगों ने पहले सभी स्टेक होल्डर्स से बात की और फिर एक टास्क फोर्स गठित की और मैंने एक तारीख दी थी। हमने दिनांक 25 सितम्बर, 2001 को इस टास्क फोर्स को गठित किया था। आज 15 मई, 2002 है। कुल मिलाकर 7 महीने 18 दिन बीते हैं। शायद यह पहला मौका होगा कि इतने जटिल विषय पर एक टास्क फोर्स ने 7 महीने 18 दिन के बीच में अपनी अनुशंसा भी दे दी, सरकार ने उसकी रिपोर्ट पर जो विधेयक लाया जाना था, वह विधेयक भी तैयार कर लिया और अपना मत भी बना लिया और आज आप सब के सहयोग से इस विधेयक पर चर्चा भी हो रही है। यह विषय इतना सरल नहीं था। इस तरह से सिस्टम को इंट्रोड्यूज करना अपने आप में आसान काम नहीं था।

सभापति महोदय, मैं पवन जी को यह बताना चाहूंगी कि जिस समय उनकी अनुशंसाएं आ गईं, उसके बाद, जितने सवाल आज आपने और बाकी सदस्यों ने उठाए, ये सवाल हमारे मन में भी उभरे और उन्हें टास्क फोर्स के सामने रखा। मैं आपको सिर्फ एक झलक के तौर पर बता रही हूं कि इन तमाम चीजों पर मैंने उनसे कहा कि आपकी अनुशंसाएं तो आ गईं, लेकिन इन तमाम चीजों पर हमें स्पेसिफिकली बताइए। मैं पवन जी को बताना चाहती हूं कि हमने उनसे पूछा कि–

[अनुवाद]

क्या आप विद्यमान कानून में अपेक्षित संशोधन करना चाहते हैं अथवा किसी नए कानून को बनाना चाहते हैं?

[हिन्दी]

अगर कोई संशोधन लाना है, तो वह भी बताइए। फिर हमने जो बातें पूछीं उनकी एक झलक आपको बताना चाहती हूं :

- सेट टॉप बॉक्स, उपलब्ध प्रौद्योगिक, सेट टॉप बॉक्सों की क्षमता से संबंधित हमारा मानदंड, प्रत्येक प्रौद्योगिकी और उक्त प्रौद्योगिकी वाले सेट टॉप बॉक्स की लागत, स्थानीय स्तर पर प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, सेट टॉप बॉक्सों का वर्तमान में देश में उत्पादन, उत्पादन क्षमता एवं सी.ए.एस. को अनिवार्य बनाए जाने के मामले में सेट टॉप बॉक्सों की अनुमानित मांग से संबंधित पूरे आंकड़े।

- शीर्ष हेतु निवेश की अनुमानित आवश्यकता एवं अवसंरचना, बाजार में इसकी विद्यमान उपलब्धता, इसकी लागत एवं इस निवेश को करने में केबल आपरेटरों की क्षमता, उपलब्ध वित्तीय विकल्प जिन्हें ऐसे निवेशों को सुगम बनाने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

- केबल आपरेटरों की संख्या, नगरवार उनका वितरण, एस. एस. ओ. का ब्यौरा एस.एस.ओ. एवं केबल आपरेटरों द्वारा मूल्यांकन, गत पांच वर्षों में लागू केबल दरें एवं प्रतिशत वृद्धि संबंधी आंकड़ा।

- अंत में हमने उनसे पूछा आप यदि संभव हो, तो आप सभी अंशधारकों विशेषकर उपभोक्ताओं को सी. ए.एस. लागू होने से होने वाले लाभों के बारे में बताएं।

[हिन्दी]

यह विषय बहुत जटिल है, बहुत तकनीकी है। इसके लिए इतनी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत थी और इन चीजों का जवाब जब तक हमें नहीं मिलता, तब तक मेरे लिए सदन के सामने इसे आफ हैंड लेकर आना भी सही

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

नहीं होता। इन तमाम कंसर्न्स को हमने सी.ए.एस. को कहा, टास्क फोर्स को कहा कि इसके बारे में हमें जवाब दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह काम जिस गति से हुआ है, जितनी तेज गति से हुआ है, मैं उसके बारे में बयान नहीं कर सकती।

महोदय, इससे ज्यादा मैं क्या चिन्ता प्रकट करूं। जो चिन्ता माननीय सदस्यों की है, वही चिन्ता हमारी भी है। जब बी.ए.सी. में यह तय हो गया कि स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए, तो मैंने कहा कि इसकी आवश्यकता आज है और आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पर निवेदन किया कि यह सामयिक विषय है। इसलिए हम इसमें और देरी ने करें और इसे पास करें। इसलिए मुझे आज बहुत ज्यादा प्रसन्नता है कि आपने इस चीज को समझा और समझने के बाद, मुझे सदन ने यह अनुमति दी है कि हम इस पर चर्चा करें। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बिल्कुल देरी नहीं हुई है, बल्कि मैं यह कहूं कि यह काम सुपरसौनिक स्पीड से हुआ है, तो गलत नहीं होगा।

महोदय, पवन जी ने प्रारंभ में एक बात एस.टी. बॉक्स के रेट के बारे में कही। मुझे नहीं लगता कि एक भी सांसद ऐसा होगा जिसने इस विधेयक पर बोलते हुए एस.टी. बॉक्स के रेट पर चिन्ता प्रकट नहीं की हो। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यह चिन्ता आपकी ही नहीं मेरी भी थी। मैं आपको बताना चाहती हूं और आंकड़े रखना चाहती हूं कि जो "सैटमा" इलैक्ट्रोनिक इक्विपमैंट बनाने वाली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन है, जो एस.टी. बॉक्स सप्लाई कर सकती है, उसको बुलाया, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि एस.टी. बॉक्स भारत में तो बनते नहीं हैं, उनसे पूछा कि आप हमें एस.टी. बॉक्स कब तक अवेलेबल करा पाएंगे और किस रेट पर अवेलेबल करा पाएंगे। यह जो मैं बता रही हूं, यह उनके अपने दिए हुए रेट हैं, पवन जी, मैं उन्हें आपके सामने प्रकट करते हुए बताना चाहती हूं कि उन्होंने कहा यदि 1,00,000 एस.टी. बॉक्स लेंगे तो रुपए 2000 प्रति एस.टी. बॉक्स पड़ेगा।

अगर पांच लाख सेट–टॉप–बॉक्स की आवश्यकता होगी तो 1750 रुपए देने होंगे और अगर दस लाख सेट–टॉप–बॉक्स की आवश्यकता होगी तो 1500 रुपए देने होंगे। यह बाकायदा उनका दिया हुआ आंकड़ा है। वे मुझसे ऐश्योरेंस मांग रहे हैं। मैं ऐश्योरेंस इसी आधार पर दे सकती हूं क्योंकि यह बाकायदा लिखित में दिया गया कागज है, जो उन लोगों ने हमको थमाया है।

आपको पता है कि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। कोई एक लाख, दो लाख या दस लाख सेट–टॉप–बॉक्स से काम नहीं चलेगा लेकिन उन्होंने अलग–अलग यह बताते हुए कहा कि अगर एक लाख सेट–टॉप–बॉक्स की आवश्यकता होगी तो उसकी कीमत 2000 रुपए, पांच लाख सेट–टॉप–बॉक्स की आवश्यकता होगी तो उसकी कीमत 1750 रुपए और दस लाख सेट–टॉप–बॉक्स की आवश्यकता होगी तो उसकी कीमत 1500 रुपए होगी क्योंकि इसकी आवश्यकता कहीं ज्यादा होगी इसलिए मुझे लगता है कि कीमतें इससे भी कम जायेंगी।

सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं क्योंकि यह कोई डिजीटल सेट–टॉप–बॉक्स न होकर एनालॉग सेट–टॉप–बॉक्स है। एनालॉग सेट–टॉप–बॉक्स ही आज देश की जरूरत है क्योंकि जितने चैनल्स डिजीटल सिग्नल्स दे रहे हैं, उन सबको भी केबल हैड एंटर एनालॉग में परिवर्तित करके ही घर–घर में भेजा जाता हैं क्योंकि हमारे घर में जो टी.वी. सेट लगे हुए हैं, वे डिजीटल सिग्नल्स न लेकर एनालॉग सिग्नल्स लेते हैं। इसलिए एनालॉग सेट–टॉप–बॉक्स एक ऐसी चीज हो जायेगी जो चांदनी चौक और लाजपत नगर में बनेगी, घर–घर में बननी शुरू हो जायेगी। जैसे डिमांड और सप्लाई का एक सीधा सिद्धांत होता है, हो सकता है कि इसकी कीमतें 1500 रुपए से घटकर 1000 रुपए हो जाये या उससे भी कम पर आ जाये। यह उनका दिया हुआ आंकड़ा है, जो मैं आपके सामने रख रही हूं।

एक बात अभी हन्नान मोल्लाह जी ने हमारे सामने रखी और उसको बाद में भी प्रियरंजन दासमुंशी जी ने दोहराया। उसे सुनकर मुझे दुख हुआ। उन्होंने बाहर की चर्चा की बात की और यह कहा कि बाहर एक ऐसा प्रचार हो रहा है क्योंकि यह सेट–टॉप–बॉक्स मैन्डेट्री हो जायेगा और करोड़ों घरों में यह लगेगा इसलिए यह तो सेट–टॉप–बॉक्स बनाने वाली इंडस्ट्री का दबाव है जिसके कारण यह विधेयक आ रहा है। मुझे इस बात को सुनकर दुख हुआ। अगर कोई भी सदन के बाहर यह प्रचार कर रहा है तो यह उसकी विकृत मानसिकता का परिचायक है। फिर कहीं कोई चीज मैन्डेट करेगी ही नहीं। अगर सरकार कल को यह मैन्डेट करती है जैसा उन्होंने कहा कि हर स्कूटर सवार को हैल्मेट पहनना पड़ेगा तो यह आरोप लगाया गया कि यह तो हैल्मेट इंडस्ट्री का दबाव है क्योंकि हैल्मेट इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा और उनके निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार इसको ला रही है।

अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक मैन्डेट किया कि हर कार में बैठने वाले व्यक्ति को सीट बैल्ट लगानी होगी। आप कह दीजिए, दो टके की जुबान ही तो चलानी होगी कि यह तो सीट बैल्ट उत्पादकों का दबाव है। इसलिए आप इसको मैन्डेट कर रहे हैं। हैल्मेट इंडस्ट्री इससे जरूर बढ़ेगी लेकिन सिर तो स्कूटर सवार का बचेगा।

(अनुवाद)

श्री हन्नान मोल्लाह : आपको स्पष्टीकरण देने का मौका मिला। हमने इस संबंध में इशारा किया है परन्तु हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे।

(हिन्दी)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपकी बात कह ही नहीं रही। मैं तो आपके प्रति बहुत ज्यादा आभारी हूं कि बाहर की इस तरह की चीज को आप कम से कम यहां लेकर आये जिसकी वजह से मुझे उसका जवाब देने का मौका मिल रहा है। मैं आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रही हूं। मैंने कहा कि सदन के बाहर जो ऐसा प्रचार हो रहा है, आखिर वह प्रचार कहीं आप तक पहुंचा ही है और आपके माध्यम से इस सदन में रखा गया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको क्लेरीफाई करूं। इस सदन से ज्यादा बड़ा तो और कोई नहीं है। मैं इस फर्श पर खड़ी होकर ही इसे क्लेरीफाई कर सकती हूं।

मैं आपसे कह रही हूं कि सीट बैल्ट मैन्डेट्री में सीट बैल्ट का उत्पादन तो बढ़ेगा ही और वह जरूर सीट बैल्ट कहीं न कहीं बन रही होगी। लेकिन एक्सीडैंट से कोई बचेगा तो वह कार में बैठने वाला व्यक्ति ही बचेगा। मैं बड़े अदब से इतना कहना चाहूंगी कि मैं माननीय सदस्यों के हर प्रश्न का जवाब दूंगी, उनकी हर शंका का निराकरण करूंगी, उनकी हर जिज्ञासा को शांत करूंगी लेकिन इस तरह के अनर्गल प्रलाप कहीं हो रहे हैं तो उसे सिरे से खारिज करना चाहूंगी, उसे डिसमिस करना चाहूंगी। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमारी नजर में केवल उपभोक्ता रहा है। यह अलग बात है कि एक ऐसा सिस्टम आ गया, ऐसा रामबाण है जो सारे मर्जों की दवा बन गया। जो केबल आपरेटर्स को भी बदनामी से बचा रहा है, जो ब्राडकास्टर के अंदर रिपोर्टिंग की शिकायत को भी पूरा कर रहा है। लेकिन वास्तव में जैसा मैंने पहले कहा कि असली शोषित तो उपभोक्ता है। वह दोनों तरफ से मरता है। अनचाहे चैनल उसके घर में दिखाये जाते हैं और हर चैनल का पैसा उससे वसूला जाता है। हम इस बिल को लाने की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उपभोक्ता को उससे बचा सकें।

श्री पवन कुमार बंसल जी ने दो प्रश्न प्रमुख रूप से उठाये कि इसमें देरी हुई और एस.टी. बीज की कॉस्ट क्या होगी? उनका निदान मैंने आपके सामने रखा है और जो अनर्गल प्रलाप चल रहा था, उसको भी मैंने प्रारम्भ में लेना ठीक समझा। एक चीज पवन जी ने और कही कि पे-चैनल का रेट आप फिक्स क्यों नहीं करतीं? क्योंकि आपने बेसिक पेयर का रखा है, मुझे लगता है कि यह बहुत रिस्ट्रक्टिव हो जायेगा।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि सामान्यतः सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। इसमें जो कल्पना की थी, वह यह थी कि मनोरंजन रोटी के बाद एक खुराक होती है। हर व्यक्ति जब रोटी खा लेता है, उसके बाद उसे लगता है, गरीब आदमी भी चाहता है कि मनोरंजन मेरी बुनियादी चीज है। एक गरीब आदमी दिन भर की मजदूरी के बाद चाहे वह ढफली बजाकर सोये या पूरी बस्ती के अंदर राग-रंग करके सोये, इससे उसको नयी ऊर्जा मिलती है, नयी स्फूर्ति मिलती है।

इसलिए मनोरंजन भी व्यक्ति की एक बुनियादी भूख है। हमने केवल इतनाभर हस्तक्षेप करना चाहा है कि हर उपभोक्ता को बुनियादी मनोरंजन उचित दर पर मुहैया हो जाए। लेकिन उसके बाद की चीजें हम मार्किट फोर्सेज पर छोड़ें, वे तय करें कि किसको क्या चाहिए। मै कई बार एक उपमा देती हूं और मुझे लगता है कि सदन में भी दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने इतना तय किया कि दाल, चावल, रोटी और सब्जी से बुनियादी भूख पूरी होती है और यह इतने रुपए में देना ही होगा। उसके बाद सूची टांग दें कि चटनी इतने की, अचार इतने का, पापड़ इतने का, राजमां इतने का, पनीर इतने का, मुर्गा इतने का-जिसको जो लेना होगा और जिसकी जेब जितनी पुगाएगी, वह ले लेगा। जिसको चटनी खानी है, वह चटनी ले लेगा, जिसकी जेब में पनीर का पैसा है, वह पनीर ले लेगा, किसी को मीट, मछली खानी नहीं है तो वह बिल्कुल नहीं लेगा। लेकिन हमने इसमें कहा कि हम एक बेसिक टियर का प्रावधान कर देते हैं। उसे जनरल टाइप कर देंगे कि इस तरह के मिले-जुले चैनल्स जैसे फिल्म चैनल्स समाचार चैनल, स्पोर्ट्स चैनल आदि बना कर बेसिक टियर आम आदमी को उचित दर पर मुहैया करवा दीजिए और

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

उचित उसकी दर तय कर देंगे। उस समय उसे वह मिलना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि वह बाकायदा सूची टांगेगा कि ब्राडकास्टर हर पे–चैनल का कितना–कितना पैसा ले रहा है और बाकी च्वाइस होगी जिसकी जेब जितना देना चाहे, जिसकी रुचि जिसमें है, वह सुविधा और विकल्प आप उपलब्ध करवा दें। हमारे यहां कहते हैं–जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। जिसको पांच चैनल देखने हैं, वह पांच लेगा, जिसको दस चैनल देखने हैं, वह दस लेगा, जिसको दो चैनल देखने हैं, वह दो लेगा और कोई कहेगा मेरा तो फ्री टू एयर से चलेगा, मुझे नहीं चाहिए तो उसे सैट ऑफ बाक्सेज की जरूरत नहीं होगी, सरकार जो दर तय करेगी, उसके ऊपर उसे वह मिल जाएगा। मिनिमम इंटरवैंशन से मैक्सिमम लाभ आम उपभोक्ता को कैसे मिले, यह हमने इसमें तय किया है।

एक प्रश्न उठा कि कोई व्यक्ति सारे पे–चैनल लेना चाहे तो एस.टी.बीज. की क्या जरूरत होगी। पहली बात मैं कहना चहूंगी कि आल पे–चैनल अपने आप में एक बड़ी वेग टर्म है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फ्री टू एयर सब पे होते जा रहे हैं। एस.टी.बीज. की क्या जरूरत होगी। आज के दिन जो पे–चैनल हैं पता नहीं उसमें नए कितने जुड़ जाएं। आल पे–चैनल ऐसा कनसैप्ट नहीं है जिसे सामने रख सकें। हमने सैट आफ बाक्सेज पे चैनल की व्यूइंग के लिए लगाया है, हमने लाभ बताए हैं, उसमें यह भी कहा है कि यह व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा। वह कैसे आएगी। मैंने कहा–दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि जब सैट आफ बाक्सेज लगाएंगे तो चैनल्स की पौपलैरिटी पता लगेगी कौन–कौन से चैनल्स देखना चाहते हैं, वह सब पता लगेगा। अगर हम उसमें से यह निकाल दें तो पूरे सिस्टम को लाना ही खत्म हो जाता है और अंडर रिपोर्टिंग की शिकायत खत्म हो जाती है क्योंकि उसका कोई समाधान ही नहीं है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि जो पे चैनल्स की व्यूइंग है, आज के दिन सारी उपलब्ध है। मैंने कहा कि वह सूची घटती, बढ़ती रहती है। आज के दिन मेरे पास 33 चैनल्स की सूची ऐसी है जो पे चैनल्स हैं, पता नहीं कल वह सूची 34 की हो जाए या 32 की हो जाए। आल पे–चैनल अपने आप में एक बहुत वेग कौनसैप्ट है। इसलिए यह संभव ही नहीं है यह कहा जाए कि जो व्यक्ति सारे पे–चैनल लेना चाहे, वह एस. टी.बीज. के बिना ले सके।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : इस गति से तो कल तक सभी पे–चैनल फ्री टू एयर चैनल बन जाएंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे यही अंदाजा लगता है, जो बात येरननायडू जी ने कही है कि जब हम बेसिक टियर का बनाने लगेंगे और उन लोगों को पता चलेगा कि इसके बाद कलई खुलेगी तो हो सकता है कि वे पे–चैनल को फ्री टू एयर चैनल कर दें। हमें लगता है कि यह होगा और अगर होगा तो उपभोक्ता के फायदे में होगा।

श्री प्रहलाद पटेल ने अपनी बात रखी। उन्होंने बिल का स्वागत किया। जिस समय वे बोल रहे थे तो मुझे एक आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही थी कि मैंने उन्हें इसी सदन में वचन दिया था और मैं उस वचन की पूर्ति कर पा रही हूं। मैंने कहा था कि हम इसी सत्र में बिल लेकर आएंगे और इसी सत्र में बिल लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि वचन पूर्ति का आत्मसंतोष मुझे तो है ही, उन्हें भी होगा क्योंकि उनकी चिन्ता बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने प्रश्नों के माध्यम से उन चीजों को उठाया था, और अन्य विधाओं के माध्यम से भी उठाया था। एस.टी.बीज. की कीमत की जो बात आपने की। मैंने कहा कि पवन जी की बात को सबने दोहराया है। मुझे लगता है कि मैंने उसका काफी समाधानकारक जवाब दे दिया है।

श्री हन्नान मोल्लाह ने कुछ बातें उठाईं। एक आपने कहा कि फिक्सिंग आफ दी सब्सक्रिप्शन क्या होगा। अभी मैंने जिस बात को कहा, उसे अलग से दोहरा दूं। कुछ और सदस्यों ने यह बात कही है, उनकी बात का जवाब भी आ जाए। हम पे चैनल्स का रेट फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम केवल बेसिक टियर का रेट फिक्स कर रहे हैं। बेसिक टियर के बारे में भी पांडियन जी ने कहा था। पांडियन जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं।

[अनुवाद]

पांडियन जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूं कि उपभोक्ता दरे विभिन्न स्थानों पर अलग–अलग होती हैं। वे अलग जरूर हैं पर हमें समानता लानी है।

(हिन्दी)

क्योंकि अभी दिल्ली में ही कहीं पर कोई दर ले रहा है, कोई केबल सर्विस आपरेटर कितनी दर ले रहा है। जब हम बेसिक टियर तय कर देंगे तो वह बेसिक टियर उस शहर में एक यूनीफार्म रेट देगा और पे–चैनल की सूची लगेगी। उससे यह जो मनमानी है कि कहीं कोई कितना ले, कहीं कोई कितना ले, यह नहीं चलेगी और उस मनमानी का एक इलाज हो जायेगा। जो बात आपने की कि फिक्सेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का ट्रांसपेरेण्ट तरीका होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि सरकार उसको कतई आर्बीट्रेरी ढंग से नहीं करेगी और ट्रांसपेरेण्ट तरीका उसमें यह होगा कि निश्चित तौर पर जिसमें दो ही लक्ष्य होंगे, उपभोक्ता को राहत मिले और केबल आपरेटर को घाटा न हो। इसमें सब्सक्रिप्शन को तय करने के यह दो टच स्टोन होंगे, बहुत पारदर्शी तरीके से इसको किया जायेगा और कोई भी उसमें आर्बीट्रेरीनैस नहीं होगी। एस.टी.बीज. के बिजनेस की बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि मुझे दुख हुआ, इसलिए मुझे लगा कि बीच में बोलने के बजाय पहले ही मैं उस बात को कह दूं।

एक बात कही गई कि आप्टिक आ जायेगा और अगर आप्टिक फाइबर आ गया तो सब रिडण्डेंट हो जायेगा। पहले तो मैं यह बता दूं, हन्नान मोल्लाह जी, कि हमारे देश में मुश्किल से एक परसेंट भी आप्टिक फाइबर ले नहीं हुआ है। हम कब से कल्पना कर रहे हैं कि जब पूरे देश में आप्टिक फाइबर हो जायेगा। सवाल यह है कि समस्या आज है, इसलिए इलाज आज चाहिए। मैं स्वयं मधुमेह की रोगी हूं, इसलिए मुझे बैठे–बैठे यही उपमा सूझी कि कोई मुझे आकर यह कहे कि सुषमा जी, अब ओरल इंसुलिन आने वाली है, इसलिए जो इंसुलिन लेती हैं, उसके लिए आप पैन का इस्तेमाल मत करिये। आप अभी से दूसरी इंसुलिन मत मंगाइये, यह आपका सारा पैन–वैन रिडण्डेंट हो जायेगा, आपका सारा खर्च किया हुआ पैसा खत्म हो जायेगा तो मुझे लगेगा कि जब तक ओरल इंसुलिन आयेगा, तब तक मैं मर ही जाऊंगी। जो इलाज इस समय सामने है, जो समस्या इस समय आपके सामने है, दूर की कौड़ी दिखाकर या दूर की रोशनी दिखाकर आप उसका इलाज नहीं कर सकते। समस्या का इलाज तो आज करना है। जब आप्टिक फाइबर आयेगा तो टैक्नोलाजी तो रोज रिडण्डेंट हो रही है। आज कम्प्यूटर आता है, तीन महीने बाद वह बासी हो जाता है, उसकी जगह एक नई चीज आ जाती है, जिसकी जेब में पैसा है, वह नये को ले लेता है। तकनीक जिस तेजी से रोज आगे बढ़ रही है, उस तेजी को आप रोक नहीं सकते और उसे रोकना देश के हित में भी नहीं है तो जब आप्टिक फाइबर आयेगा तो वह देख लिया जायेगा, लेकिन क्योंकि, आप्टिक फाइबर आ जायेगा, इसलिए आज टी.एस. मत लाओ, यह अपने आपमें कोई बहुत मायनेदार तर्क नहीं बनता।

(अनुवाद)

श्री पी. एच. पांडियन : तमिलनाडु में आप्टिक फाइबर बिछाई जा रही है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी हां, परन्तु मैं पूरे भारत की बात कर रही हूं।

(हिन्दी)

जहां तक सब्सक्रिप्शन का सवाल है, मैं एक चीज यहां और क्लियर कर देती हूं कि जो बेसिक टियर के चैनल्स हैं, हम उनका फ्लोर तय कर रहे हैं कि इतने चैनल्स आप लेंगे और राशि की सीलिंग तय कर रहे हैं, केवल ये दो चीजें हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा इंटरवेंशन हम नहीं कर रहे हैं। हम यह कहेंगे कि इस बेसिक टियर में इतने चैनल्स जरूर होने चाहिए। एक साथी का भी इसमें और जवाब आ जायेगा। खास तौर से प्रभुनाथ सिंह जी ने वह बात कही थी, वे चले गये, इसलिए मैं पहले ही उनका जवाब दे दूं। वे कह रहे थे कि अलग–अलग तरीके की आर्थिक दशा है, इसलिए अलग राज्य में अलग दर होनी चाहिए। मैं कह रही हूं कि अलग राज्य में ही नहीं, अलग राज्यों के अलग जिलों में, अलग शहरों में यह रेट अलग से तय होगा, क्योंकि हर जगह की चीजें अलग हैं। इस देश को इसीलिए तो कहा जाता है कि विविधतावादी, अनेकता वाला एक देश है, लेकिन कहीं कोई चीज एक सी नहीं है। आप दिल्ली की केबल सर्विसेज की तुलना बुलन्दशहर से नहीं कर सकते, बुलन्दशहर की तुलना नोएडा से नहीं कर सकते, नोएडा की तुलना किसी छोटे गांव खुर्जा से नहीं कर सकते। सब के अलग–अलग परिवेश हैं, सब की अलग–अलग केबल सर्विसेज हैं और इसीलिए हमने इसमें तय किया है कि हम अलग–अलग अधिसूचना जारी करके अलग–अलग समय पर अधिसूचनाएं जारी करके हर शहर का, हर प्रदेश का, हर जिले का रेट, वहां की जो परिस्थिति है, उसको देखकर तय करेंगे।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

सभापति जी, इसमें एक आपका भी प्रश्न आ जाता है। आप जब सांसद के नाते वहां से बोल रहे थे तो आपने यह कहा कि राज्यों से बात क्यों नहीं करते। सैण्ट्रल गवर्नमेंट अकेले क्यों करेगी। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यह काम, रेट का फिक्सेशन, यह दर को तय करना बिना राज्य सरकारों के मशविरे के होगा ही नहीं। आखिरकार इसके लिए सूचना तो चाहिए न, वह सूचना कहां से आयेगी, वह ऊपर से थोड़े ही अवतरित होगी, यह तो वहां प्रदेशों के डी.एम. से, जिलों से लेनी पड़ेगी और उनको बैठकर तय करना होगा। इसलिए सैण्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो यों कहा गया, क्योंकि ब्राडकास्टिंग अपने आपमें सैण्ट्रल सबजैक्ट है, लेकिन राज्यों के, प्रदेश सरकारों के राय–मशविरे से होगा। उनसे सूचना इकट्ठी करके तय होगी, इसलिए इसमें राज्य सरकारें कहीं बाईपास नहीं होंगी।

सायं 7.00 बजे

इसलिए मैं यह बता दूं कि आपके दिमाग में जो यह बात आ रही थी कि राज्य सरकारों को बाईपास कर दिया है, ऐसा नहीं है। आपने दूसरी बात कही कि केबल में जो अनियमितताएं हैं, उनके लिए कोई रेग्युलेटर होगा या नहीं, होगा तो कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी जो आप चाह रहे हैं, उसका पहले से ही प्रावधान है। मेरे पास केबल एक्ट है, जिसमें यह संशोधन करने जा रहे हैं, उसमें आलरेडी प्रावधान है, उसको हम अथोराइज्ड आफिसर कहते हैं। अथोराइज्ड आफिसर जो हैं, उसी जिले के डी. एम., एस.डी.एम. और वहीं के पुलिस कमिश्नर हैं। अगर आप बिहार जाते हैं और वहां पर आपको केबल में कहीं अनियमितता दिखाई देती है, तो आप सीधे इन तीनों में से किसी के भी सामने अपनी बात कह सकते हैं। ये हमारे अथोराइज्ड आफिसर हैं।

[अनुवाद]

'अधिकृत अधिकारी' का तात्पर्य अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा में रहने वाला अधिकारी है।

[हिन्दी]

यह एक्ट पहले से है, इसी में हम संशोधन ला रहे है। आगे होने वाली अनियमितताएं हैं, उनको भी जो अथोराइज्ड आफिसर होंगे, वह देखेंगे। लेकिन आज के दिन अगर कोई परेशानी होती है, जैसा आपने कहा था कि मैं वहां गया तो कोई न कोई रेग्युलेटर होना चाहिए, वह है। लेकिन आगे जो कंवर्शन कमीशन आएगा, वह एक बड़ा रेग्युलेटर भी होगा, जो पहले कंटेंट को देखेगा। लेकिन आपकी इस समस्या का समाधान करने वाले आफिसर हैं, जिनको हमने अथोराइज्ड आफिसर की संज्ञा दी है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जहां पुलिस कमिश्नर नहीं हैं, वहां एस.पी. हैं, क्या उसमें आप इतना संशोधन करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार को अधिकार दिया है, वह किसी को भी कर दे। अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर, इन तीनों का जिक्र किया है। लेकिन उसके आगे है :

[अनुवाद]

> "केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी जिसे सरकार द्वारा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के लिए एक अधिकृत अधिकारी के रूप में निर्धारित किया हो, को शामिल किया गया है।"

[हिन्दी]

हमने इसीलिए बाकायदा राज्य सरकारों से कहा है कि अथोराइज्ड आफिसर बना दें। जहां पुलिस कमिश्नर नहीं है, वे जिसको चाहें अथोराइज्ड आफिसर बना दें। यह पहले से केबल एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी बात कहने के लिए आप किसी उपयुक्त व्यक्ति को कह सकते हैं।

धर्मराज सिंह पटेल जी ने अपनी बात रखी थी। वह अभी यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि यह तय करना चाहिए कि ब्राडकास्टर कौन सी चीज कब दे रहा है और कितने में दे रहा है। वह यहां होते तो मैं बताती लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि इस बिल में हमने प्रावधान किया है कि वह बाकायदा सूची टांगेगा कि हर पे–चैनल को कितने में दे रहा है। यह पैसा वहां लिखेगा। यह बात वह चाह रहे थे, इसका हमने पहले से ही प्रावधान कर दिया है। किरीट सोमैया जी ने कहा कि इस बिल का नाम बदलकर कंज्मुमर प्रोटेक्शन एक्ट रखा जाए, शायद उनको लगा कि यह बहुत ज्यादा उपभोक्ताओं को संरक्षण देने वाला

विधेयक है, इसलिए वह नाम ज्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूं कि हम नया बिल नहीं ला रहे हैं, हम मौजूदा बिल में केवल मात्र संशोधन कर रहे हैं। उसमें बिल का नाम नहीं बदला जाता है। इसलिए बिल का नाम नहीं बदलकर हमने संशोधन किया है। वैसे आपकी भावना हमारा उत्साह बढ़ाने वाली है कि आपको यह बिल उपभोक्ता को इतना संरक्षण देने वाला लगा इसलिए आपने इसका नाम बदलने की बात कही।

तमिलनाडु से दो माननीय सदस्य पलानीमनिक्कम और पांडियन जी ने करीब-करीब एक बात कही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि तमिलनाडु में बिल पास हुआ है, उसमें लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि वह बिल इस विषय पर लाया गया है, जिस पर केवल केन्द्रीय सरकार ही बिल ला सकती थीं। पांडियन जी ने बिल की कापी दिखाकर उसको पढ़कर बताया कि दोनों में विरोधाभास नहीं है, बल्कि उसका विषय अलग है, हमारा अलग है। आप इसकी कापी मुझे दे दें, क्योंकि यह विषय ऐसा नहीं है, जिसका तुरंत जवाब यहां दिया जा सके, क्योंकि यह पढ़ने की चीज है। हमने इस विषय को लॉ विभाग को रैफर किया है। वह हमें देखकर बताएंगे। इसलिए यह फैक्ट की बात है। दोनों विषय सामने रखे हुए हैं, तब देखा जाएगा कि कौन सा बिल एक दूसरे को सुपरसीड करता है या ओवरलैप करता है। जब भी लॉ विभाग से जवाब आएगा, हम इसको देखेंगे।

दासमुंशी जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने यहां कई मुददे उठाए, उनमें कई ऐसे थे जो इस विधेयक से प्रासंगिक नहीं थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे। वे इस समय सदन में नहीं हैं, अगर होते तो मैं सबका जवाब देती। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक आरोप लगाया, उसका जवाब देना मैं जरूरी समझती हूं। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन अभी भी सरकारी नियंत्रण में है। उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तहलका को दूरदर्शन पर नहीं दिखाया गया। मैं उनको बताना चाहती हूं कि दूरदर्शन पर तहलका के अलावा जो एक्जिट पोल दिखाए गए थे, उसका भी वे जिक्र करते तो उनकी बात संतुलित हो जाती। अगर दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में होता तो अभी जिन चार महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हुए, तो चुनाव के समय दूरदर्शन ने जो एक्जिट पोल दिखाया, जिसमें बाकायदा बी.जे.पी. को हारते हुए दिखाया, वह नहीं दिखाया जाता।

लेकिन यह हमारी निष्पक्षता का एक जीता-जागता प्रमाण है कि सरकारी नियंत्रण में दूरदर्शन बिल्कुल नहीं है। दूरदर्शन निष्पक्षता से काम कर रहा है, खुलकर काम कर रहा है और कोई सरकारी जकड़न नहीं है। प्रसार भारती हमारा बेबी है और इसलिए प्रचार भारती की स्वायत्तता को बनाये रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कुछ प्रश्न जो इस बिल से अलग उठे थे, मुझे लगता है कि उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठे थे, उन सब का जवाब मैंने दे दिया है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने एक बात हिन्दी के संबंध में कही। आप हिन्दी वाले हैं। मैं एक बात जरूर कह दूं कि कम से कम यह आशंका इस सरकार के प्रति आप मत रखिए क्योंकि जिस सरकार के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे हिन्दी प्रेमी हों, सूचना प्रसारण मंत्री मैं हूं और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री रमेश बैस जी जैसे लोग हों और आप जैसे हिन्दी के प्रहरी जहां बैठे हों और आपकी सदारत में यह बात मैं कह रही हूं, वहां किसी भी तरह से हिन्दी की अनदेखी होगी, यह आशंका नहीं रहनी चाहिए। हर हालत में हिन्दी की जितनी बढ़ोतरी मीडिया और दूरदर्शन के माध्यम से हो सकती है, वह हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूं कि यहां पर बहुत अच्छे सवाल उठाए गए और मुझे लगता है कि मैंने यथाशक्ति उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल को आप पारित करें।...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : सभापति जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* क्या वर्ल्ड कप फुटबाल टूर्नामेंट को टी.वी. पर दिखाया जाएगा? यह बात पूरा देश जानना चाहता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, दिसम्बर, 2001 पे-चैनलों के प्रभार तय किए गए थे। यदि उपभोक्ताओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम को कार्यान्वित किया जाता है, तो भी वे इस सेट-टॉप-बॉक्स को मध्यावधि में नहीं रख सकते हैं। सरकार का क्या दृष्टिकोण है? सिर्फ पे-चैनल्स और सेट-टॉप-बॉक्स के लिए ही नहीं बल्कि विडियो एवं इंटरनेट के लिए भी आप प्रौद्योगिकी को लाते हैं, तो यह भविष्य में भी लाभदायक होगा। सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

(हिन्दी)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें हम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर बात करेंगे और परसुएड करेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : सभापति जी, पूरा देश इसके बारे में जानना चाहता है कि क्या वर्ल्ड कप फुटबाल टूर्नामेंट टी. वी. पर दिखाया जाएगा?...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं और जो भी नेगोशिएशंस होंगी, उसके बाद मैं सही जानकारी दूंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.09 बजे

(हिन्दी)

आधे घंटे की चर्चा

बिजली की चोरी

सभापति महोदय : अब अगला आइटम 20 हाफ एन ऑवर डिसकशन लिया जाएगा।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : सभापति जी, आपने हाफ एन ऑवर डिसकशन के लिए परमीशन दी है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे और सदन से अपेक्षा भी करता हूं कि प्रश्न काल में जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का रिप्लाई नहीं मिलता, उसको आप हाफ एन ऑवर के लिए चेयर से इजाजत देते हैं और 5.30 बजे उस पर डिसकशन रखा जाता है लेकिन कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न को आखिर में लेकर उस प्रश्न का महत्व और उसकी गंभीरता कम कर दी जाती है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी सरकार से अपील है कि इसका समय बदल दिया जाये। कालिंग अटेंशन की तरह इसको भी क्वश्चन आंवर के बाद लिया जाये।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह सभा की सहमति से होता है। आप विषय पर बोलिए।

श्री नरेश पुगलिया : पावर का विषय हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन में हमेशा से आगे रहा है, इसीलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने दोनों मंत्रियों–मंत्री व राज्य मंत्री–को महाराष्ट्र राज्य से लिया हैं।

महोदय, मैं एक बात सत्ता पक्ष से कहना चाहूंगा। वे हमेशा कहते हैं कि बिजली के क्षेत्र में पिछले 50 सालों में क्या प्रगति हुई और बिजली उत्पादन में देश ने कुछ प्रगति नहीं की। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय 854 मेगावाट बिजली पैदा होती थी और आज हम 1,03,134 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इस कुल उत्पादन में से 24,574 मेगावाट बिजली हाइड्रो पावर से, 73,273 मेगावाट बिजली थर्मल पावर से, 2,860 मेगावट बिजली न्युक्लियर पावर से और विन्ड पावर से 1,426 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इसके बावजूद भी

आने वाले दस सालों में, हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना के आ जाने के बाद यानी सन् 2012 तक हमें एक लाख मेगावाट बिजली की और आवश्यकता होगी और इतनी बिजली पैदा करने, ट्रांसमीशन व इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना में 40 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का टारगेट रखा था और हम केवल 2800 मेगावाट बिजली पैदा कर सके, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसेस था। सदन में हम जिस माइक से बोल रहे हैं, अगर बिजली न हो, तो हम संसद में अपने विचार भी नहीं रख सकते हैं। कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो या साइंस एंड टैक्नोलाजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बिजली का अपना महत्व है। यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस विभाग के महत्व को गम्भीरता से न लेते हुए, पिछले तीन–चार सालों में इसे एक कमजोर विभाग बना दिया है। एक सर्वे के अनुसार देश में सन् 2012 तक एक लाख मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी, जिसमें से 60 प्रतिशत हम थर्मल पावर से और 40 प्रतिशत हाइड्रो पावर से जनरेट करने का उद्देश्य है। देश में खास तौर से एनटीपीसी द्वारा बिजली उत्पादन का जाल बिछा हुआ है, लेकिन एनटीपीसी को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इसके द्वारा राज्य सरकारों को जो बिजली दी जाती है, उसका पैसा उनको प्राप्त नहीं होता है। इस समय एनटीपीसी को 22 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकारों से लेना है और कोल इंडिया या सिस्टर कन्सर्न्ड से जो कोल लिया जाता है, पावर स्टेशन द्वारा पैसा न देने की वजह से तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार बिजली पर सब्सिडी देती है, लेकिन अगर कैश पेमेंट पर बिजली ली जाती, तो यह समस्या न पैदा होती। जैसे–जैसे हम बिजली का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे–वैसे बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, जहां 2340 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इसका उद्घाटन सन् 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस स्थान पर कोल की उपलब्धता है, वहीं पावर स्टेशन होना चाहिए।

सभापति जी आप बिहार से आते हैं। अब आपका यह कोल एरिया अलग चला गया है लेकिन जहां कोल है वहां पावर स्टेशन नहीं होते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में मंत्री जी इस चीज का भी ध्यान रखें कि जहां कोल है वहीं पावर स्टेशन हो, क्योंकि अगर कम से कम दाम में बिजली बनती है तो देश में जो महंगाई बढ़ रही है–चाहे कृषि के क्षेत्र में, अनाज में या कपड़े में हो। जहां भी महंगाई बढ़ती है उसका सीधा संबंध पावर से होता है। जब पावर महंगी होगी तो चोरी भी बढ़ जाती है। खास कर जितने केप्टिव पावर प्लांट हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज ने, कोल इंडस्ट्रीज ने लगाए हैं, उनमें बिजली आज भी एक रुपए दस पैसे–20 पैसे मेगावाट से बनती है, लेकिन हमारे स्टेट के जो पावर प्लांट बिजली के हैं, उनकी उत्पादन कास्ट तीन रुपए से ऊपर जाने की वजह से वह चार–पांच रुपए के ऊपर बिजली हमारी इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक यूज में देते हैं। इसलिए मेरा कहने का मुख्य तात्पर्य यह है कि अगर आपको बिजली की चोरी रोकनी है तो कम से कम दाम में आपको उपभोक्ताओं तक पहुंचानी होगी।

महोदय, आज भी देश में डेढ़ लाख मेगावाट की केपेसिटी हमारे हाईड्रो पावर प्रौजेक्ट की हो सकती है, जिसका हमने सिर्फ 17 प्रतिशत उपयोग किया है। खास कर आपका जो पीएलएफ है, प्लांट लोड फेक्टर में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आज ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का 72 प्रतिशत है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का आज भी 65 प्रतिशत होने की वजह से ओवरऑल प्रतिशत उसका 68.4 पीएलएफ आ रहा है। इसमें भी आपको सुधार करना होगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लासेस मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आज भी 26.45 प्रतिशत ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लासेस है। आपने उस दिन इस प्रश्न के उत्तर में कहा था कि किसान बिजली की चोरी करते हैं।...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : शायद आपको गलतफहमी है, मैंने कहा था कि किसान चोरी करते हैं, इसकी वजह से समस्या है, यह बात सही नहीं है।

श्री नरेश पुगलिया : अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो मैं आपका स्वागत करता हूं। इस देश के किसान बिजली की चोरी नहीं करते, लेकिन वे अपनी सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि कम से कम दाम में उन्हें बिजली मिले। आज किसानों की हालत यह हो गई है कि बिजली के दाम दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए कि अगर बिजली हम किसानों को कंसेशनल रेट में देते हैं तो उस पावर प्लांट की सब्सिडी भी, चाहे व स्टेट इलैक्ट्रीसिटी

[श्री नरेश पुगलिया]

बोर्ड की हो या सेंट्रल की हो, उन्हें कैश पेमेंट उसी साल में करना चाहिए। उसी प्रकार से केप्टिव पावर प्लांट के लिए जो परमीशन देने की बात है, उसे मैं दोहराना चाहूंगा। जितनी भी आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं–स्टील, सीमेंट और पेपर। इन इंडस्ट्रीज में अगर वे अपने केप्टिव पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। मैं आपको सीमेंट इंडस्ट्री का उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे जिले में चार सीमेंट के बड़े प्लांट हैं। एल.एंड.टी. सीमेंट प्लांट तीन करोड़ रुपए प्रतिमाह घाटे में चल रहा है, लेकिन जो बिजली उत्पादन करता है, उसमें बिजली का उनका 46 मेगावाट का जो अपना केप्टिव पावर प्लांट है, उसमें साढ़े चार करोड़ पर मंथ कमाता है। तीन करोड़ सीमेंट में लॉस देने के बाद भी बिजली में जब साढ़े चार करोड़ की बचत है तो उसे डेढ़ करोड़ रुपया बिजली के कारण प्रोफिट में आता है।

महोदय, देश में राज्य सरकारों की या बिजली बोर्ड की इजाजत लिए बगैर डायरेक्ट इंडस्ट्री को केप्टिप पावर लगाने की आपको इजाजत देनी चाहिए ताकि हमारे एनटीपीसी या स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड से जो बिजली उत्पादित होती है वह किसानों को और डोमेस्टिक यूज करने वालों को हम डायरेक्ट दे सकें। उसी तरह से पावर के बारे में आपने कौन–कौन से प्रीकोशंस लिए हैं, इस बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो प्रोबल्म आती हैं–मीटर टेम्परिंग के कारण भी होती है, डिफेक्टिव मीटर के कारण और रिडिंग में जो गड़बड़ होती है, उसके कारण भी होती हैं। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा। अकेले महाराष्ट्र में एक करोड़ 28 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें एक करोड़ 16 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें कम दाम में बिजली सप्लाई की जाती है और उन्हें उसकी सब्सिडी दी जाती है। उसी के कारण सस्ती बिजली जिसे भी दी जाती है, वह थोड़ा उसका फालूत खर्च भी करता है। अगर इसमें हमने किसानों को फ्री या कम रेट में बिजली दी तो मीटरिंग सिस्टम आपको कम्पलसरी करना होगा ताकि हमने इसमें पावर सप्लाई कितना कंज्यूम किया है और उसे हमने कितनी सब्सिडी दी, इसका ब्यौरा भी हमें मिल सके। इसलिए मीटर आपको कंपलसरी करना चाहिए। इसमें आपकी महाराष्ट्र सरकार ने एनएसरीबी में विजिलेंस स्कॉड पावर की चोरी को रोकने के लिए बनाया। हम जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की पावर की चोरी को रोकने के लिए आपकी क्या योजना है?

दूसरा, आजकल बिजली की चोरी को रोकने के लिए जो कानून हैं उनका जनता के मन में डर नहीं है। उत्तरी भारत में बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर होती है जहां पर लोग हुक लगाकर सीधे ही बिजली लेते हैं। इस बारे में आप कोई कायदा बनाएं जिससे जनता के दिल में इस चोरी के प्रति डर पैदा हो। बिजली की चोरी के साथ–साथ तकनीकी, कमर्शियल और अन–वांटेड नुकसान जो आपका हो रहा है उसको चैक करने के लिए आपने क्या प्रावधान किया है, वह भी हम जानना चाहते हैं। इसमें

[अनुवाद]

> "ऊर्जा की प्रौद्योगिकी की हानि सामान्यतया विद्युत पारेषण एवं संवितरण प्रणाली में चालकों एवं उपकरणों में ऊर्जा के विसरण के कारण होती है। ऊर्जा विसरण की मात्रा मुख्यतः लाइनों के प्रारूप, लोडिंग के तरीके एवं लोड के प्रकार इत्यादि पर निर्भर करता है। प्रणाली में एक ही साथ ऐसी आंतरिक हानि को खत्म करना संभव नहीं है।"

[हिन्दी]

इन सब चीजों के लिए भी 15 से 18 प्रतिशत आपको नुकसान होता है। इसमें सुधार के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं। इन सुधारों के लिए महाराष्ट्र इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को 9 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो पूरे देश में टैक्नीकल और कमर्शियल नुकसान को रोकने के लिए जो पैसा लगने वाला है, उसका भी प्रबंध आपको करना चाहिए। ऐसा करते समय फाइनेंशियल पावर कोरपोरेशन आपकी जो है उसके माध्यम से आपने किन–किन राज्यों को कितना–कितना पैसा दिया है वह बताएं। उसमें आपको ब्याज के रेट में भी कमी लानी पड़ेगी। पावर–कोरपोरेशन और फाइनेंशियल कोरपोरेशन को जब तक आप मजबूत नहीं करते और राज्यों को वित्तीय सहायता नहीं देते, तब तक आने वाले दस सालों में 2012 तक जो एक लाख मैगावाट बिजली ज्यादा लगने वाली है, उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो नये पावर प्लांट प्राइवेट सैक्टर में आ रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में आप एनरान के माध्यम से एक पावर प्रोजैक्ट लाए। बिजली देने का एग्रीमेंट 1.67 पैसे में किया लेकिन बाद में एग्रीमेंट में क्लोज चैंज किय जिससे बिजली पांच रुपए से सात रुपए दिये जाने की

बात होने लगी। वहां की जनता ने इसका विरोध किया और एनरान को प्रोजैक्ट बंद करना पड़ा। केन्द्रीय सरकार जब किसी चीज की गारंटी लेती है तो एग्रीमेंट करते हुए इस प्रकार की सावधानी बरते जिससे भविष्य में जनता को नुकसान न हो। एनटीपीसी जब 2.20 पैसे में बिजली बना सकती है तो जो लोग प्राइवेट सैक्टर में बाहर से आ रहे हैं वे हमारी ही जमीन, पैसा और श्रम का प्रयोग करके अगर इस देश में बिजली पांच से सात रुपए में देने को कहते हैं तो इसको भी आपको रोकना होगा।

हम लोग स्टैंडिंग कमेटी के साथ नेवेली निग्लाइट में गये थे। वहां उन्होंने हमें बताया कि वे 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली बनाते हैं और एक रुपए पांच पैसे मैं राज्य सरकार को देते हैं। उसका कारण उन्होंने बताया कि वहीं उसका पावर–प्लांट हैं और वहीं उसका रौ–मैटीरियल है। चन्द्रपुर में भी जो हमारा थर्मल पावर स्टेशन है वह 8 करोड़ रुपए की प्रतिदिन बिजली बनाता है। वैस्टर्न कोल–फील्ड के बारे में हमने नियम 377 के तहत सवाल उठाया था। उसके खिलाफ एम.एस.ई.बी. का थर्मल पावर स्टेशन हाईकोट में भी इस सिलसिले में गया है। इसलिए जो भी पावर स्टेशन को कोयला सप्लाई होता है वह बढ़िया क्वालिटी का कोयला हो। सन् 1986 में जब मैं राज्य सभा में आया था तो कोल और पावर मिनिस्टरी एक थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर कोल और पावर मिनिस्टरी एक साथ हों। उस पावर में लगने वाला कोल अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। यदि हमारे मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी के पास दोनों डिपार्टमैंट आ जाएं तो मेरे ख्याल में इनके डिपार्टमैंट का काम बड़ी चुस्ती के साथ होगा। मुझे उम्मीद है कि इस विषय में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार गम्भीरता से सोचेगी और खास तौर पर इंडस्ट्री में कैपटिव पावर प्लांट लगाने के लिए जो एनओसी लेना पड़ता है, उसके बारे में मंत्री जी, राज्य सरकार और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उस कंडिशन को खत्म करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कैपटिव पावर प्लांट देश में लगें, इसके लिए कोशिश की जाए। महाराष्ट्र जैसे राज्य को आज 9 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अन्य राज्यों की जरूरत को मिला कर कितने हजार करोड़ रुपए चाहिए और आने वाले दस साल के लिए इस बारे मैं क्या प्लानिंग की है, इसकी यहां जानकारी दी जाए। बिजली की चोरी को रोकने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, हमें इसकी भी जानकारी दी जाए। आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : जब तक आप लोग चोरी को चोरी नहीं कहेंगे और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कह कर मामले को छुपाते रहेंगे तब तक यह प्रोब्लम साल्व नहीं होगी।

(अनुवाद)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं विद्युत उत्पादन पर भाषण नहीं दे रहा हूं। मैंने विद्युत चोरी के बारे में सोचा। मैं इस बारे में प्रश्न कर रहा हूं।

मैं दो पहलुओं तक सीमित रहना चाहता हूं। दो पहलु हैं–पहला विद्युत की चोरी है, और दूसरी पारेषण के दौरान हुई हानि है। ये दोनों पूर्ण तो नहीं परन्तु कुछ हद तक विद्युत की कमी के मुख्य कारण हैं।

जहां तक विद्युत की चोरी का संबंध है, हाल में केरल विद्युत बोर्ड द्वारा एक निरीक्षण किया गया था। यदि मैं सही हूं तो पिछले कई वर्षों में 4 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का पता लगाया गया है। मेरे विचार से इन अपराधों के पता लगने पर विद्युत बोर्ड के कुछ अधिकारी भी इसमें संलिप्त मिले। सरकार ने अभियोजन चलाने के आदेश दिए। अब, हम जानते हैं कि हम विद्युत की कमी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि बकाया भुगतान के कारण राज्यों को केन्द्र का हिस्सा भी पूर्ण रूपेण नहीं दिया जाता है। बकाया भुगतान के कारण, मुझे कहा गया है कि उन्होंने केन्द्रीय पूल से विद्युत देना रोक दिया है। इससे भी राज्यों को काफी कठिनाई हुई है।

चोरी के मामलों का भी पता लगा है। मेरे राज्य में एक पूर्व मंत्री पर भी विस्मयजनक रूप से चोरी के आरोप में दोषसिद्ध किया गया है और केरल उच्च न्यायालय द्वारा इस दोषसिद्धी को उचित ठहराया गया है। अभी यह मामला विधि संबंधी कुछ प्रश्नों के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। वह भद्रजन अभी विधायक हैं। पहले वे मंत्री थे। उन्हें इस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। मेरे विचार से मंत्री जी भी इससे अवगत होंगे।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : यह एक भिन्न मामला है। यह चोरी का मामला नहीं है। वह राजनीतिक भाषण दे रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी नहीं, आप गलत हैं। मैं

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

आपको यह बताता हूं कि उन्हें केरल विद्युत बोर्ड की जानकारी के कर्नाटक को विद्युत की बिक्री करने के लिए दोषसिद्ध किया गया था। इसका क्या तात्पर्य है? आप बैठ जाएं। मैं भी आरोप लगा सकता हूं। इसे केरल उच्च न्यायालय द्वारा उचित बताया गया था।

श्री कोडीकुनील सुरेश : आप सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : आप तो भरमा रहे हैं। जब बात सही है, तो आप इस मसले में अनावश्यक हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?

श्री कोडीकुनील सुरेश : आप केरल के उन पूर्वमंत्री का वक्तव्य क्यों उद्धृत कर रहे हैं? वे तो यहां नहीं हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने उनका नाम नहीं लिया। लेकिन आरोप–पत्र तो है। लम्बा मुकदमा चला था। अदालत ने उन्हें दोषी पाया। वे केरल उच्च न्यायालय में उस आरोप के विरुद्ध अपील करने गए थे कि राज्य सरकार की जानकारी के बगैर कर्नाटक को बिजली बेची गयी। यह था आरोप!

श्री कोडीकुनील सुरेश : वह तो शुल्क–दर इत्यादि से सम्बन्धित मामला है। वह अलग बात है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : नहीं। आखिर क्या चाहते हैं यह?

श्री कोडीकुनील सुरेश : हम बिजली–चोरी की बात कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसीलिए तो कह रहा हूं। बिजली की चोरी ही तो हुई है। केरल उच्च न्यायालय में यह दोष सिद्ध हुआ। अब यह मामला उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। मैं अपने राजनैतिक लाभ के लिए यह बात नहीं उठा रहा हूं। बल्कि यह जनाने के लिए उठा रहा हूं कि बिजली की चोरी बहुतायत से होने लगी है। मैं यह बात केवल नैतिकतावश कह रहा हूं, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं। मैं यह नहीं कहता कि अमुक विद्युत मंत्री भ्रष्ट था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। आरोप तो यह था कि उन्होंने राज्य सरकार की जानकारी के बगैर कर्नाटक को बिजली बेची। किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए तो उन्होंने नहीं बेची होगी। यद्यपि इससे व्यक्तिगत लाभ लेने की मंशा नहीं थी, तथापि इसे त्रुटि माना गया और उन पर मुकदमा चला।

अब बिजली की चोरी बहुतायत से हो रही है। केरल में ही नहीं, हर जगह बिजली की चोरी हो रही है। किसी न किसी प्रकार से विद्युत बोर्ड भी उस त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं। करीब–करीब हर राज्य में बिजली विनियामक बोर्ड बनाए गए हैं। इन बोर्डों ने काम करना तो शुरू कर दिया है लेकिन वे भी विवश हैं। हमें इन विनियामक बोर्डों का आमूल सुधार करना होगा और कानून को सख्त बनाना होगा। यदि इसे प्रभावी ढंग से किया जाए तो, मुझे लगता है कि, हम बिजली–चोरी रोकने में काफी हद तक सफल हो सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया देखें कि बिजली–चोरी से कहीं इसके पारेषण और वितरण में नुकसान न होने लगे। पारेषण और वितरण के कारण होने वाले नुकसान की वजह से बहुत घाटा हो रहा है। भारत में पारेषणगत घाटा अत्याधिक है, जबकि अन्य देशों में यह नगण्य है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : यह घाटा नहीं है; चोरी है। लेकिन इसे घाटे के रूप में दर्ज किया गया है। दिल्ली में पारेषणगत घाटा कितना होगा? मैं समझता हुं–लगभग 60 प्रतिशत।

श्री वरकला राधाकृष्णन : प्रश्न यह है कि इस चोरी को कैसे रोका जाए। राज्य के लिए भी यह नुकसानदेह है। मैं माननीय मंत्री जी से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा कि विद्युत पारेषण और वितरण की ये दो गड़बड़ियां रोकी जाएं और देश को और अधिक नुकसान होने से बचाया जाए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : महोदय, मैं आंध्र प्रदेश में विद्युत मंत्री रहा हूं। 1982 की बात है, जब मैंने उस 'चोरी' का मामला देखा, जैसा कि पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र का कथन है, तो घाटे की तो कोई बात ही नहीं थी–केवल 17 प्रतिशत ही था। उस समय इसे पारेषणगत घाटा कहा जाता था। अब यह 34 प्रतिशत है।

मेरे अच्छे दोस्त श्री सुरेश प्रभु पढ़ने–लिखने वाले मंत्री हैं। मैं इन्हें उस समय से जानता हूं जब ये पर्यावरण और वन मंत्री थे। ये मुद्दों का गहराई में जाकर अध्ययन करते हैं। मैं चाहूंगा कि ये इस बात का अध्ययन करें कि इस देश में विद्युत–उत्पादन इतना महंगा क्यों हो गया है। जबकि

एन.टी.पी.सी. 2.29 रु. की दर से बिजली उत्पन्न कर रहा है, फिर भी आप प्रति मेगावाट 3 से 4 करोड़ रु. खर्च करते हैं। जब संसद ने निजी क्षेत्र को विद्युत–उत्पादन के क्षेत्र में भागीदारी देने संबंधी विधेयक पारित किया, तो भारत और विदेश से लोगों ने इसमें निवेश की इच्छा जाहिर की। विद्युत–उत्पादन के प्रयास में किसानों पर भारी बोझ पड़ा। इसके बावजूद भी उस तरीके से विद्युत–उत्पादन नहीं हो सका जैसाकि पहले विद्युत बोर्डों के माध्यम से हो रहा था। निजी क्षेत्र पर भरोसा करके विद्युत बोर्डों ने विद्युत–उत्पादन बंद किया और उन लोगों ने इस मामले में देश को धोखा दिया।

अकेले दर का ही सवाल नहीं है, उत्पादन की मात्रा का भी है, यह मेरा मत है। यही कारण है कि मैं इनसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि ये इस मामले का अध्ययन करें, थोड़ा अनुसंधान करें और देश की इस स्थिति को सुधारें।

महोदय, माननीय मंत्री जी–मेरे मित्र–आंध्र प्रदेश आए थे। वे यह कह रहे थे कि विद्युत क्षेत्र के सुधारों ने नक्शा ही बदल दिया है। मैं राज्य में आकर उसके प्रति उनकी बाध्यताएं समझता हूं। मुझे भी यह ठीक नहीं लगता कि खासतौर पर आंध्र प्रदेश में ही आकर वे किसी सरकार की आलोचना करते–इससे समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन, एक उदाहरण के बतौर वे आंध्र प्रदेश का अध्ययन करें। इस तरह से गिरावट क्यों आई है? आज भी, विद्युत बोर्ड में 'जेनको' का चेयरमैन चाहता है कि उसे दूसरे देशों या आर.ई.सी. से ऋण लेकर निम्न दरों पर विद्युत उत्पादन की अनुमति दी जाए; बजाय इसके, कि किसी निजी कम्पनी को 4 या 5 रु. की दर से विद्युत उत्पादन करने की अनुमति दी जाए जो कि एक असंगत सी बात है। मुझे नहीं पता कि माननीय मंत्री जी को यह स्वीकार करने में संकोच क्यों हो रहा है कि किसान बिजली की चोरी कर रहे हैं। यह तो सही बात है। किसी और कारणवश ऐसा नहीं हो रहा–जब आप आपूर्ति ही नहीं कर सकेंगे तो वे तार डालकर बिजली चुराएंगे ही!

आपकी वजह से ही वे इस स्थिति में आए हैं। लेकिन चोरी तो फिर चोरी ही है। इन सभी दुर्व्यवस्थाओं, कुप्रशासन और खराब नियोजन से देश में विद्युत की यह स्थिति हो गई है–यह मेरा व्यक्तिगत मत है।

महोदय, मैंने देखा कि योजना आयोग के प्रतिवेदन में दसवीं योजना में 50,000 मेगावाट विद्युत–उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हो सकता है कि आपने उन्हें आकंड़े दिये हों या फिर उन्होंने ही तैयार कर लिए हों। आखिर वे धन लाएंगे कहां से? लेकिन आप यह कर सकते हैं–यदि आप यह जिम्मा राज्यों को सौंप दें तो।

महोदय, मेरे मित्र सुरेश पुगलिया ने एक गंभीर अध्ययन किया है। वह रक्षित विद्युत–उत्पादन के विषय में कह रहे थे।

महोदय, आंध्र प्रदेश मे मैंने रक्षित विद्युत–उत्पादन की अनुमति दी थी। अब इस माध्यम से विद्युत उत्पादित हो रही है। उन्हें 16 पैसे प्रति यूनिट क्रीलिंग–प्रभार देकर एन.टी.पी.सी. से 1 या 2 रु. प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है, जिसे आपने उपलब्ध कराया है। सरकार को यही बिजली 2.50 रु. प्रति यूनिट की दर से वापिस की जा रही है। इस तरह की कई सारी विसंगतियां हैं।

महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा एक ही अनुरोध है। वे एक तकनीकी समिति का गठन करें या स्वयं दायित्व ग्रहण कर तकनीकविदों के साथ वर्तमान स्थिति का अध्ययन करें। देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कैसे? यह हमारी, स्वयं की बनाई हुई स्थिति है–इसका और कोई कारण नहीं। ऐसा राज्य स्तर पर बहुत अधिक राजनैतिक हस्तक्षेप की वजह से हुआ है। ऐसा मेरा मत है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : यदि हमारे विद्युत–संयंत्रों में, औसत रूप से, प्लांट लोड–फैक्टर को बी.एस.ई.एस. संयंत्रों, टाटा संचालित संयंत्रों और एन.टी.पी.सी. संयंत्रों के स्तर पर उठाया जा सके–तो इस देश में विद्युत की कोई समस्या नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु : सभापति महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस विषय पर आज इस सदन में दूसरे मित्र श्री नरेश पुगलिया जी के माध्यम से चर्चा करने का मौका दिया और मुझे उस विषय में कुछ विचार यहां रखने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, यहां उपस्थित राभी सदरय गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं। अतः मैं माननीय

[श्री सुरेश प्रभु]

मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अंग्रेजी में बोलें... *(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं आपका और सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया और इसी क्रम में इस विषय पर अपने विचार रखने की अनुमति प्रदान की।

महोदय, मैं श्री नरेश पुगलिया को भी धन्यवाद देता हूं। यद्यपि विषय बिजली–चोरी से सम्बन्धित था, तथापि उन्होंने वस्तुतः सारे विद्युत उद्योग का ही आमूल–चूल विश्लेषण किया। विद्युत क्षेत्रों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए उन्होंने अमूल्य सुझाव दिए हैं जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं।

महोदय, मैं चर्चा के दौरान उभरे सभी मुद्दों पर बात करूं, इसके लिए मुझे पहले बिजली की चोरी पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक अनुमान के अनुसार, बिजली–चोरी के कारण भारत को 20,000 करोड़ रु. से अधिक का नुकसान सहना पड़ता है। हालांकि यह एक अनुमानित आकलन है।

बात ,जो भी हो, विद्युत क्षेत्र में बिजली चोरी के प्रघटन के कारण होने वाला घाटा इससे कहीं अधिक है। इसका आकलन कैसे किया जाए? जैसा मैंने कहा, यह एक अनुमान लगाने की ही बात रहेगी, क्योंकि, दुर्भाग्यवश, आज हमारी व्यवस्था ऐसी है कि विद्युत उत्पादित किए जाने के पश्चात उसे लम्बी दूरी तक पारेषित किया जाना होता है। अवएव, उसे उच्च वोल्टता पर भेजा जाता है। फिर, वहां से उसे पुनः पारेषित किया जाता है। और फिर स्टेप–डाउन ट्रांसफार्मरों के जरिए उसकी वोल्टता कम की जाती है और पुनः उसे पारेषित तथा वितरित किया जाता है। महोदय, संयोग की बात है कि आप स्वयं भी बिहार के विद्युत मंत्री रहे हैं, अतः आप तकनीकी और वाणिज्यिक तौर पर इस विषय से अवगत हैं।

इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण प्रक्रिया अंततः विद्युत की खपत में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी काई प्रणाली नहीं है जो वस्तुतः इसका लेखा जोखा रखती हो। इसलिए ऊर्जा का लेखा जोखा न होना विद्युत क्षेत्र की समस्याओं का एक मूल कारण है और इस कारण से विद्युत क्षेत्र में चोरी को बढावा मिल रहा है। जब हमारे पास लेखा जोखा प्रणाली ही नहीं होगी तो हमें वास्तव में नुकसान का पता कैसे चल सकेगा। इसलिए मैंने कहा कि कल्पित अनुमान 20,000 करोड़ रुपए है। किन्तु वास्तव में नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। यह एक बड़ी समस्या है। यदि 20,000 करोड़ रु. का यह नुकसान अगले 15 वर्ष तक चलाता रहा तो जो घाटा हमें हो रहा है, उसकी धनराशि तीन से चार लाख करोड़ रु. से अधिक तक पहुंच सकती है। यह नुकसान की धनराशि होगी। हमें एक लाख मेगावाट के लिए कितनी धनराशि की जरूरत है। जैसाकि आपने ही कहा कि यह धनराशि सात से आठ लाख करोड़ रुपए है। इस प्रकार तब ये तीन से चार लाख करोड़ रु. की धनराशि बचाई जा सकती है तो विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, वह इसी में से उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन हम ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि बिजली की चोरी एक बड़ा मुद्दा है जिससे निबटने की जरूरत है।

हम इस समस्या से कैसे निबटे? मैं समझता हूं कि हमें वास्तव में बहुआयामी कार्यनीति अपनाने की जरूरत है, हमें प्रशासनिक उपायों की जरूरत है, हमें कानूनी उपाय करने की जरूरत है हमें तकनीकी उपाय करने की जरूरत है, हमें राजनीतिक उपायों की जरूरत है जैसाकि श्री जनार्दन रेड्डी कह रहे थे हमें दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है क्योंकि यही मुद्दे हैं जिनके द्वारा हम कर्मचारियों के दृष्टिकोण और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन और रुझानात्मक परिवर्तन कर सकेंगे। अतः इन सभी सात आठ मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब भारत सरकार के पास इनमें से प्रत्येक मुद्दे के निपटने के लिए कार्यक्रम है।

किन्तु मैं आपको बता दूं कि वास्तव में यह राज्यों से संबंधित है। बिजली का सारा कार्य विशेषकर बिजली वितरण कार्य राज्यों के हाथ में है। बिजली की चोरी एक ऐसो समस्या है जिसका संबंध वितरण से है अतः यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे राज्य सरकारों को निबटना है। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य विद्युत बोर्ड जो राज्यों में विद्युत पारेषण पर नियंत्रण करते हैं, वित्तीय दिवालिएपन की स्थिति में हैं, इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास एक कार्यक्रम है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।

सर्वप्रथम, हमने विद्युत की चोरी को रोकने के उद्देश्य से परिवर्धित विद्युत सुधार विकास कार्यक्रम शुरू किया है।

वह कैसे? हम इस संबंध में छः स्तरीय हस्तक्षेप की कार्यनीति पर कार्य कर रहे हैं। जहां बिजली को खपत होगी, वहां मीटर होंगे। जैसाकि मैंने कहा है, रिकार्ड का न होना समस्या का कारण है। एक बार हमारे पास उपयुक्त मीटर होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बिजली की खपत कहां हो रही है।

हस्तक्षेप का दूसरा चरण वितरण फीडर है। वितरण फीडर बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण का अन्तिम चरण होता है किन्तु यह पहला बिन्दु भी होता जिस पर उपभोक्ता द्वारा उपयोग का पता चलता है। इसलिए सभी वितरण फीडरों पर हम सॉफ्टवेयर लगाने का प्रयास करेंगे जिससे उपभोक्ता को वितरण फीडर से आपूरित की जा रही बिजली का उपयुक्त रूप से हिसाब रखा जा सके।

भारत में लगभग 400 विद्युत सर्किल हैं। प्रत्येक सर्किल को कारोबार इकाई और मुनाफा केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा ताकि हमें यह पता चल सके कि प्रत्येक सर्किल में जहां वास्तव में चोरी हो रही है, बिजली की चोरी कौन कर रहा है और हमें प्रत्येक अंचल से कितना नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर समस्या के रूप में बिजली क्षेत्र की 20–25 हजार करोड़ रु. की चोरी पर बात करने के बजाय हम इसे स्थानीय स्वरूप देना चाहते हैं। इस समस्या को बहुआयामी बनाने और इसका हल न निकालने के बजाय हम इसका स्थानीकरण करना चाहते हैं और वास्तव में इसे हल करना चाहते हैं। यही कार्रवाई हमने की है। इसलिए तीसरा स्तर वितरण क्षेत्रों का है।

चतुर्थ स्तर विद्युत बोर्डों का है जहां हमने पिछली बकाया धनराशि समेत परिवर्तन लाने का भी प्रयास किया है। जिसका आपने उल्लेख किया। मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया समिति की रिपोर्ट पहले से ही कार्यान्वयानाधीन है। मंत्रिमंडल ने इसका अनुमोदन किया है। इसलिए यह चतुर्थ स्तर है।

पांचवां स्तर राज्य सरकार और छठा स्तर केन्द्र सरकार है। जिसकी हम सब चर्चा कर रहे हैं। आपने ठीक ही कहा कि यह समस्या प्रत्येक ग्राम में है, जहां किसानों और अन्य लोगों द्वारा बिजली की चोरी की जाती है। मैं यह कहकर इसका सामान्यकरण नहीं करना चाहता कि सभी किसान बिजली की चोरी करते हैं। यह एक गलत बयान होता। यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि किसान बिजली की चोरी नहीं कर रहे हैं। किन्तु इस समय मैं यह कह कर इसका सामान्यकरण नहीं करना चाहता कि सभी किसान बिजली की चोरी कर रहे हैं। वास्तव मैं, जैसाकि मेरे माननीय मित्र डा. सेनगुप्त भारत सरकार के पूर्व सचिव ने भी इसका उल्लेख किया था कि चोरी क्या है? वाणिज्यिक प्रसारण और वितरण घाटे का बड़ा भाग चोरी ही है। और इसे चोरी क्यों कहा जाता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ऊर्जा का लेखा जोखा नहीं रखते। इसलिए कृषि में बिजली के उपयोग के रूप में जो हम दिखाते हैं जिसमें पर्याप्त धनराशि लगती है, का उचित रूप से हिसाब–किताब नहीं रखा जाता है और इसे कृषि उपयोग में बदल दिया जाता है। इसलिए गरीब किसानों पर चोरी का आरोप लगता है जबकि किसानों को बिजली नहीं मिलती। इसलिए किसानों पर इसके लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह बात नहीं है। बात यह है कि जब तक हम कार्रवाई का स्थानीकरण नहीं कर सकते तब तक इस कार्रवाई का वास्तव में कोई परिणाम नहीं निकल सकता है। इसलिए भारत सरकार ने इसे प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में लेने का निर्णय किया है।

इसलिए जैसाकि मैंने कहा, पहला उपाय परिवर्धित विद्युत और सुधार विकास कार्यक्रम के रूप में प्रशासनिक उपाय ही है। इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? अनुमान है कि जितनी धनराशि की हमें जरूरत होगी, वह पूरे देश के लिए 40,000 करोड़ रु. से अधिक होगी। भाग्यवश, भारत के इतिहास में पहली बार हमने श्री राव जो इस समय सी. ई.ए. के कार्यकारी अध्यक्ष और ग्रिड आपरेशन के सदस्य हैं। की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। हमने इस समिति का गठन किया जिसकी स्थापना माननीय सदस्य श्री जर्नादन रेड्डी हमसे कराना चाहते थे। इस समिति ने उच्च गुणवत्ता वाली छः नियम पुस्तकें तैयार की हैं। इसमें से प्रत्येक नियम पुस्तक कार्यान्वयन के चरण में है और हम वस्तुतः इन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं। इसलिए ये प्रशासनिक उपाय कार्यान्वयानाधीन हैं और 40,000 करोड़ रु. की यह धनराशि योजना आयोग द्वारा भी स्वीकार कर ली गई है। जैसाकि आपने देखा है वर्तमान बजट में मेरे सहयोगी माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने वितरण सुधार हेतु आवंटन बढ़ाकर 3,500 करोड़ रु. तक कर दिया। डेढ़ वर्ष से दो वर्ष पहले तक कोई धनराशि उपलब्ध नहीं थी। यह धनराशि 1,000 करोड़ रु. से बढ़कर 1,500 करोड़ रु. हो गई और अब बजट में 3,500 करोड़ रु. का

[श्री सुरेश प्रभु]

प्रावधान किया गया है। मुझे विश्वास है कि आगामी कुछ वर्षों के दौरान यह सम्पूर्ण धनराशि, जो वितरण सुधार के लिए आवश्यक है, उपलब्ध हो जाएगी और हम इसकी देखभाल करेंगे।

दूसरा अपेक्षित उपाय कानून बनाने का है। यदि निवारक उपाय उपलब्ध हों तो चोरियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। उनके लिए दंड मिलना चाहिए। लोगों को वास्तव में यह डर होना चाहिए कि यदि मैं बिजली चोरी करता हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुझे कठोर दंड मिलेगा। यह प्रावधान शुरू करने के लिए विद्युत विधेयक 2001 लाया गया है और जिस पर इस समय स्थायी समिति चर्चा कर रही है। इसमें कुछ कठोर उपाय किए गए हैं। अतः मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष से इस विधेयक पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध करता हूं जिससे इसे संसद के समक्ष लाया जा सके। अतः वैधानिक उपाय भी किए जा रहे हैं।

तीसरा उपाय तकनीकी उपाय है। आप याद करें कि आज हम विद्युत क्षेत्र और विशेषकर विद्युत चोरी, में जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, एक ऐसी समस्या थी जिसका सामना दूर संचार क्षेत्र ने भी किया है। दूरसंचार लाइनों से भी छेड़छाड़ की गई, लोग चोरियों में लगे हुए थे। लेकिन यह सब रुक गया। ऐसा प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है। प्रौद्योगिकी टेलीफोन लाइनों के साथ अब छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देती क्योंकि अब यह सम्भव नहीं है। हमें यहां भी ऐसा करने की आवश्यकता है और इसलिए प्रौद्योगिकीय हल वास्तव में बहुत आवश्यक है। मैंने व्यक्तिगत रूप से नैसकोम से बात की जो संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर कम्पनियों का शीर्ष संगठन है और वे इसका हल तलाश करने के लिए सहमत हो गए हैं। इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो देश की सबसे अच्छी प्रौद्योगिकी कम्पनियों में से एक है और उससे किसी भी दिन रिपोर्ट मिलने की आशा है। हम पहले से उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए जैसाकि मैंने कहा तीसरी प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हमने प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की है। यह प्रौद्योगिकी संबंधी बात है।

चौथा उपाय सामाजिक है। हमें ऐसा अभियान शुरू करने की जरूरत है कि बिजली की चोरी करना असामाजिक हो जाए। हमारा कहना है कि दहेज लेना बुरा है, हम कहते हैं कि यदि आप अपनी पत्नी को पीट रहे हैं तो आप यह बात सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते कि आप अपनी पत्नी को पीट रहे हैं; आप सुरक्षित होने पर भी यह बात संसद में नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप सामाजिक अपमान से भयभीत हैं जो ऐसी बात से सम्बद्ध है।

यदि आप एक सामाजिक वातावरण तैयार कर सकते हैं जिसमें विद्युत चोरी में शामिल व्यक्ति की सामाजिक रूप से निंदा की जा सके, तो मुझे विश्वास है कि यह चोरी रुक सकती है। मुम्बई में तो यह व्यवहार में आ गया है। जहां पड़ोसी कहता है : "आपने अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है!" और यह शर्मनाक बात मानी जाती है; जबकि दिल्ली में आपका पड़ोसी कहेगा "क्या आप बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं?" यह भी वास्तविकता बन चुकी है। यह सामाजिक कलंक है जो इससे जुड़ा हुआ है और इसलिए, यह एक तरह का प्रदर्शन है जिसे हमें करने की आवश्यकता है।

पांचवां उपाय राजनीतिक है। जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो यह सिर्फ चोरी के ही बारे में नहीं है बल्कि पूरे विद्युत क्षेत्र के बारे में है, और हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए, मैं कांग्रेस पार्टी की पहल का स्वागत करता हूं। मैं वामपंथी दलों की पहल का स्वागत करता हूं। मैं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सहित उन सभी राजनीतिक दलों की पहल का स्वागत करता हूं जिनका यहां प्रतिनिधित्व है। सभी राजनीतिक दल विद्युत क्षेत्र में बदलाव और सुधार लाने पर सहमत हो गए हैं और पहले से ही कह रहे हैं कि वे ऐसा करेंगे।

मैं उस संकल्प का स्वागत करता हूं जो गुवाहटी में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों की सम्पन्न बैठक में पारित किया गया था जिसमें सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने का निर्णय लिया। मैं सचमुच इसका स्वागत करता हूं। वाममोर्चा जिसका शासन पश्चिम बंगाल में है भी इसका समर्थन कर रही है। इसलिए, राजनीतिक कार्रवाई भी जरूरी है जो कि अभी सुस्पष्ट है और हमें इस प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।

दूसरी बात है जागरूकता की, जब तक आप ऐसी भावना

पैदा करते, और जैसा कि सामाजिक कलंक, यह बहुत कठिन होगा। लोगों को यह समझना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में चोरी से वास्तव में उनका सुंदर भविष्य खराब हो जाएगा क्योंकि अन्ततोगत्वा पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा।

यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तो लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। महोदय, मुझे इस प्रतिष्ठित सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मंत्रालय द्वारा 2,065 'रोड शो' आयोजित किए गए जिसमें हम प्रत्येक जिले में गए और वास्तव में लोगों में जागरूकता पैदा की। यह भारत में किसी भी सरकारी संगठन द्वारा की गई अप्रत्याशित कार्रवाई है जिसे भारत सरकार, मेरे मंत्रालय ने पिछले तीन महीनों में किया है। मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं लेकिन राज्य सरकारों को भी इसे अवश्य बढ़ाना चाहिए। यह कर्मचारियों के रवैए में बदलाव लाने के लिए है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : यह कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है।

श्री सुरेश प्रभु : हां, यह कर्मचारियों की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। वास्तव में, उन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यह कहने जा रहा था कि यह उसके बिना संभव नहीं है। पहली बार हमने पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार की है।

महोदय, सभा को यह सूचित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, जो सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षण देता है, ने इस वर्ष अल्प समय में 14,000 लोगों से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया है क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें विद्युत क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को एक निश्चित समय सीमा में अवश्य प्रशिक्षण देना चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि अगले दस वर्षों में फ्रेंचाइज के माध्यम से हम विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षित कर सकेंगे। हम राय बनाने वालों को भी प्रशिक्षित करेंगे क्योंकि राज्य विद्युत प्रशिक्षण संस्थान ने राय बनाने वालों को भी प्रशिक्षित किया है। महोदय, प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बहुउद्देशीय रणनीति के तहत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं।

महोदय, मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि सी.ई.ए. द्वारा तैयार की गई छः सूत्रीय हस्तक्षेप रणनीति को पहले ही वितरित कर दिया गया है। लेकिन विशेषकर वितरण सुधार के संबंध में जिसका लक्ष्य विद्युत चोरी को पकड़ना है, मैं इस प्रतिष्ठित सभा को बताना चाहूंगा कि यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं सभी माननीय सदस्यों को वितरित कर दूंगा ताकि वे यह जान सकेंगे की सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है।

सभा के अत्यधिक आदरणीय सदस्यों में से एक पूर्व विद्युत मंत्री और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एन. जर्नादन रेड्डी ने भी कहा कि हमें इस मुददे पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इन सभी मुद्दों पर न केवल ध्यान दिया जा रहा है बल्कि उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। सभी मुद्दों पर न केवल समिति ही गठित की गई है, बल्कि समिति की रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली गई हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

महोदय, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि वर्तमान में पीठासीन व्यक्ति माननीय सभापति महोदय, आप इस सभा के माननीय सदस्य के रूप में और ऊर्जा संबंधी परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्य के रूप में इसमें गहरी रुचि लेते रहे हैं, और हम आपकी विशेषज्ञता, ज्ञान और सलाह से बहुत लाभान्वित हुए हैं। महोदय, हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप भी देख रहे हैं, लेकिन हम इसे सबके साथ बांटना चाहते हैं।

महोदय, यदि आप आदेश दें, तो मैं दो या तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा, यद्यपि वे बिजली चोरी से संबंधित नहीं हैं, जिसे मेरे राज्य के माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं। महोदय, उन्होंने रक्षित विद्युत संयंत्रों की बात की है। नये बिजली विधेयक में उत्पादन पर से नियंत्रण को पूर्ण रूप से हटाने का प्रावधान है, इसलिए, हमने संसद के समक्ष प्रस्ताव किया है कि विद्युत उत्पादन को लाइसेंस से मुक्त रखा जाना चाहिए, कोई भी लाइसेंस नहीं होना चाहिए। महोदय, उन्होंने पारेषण और वितरण में हानि का उल्लेख किया है और वास्तव में वह कितना है। पारेषण और वितरण में होने वाली हानि चोरी और डकैती जैसी है क्योंकि होने वाली अधिकांश हानि तकनीकी नहीं है। हम इसे वाणिज्यिक हानि कहते हैं और 'वाणिज्यिक हानि' विद्युत क्षेत्र में चोरी का एक अच्छा छद्म नाम है। इसलिए, हमें उसी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पारेषण और वितरण हानि पर नजर डालने की आवश्यकता

[श्री सुरेश प्रभु]

है। यह कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है, इसका लक्ष्य परिशोधन करना भी है।

महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें 'पिट–हेड' विद्युत केन्द्रों पर सममुच में नजर रखने की आवश्यकता है। मैं उनसे सहमत हूं। यह सरकार की नीति भी है। अब, हम उन स्थानों पर विद्युत केन्द्रों की स्थापना करना चाहते हैं जहां कोयला उपलब्ध है और इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसे कई मुद्दों पर भी नजर डाल रहे हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : हम चाहते हैं आप सफल हों, यह अच्छी बात के लिए है।

श्री सुरेश प्रभु : धन्यवाद, महोदय, मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा के रूप में आपकी शुभकामनाओं को सहर्ष स्वीकार करता हूं।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा 16 मई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.54 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 16 मई, 2002/ 26 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।